खण्ड-402, अंक-10
मंगलवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1913
(13 अगस्त, 1991 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 402 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	20
सचिवालय परिसर में डाक्टरों की अनुपलब्धता (जारी)	1-52
प्रश्नोत्तर	52
सचिवालय परिसर में डाक्टरों की अनुपलब्धता	52
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न (जारी)	53
सदन में व्यवधान उत्पन्न करने तथा मा० सदस्य श्री ऊदल पर आक्षेप के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी)	54
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	56
प्रदेश के अंशकालिक चिकित्सकों को नियमित किए जाने की मांग नियम 311 की सूचनायें	56
श्रीमती अंजू मोदी की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	57
खाद न मिलने से प्रदेश के किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	59
प्रदेश में बहुमंजिली इमारतों की असुरक्षा से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद सुल्तानपुर के बेसिक शिक्षकों का व्यापक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	61
मुजफ्फरनगर में भयंकर सूखा तथा विद्युत संकट के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद मेरठ में दौराला शुगर फैक्ट्री के उत्प्रवाह से काली नदी का पानी विषाक्त होने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	62
फर्रुखाबाद तथा उन्नाव आदि जिलों में हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	70
नियम 311 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	70
फर्रुखाबाद तथा उन्नाव आदि जिलों में हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	71
पंजाब के आतंकवादियों द्वारा प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में हत्या एवं लूट-मार किए जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना	72
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	73
तहसील सदर जनपद मुरादाबाद के ग्राम सैदपुर, पल्ला व सिकन्दरपुर पट्टी को रामगंगा नदी के कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	

विषय	पृष्ठ संख्या
लखनऊ शहर के मनकामेश्वर मन्दिर के निकट टैगोर मार्ग में सीवर लाइन आदि की सफाई-व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद बदायूं के सिंचाई क्षेत्र के इकौनी एवं इस्लामनगर में घुड़सवार डकैतों के आतंक से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
ग्राम घोषरा, डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर के गाटा संख्या 150 पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सीधी भर्ती के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सम्भावित आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
श्री राम सुमिरन चौकीदार, कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम, उपखण्ड, लखनऊ खण्ड, शारदानहर लखनऊ चौक की सेवा समाप्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
मुख्य अभियन्ता जल निगम द्वारा इण्डिया मार्का-2, हैण्ड पम्पों के क्रय में धांधली किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद फैजाबाद में रासायनिक उर्वरक गोदामों को सील किए जाने तथा खाद बिक्री में मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
सहारनपुर जिलान्तर्गत ग्राम लखमीर के पास हिन्डन नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	77
जनपद बदायूं में विशेष समन्वित योजनान्तर्गत निर्मित एवं हरिजनों को आवंटित दुकानें जबरिया खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
सिद्धार्थनगर जिलान्तर्गत क्षेत्र सोहरतगढ़ में बान गंगा नहर से पर्याप्त पानी न मिलने से फसलों की हो रही क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद रायबरेली के ग्राम जनई स्थित सीताराम मन्दिर को पर्यटन केन्द्र घोषित किए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
फैजाबाद जनपद के कैण्ट थाने में पुलिस की पिटाई से ताराचंद निषाद की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद इलाहाबाद के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय द्वारा अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को गत वर्ष की छात्रवृत्ति न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के कर्मचारियों एवं शिक्षकों द्वारा किए जा रहे हड़ताल से विषम परिस्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद फैजाबाद के क्षेत्र जलालपुर के कतिपय गांवों में शीघ्र विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के मनोचिकित्सा विभाग के वरिष्ठ शोध अधिकारी डा० सतीशकुमार अरोड़ा की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
फैजाबाद जिलान्तर्गत जलालपुर क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल-संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
फैजाबाद जनपद की के०एम० सुगर मिल, मोतीनगर (मसौधा) के गन्दे पानी के प्रवाह से प्रदूषण उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
डा० कैलाश सिंह अधीक्षक, मेमोरियल चिकित्सालय गोण्डा द्वारा धांधली किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
बुलन्दशहर जिलान्तर्गत कस्बा सिकन्दराबाद के साम्प्रदायिक दंगे में मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद गाजियाबाद के दादरी क्षेत्र के कतिपय गांवों में विद्युतीकरण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
हिन्दी संस्थान लखनऊ में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद सहारनपुर के ग्राम शिमलाना में हिन्डन नदी के कटान से खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय गांवों को कृष्णा नदी के कटान से बचाने हेतु बांध बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद इलाहाबाद में सोरांव क्षेत्र के मऊ आइमा ब्लाक प्रमुख को अवैधानिक रूप से गनर दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
मिर्जापुर जनपद की चुनार तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
दि किसान सहाकारी चीनी मिल रसड़ा, बलिया के किसानों के बकाया मूल्य का शीघ्र भुगतान कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
जिला परिषद शाहजहांपुर के अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
निबन्धक उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ द्वारा सहकारी समितियों के चुनाव में मनमानी किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद फजाबांद में सरजू नदी में जल-प्रदूषण उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
गाजीपुर जिलान्तर्गत 33 के०बी० गहमर विद्युत उपकन्द्र के पूरी क्षमता से कार्य न करने से कृषकों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
गाजीपुर जिलान्तर्गत गहमर-रेवतीपुर मार्ग पर शीघ्र पुल बनाए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
प्रदेश के अर्ध-निर्मित प्राथमिक विद्यालयों के भवनों को शीघ्र पूर्ण निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
राजकीय महाविद्यालय विधूना जनपद इटावा में स्नातक कक्षायें शीघ्र प्रारम्भ किए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
थाना उसहत, बदायूं जनपद में कालाबाजारी के सन्दर्भ में दर्ज रिपोर्ट पर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत भूगर्भ जल-निदेशक के द्वारा स्थानान्तरण में अनियमितता किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
ग्राम्य विकास विभागन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
लखीमपुर खीरी जिलान्तर्गत निधासन तहसील के कतिपय गांवों में चकबन्दी विभाग द्वारा धांधली किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद हरदोई में जरेरा के निकट पुल बन्द हो जाने से गंगा नदी की बाढ़ से सम्भावित तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
उन्नाव जनपद में शारदा सिचन प्रणाली के अन्तर्गत असीवन पुरवा तथा उन्नाव ब्रान्च में पानी की कमी से सूखे की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद आजमगढ़ की शारदा सहायक नहरों में पानी की कमी के कारण उत्पन्न भयावह स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी जिला देवरिया के प्रबन्ध समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद गाजीपुर में गांगी नदी के पहाड़पुर घाट पर पक्के पुल के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जनपदों के लिए आवंटित धनराशि के गबन एवं दुरुपयोग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बाराबंकी द्वारा मजदूरी का सही भुगतान न किए जाने से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93

विषय	पृष्ठ संख्या
शासन स्तर पर गठित ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति में विलम्बित व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति में कार्यरत श्री दयाराम चपरासी का आर्थिक उत्पीड़न किऐ जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
हरदोई नगर में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी में कार्यरत जूनियर रेजीडेन्ट्स डाक्टरों के वेतन-भत्ता का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
आगरा तथा फिरोजाबाद जनपदों के ग्रामीण अंचलों में पशुओं के रोगग्रस्त होने तथा पशु अस्पताल खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
प्रदेश के आंशिक नलकूप चालकों द्वारा समान वेतन, सुविधा तथा स्थायीकरण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय मार्ग के बनी स्थान से मिर्रीकला पुरवा-कानपुर बाईपास बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
राजकीय बालिका विद्यालय अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में अध्यापिकाओं की नियुक्ति किए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
गढ़वाल जनपद के पौखाल में विदेशी शराब की दुकान खुलने से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
बलिया जिलान्तर्गत ग्राम कुल्हड़िया (उमरपुर दियारा) में गंगा के कटान से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
बदायूं जिलान्तर्गत थाना रजपुरा के कस्बा गमा की श्रीमती कमलादेवी की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
बलिया जनपद में कदम दुबहर बांध के अपूर्ण होने से समीपवर्ती गांवों को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के अधिकारियों द्वारा धांधली व भ्रष्टाचार किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें (जारी)	98
कार्तिक मेला अयोध्या-फैजाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा धन का दुरुपयोग करने तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सही उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	98
जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा नियुक्तियों में धांधली किए जाने तथा शिक्षा मंत्री द्वारा गलत उत्तर दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	100

विषय	पृष्ठ संख्या
सदन संचालन के विषय में जांच समिति गठित कि ए जाने हेतु दिनांक: 12 अगस्त, 1991 को मा० सदस्य श्री राम कुमार शुक्ल के स्वीकृत प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	101
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें (जारी)	116
सदन-संचालन के सम्बन्ध में अधिष्ठाता के निर्देश	118
धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर किसी सदस्य द्वारा बोलने की अनुमति मांगे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	118
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	121
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्राप्तियां) (पटल पर रखा गया)	123
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-1 (वाणिज्यिक) - (पटल पर रखा गया)	123
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-2 (वाणिज्यिक) - (पटल पर रखा गया)	123
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	123
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैद्यीकरण) विधेयक, 1991 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	124
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रतिवेदन-निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	124
नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	125
रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	125
गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	126
विधान सभा की विभिन्न समितियों में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	126
उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेन्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 (पुरःस्थापित)	127
उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 (पुरःस्थापित)	128
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैद्यीकरण) विधेयक, 1991 (पुरःस्थापित)	128
उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) विधेयक, 1991 (पुरःस्थापित)	128

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	129
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधेयक पारित)	139
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 (विधेयक पारित)	140
उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) तृतीय अध्यादेश	143
1991 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	148
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	150
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	163
श्री सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा दर्शक दीर्घा से नारे लगाए जाने का प्रयास तथा उन्हें मार्शल की अभिरक्षा में रखे जाने के उपरान्त रिहा किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	189
जनपद मऊ में विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	190
उत्तर प्रदेश के कतिपय पूर्वी जनपदों को मिलाकर पृथक रूप से (पूर्वांचल प्रदेश) के गठन किए जाने का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	192
प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा	199
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	205
प्रदेश में राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों तथा रियायती मूल्य की कापियों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	206
प्रदेश के हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को गत पांच वर्षों से ऋण प्रदान न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	208
फैजाबाद जनपद में बीकापुर व हैदरगंज में डाक्टरों की लापरवाही के कारण गैस्ट्रो तथा हैजे से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	209
वर्ष 1981-82 के पी०सी०एस० बैच के अधिकारियों को प्रोन्नति का लाभ दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत में वक्तव्य	210
टाण्डा तापीय परियोजना, टाण्डा, फैजाबाद द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बदले कृषकों के आश्रितों को सेवायोजन दिए न जाने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	213

उत्तर प्रदेश के चावल व गेहूँ को बिहार के रास्ते से नेपाल होते हुए चीन ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के वक्तव्य का स्थगन 215

डाला सीमेंट फैक्ट्री को सस्ते दामों पर बेचे जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 215

राज्य कर्मचारी पुलिस परिषद व अन्य कर्मचारी संगठनों में मुजफ्फरनगर के पुलिस कर्मियों को बंधक बनाने तथा उनकी हत्या आदि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य गृहमंत्री के वक्तव्य का स्थगन 216

जनपद आगरा में किसानों की फसलों के लिए जलापूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य 216

प्रदेश में अनावर्षण के कारण सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर चर्चा 218

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति कमीशन बनाने की मांग विषयक दिनांक: 1-8-91 के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 नत्थी (क) के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 232

सदन का अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 233

नत्थी 234

संसद भवन

म

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अमर सिंह, श्री	बिजनौर
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
इन्द्र देव सिंह, श्री	बिजनौर
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली
उम्मेद सिंह, श्री	आगरा
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर
कटार सिंह, डा०	मेरठ
किशोरी श्याम, श्री	मथुरा
कोविद कुमार सिंह, श्री	शाहजहांपुर
चरन सिंह, श्री	मेरठ
जगदीश मुनी, श्री	हरिद्वार
जी०एस० विनोद, श्री	मुजफ्फरनगर
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
नवाब सिंह, श्री	मथुरा
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पतिराज, श्री	आजमगढ़
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बाबूशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम एम०काम०, श्री	जालौन
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मन्नूलाल कुरील, श्री	बांदा
महेन्द्र जैन, श्री	मेरठ
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
रामपाले, श्री	हरदोई
राम प्रसाद सिंह, श्री	बांदा
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुरेश प्रताप गांधी, श्री	अलीगढ़
हरनरायन सिंह, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 1991

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में स्नातक डिग्री को तीन वर्ष के स्थान पर पुनः 2 वर्ष करने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी

**1—श्री श्याम देव राय चौधरी, दादा—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश सरकार ने स्नातक डिग्री को 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर दिया है? क्या सरकार छात्रों के भवष्यि को देखते हुए तथा अभिभावकों को आर्थिक हानि से बचाने के लिए पूर्व की भाँति इसे पुनः 2 वर्ष का करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा, श्रम मंत्री तथा सेवायोजन (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालयों ने अपने बी०ए०/बी०एस-सी०/बी०काम० पाठ्यक्रमों को 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष का कर दिया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है।

श्री श्याम देव राय चौधरी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [illegible] डिग्री कोर्स को 3 वर्ष का कर दिये जाने से बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो गयी है। प्रदेश में व्याप्त [illegible] महंगाई और उसके बोझ को देखते हुये डिग्री कोर्स को 2 वर्ष से 3 वर्ष किये जाने के कारण अभिभावकों [illegible] एक तरफ गंभीर आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी संख्या में दिन-ब-दिन बढ़ोत्तरी हो रही है और जो विभिन्न कम्पटीटिव इक्जाम्स हैं, उनको पास करने के लिये विद्यार्थियों की आयु सीमा पार हो जाती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अभी भी कौन से ऐसे प्रदेश हैं, जहां पर दो वर्ष का डिग्री कोर्स लागू है? साथ ही अपने इस प्रदेश की इस समस्या को देखते हुये क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पुनः 2 वर्ष का डिग्री कोर्स किये जाने हेतु यह सरकार संस्तुति करने पर विचार करेगी?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो कहा, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि सभी प्रदेशों में इस समय 3 वर्ष का डिग्री कोर्स लागू है। जब विश्वविद्यालयों में एकेडमिक बाडीज से मांग आई थी, तब इसे अपने प्रदेश में लागू किया गया था। आई०ए०एस० कम्प्टीशन में प्रदेश में तुलनात्मक रूप से कम छात्र सफल हो रहे थे, इसलिये एकेडमिक स्टेन्डर्ड को ऊंचा करने के लिये भी यह जरूरी था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह कोर्स 1985-86 में लागू हुआ लखनऊ, गोरखपुर तथा अवध विश्वविद्यालयों में वर्ष

1986-87 में, काशी विद्यापीठ, कानपुर, मेरठ, बुन्देलखंड, रुहेलखंड तथा गढ़वाल विश्वविद्यालयों में वर्ष 1987-88 तथा आगरा व कुमायूं में इसे वर्ष 1988-89 में लागू किया गया था। अगर यह 3 वर्ष का डिग्री कोर्स लागू न किया जाता, तो छात्रों का बहुत अहित होता, क्योंकि जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, उनके लिये यह एसेंशियल कन्डीशन है कि 3 वर्ष का डिग्री कोर्स पास होना चाहिये। इसके अलावा आई०आई०टीज में दाखिला लेने के लिये भी इसका होना बहुत जरुरी है। इस प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश पर ही उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में इसे लागू किया गया, फिलहाल अभी यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि इसे किस तरह 2 वर्ष का किया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय, यह बात सही है कि दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा यह 3 वर्ष का डिग्री कोर्स पहले से लागू है और सेन्ट्रल में तो यह और भी पहले से हैं। लेकिन जहां 3 वर्ष के डिग्री कोर्स लागू हैं, वहां बी०ए०, बी०काम० और बी०एस०सी० करने वाले छात्रों को आनर्स लिखा जाता है। लेकिन हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं है, तो क्या आप इस कोर्स को बी०ए०/बी०काम०/बी०एस०सी० आनर्स मानेंगे?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

विश्वविद्यालय "ऑटोनोमस बॉडीज" हैं, "एकेडेमिक बॉडी" के समक्ष यह विचार आ सकता है।

श्री हरिशंकर तिवारी–

अब 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो गया है, जिससे कार्यावधि बढ़ जाती है। माननीय मन्त्री जी इस बात से सहमत होंगे कि कार्यावधि बढ़ जाने से अध्यापकों को अधिक घण्टे पढ़ाना पड़ता है। इस अधिक कार्य को देखते हुए, छात्रों के भविष्य को देखते हुए और साथ ही छात्र अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकें इस बात को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में, जहां पर तीन वर्षीय डिग्री [redacted] हैं, अध्यापकों की संख्या बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

[redacted]रेन्द्र कुमार सिंह गौर–

विश्वविद्यालय से जो प्रस्ताव आते हैं, सरकार यथासमय उस पर निर्णय लेती है, विश्वविद्यालयों को शासन की तरफ से धन की भी उपलब्धि करायी जाती है, लेकिन इसके लिये विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आना जरुरी है। मेरी जानकारी नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय से ऐसा कोई प्रस्ताव आया हो।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अभी मोहम्मद आजम खां जी ने प्रश्न किया था कि जहां पर 3-वर्षीय पाठ्यक्रम है, वहां पर "ऑनर्स" की डिग्री दी जाती है। जहां पर तीन वर्ष की शिक्षा है, वहां पर किसी भी एक विषय को मुख्य विषय मानकर "ऑनर्स" की डिग्री दी जाती है और उस छात्र को साधारण स्नातक से ऊपर माना जाता है जबकि उत्तर प्रदेश में एक विषय को मुख्य विषय मानकर इस प्रकार डिग्री दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। यहां पर जो छात्र "ऑनर्स" करना चाहते हैं, वे दिल्ली, पूना विश्वविद्यालयों में जाते हैं। क्या इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी "ऑनर्स" की डिग्री का प्राविधान विश्वविद्यालय की "एकेडेमिक काउन्सिल" से बात करके कराने हेतु प्रयास करेंगे?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है। यह विषय विश्वविद्यालय का है और "एकेडेमिक बॉडीज" का है।

श्री बृजराज त्रिपाठी–

मान्यवर, 3-वर्षीय डिग्री कोर्स कर दिये जाने के कारण विद्यार्थियों की आयु बढ़ जाती है और वे आई०ए०एस०, पी०सी०एस० में नहीं बैठ पाते हैं, तो क्या शासन आई०ए०एस०/पी०सी०एस० की आयु सीमा बढ़ाने का विचार कर रहा है?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री किशोरी लाल (जौनपुर)

क्या कृषि स्नातक में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के बजाय 5 वर्षीय पाठ्यक्रम किये जाने की कोई योजना विचाराधीन है?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 2-वर्षीय कोर्स जब 3-वर्षीय किया गया, तो क्या पाठ्यक्रम में भी कोई परिवर्तन किया गया? यदि नहीं, तो 2-वर्षीय पाठ्यक्रम को 3-वर्षीय किये जाने का औचित्य क्या है?

डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि यह विश्वविद्यालय का विषय है, जहां तक मुझे जानकारी है, इसमें परिवर्तन किया गया है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां तक सत्र प्रारम्भ करने का सवाल है यह नियमित नहीं है। सत्र अनियमित होने के कारण छात्रों को तीन के बजाय चार-पांच वर्ष लग जाते हैं डिग्री कोर्स को पूरा करने में, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सत्र को सुव्यवस्थित करके केवल तीन वर्ष में ही छात्रों को डिग्री प्राप्त करने के लिये सुविधा देने का समुचित उपाय करेंगे?

डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैंने मंत्री बनते ही सबसे पहले सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है कि सत्र को नियमित किया जाय और सभी परीक्षायें समय से हों।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, प्रश्न की मूल भावना की ओर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूंगा। प्रश्न की मूल भावना यह है कि आज की मंहगाई की स्थिति में जो अभिभावक हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई में जो आर्थिक बोझ की समस्या उत्पन्न हो गयी है तीन वर्ष का डिग्री कोर्स होने से उसे क्या कम करके दो वर्ष का डिग्री कोर्स करके आर्थिक समस्या का समाधान क्या माननीय मंत्री जी करेंगे और इस संबंध में क्या शासन की कोई योजना विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न में नहीं आता है।

परिशिष्ट 'ख'

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की पेयजल पूर्ति व्यवस्था को जल निगम को पूर्णतः न सौंपे जाने से उत्पन्न पेयजल संकट का समाधान

*1.—श्री भारत सिंह रावत

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने पर्वतीय क्षेत्र में जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल योजनाओं का संचालन जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया है। यदि हां, तो क्या यह सही है कि जल संस्थान ने बहुत सी पेयजल योजनाओं को धनाभाव व त्रुटिपूर्ण होने के कारण लेने से इन्कार कर दिया है जिसके कारण समस्त पर्वतीय क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)—

जी हां, कुमायूं मण्डल की समस्त तथा गढ़वाल मण्डल की 60 योजनाओं को छोड़कर सभी योजनाओं का हस्तान्तरण हो गया है।

जी नहीं। किसी भी योजना को लेने से इन्कार नहीं किया गया। गढ़वाल मण्डल की 5 योजनाओं पर कार्य चालू होने से तथा 55 योजनाओं का संयुक्त निरीक्षण न हो पाने से हस्तान्तरण नहीं हो पाया है। हस्तगत योजनाओं में बहुत सी पेयजल योजनायें क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता को लाभ नहीं पहुंच सका, जिन्हें ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री भारत सिंह रावत—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो पेयजल की गम्भीर समस्या है, जबसे जल निगम और जल संस्थान अलग हो गये हैं, उनमें पेय जल की आपस में स्थानान्तरण की बात हुई है तबसे यह संकट और भी गहरा गया है। जो क्षतिग्रस्त योजनायें हैं या अपूर्ण योजनायें हैं वह कब तक ठीक हो जायेंगी और वहां के लोगों को कब तक पेय जल की सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त हो सकेगी?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा—

निर्माण का कार्य जल निगम करता है और रख-रखाव का कार्य जल संस्थान करता है चूंकि जल संस्थान के पास साधनों का अभाव है, इसलिये बहुत सी योजनायें खराब पड़ी रहती हैं। मैंने अभी आपसे कहा है कि यह योजनायें अतिशीघ्र ठीक की जायेंगी, इस संबंध में मैंने आख्या मांगी है, जो कुछ भी हो सकेगा, हम शीघ्र ही करेंगे।

श्री भारत सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय मंत्री जी से कहलवा दें कि इससे कम इसमें समय की कोई सीमा निर्धारित कर दें कि कब तक यह योजनायें पूर्ण हो जायेंगी? और वहां के लोगों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही प्रार्थना की थी कि इसमें संसाधनों का अभाव है इसलिये एकदम से कोई समय सीमा आपको देना सम्भव नहीं होगा। ज्यों-ज्यों साधन उपलब्ध होते जायेंगे, हम उसके पूरा कराते जायेंगे।

श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पेयजल के संकट के कारण पर्वतीय जिलों में लोगों को गन्दा पानी पीना पड़ता है और जिसके कारण कै और दस्त की बीमारी फैल गयी और इस कारण 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और 500 लोग इससे पीड़ित हो गये।

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय सदस्य के प्रश्न में इतना और जोड़ लें कि क्या स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये शुद्ध जल उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

समय की सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा कि गन्दगी चाहे पानी की हो या और कोई हो, मैं पुरानी गंदगी को दुरुस्त करूंगा। समय लगेगा। हम आश्वस्त करते हैं कि अच्छा पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इसके लिये कोई समय सीमा बांध दें जिससे शुद्ध पेय जल कबतक उपलब्ध हो जायेगा?

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जल निगम योजनायें बनाते हैं और उनमें पानी भी नहीं चल पाता है और उन्हें गढ़वाल जल संस्थान को हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार की गलत नीतियों को यह सरकार बदलेगी? और जब तक योजना में पानी न आ जाये उसे गढ़वाल जल संस्थान को हस्तांतरित न किया जाये।

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

मान्यवर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि गलत योजनाओं का हस्तांतरण हुआ है। अगर माननीय सदस्य मुझे निश्चित रूप से बता देंगे तो मैं इसका शीघ्र ही निस्तारण करा दूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं [* * *]

(माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर देने के लिये नहीं बुला रहा हूं, वैसे अगर वह उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह आक्षेप है, मैं उसकी अनुमति नहीं देता हूं।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुन्ना चौहान–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी भी योजनायें हैं जिनके बारे में यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि उनका रख-रखाव जल निगम द्वारा किया जायेगा या जल संस्थान द्वारा किया जायेगा। पूछने पर यह बताया जाता है कि इसका रख-रखाव जल निगम द्वारा किया जाता है और जल निगम द्वारा पूछने पर बताया जाता है उसका रख-रखाव गढ़वाल जल संस्थान द्वारा किया जाता है। तो क्या आप इसको दूर करेंगे?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

इस बात का प्राविधान है कि जल निगम द्वारा योजनायें बनायी जाती हैं और उनका रख-रखाव जल संस्थान द्वारा किया जाता है। जहां तक गढ़वाल की बात है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अगर जानकारी हो तो बता दें।

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

मान्यवर, जानकारी नहीं है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कुछ आगे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्य, अधिक रुचि रखते हैं। उनको भी आने दीजिये।

श्री लीला राम शर्मा–

माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें कि पर्वतीय क्षेत्र को कब तक शुद्ध पेय जल उपलब्ध करा दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष–

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसकी मैं आज्ञा नहीं देता हूं।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी

*2–श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री राम आसरे वर्मा, श्री बलराम यादव, श्री अखिलेश, श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री राम गोविन्द चौधरी:–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के पुर्नगठन विभाजन का कोई प्रस्ताव नई सरकार ने तैयार किया है? यदि हां, तो उ०प्र० के पुर्नगठन के संबंध में नई सरकार की नीति क्या है?

सिंचाई तथा न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

राज्य सरकार कुमायूं और गढ़वाल मण्डलों के जनपदों को मिला कर "उत्तरांचल प्रदेश" नाम से एक पृथक राज्य गठित करने के पक्ष में है।

राज्य सरकार "उत्तरांचल प्रदेश" राज्य को छोड़कर प्रदेश का विभाजन या पुर्नगठन कर अन्य किसी पृथक राज्य के गठन के पक्ष में नहीं है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तरांचल क्षेत्र का एक नया राज्य बनाने के लिये कब प्रस्ताव भी पास हो गया, तो नया राज्य बनाने के लिये कौन-कौन से मानक बनाये गये और दूसरा क्या सरकार यह अनुभव करती है कि वर्तमान राज्य में किसी अन्य क्षेत्र में वैसी ही सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं जैसे मिलनी चाहिये तो क्या उनके लिये भी अलग राज्य निर्माण करने पर विचार करेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय, उत्तरांचल प्रदेश के गठन के लिये गढ़वाल और कुमायूं मंडल के जनपदों की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इन चार पहलुओं को ध्यान में रख कर किया गया है जो प्रदेश के अन्य सभी भागों से भिन्न है। उनका विकास योजनाओं की समस्या का समाधान अन्य क्षेत्रों की तुलना में उस गति से नहीं हो पा रहा है जिस गति से होना चाहिये। इसलिये उनके संपूर्ण विकास के लिये उनकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इन चार पहलुओं पर विचार कर उत्तरांचल राज्य के निर्माण का प्रस्ताव गया है।

श्री अध्यक्ष--

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) इस प्रश्न के जो मूल प्रश्नकर्ता हैं उनको मैं पहले दो-दो अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति दे रहा हूं उसके बाद औरों को अवसर मिलेगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

माननीय, पहले हिस्से के उत्तर दे दिया है लेकिन मेरे प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर नहीं आया मैं उसे फिर दोहराता हूं। क्या सरकार यह अनुभव करती है कि उत्तरांचल राज्य के निर्माण के लिये जो स्थितियां हैं क्या इस राज्य के अधीन अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी सुविधायें नहीं मिल रही हैं तो क्या उनका सर्वेक्षण कराने पर विचार करेगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय, जो चार बिन्दु मैंने बताये उनके आधार पर प्रदेश का कोई और क्षेत्र नहीं आता है। इस उत्तरांचल के निर्माण के लिये जो स्थितियां हैं वह प्रदेश के अन्य भाग में नहीं हैं। उत्तरांचल में इन चार बिन्दुओं पर स्थिति अन्य सभी जिलों से भिन्न है।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल के लिये भी आंदोलन चलाया जा रहा है? क्या जो मानक उत्तरांचल के लिये तय किये गये हैं उस मानक में यह दोनो क्षेत्र खरे नहीं उतर रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय, आंदोलन चलाये जाने की जानकारी नहीं है। जैसा मैंने कहा जिन चार बिन्दुओं के आधार पर उत्तरांचल के निर्माण की बात है उन चार बिन्दुओं पर सम्मिलित रूप से कोई क्षेत्र नहीं आता है इसलिये विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री अखिलेश--

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग काफी दिनों से की जा रही है। पूर्वांचल के इलाके अन्य इलाकों से काफी पिछड़े हैं तो जो चार आधार उत्तरांचल बनाने के संदर्भ में बताये गये हैं तो क्या वह पूर्वांचल राज्य बनाने के लिये लागू नहीं होते हैं? उत्तरांचल के लिये क्या सुविधायें दी जा रही है और पूर्वांचल के लिये क्या सुविधायें दी गयी हैं?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि जिन चार विन्दुओं के आधार पर उत्तरांचल बनाने का प्रश्न है उन चार विन्दुओं को मिलाकर देखा जाय तो प्रदेश का कोई भाग उस मापदंड में नहीं आता है।

श्री अखिलेश–

पर्वांचल के जिलों को और उत्तरांचल के जिलों को उनके विकास के लिये कितना-कितना धन आवंटित किया गया है? विकास के आधार पर पूर्वांचल और उत्तरांचल के जिलों की क्या स्थिति है?

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जांय चूंकि पूर्वांचल के गठन संबंधी प्रस्ताव एजेन्डे के मद संख्या 36 पर है मैं समझता हूं जब चर्चा उस पर होगी तो उत्तर आ जायेगा।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समुचित विकास की पक्षधर है। जो भी आर्थिक विकास में विषमतायें हैं उनको ध्यान में रखकर पूर्वांचल और बुन्देलखंड के विकास का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, पूर्वांचल के विकास के लिए मंत्री जी ने नाम बताये हैं और कहा है कि आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक, यह पूर्वांचल में कोई चीज लागू नहीं होती हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद कौन-कौन हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है कि चार बिन्दुओं में पूर्वांचल में कोई बिन्दु लागू नहीं होता है बल्कि चार बिन्दु सम्मिलित रूप में लागू किये जाय तो नहीं आता है। पूर्वांचल में आर्थिक विषमता है जिसको दूर करने के लिये शासन पूरी तरह से योजना बनायेगा और प्रयास करेगा कि आर्थिक पिछड़ापन न रहे।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मंत्री जी ने कहा आर्थिक आधार भी है और चार बिन्दु उस पर लागू नहीं होते हैं। मान्यवर, आपने स्पष्ट नहीं किया कि सामाजिक और सांस्कृतिक का क्या मतलब है, भौगोलिक का क्या मतलब है? आपने एक शब्द प्रयोग किया आर्थिक विषमता। तो मैं जानना चाहता हूं कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक शब्दों का क्या तात्पर्य है? क्या यह सारी चीजें पूर्वांचल में लागू नहीं होती हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य सम्मानित सदस्य हैं। वह नगर विकास मंत्री रह चुके हैं और शिक्षा से जुड़े हैं। चार क्या विषमतायें हैं, जिसमें चार शब्द प्रयोग होते हैं वे स्पष्ट हैं। मैंने कहा है चारों को सम्मिलित रूप से देखा जाये तो प्रदेश में किन्हीं भागों में लागू नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से पूर्वांचल में आर्थिक विषमता है उसको दूर करने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये पृथक पर्वतीय राज्य के गठन संबंधी प्रस्ताव का कल ही सदन में प्रस्ताव पास किया है और केन्द्र से अलग राज्य बनाने की संस्तुति किया है। ऊहा-पोह की स्थिति में

कल प्रस्ताव पास कर लिया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उसका क्षेत्रफल 51,225 वर्ग किलोमीटर है जबकि पूर्वांचल के दो मंडलों गोरखपुर और बनारस का क्षेत्रफल 61,690 वर्ग किलोमीटर है। चार जनपद अभी इसमें नये हैं। इनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर्वतीय क्षेत्र से बदतर है। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल के इन दो मंडलों की आर्थिक स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों के मुकाबले प्रति व्यक्ति क्या है? कौन से ऐसे कारण हैं जिससे पर्वतीय राज्य के अलग गठन की आप संस्तुति कर सकते हैं और क्या कारण हैं जिससे पूर्वांचल राज्य को अलग बनाने में सरकार हिचक रही है?

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में यद्यपि बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी गयी है, फिर भी बहुत से माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है, इसलिए स्पष्टीकरण देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जहांतक उत्तरांचल प्रदेश के निर्माण का प्रश्न है, उसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं। प्रशासनिक दृष्टि, उस सबसे वह एक वांछनीय इकाई बनता है। इसलिए भी और वहां पर जितनी वन सम्पदा, खनिज सम्पदा और जल सम्पदा है, इसका सही रूप से वहां से अबतक दोहन नहीं हो सका है जिससे उसका वहां के निवासियों को लाभ नहीं मिल सका है। और एक कारण यह है कि सीमावर्ती यह क्षेत्र है और पिछड़ापन या संसाधनों का वहां घोर अभाव है या समुचित विकास वहां का न होने के कारण वहां जितनी भी जवानी है, वह वहां से पलायन कर मैदान में भाग रही है। दूसरे देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं और प्रत्येक देश की इसकी चिन्ता होगी कि उसका सीमावर्ती प्रदेश मजबूत, विकसित और खुशहाल रहे। जहां 60 वर्ष से ऊपर के लोग या अवकाश प्राप्त लोग रहेंगे, वह क्षेत्र जनबल के हिसाब से हमेशा कमजोर रहेगा। इन्हीं सब कारणों से सिद्धान्ततः हमने इस बात को माना है कि उत्तरांचल राज्य को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और दिया जाना चाहिए और इसी दृष्टि से हमने इस विधान सभा से एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को भेजा है। बाकी उत्तर प्रदेश में अलग से कोई प्रदेश बनाने का प्रश्न शासन के विचार में नहीं है और न इसकी कोई कहीं आवश्यकता ही है। जहां तक प्रदेश के कुछ भाग में आर्थिक विकास के असन्तुलन का प्रश्न है, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी कि जो-जो जिले विकास की दृष्टि से पिछड़ गए हैं या जिनमें आर्थिक असन्तुलन आ गया है, उसको दूर किया जाए और शेष और कोई प्रदेश बनाने के पक्ष में हम नहीं हैं और न हम ऐसा कोई विचार करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपने स्वय कहा है कि प्रश्नकर्ता सदस्य को हम दो अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति देंगे (व्यवधान), ठीक है बाद में आप हमें मौका दे दें।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह प्रदेश में नयी राज्य की स्थापना कर सके? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने पृथक उत्तरांचल प्रदेश बनाने का क्यों प्रस्ताव किया? इस प्रदेश के पूरब, पश्चिम, पहाड़ और बुन्देलखण्ड में बांटा गया, किन्तु अवध जो बीच में पड़ जाता है, उसको इन्होंने कहीं नहीं पूछा है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस उपेक्षित क्षेत्र की जो लखनऊ के नजदीक है, जिसमें सीतापुर, हरदोई आदि जिले आते हैं, उस अवध राज्य को बनाने का भी क्या वह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेंगे या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी के प्रश्न के दो खण्ड हैं। पहला उनका प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह प्रदेश में दूसरा एक प्रदेश बनाए या प्रदेश में ऐसी इकाइयों का समायोजन करे, राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है। इसीलिए कल जो प्रस्ताव पारित किया गया,

उसमें केन्द्र सरकार को संस्तुति की है कि यह सदन यह चाहता है, केन्द्र सरकार इसपर अपना अनुमोदन दे। यदि हम इसके लिए सक्षम होते तो केन्द्र सरकार को संस्तुति करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने दूसरी जो अवध प्रदेश की बात कही है, पूरे प्रदेश में सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए यह सरकार सचेष्ट है और हम यह देख रहे हैं कि कहां-कहां पर आर्थिक असन्तुलन आ गया है और उसको दूर करने के लिए हम प्रयासरत हैं।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष, आपने स्वयं कहा था कि जो प्रश्नकर्ता हैं वो प्रश्न से संबंधित दो-दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु अब आप ही अपनी कही बात पर.....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न से संबंधित ऐसी बात निकली इसलिये मैंने कहा।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

श्री ऊदल जी ही पूछ लें क्योंकि आपने उनका नाम पुकार लिया है।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष, दो अनुपूरक प्रश्न पूछने हैं। एक तो माननीय मैंने पूछ लिया, दूसरे के लिये आप हमारे नेता जी को इजाजत दे दें, मैं समझूंगा, मैंने पूछ लिया।

श्री अध्यक्ष–

आपके साथी श्री रामगोविन्द चौधरी जी भी पूछना चाहते हैं। अभी श्री ऊदल जी को पूछने दें।

श्री ऊदल–

किसी भी माननीय सदस्य द्वारा उपस्थित प्रश्न को कोई भी पूछ सकता है, यह हमारी नियमावली में है। इसलिये जरूरी नहीं है, बीच में भी टाइम दिया जा सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं.....

(शोरगुल, हंसी के मध्य किसी सदस्य द्वारा श्री ऊदल को सरकारी वकील कहने पर)

श्री ऊदल–

माननीय, सुन लिया आपने?

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया।

श्री ऊदल–

माननीय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो सपा के और कुछ कांग्रेस के लोग हैं मैंने अभी अपने कानों से सुना उन्होंने मुझे कहा "सरकारी वकील".....। इसलिये मैं सही बात कहूंगा और नियम के मुताबिक कहूंगा चाहे वह.....

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने गम्भीरतापूर्वक यह बात नहीं कही थी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री उधम—

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जैसे मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर और आपके हमारे ही बगल में हिमाचल प्रदेश है, जहां की आबादी हमारे पहाड़ की आबादी से कम है और इनका क्षेत्रफल भी कम है। इसलिये क्या सरकार चाहे उत्तराखण्ड हो या उत्तरांचल हो इसे राज्य का दर्जा बनाने के लिये सिर्फ संस्तुति ही नहीं भारत सरकार के ऊपर दबाव डालेगी कि एक अलग राज्य का निर्माण हो सके?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय उधम जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने सरकार द्वारा उठाये गये कदम का सही समर्थन किया। हमने एक प्रस्ताव पारित किया है और केन्द्र सरकार से इसकी संस्तुति की है कि उत्तरांचल नाम से एक अलग राज्य की स्थापना की जाय। इसके लिये हमें अनुमोदन मिले। निश्चित तौर से मेरी सरकार केन्द्र सरकार से भी इस बारे में बातचीत करेगी और जो भी इसका सही समर्थन करेंगे हम उन्हें भी साथ लेकर जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामगोविन्द चौधरी—

श्रीमन् जो आवश्यक चीजें हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

इस प्रश्न को थोड़ी देर आप चलने दें। मूल प्रश्न के उत्तर में सिंचाई मंत्री ने कहा। मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा तो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर के लिए खड़े हो गये, लेकिन उसके बाद भी मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के अलावा राज्य बनाने में कोई झगड़ा नहीं है, मैंने यह पूछा था कि पर्वतीय क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आमदनी, पूर्वांचल के प्रति व्यक्ति की आमदनी, पर्वतीय क्षेत्र की औद्योगिक स्थिति, पूर्वांचल की औद्योगिक स्थिति, पर्वतीय क्षेत्र में तहसीलों की संख्या और पूर्वांचल में तहसीलों की संख्या क्या है? तमाम तालमेल किया जाए कि आर्थिक स्थिति क्या है?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

श्री रामगोविन्द चौधरी—

पूर्वांचल के तमाम लोग अपने जीवन-यापन के लिए दुनिया में मजदूरी के नाम पर काम करते हैं।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, यह भाषण कर रहे हैं।

(शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आपने प्रश्न सुन लिया हो तो उत्तर दे दें। इतने भाषण के बीच में प्रश्न समझ में नहीं आया। चाहें तो उत्तर दे दें।

(व्यवधान)

श्री रामगोविन्द चौधरी–

श्रीमन् हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमेशा यही कह देते हैं कि "चाहे तो" उत्तर दे दें।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना जो कि सिफारिश की है इसकी सीमा क्या तय की है? राजधानी क्या होगी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां स्थापित करेंगे? अगर इन्होंने इस विषय में प्रारूप तैयार करने के पहले सूचना एकत्र कर ली हो तो बता दें? मेरी जानकारी के मुताबिक यह उत्तरांचल राज्य की स्थापना करना नहीं चाहते हैं मात्र राजनीतिक प्रस्ताव कर रहे हैं। मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी से मिला था। इन्होंने उत्तरांचल के संबंध में केन्द्र सरकार से कोई बात नहीं की है। उत्तरांचल राज्य की सीमा क्या होगी? राजधानी क्या होगी? उच्च न्यायालय की पीठ कहां स्थापित होगी? एक प्रश्न चौधरी साहब ने किया....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें, तिवारी जी का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, इसके साथ-साथ जो चौधरी जी ने प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आर्थिक आधार है, सामाजिक आधार है, राजनीतिक आधार है तो फिर इस आधार पर बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध की पर कैपिटा इन्कम बताने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिये। अगर जानकारी उपलब्ध हो तो बता दें अगर नहीं है तो मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि नियम 49 के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण विषय पर आधे घंटे की चर्चा करा लें ताकि इधर से विचार आ जायें और उधर से विचार आ जायें। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि इसे मात्र राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, कभी उत्तरांचल की स्थापना ही करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

केवल पहले प्रश्न का उत्तर दे दें। इसकी सीमा क्या है? उच्च न्यायालय कहां बनेगा? राजधानी कहां होगी? यह ब्योरे के प्रश्न हैं।

(मुख्य मंत्री) श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, जहां तक उत्तरांचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य के बनाने का प्रश्न है, हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी प्रतिबद्धता अंकित कर रखी है। उत्तरांचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाना मात्र किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है और न किसी राजनीतिक लाभ के लिये यह प्रस्ताव किया है। माननीय तिवारी जी ने जो आशंका व्यक्त की है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ उत्तरांचल प्रदेश बनाने की पक्षधर है। चूंकि यह हमारे अधिकार सीमा के बाहर है। इस नाते हमने प्रस्ताव करके केन्द्र सरकार को भेजा है, केन्द्र सरकार को उसका अनुमोदन करना है। हम स्वयं भी जाकर इसके बारे में आग्रह करेंगे कि इस अच्छी मांग को स्वीकार कर लें। दूसरी बात जहां तक सीमाओं का प्रश्न है, कुमायूं मंडल और गढ़वाल मंडल के जो जिले हैं उसमें इनका उल्लेख किया जा चुका है। इसकी राजधानी कहां होगी, उच्च न्यायालय कहां होगा यह विवरण की बात है। मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी से अनुरोध करुंगा कि वह इसमें हमारा सहयोग करें और केन्द्र सरकार से इस प्रस्ताव को स्वीकार कराने में वह भी अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे, फिर मिल बैठकर तय कर लेंगे कि राजधानी कहां हो।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया आपसे इसलिये मैं नियम 49 के अंतर्गत चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद तिवारी, अशोक कुमार, रामगोविन्द चौधरी और अन्य माननीय सदस्यों ने एक सूचना दी है इस विषय पर और कहा है कि इस पर आधे घंटे की चर्चा करने की कृपा करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 49 के उप नियम (3) के अनुसार सूचना दे दें तो जो भी होगा मैं समय निर्धारित कर दूंगा।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, माननीय, प्रमोद तिवारी ठीक उसी तरह प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी कहां होगी, जैसे लड़का पेट में हो और उसका पहले नाम रख लें।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)

मान्यवर, मुझे मालूम है कि यह सरकार बांझ है। इसके लड़का, लड़की तो कभी पैदा हो ही नहीं सकता। (हंसी)

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की परिपाटी डाली है तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की संस्तुति केन्द्र सरकार से करेंगे। यदि नहीं तो क्यों?

(उत्तर के लिये माननीय मुख्य मंत्री को नहीं पुकारा गया)

डा० बृजमान यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य को सूचना दे दूं कि प्रश्न प्रहर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

नत्थी 'ग'

[मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 1991 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश स्थित डाला सीमेन्ट फैक्ट्री, मिर्जापुर एवं आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ को पूंजापतियों के हाथों बेचे जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर हुए गोलीकाण्ड की जांच।

*1—श्री नरेश अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च, 1991 में डाला सीमेन्ट फैक्ट्री मिर्जापुर को डालमियां समूह को बेचने व आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ को दक्षिण भारत के एक पूंजीपति को बेचने का निर्णय लिया था? क्या यह सत्य है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर सैकड़ो मजदूर गोली-बारी में मारे गये? यदि हां, तो निर्णय की शर्तें क्या-क्या थीं तथा इन निर्णय का विरोध करने में जिन मजदूरों की जान गई उनके लिए कौन-कौन दोषी है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)—

जी नहीं, डाला सीमेण्ट फैक्ट्री व आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ को बेचने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था अपितु इन कारखानों को संयुक्त क्षेत्र में चलाये जाने का निर्णय लिया गया था।

कारखानों को संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करने के निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर गोली बारी में मारे गये मजदूरों का जहां तक प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2000 व्यक्ति फैक्ट्री परिसर के भीतर सील किये गये कैश चेस्ट को लूट कर अपने कब्जे में लेना चाहते थे और उन्होंने मुख्य राजमार्ग पर अवरोध कर दिया। पुलिस बल ने श्रमिकों को समझाने का प्रयास किया, किन्तु उस समय उपस्थित लगभग 6000 व्यक्तियों ने मार्ग से हटने से इनकार कर दिया और पुलिस बल पर भारी पथराव और फायरिंग की। पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसु गैस के 6 शैल प्रयोग करने के उपरान्त भी भीड़ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उनके द्वारा पत्थर फेंकना जारी रहा जिससे कई पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी घायल हो गये। अतः पुलिस द्वारा आत्म रक्षार्थ तथा जनधन के सुरक्षार्थ फायरिंग की। इस फायरिंग के फलस्वरूप कुल 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें से 8 श्रमिक और एक छात्र है।

चूंकि कारखानों को बेचने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था अतः बेचने की शर्तों का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है, जिला मजिस्ट्रेट ने सम्पूर्ण प्रकरण को जांच हेतु दिनांक 3-6-91 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सोनभद्र को आदेशित कर दिया है। जांचोपरान्त दोषी व्यक्तियों का निर्धारण हो सकेगा।

श्री नरेश अग्रवाल—

श्रीमन्, मैंने मूल प्रश्न जरूर किया है, लेकिन चिंतित माननीय प्रमोद तिवारी और माननीय यदुनाथ सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब विपक्ष में बैठते थे तो उन्होंने उस समय इन कारखानों को बेचने को लेकर उस सरकार पर करोड़ो रुपये लेने का आरोप लगाया था। स्वयं मुख्य मंत्री जी का आरोप है कि करोड़ो रुपया उस सरकार ने चुनाव की चुनौती का सामना करने के लिये, चन्दा जमा करने के लिये लेकर ये कारखाने बेच दिये। अब सत्ता में आने के बाद उन पर बाध्यता हो जाती है कि अधिकारियों के कहने के अनुसार कार्य करें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये दोनों कारखाने जो संयुक्त क्षेत्र में चलाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के निजी लोगों को दिये, तो उनको संयुक्त क्षेत्र में चलाने की क्या-क्या शर्तें हैं। क्या यह सत्य है कि 11 अप्रैल, 1991 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दोनों कारखानों को बेचे जाने के विरुद्ध स्थगन आदेश दिया था, जिसमें शेयर हस्तांतरण का आधार है। मंत्रीजी स्टे आर्डर को पढ़ देंगे, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में पढ़ लेंगे। तो 11 तारीख के स्टे आर्डर को देखते हुए 8 जुलाई को यह शेयर हस्तांतरण किये जाने का क्या कारण है?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, डाला सीमेंट फैक्ट्री या आटो ट्रैक्टर, प्रतापगढ़ या चुनार सीमेंट फैक्ट्री, इनको संयुक्त क्षेत्र में देने का फैसला गत सरकार ने किया था। हमारी सरकार आने के बाद इस सारे प्रकरण का और इस प्रकार के सौदे का गहराई से पुनरीक्षण करा रहे हैं और चूंकि मामला न्यायालय में भी लम्बित है, हमें उनके भी निर्णय की प्रतीक्षा है। हम इस पर जरूर यह देखना चाहते हैं कि कहीं पर जनहित पर कुठाराघात तो नहीं हुआ है। कहीं पर प्रदेश की गाढ़ी-कमाई के पैसे का कोई ऐसा सौदा तो नहीं हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था। प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान सरकार इस सौदे की और प्रकरण की गहराई से छानबीन करा रही है, परीक्षण करा रही है, उधर हमको न्यायालय के निर्णय की भी प्रतीक्षा है, क्योंकि उनका भी जब तक निर्णय होकर सामने नहीं आ जाता है, तब तक आगे बढ़ पाना कठिन है।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रश्न की गम्भीरता को स्वीकार किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मान्यवर, मैंने दो प्रश्न किये थे। दूसरा प्रश्न हमारा यह था कि 11 अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो स्थगन आदेश किया था, वह स्थगन आदेश क्या था? उस स्थगन आदेश के विरुद्ध 8 जुलाई को इस सरकार द्वारा प्रदेश के शेयर जो थे, उसको क्यों हस्तान्तरित किया गया? मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, इस समय मेरे पास माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति तो नहीं है, माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसको जरूर दिखवा लूंगा। हम इस पूरे प्रकरण का परीक्षण करवा रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रावली अपने पास मगवा लें, क्योंकि उसमें उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि है। मान्यवर, उच्च न्यायालय में यह आदेश हुआ था कि शेयर हस्तान्तरित न किये जाय, उसके बाद मौजूदा सरकार ने शेयर हस्तातरित किये हैं, उससे सरकार की बदनियती साफ नजर आती है। मान्यवर, यह पहले डाला सीमेंट फैक्ट्री जिस समूह को बेची गयी है, डालमियां ग्रुप समूह को, मान्यवर, इत्तिफाक से, सौभाग्य से या संयोग से विश्व हिन्दू परिषद के उपाध्यक्ष डालमियां हैं। आटो ट्रैक्टर लिमिटेड जो बेची गयी है, सिपानी को बेची गयी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों के पीछे "नी" लगा हुआ है, इसलिए उनका संदर्भ है, उनके कारण उच्च न्यायालय के उस निर्णय को दबा कर शेयर हस्तांतरित कर रहे हैं और 800 करोड़ का घोटाला डाला में हुआ है और 1000 करोड़ का घोटाला आटो ट्रैक्टर लिमिटेड, प्रतापगढ़ में हुआ है। मैं मान्यवर यह जानना चाहता हूं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अध्यक्ष–

मैंने तीनों प्रश्न सुन लिये हैं, लेकिन ये तीनों प्रश्न उससे हटकर हैं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देना चाहें, तो दे सकते हैं।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अपने प्रश्न के माध्यम से कुछ बिन्दु उठाये। पहला बिन्दु उनके प्रश्न का यह है कि वर्तमान सरकार डाला सीमेंट फैक्ट्री को किसी के दबाव में आकर डालमियां को हस्तांतरित कर रही है। मान्यवर, इसका उत्तर तो यही है कि इस सारे सौदे को मेरी सरकार ने कतई नहीं किया, जिस सरकार ने यह सौदा किया था, उसका समर्थन माननीय प्रमोद तिवारी और उनकी पार्टी कर रही थी। कहीं अगर कोई त्रुटि भी हुई है, तो वह गत सरकार के खाते में त्रुटि जाती है। तो फिर माननीय तिवारी जी और उनकी पार्टी के खाते में उतनी ही त्रुटि जानी चाहिए। जहां तक इस सरकार का प्रश्न है,

वर्तमान सरकार किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है, खुले दिल से काम कर रही है और जो भी उचित निर्णय होता है, वह हम निर्णय लेते हैं। न हमें किसी डालमियांकी चिन्ता है, न बिरला की चिन्ता है, न टाटा की चिन्ता है। इनकी चिन्ता करने वाले कोई और होंगे। कम से कम मेरी सरकार को तो इसकी चिन्ता नहीं है। शेष जो आरोप इन्होंने लगाये हैं, वह निराधार है।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि इन्होंने बहुत चीजें स्मरण करा दी। मान्यवर, मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, आज उदारतापूर्वक इस सदन में मुख्यमंत्री जी की सरकार की नीयत की परीक्षा हो जाय। मान्यवर, 8 जुलाई को क्या शेयर हस्तान्तरित किये गये हैं या नहीं किये गये हैं और 8 जुलाई को किये गये हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उस समय वही सरकार थी जो चुनाव में विश्व हिन्दू परिषद के समर्थन से आई थी और नी शब्द से इनके बड़े नेता है।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं इनके शब्दों को नहीं कहना चाहता हूं, मेरे पास तर्क मौजूद है इसलिए मैं तर्क के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार के आने के बाद किसी के साथ न कोई सौदा किया गया है और न शेयर ट्रान्सफर किये गये हैं यह सब के सब मामले किये गये हैं पिछली सरकार के समय में, उस सरकार का समर्थन आप सब लोग कर रहे थे। अब आप सबको गलती का एहसास हो गया है, आपकी गलती कैसे सुधारी जाय इसका परीक्षण हम करा रहें हैं।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)

मान्यवर, 8 जुलाई को इस सरकार ने शेयर हस्तान्तरित किया है, वह ये बता दें, कि किया है कि नहीं किया है?

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने दिवाकर विक्रम सिंह जी को बुलाया है, आप लोग बैठें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, दो प्रश्न उभरकर सामने आये हैं, इस पूरे प्रकरण में, एक तो यह है कि अप्रैल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर एक स्थगन आदेश दिया था और दूसरा यह कि स्थगन आदेश के बाद शेयर ट्रान्सफर किया गया और तीसरा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे प्रकरण की जांच करा रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि 8 जुलाई को नई सरकार के गठन के बाद शेयर ट्रान्सफर किये गये यदि हां तो स्थगन आदेश के बाद शेयर ट्रान्सफर करने का क्या औचित्य था, क्या यह मानहानि है या नहीं? दूसरा प्रश्न है कि जब शेयर ट्रान्सफर हो गये।

(व्यवधान)

इसके बाद मुख्यमंत्री जी जांच करा रहे हैं उसके बाद अगर यह निकल कर आता है कि सारा सौदा प्रदेश के अहित में हो गया तो क्या कार्रवाई करेंगे और किन नियमों के अन्तर्गत करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि इस सरकार के आने के बाद कोई भी शेयर ट्रान्सफर नहीं किये गये हैं।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, इनको कोई जानकारी नहीं है ये अखबार की कटिंग से काम चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

एक बात आपने बता दी तो मैं स्पष्ट रूप से पछ लेता हूं कि क्या 8 जुलाई को...।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, इस तरह से पूछिये कि क्या 8 जुलाई, 1991 को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद कुछ प्रतिशत शेयर हस्तान्तरित हुए हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

8 जुलाई को शेयर हस्तान्तरित हुए हैं, स्थगन आदेश किस तारीख को हुआ यह स्वयं मालूम हो जायेगा यह मैं पूछ लेता हूं इसका उत्तर आने दीजिए?

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, 11 अप्रैल, 1991 को उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं जारी हुआ है। यह शेयर हस्तान्तरित 9 मार्च को हुए थे उसके बाद नहीं हुए हैं, 8 जुलाई को नहीं हुए हैं।

(व्यवधान)

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

मान्यवर, जब शेयर्स बंटे थे तो इनके सहयोग से बंटे थे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें वर्तमान सरकार की इस मामलें में नीति क्या है? क्या यह सरक्रर इन कारखानों को हस्तान्तरित करने जा रही है या नहीं? आपने कहा कि कोर्ट में मामला लम्बित है वहां के कर्मचारियों ने मामला दायर कर रखा है। स्थगनादेश किस तारीख को जारी हुआ है यह मुख्यमंत्री जी बता दें। मुख्यमंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला लम्बित है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं। जो अधिकारी उस फैसले में शामिल थे उन्हीं अधिकारियों द्वारा आप सब छानबीन करवा रहे हैं यह हास्यास्पद है। डेढ़ महीने हो गये इस सरकार को बने हुए अभी भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जांच करवा रहे हैं। आप तारीख नहीं बता रहे हैं, स्थगनादेश के बाद शेयर्स हस्तान्तरित हुए हैं या नहीं? स्थगनादेश की तिथि नहीं बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय उद्योग राज्यमंत्री ने अभी इसका उत्तर दिया था और कहा कि उसके बाद शेयर्स हस्तान्तरित नहीं हुए हैं।

(व्यवधान)

आप लोग बैठें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्थगनादेश की प्रति मौजूद नहीं है और आपने कहा कि माननीय उद्योग राज्य मंत्री जी ने कुछ बताया।

(व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, 11 अप्रैल, 1991 को माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगनादेश नहीं दिया है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यहां शेयर्स ट्रांसफर की बात चल रही है, डाला कम्पनी और सीमेंट कम्पनी का उनको चार्ज दे दिया गया, उनको वे हेंडओवर कर दी गयी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जांच करवा रहे हैं, उस जांच के आधार पर कम्पनी लॉ के किस नियम के तहत बात होगी? शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, कम्पनी बेची गयी, जो प्रदेश के हित में नहीं है तो कम्पनी लॉ के किस ऐक्ट के तहत किस नियम के तहत कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

कम्पनीज ऐक्ट में जब कोई शेयर हस्तान्तरित होते हैं तब रजिस्ट्रार के यहां प्रार्थना-पत्र देना पड़ता है, रजिस्ट्रार के यहां स्थानान्तरण दर्ज हो जाता है फिर उसके बाद जो हिस्से का क्रयकर्ता है वह मालिक माना जाता है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वह सब तो हो गया।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न था कि मजदूरों के ऊपर गोलीबारी हो गयी उसके बारे में जांच का उल्लेख है, शेयर के स्थानान्तरण की जांच की बात उन्होंने नहीं की है।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, आपने कुछ ऐसी व्यवस्था दे दी जिससे कि माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ राहत मिली है। ऐसे कई शेयर हस्तान्तरित हुये हैं। हमारे पास हस्तान्तरण की कापी है। मान्यवर, 24,25 जून, 1991 के बीच इनकी सरकार बनी। 8 जुलाई को कोर्ट से स्थगन आदेश हुआ है। मान्यवर, जो सीमेन्ट फैक्टरी बनी है वह कम्पनी ऐक्ट के अनुसार बनी है, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाना है इसकी हस्तान्तरण की कापी मैं आपके पास भेज रहा हूं।.....

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें। कृपया भाषण न दें और अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। यह जो हस्तान्तरण हुआ है वह स्थगन आदेश के बावजूद भी हुआ है। जानबूझकर इस प्रकार के आदेशों की अवहेलना की गयी है, हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गयी है। तो यह क्यों किया गया है?

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, 8 जुलाई को सीमेन्ट निगम या प्रताप आटो ट्रैक्टर्स का कोई शेयर नहीं दिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी आदेशों की कोई अवमानना नहीं की गयी है।

श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो डाला काण्ड हुआ है और जिसमें 9 श्रमिकों की जान गयी है, मान्यवर, समाचार पत्रों के माध्यम से और समाज के माध्यम से जब इसपर चर्चा हुई तो उन्हें अहसास हुआ कि यह सरकार हमारे पेट पर लात मार रही है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो घटना हुई है उसकी उच्चस्तरीय जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे जिससे मजदूरों पर जो अत्याचार हुआ है उसका न्याय उनको मिल सके?

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इनकी भावनाएं और इच्छाएं स्वागत योग्य हैं। यद्यपि इस संदर्भ में दिनांक 3-6-91 को अपर जिला अधिकारी, सोनभद्र को जांच के लिए आदेश दे दिये थे, लेकिन अगर माननीय सदस्य की इच्छा उच्च स्तरीय जांच की है तो हम इसकी जांच आयुक्त से करा देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का आप उत्तर दिला दें। डालमिया काण्ड के सम्बन्ध में सिफारिश की गयी।

[x x x]

[x x x]

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यह एक पुराने सदस्य हैं और इसके बाद भी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके पीठ पर आक्षेप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, [x x x]

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यह किसी लखनऊ के प्रेस में छपा कागज है, यह इन्होंने खुद छपवाया है।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम की तीन इकाईयों की सम्पत्ति 770 करोड़ की है, इसको नाममात्र के पैसे पर, लगभग 51 प्रतिशत भाग डालमियां ग्रुप को दे देने पर वहां के श्रमिकों में उत्तेजना व्याप्त हुई, उसके बाद जब श्रमिक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां कोषागार पर कब्जा कर लिया गया और उनका वेतन रोक दिया गया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उन मजदूरों को, जिन पर गोली चली, जो मारे गये, उनके आश्रितों को सर्विस, मृतक श्रमिकों को मुआवजा और मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सरकार काम करेगी?

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, यह सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, कृतसंकल्प है और यह सरकार कभी भी मजदूरों की जीविका के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। इन सभी मंशाओं के तहत ही जांच बिठाई गयी है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा, चाहे वह कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों न हो, यह सरकार उसे माफ नहीं करेगी और दंडित करेगी। इसीलिये अपर जिला अधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है और यदि उससे भी ज्यादा आवश्यक हुआ, तो आयुक्त से जांच करा ली जायेगी।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, इस कार्यसूची के संबंध में।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी आपकी व्यवस्था का प्रश्न सुन लेता हूं, पहले आप मेरी बात सुन लें।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सचिवालय परिसर में डाक्टरों की अनुपलब्धता

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना दे दूं। माननीय हरेन्द्र सिंह ने ध्यान आकर्षित किया है कि कल उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और डाक्टर की उन्होंने तलाश की लेकिन डाक्टर अनुपलब्ध थे। उन्होंने लिखित सूचना दी है। मैं इसको दिखवा रहा हूं, जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, करुंगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने से लग रहा है कि मामला अति गम्भीर है। यह सच है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इधर बैठते थे तो उन्होंने ए०टी०एल०, प्रतापगढ़ के मामले को बोफोर्स काण्ड कहा था और मन्त्रिमण्डल के सदस्य श्री राजनाथ सिंह जी ने इस पर विस्तृत बयान दिया था। आज न तो तिथियों का स्पष्टीकरण हो पाया और न यह पता लग पाया कि शेयर्स कब दिये गये। मैं इस मत का हूं कि इस मामले की गम्भीरता पर गम्भीर होकर विचार करना चाहिये। माननीय दिवाकर विक्रम सिंह और यदुनाथ सिंह जी ने सवाल उठाये, पूरा समय देकर उनको सुना भी नहीं गया। मैं अपेक्षा करता था कि माननीय प्रमोद तिवारी और यदुनाथ सिंह जी की बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जवाब देंगे, लेकिन राज्यमंत्री जी खड़े हो गये और उन्होंने उत्तर दिया। माननीय यदुनाथ सिंह जी ने आपका नाम लिया था। इनकी भावना यह नहीं थी कि आपकी पीठ पर कोई आक्षेप किया जाय।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

आपका नाम इसलिये लिया कि जब आप एम०एल०ए० थे, उस समय आपने कोई पत्र लिखा था।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

माननीय यदुनाथ सिंह जी ने जो बात उठायी थी, वह उस समय की है जब आप एम०एल०ए० थे। मैं चाहता हूं कि चूंकि यह प्रकरण काफी समय से लम्बित है, जब सरकार भयमक्त समाज बनाना चाहती है तो इस मामले में किन परिस्थितियों में श्रमिकों की हत्या हुई और उनको मुआवजा नहीं मिला तथा किन परिस्थितियों में मामला लम्बित है, सारे प्रकरण पर दो घण्टे की चर्चा करा दें ताकि पक्ष और विपक्ष में विचार आ जायें।

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा में जब भी अवसर मिलेगा, इस पर दो घंटे की चर्चा निर्धारित की जाती है।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अयोध्या की घटनाओं के लिए नियुक्त जांच समिति को वर्तमान सरकार द्वारा भंग किये जाने का औचित्य।

*2–श्री हृदय नारायाण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अयोध्या की घटनाओं की जांच के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गठित आयोग को भंग करने के पूर्व उसकी व्यर्थता पर किसी उच्च स्तरीय समिति ने सम्यक विचार-विमर्श किया था? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन थे और आयोग की कार्य कुशलता पर विचार करने के लिए कौन-कौन से बिन्दु उक्त समिति के पास संदर्भित थे? क्या आयोग को संदर्भित सभी

नोटः–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या । के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

बिन्दुओं की व्यर्थता, आयोग के गठन की व्यर्थता, आदि मुद्दों पर सरकार ने सम्यक विचार किया था? यदि हां, तो सरकार के समक्ष ऐसे प्रमुख बिन्दु/निष्कर्ष क्या थे कि आयोग का भंग करना तत्काल प्रभाव से जरूरी था?

श्री कल्याण सिंह–

औपचारिक रूप से कोई समिति गठित नहीं की गई बल्कि इस प्रकरण पर शासन में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श हुआ था। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जांच आयोग का स्वरूप अव्यवहारिक था। जांच के सन्दर्भित बिन्दु एक तरफा और व्यक्ति परक थे तथा पूर्वनिर्णीत प्रतीत हो रहे थे जो उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त इस जांच आयोग को 10 अन्य जनपदों में हुये साम्प्रदायिक दंगों की जांच भी सुपुर्द की गयी थी जो कई वर्षों में पूरी होना सम्भव नहीं था।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायकों को दक्षता रोक एवं स्थायीकरण हेतु टंकण परीक्षा पास करने की अनिवार्यता की जानकारी

*3—श्री राम देव आचार्य–

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को दक्षता रोक पार करने एवं स्थायीकरण हेतु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और यदि कर्मचारी टाइप टेस्ट पास न कर पाये तो उसे दक्ष (इफिशियेन्ट) नहीं समझा जाता है और न ही स्थाई किया जाता है? क्या प्रवर वर्ग सहायक के दक्ष (इफिशियेन्ट) होने का मापदण्ड टाइप-टेस्ट पास करना ही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार नियमों में यथोचित संशोधन करते हुए इस प्रक्रिया को समाप्त करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को दक्षता रोक पार करने तथा स्थायीकरण हेतु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता नहीं है।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों एवं उनके निजी स्टाफ के द्वारा सरकार भंग होने के उपरान्त भी सरकारी धन एवं गाड़ियों के उपयोग सम्बन्धी शिकायतों की जांच

*4—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 10वीं विधान सभा के भंग होने तथा नयी 11वीं विधान सभा के गठन के मध्य उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद् के सदस्यों एवं उनके निजी स्टाफ तथा बैठकों में कितना रुपया जलपान आदि में व्यय हुआ है? क्या सरकार उसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? क्या यह सही है कि उस अवधि में मंत्रि परिषद् के सदस्यों ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विरुद्ध सरकारी वाहनों तथा निजी स्टाफ का प्रयोग किया है? क्या सरकार इसके लिए जांच आयोग गठित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश की विगत सरकार द्वारा दि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि० के विक्रय सम्बन्धी शर्तों की जानकारी

***5—श्री राम ललित—**

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार द्वारा दि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की बिक्री का कोई सौदा हुआ था? यदि हां, तो निगम के कार्य आरम्भ करने के समय की कुल लागत और बिक्री के समय की बाजारु कीमत क्या थी तथा बिक्री के समय निगम में कुल कितने रुपये का माल मौजूद था और निगम की बिक्री कितने रुपये में की गई तथा बिक्री के कारण क्या थे? सीमेन्ट निगम की बिक्री के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थान आदेश भी जारी हुआ था? यदि हां, तो स्थगन आदेश के बावजूद पिछली सरकार द्वारा सीमेन्ट निगम के किये गये सौदे को क्या सरकार रद्द करेगी?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं। सीमेण्ट निगम को बेचा नहीं गया अपितु संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इस विषय में मा० उच्च न्यायालय द्वारा 16-10-90 को अन्तरिम आदेश दिया गया था। प्रदेश सरकार ने मा० उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है। प्रदेश सरकार के निर्णय मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन (सब-जुडिस) है।

जनपद फतेहपुर के ट्रेण्ड हैड कान्सटेबलों को पोस्टिंग किये जाने की मांग

***6—श्री चरन सिंह—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर में ऐसे कितने कान्सटेबिल हैं, जो कि हैड कान्सटेबिल की परीक्षा उत्तीर्ण करके ट्रेनिंग कर चुके हैं परन्तु अभी तक उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया है? क्या सरकार ऐसे सभी कान्सटेबिलों को अन्यत्र जिलों में रिक्त हैड कान्सटेबिल के पदों पर प्रोन्नति देकर स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद फतेहपुर में हैड कान्सटेबिल ना०पु० कोर्स पास करने वाले 19 कान्सटेबिल को अभी तक प्रोन्नत नहीं किया जा सका है।

जी हां, अन्य जनपदों में स्थानान्तरण कर रिक्त पदों पर प्रोन्नति दी जायेगी। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में प्रधान एवं ब्लाक प्रमुखों के रिक्त पदों हेतु चुनाव शीघ्र कराये जाने की मांग

***7—श्री सुरेश प्रताप गांधी—**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री कृपया बतायेंगें कि प्रदेश में प्रधान एवं ब्लाक प्रमुखों के रिक्त स्थानों पर चुनाव कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

ग्राम प्रधान एवं ब्लाक प्रमुखों के रिक्त स्थानों पर चुनाव कराये जाने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

लोक सेवा आयोग उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1989 की सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षाफल एक से अधिक बार घोषित किये जाने का औचित्य

*8—श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री सुभाष चन्द्र पटेल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा ली गयी सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1989 का परीक्षाफल आयोग द्वारा एक से अधिक बार घोषित किया गया है? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं। आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है और उसमें सफल घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार उपरान्त अन्तिम परीक्षाफल घोषित किया जाता है। सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 1989 का अन्तिम परीक्षाफल दिनांक 3 अप्रैल, 1991 को घोषित किया गया।

जनपद सुल्तानपुर के थाना मुसाफिरखाना स्थित श्री विश्वनाथ के घर 14/15 मई, 1991 को पड़ी डकैती में श्रीराम कुमार टण्डन की हुई मृत्यु की जांच

*9—श्री तेज भान सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 14/15 मई, 1991 को रात श्री विश्वनाथ टंडन थाना मुसाफिरखाना जनपद सुल्तानपुर के यहां डकैती पड़ी थी जिसमें राजकुमार टंडन नामक लड़के को जान से मार दिया गया था? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है? क्या अब तक कोई मुल्जिम पकड़ा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, किन्तु मृतक का नाम राजकुमार उर्फ राजू है।

प्रश्नगत अपराध की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, मुसाफिरखाना द्वारा की जा रही है।

विवेचना से अभियुक्तगण (1) इद्रीश (2) रज्जब (3) बब्बू (4) लंगड़ा तथा (5) सुल्तान प्रकाश में आये। अभियुक्त इद्रीश को दिनांक 6-7-91 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्त लंगड़ा द्वारा दिनांक 7-8-91 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। शेष अभियुक्तगण फरार हैं। फरार अभियुक्तों की चल सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।

जनपद फैजाबाद के कुर्की बाजार में जून 91 में हुई बस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने की मांग

*10—श्री राम लखन–

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि फैजाबाद जनपद के कुर्की बाजार में जून 91 में हुई बस दुर्घटना में कितने लोग मारे गये और कितने घायल हुए तथा उनके नाम व पते क्या-क्या है? क्या घायलों की सूची में फैजाबाद जनपद के भिटौरा उत्तर निवासी एक हरिजन भी शामिल था और उसका अभी तक पता नहीं चल सका है? यदि हां, तो उक्त घायल कहां है? क्या सरकार मृतकों के आश्रितों व घायलों को कोई आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत दुर्घटना में 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा 73 व्यक्ति घायल हुए थे। दुर्घटना में मृत एवं घायल व्यक्तियों की सूचना संलग्न* है।

इस दुर्घटना में श्री रामसुबंश हरिजन पुत्र रजई राम सा० भिटौग उत्तर थाना बसखारी, जनपद फैजाबाद भी घायल हुए थे। प्राथमिक चिकित्सा के पश्चात् इनका फैजाबाद जाना ज्ञात हुआ। इनके अब तक घर न पहुंचने के संबंध में जांच की जा रही है।

मृतकों के आश्रितों व घायलों को आर्थिक सहायता देने पर परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा की जा रही मैजिस्ट्रियल जांच के बाद विचार किया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ पर)

'दि मरैला स्पिनिंग वीविंग एन्ड काटन मिल्स', अकबरपुर फैजाबाद के तालाबन्दी के फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारियों के बकाये का भुगतान एवं तालाबन्दी समाप्त किये जाने की कार्यवाही

*11—श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 'दि मरैला स्पिनिंग वीविंग एण्ड काटन मिल्स' अकबरपुर फैजाबाद की तालाबन्दी कराये जाने के बाद से वहां कार्यरत रहे विभिन्न वर्ग के श्रमिकों को जीवन निर्वाह भत्ता या कोई अन्य देय मिलता आया है? यदि हां, तो किन-किन श्रमिकों को किस दर से दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार श्रमिकों व उनके आश्रितों के व्यापक हित में तालाबन्दी समाप्त करके सेवा का अवसर देने और बकाया का भुगतान कराने की दिशा में कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की अकबरपुर, इकाई में तालाबन्दी के बाद श्रमिकों को जीवन निर्वाह भत्ता या कोई अन्य देय का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि तालाबन्दी की अवधि में श्रमिकों को जीवन निर्वाह भत्ता आदि देय नहीं होता है। उक्त तालाबन्दी को समाप्त करने के सम्बन्ध में एक कार्य-योजना तैयार की गई थी, जिसकी प्रतियां श्रमिक पक्ष को उपलब्ध कराई गई थी, परन्तु उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी। चूंकि तालाबन्दी की अवधि का श्रमिकों का कोई बकाया नहीं है, अतः इसके भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में मुंसिफ कोर्ट स्थापना का प्रस्ताव

*12—श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की महमूदाबाद तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी कब स्थापना होगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, मा० उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में न्यायालय कक्ष/आवासीय भवन/अथवा भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हेतु विचार संभव हो सकेगा।

जनपद बांदा के थाना जसपुरा अन्तर्गत ग्राम गजपुरवा में दिनांक 31 मार्च, 91 को कतिपय बदमाशों द्वारा उसी गांव के जमादार व चुनका केवट की हत्या किये जाने की जांच एवं अपराधियों को दण्डित किये जाने की मांग

*13—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-3-91 को रात ग्राम-गजपुरवा थाना-जसपुरा जिला बांदा में 6-7 खाकी वर्दी धारी बदमाशों द्वारा उसी गांव के जमादार व चुनका केवट को घर से पकड़कर हत्या कर दी गयी थी तथा कुछ लोग घायल हुए थे? यदि हां, तो क्या इस संबंध में थाना जसपुरा में 1-4-91 में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी दीनदयाल पुत्र जमादार केवट द्वारा मु० अ० 41/91 दर्ज करायी गयी थी? यदि हां, तो इस केस में अभी तक कितने मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सुरक्षा व्यवस्था हेतु उक्त गांव में बंदूक के लाइसेंस जारी किए जायेंगे और मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

जी हां।

प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात 6-7 बदमाशों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। अपराध की विवेचना के दौरान 7 अभियुक्त प्रकाश में आये। दो अभियुक्त मोहन व बाबू जो एक अन्य मुकदमा अ०सं० 39/91 धारा 302 भा०दं०वि० में अभियुक्त होने के कारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर वे दि० 4-4-91 को जेल भेजे गये। शेष पांच फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही की गई।

(4) श्री दीन दयाल पुत्र जमादार को डी०बी०बी०एल० बन्दूक का लाईसेंस जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिया जा चुका है। आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

जनपद कानपुर देहात के थाना राजपुर अन्तर्गत ग्राम बदनपुर टांडा में 28 जून 1991 को कोमल सिंह के यहां पड़ी डकैती के जुर्म को कम करके लिखने हेतु एस०ओ० राजपुर के खिलाफ कार्यवाही की मांग

*14—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-6-91 को प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री कोमल सिंह ग्राम बदनपुर टांडा मौजा पैलावार, थाना राजपुर, जिला कानुपर देहात का प्रार्थना-पत्र पुलिस महानिदेशक को दिनांक 29-6-91 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो डकैती काण्ड की जांच किससे कराई गयी और क्या परिणाम निकला? क्या जुर्म को कम करके लिखने के लिए दोषी एस०ओ० राजपुर जिला कानपुर देहात के खिलाफ कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

डकैती काण्ड की जांच क्षेत्राधिकारी से करायी गयी। जांच से डकैती के अपराध को घटाकर लूट के अपराध के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करने के लिए उप निरीक्षक श्री अहिबरन सिंह व थानाध्यक्ष शाहिद हुसैन नकवी को दोषी पाये जाने पर श्री नकवी को थानाध्याक्ष पद से प्रत्यावर्तित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा अभियोग के विवेचक श्री सिंह को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है।

जिला वाराणसी के पास बाबतपुर स्थान पर स्टेडियम बनाये जाने की मांग

*15—श्री ऊदल—

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान बाबतपुर, जिला वाराणसी के पास एक खेलकूद मैदान (स्टेडियम) बनाने हेतु सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज ने पांच एकड़ जमीन विभाग को दे दी है और उसकी सन् 90 व 91 में जांच करके रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी में खेल कूद के मैदान की अनुपलब्धता को देखते हुए इस क्षेत्र में पचासों इण्टर कालेज व 6 डिग्री कालेज तथा बीसों हाई स्कूल के छात्रों को खेल कूद का प्रोत्साहन देने हेतु उक्त स्थान पर स्टेडियम बनाने की कृपा करेगी?

पर्यटन एवं खेलकूद मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)—

सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज की 5 एकड़ जमीन विभाग को उपलब्ध नहीं हुई है। जांच आख्या सरकार के पास आ गई है। उक्त स्थान पर अभी स्टेडियम बनवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाला सीमेन्ट फैक्ट्री को डालमिया को बेचने के पूर्व उसका फैक्ट्री के मजदूर यूनियनों को प्रबन्धन में लाभकारी शर्तों पर चलाये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

*16—श्री भागवत—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाला फैक्ट्री को बेचते समय क्या डालमिया के अलावा अन्य खरीदारों को आमंत्रित किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो किन शर्तों के आधार पर? क्या संबंधित फैक्ट्री का मजदूर यूनियन फैक्ट्री के अपने प्रबन्धन में लाभकारी शर्तों पर चलाने की इच्छा रखते हैं? यदि हां, तो वरीयता के आधार पर मजदूर यूनियनों को फैक्ट्री चलाने के लिए दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

डाला फैक्ट्री को बेचा नहीं गया है। संयुक्त क्षेत्र में साझेदारी के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था और उसके प्रत्युत्तर में डालमिया उद्योग के अलावा अन्य उद्योगपतियों ने भी अपना प्रस्ताव दिया था।

प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों को दिनांक 19-5-90 को वार्ता हेतु बुलाया गया था। बैठक में उनसे अपना प्रस्ताव इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि शासन द्वारा भविष्य में कोई पूंजी निवेश नहीं किया जायेगा और श्रमिकों की छंटनी को कोई पूर्व शर्त मान्य नहीं होगी तथा प्रदेश सरकार की ओर से कम्पनी को केवल वही सुविधायें उपलब्ध होंगी जो रुग्ण इकाईयों को दी जाती हैं।

मजदूर यूनियन से इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, किन्तु मजदूर यूनियनों को फैक्ट्री स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं था, क्योंकि उनका प्रस्ताव उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करता था।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में लिपिक संवर्ग में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किये जाने की मांग

*17—श्री सोमारू राम—

क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्तमान समय में लिपिकों के कुल कितने पद सृजित हैं? इन पदों में से सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति के कितने-कितने पद हैं? क्या उपरोक्त विभाग में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों? आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-59 के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के गठन के समय सुधार न्यास तथा नगर महापालिका आदि से 167 लिपिक वर्गीय कर्मचारी पद समेत प्राधिकरण में अंतरित किये गये थे। उक्त पदों पर आरक्षण नहीं बनता है क्योंकि स्थानीय निकायों की सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 22 फरवरी, 1978 द्वारा लागू की गयी है। इस प्राधिकरण में 140 लिपिक वर्गीय पदों का सृजन शासनादेश संख्या 558 ई/11-5-90-100डीए/87, दिनांक 27-2-90 द्वारा किया गया है, जिनमें से अनुसूचित जाति के 35 पद, अनुसूचित जनजाति के 3 पद तथा सामान्य श्रेणी के 102 पद बनते हैं। दिनांक 11-10-89 तक लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी लिपिकों को विशेष परिस्थितियों में इन पदों पर विनियमित किये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं हो पाया है। लिपिकीय पदों पर अनुसूचित जाति के 10 व्यक्ति नियुक्त/विनियमित किये गये हैं। आरक्षित श्रेणी की शेष रिक्तियों को अग्रेनीत करते हुए कोटा पूरा करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये हैं।

लखनऊ जनपद की पुलिस द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 1991 को श्री बबलू यादव को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच

*18—श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि दिनांक 7-7-91 को लखनऊ जनपद की पुलिस ने बबलू यादव नाम के 25 वर्षीय युवक को फर्जी मुठभेड़ दिखा कर मार दिया? यदि हां, तो उस युवक को किस स्थान पर मारा गया तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-7-91 को थाना नाका पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि अनेक अपराधों में वांछित अभियुक्त राजेश गुप्त अपने सशस्त्र गैंग के साथ एल०डी०ए० कालोनी, क्वार्टर नं० एम०डी०-83 सेक्टर एफ रेलवे लाइन के पास एक मकान में मौजूद है। थाना नाका के प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिये आत्म समर्पण करने को कहा। अपराधियों ने पुलिस पर फायर शुरू कर दी तो आत्मसुरक्षार्थ पुलिस ने फायरिंग कर बदमाशों को पकड़ने के प्रयास किये। कुछ बदमाश भागने में सफल हो गये। घटना स्थल का निरीक्षण करने पर बदमाशों के दो शव बरामद हुये जिनके पास देशी तमंचा आदि था। पता करने पर मृतकों के नाम राकेश गुप्ता एवं बबलू पुत्र पंचम यादव निवासी सब्जी मण्डी थाना कैसरबाग ज्ञात हुये। प्रश्नगत घटना के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है।

जनपद एटा के कस्बागंज डुंडवारा में दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 को हुए साम्प्रदायिक दंगे की जांच एवं पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की मांग

*19—श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के कस्बा गंजडुंडवारा में 4 दिसम्बर, 1990 को हुए साम्प्रदायिक दंगे में कितने लोगों की मौतें हुईं कितने घायल हुए, कितने रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई? कितने रुपये की सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद एटा के कस्बा गंजडुंडवारा में 4 दिसम्बर, 1990 को हुए साम्प्रदायिक दंगे के परिणामस्वरूप 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 7 व्यक्ति घायल हुए तथा रु० 62,68.450/- की अनुमानित क्षति हुई। उक्त दंगा प्रभावित व्यक्तियों को रु० 18,50,800/- की आर्थिक सहायता वितरित की गयी।

आगरा में प्रस्तावित ताज नेशनल पार्क के प्रारूप की जानकारी

*20—श्री विजय सिंह राणा-

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ताज नेशनल पार्क बनाये जाने की आगरा जनपद की एक महत्वपूर्ण परियोजना को अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? इस योजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केदार सिंह फोनिया--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पार्क के स्वरूप का निर्धारण एवं इसके लिए चयनित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कार्यवाही की जा रही है जिसे अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात धन उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव होगा।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ के याहियागंज वार्ड के मुहल्ला बाग मक्का के सरकारी गली में श्री छोटेलाल द्वारा अवैध निर्माण से उत्पन्न स्थिति

1—श्री राम ललित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुहल्ला बाग मक्का याहियागंज वार्ड, लखनऊ की सरकारी गली में श्री छोटे लाल द्वारा अवैध निर्माण कर के दीवार उठा कर रास्ता बन्द किये जाने के संबंध में वर्ष 1988-89 में वहां के निवासियों के प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या 1988 में विहित आधकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उसे गिराने के आदेश दिए हैं? यदि हां, तो अब तक उन्हें न गिराये जाने का क्या कारण है?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

विहित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6-7-88 को कथित भवन गिराने के आदेश पारित किये गये थे किन्तु यह जानकारी प्राप्त होने पर कि भू-स्वामित्व श्री छोटे लाल का न होकर उनकी पत्नी श्रीमती हीरा देवी का है, भवन गिराने का आदेश वापस ले लिया गया। तत्पश्चात् श्रीमती हीरा देवी के प्रतिवादी बनाते हुए विहित प्राधिकारी, लखनऊ के न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें सुनवायी की आगामी तिथि 13-8-91 नियत है।

वर्ष 1991 में आम चुनाव के दौरान जनपद शाहजहांपुर में एन०एस०ए० एवं गुण्डा एक्ट में निरुद्ध व्यक्तियों को उक्त धाराओं से मुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव

2—श्री देवेन्द्र पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1991 के आम चुनाव के दौरान जनपद शाहजहांपुर में कुल कितने आदमियों को एन०एस०ए० तथा गुण्डा ऐक्ट के तहत निरुद्ध किया गया है? क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य दलों के ही लोगों को विरुद्ध किया गया है? यदि हां, तो इस पक्षपातपूर्ण रवैया के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी? क्या एन०एस०ए० उठाने हेतु कोई कार्यवाही सरकार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1991 में चुनाव के दौरान एन०एस०ए० के तहत 15 व्यक्ति एवं गुण्डा ऐक्ट के तहत 201 व्यक्ति निरुद्ध किये गये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के व्यक्तियों को सुरक्षार्थ अंगरक्षक एवं गनर दिये जाने सम्बन्धी विवरण की जानकारी

3—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा इस समय प्रदेश भर में कितने व्यक्तियों को अंगरक्षक तथा गनर दिए गए हैं तथा इस तरह की सुरक्षा दिए जाने का क्या आधार बनाया गया है?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में इस समय शासन द्वारा-कुल 130 व्यक्तियों को जीवन भय के आधार पर अंगरक्षक एवं गनर स्वीकृत किया गया है।

जनपद बुलन्दशहर के कोतवाली खुर्जा नगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 165/91 की जांच सम्बन्ध कार्यवाही में प्रगति की जानकारी

4—श्री राम सरन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में कोतवाली खुर्जा नगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 165/91 सरकार बनाम नाहर सिंह आदि अंतर्गत धारा 406, 409, 420 आई०पी०सी० की जांच कोअपारेटिव सेल मेरठ द्वारा कराई जा रही है? यदि हां, तो जांच के दौरान क्या कार्यवाही की गयी? क्या अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, मुकदमा अपराध संख्या-165/91 अन्तर्गत धारा 406/409/420 भा०द०वि० दिनांक 28-2-91 को थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत हुआ है और उसकी विवेचना हेतु कोआपरेटिव सेल मेरठ से कराने हेतु प्रपत्र भेजे गये। कोआपरेटिव सेल में उक्त अभियोग की विवेचना उनकी शाखा की परिधि में न आने के कारण विवेचना स्थानीय पुलिस को वापस कर दी गयी। अब इस अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। वर्तमान में विवेचना प्रचलित। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जनपद बुलन्दशहर के थाना खुर्जा देहात में दर्ज मकदमा अपराध संख्या 10/91 में हुई जांच सम्बन्धी जानकारी

5 श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में थाना खुर्जा देहात में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 10/91 सरकार बनाम नरसिंह पाल सिंह आदि अन्तर्गत धारा 409. 420, 467, 468 आई०पी०सी० की जांच कोआपरेटिव सेल मेरठ द्वारा कराई जा रही है? यदि हां, तो जांच के दौरान क्या कार्यवाही की गई? क्या अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

इस अभियोग से सम्बन्धित प्रथम विवेचना हेतु दिनांक 25-1-91 को कोआपरेटिव सेल मेरठ भेजे गये परन्तु बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 25-3-91 के अनुसार इस अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिसके कारण विवेचना दिनांक 30/5/91 को द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या 15 समाप्त की गयी। साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया।

जनपद उन्नाव में विभिन्न जघन्य अपराधों में वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जांच

6—श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में जघन्य अपराधों के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के डी०जी०पी० को प्रेषित दिनांक 19-6-91 गृह सचिव को प्रेषित पत्र उक्त दिनांक, डी०आई०जी० लखनऊको प्रेषित दो पत्र दिनांक 28-6-91, गृह सचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 3-7-91 पत्रांक 35/91 पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नकर्ता द्वारा डी०आई०जी० लखनऊ को दिनांक 28-6-91 को दो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रथम पत्र में हिस्ट्रीशीटर कल्लू पाठक द्वारा दि० 26-6-91 की रात कस्बा मौरावां में धनुषयज्ञ स्थल-हनुमान मंदिर पर फायर किये जाने एवं पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया था। वर्णित आरोपों की जांच की गई। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई। दूसरा पत्र प्रश्नकर्ता के पृष्ठांकन दिनांक 28-6-91 सहित श्री रघुबर का दि० रहित प्रार्थना-पत्र डी०आई०जी० लखनऊ को प्राप्त हुआ। इसकी जांच की गई एवं पाया गया कि रघुबीर प्रसाद के प्रार्थना-पत्र में अंकित विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 26-6-91 को थाना मौरावा द्वारा मु०अ०सं०-158/91 धारा 147/427/504/506 भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत हुआ है।

प्रश्नकर्ता का दि० 3-7-91 का पत्र जो गृह सचिव को संबोधित है, की जांच कराई गई। जांच के दौरान पाया गया कि श्री अशर्फीलाल की सूचना के आधार पर दि० 16-6-91 को थाना मौरावां में मु०अ०सं० 146/91 धारा 324/323/506/504 भा०दं०सं०, लालू आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पत्र में वर्णित दूसरे आरोपो के संबंध में भी थाना मौरावां में अप०सं० 164ए धारा 452/323/504 भा०दं० संहिता श्याम प्रकाश आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ।

प्रश्नकर्ता द्वारा दि० 19-6-91 को डी०जी०पी० को प्रेषित पत्र पर की गई कार्रवाई की सूचना प्राप्त की जा रही है।

7—श्री छेदी लाल–

[दूसरे मंगल में अता०प्र०सं० 34 को अन्तर्गत स्थानान्तरित।

ग्राम चरिया, थाना बरगदवा जनपद महराजगंज के निवासी श्री अमर पाण्डेय की दिनांक 21-7-90 को हुई हत्या की जांच दुबारा कराये जाने का औचित्य

8—श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 21-7-90 को ग्राम चरिया, थाना बरगदवा, जनपद महराजगंज में श्री अंगद पाण्डेय की हत्याकाण्ड की सी०आई०डी० जांच पूरी हो जाने के बावजूद उसमें पुनः जांच कराने का क्या औचित्य है? पुनः जांच कार्य कब तक पूरा करके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जयेगी?

श्री कल्याण सिंह–

श्री जगदीश लाल, तत्कालीन सभापति, प्राक्कलन समिति ने अपने पत्र दिनांक 25/3/91 द्वारा पर्व जांच को राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण पूर्वाग्रहग्रस्त बताया। अतः मामले की जांच पुनः इलाहाबाद सेक्टर से कराये जाने के आदेश दिये गये।

जांच शीघ्र पूर्ण करने हेतु अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद महराजगंज के थाना कोठीभार अन्तर्गत ग्राम सुगौली में दिनांक 21 जून,91 को स्थानीय पुलिस द्वारा किये गये फायरिंग पर कार्यवाही

9—श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-6-91 को ग्राम सुगौली, थाना कोठीभार, जनपद महराजगंज में पुलिस ने फायरिंग की? यदि हां, तो क्यों? क्या कोई ग्रामीण घायल हुआ? क्या उस संबंध में ग्रामीणों द्वारा दी गयी सूचना लिखने से पुलिस ने इंकार किया? यदि हां, तो क्या दोषी पुलिस-कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 21-6-91 ग्राम सुगौली में एक आरक्षी द्वारा आत्मरक्षार्थ हवा में एक राउन्ड फायरिंग की गयी।

जी नहीं।

ग्रामीणों द्वारा थाने पर कोई सूचना नहीं दी गयी। अतः पुलिस द्वारा सूचना लिखने से इन्कार का प्रश्न नहीं उठता।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में बड़ा उद्योग खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी

10—श्री किशन गोपाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बड़ा उद्योग खोलने की शासन की कोई योजना है जिससे आगरा के हजारों शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके? यदि हां, तो यह उद्योग कब तक खोला जाएगा? यदि नहीं, नो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन स्वयं कोई उद्योग स्थापित नहीं करता है, अपितु निजी, संयुक्त व सहायतित क्षेत्र में उद्योग लगाये जाने हेतु सहायता उपलब्ध कराता है।

जनपद महराजगंज के थाना कोठीभार अन्तर्गत ग्राम जगरनामपुर में दिनांक 23 जून, 1991 को उक्त थाने के उपनिरीक्षक के समक्ष हुई मारपीट की घटना को जी०डी० में दर्ज न किये जाने की जांच

11—श्री शिवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोठीभार, जनपद महराजगंज के ग्राम जगरनामपुर में थाने के उपनिरीक्षक की मौजूदगी में दिनांक 29-6-91 को मारपीट हुई? क्या उपनिरीक्षक ने अपनी रवानगी उक्त गांव के लिए जी०डी० में दर्ज की है? क्या उक्त तिथि और समय का हवाला देते हुए ग्रामीणों की एक एफ०आई०आर० थाने में एहसान नामक व्यक्ति के द्वारा दर्ज हुई है? यदि हां, तो उक्त मारपीट की घटना का जिक्र उपनिरीक्षक ने जी०डी० में न करके अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं। मारपीट की घटना का शोर सुनने के बाद उपनिरीक्षक श्री शिव शंकर पाण्डेय घटनास्थल पर पहुंचे।

जी हां। उपनिरीक्षक श्री पाण्डेय एक अन्य मामले की जांच करने हेतु जगरनाथपुर गये थे।

जी हां।

जी०डी० में घटना का उल्लेख न करने के लिये दोषी उपनिरीक्षक को भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है।

12—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गोण्डा के वजीरगंज, टिकरी बाजार होते हुए अयोध्या तक चलने वाले बस के बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई

13—श्री छेदी लाल—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के वजीरगंज, टिकरी बाजार मार्ग होते हुए अयोध्या तक एक बस चलती थी? क्या उक्त बस विगत चार महीनों में बन्द कर दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? इसे पुनः कब तक चालू करा दिया जायेगा?

आबकारी एवं परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)—

जी हां।

फैजाबाद क्षेत्र की बसें शान्ति व्यवस्था हेतु लगने एवं चुनाव में बसों को लगाये जाने के कारण उक्त सेवा दिसम्बर, 1990 से बन्द रही है।

यह सेवा दिनांक 16-7-91 से पुनः संचालित कर दी गई है।

14—श्री शंकर सिंह—

[मौन परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

अंक [illegible] [illegible] [illegible]

जनपद फतेहपुर में पुलिस विभाग में तैनात 3 वर्ष की अवधि पूरी कर लेने वाले समस्त एस०आई०एम० के अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

17—श्री चरन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर में पुलिस विभाग में ऐसे कितने एस०आई०एम० हैं जो विगत तीन वर्ष या अधिक समय से जनपद फतेहपुर में ही तैनात हैं? क्या सरकार ऐसे सभी एस०आई०एम० का स्थानान्तरण जनपद फतेहपुर के बाहर अन्य जनपदों में करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह

प्राप्त सूचनानुसार जनपद फतेहपुर में ऐसे तीन एम०आई० (एम०) हैं, जो विगत तीन वर्ष या अधिक समय से जनपद-फतेहपुर में तैनात हैं।

जी नहीं

निर्धारित मानदण्ड के अनुसार एक स्थान पर मिनिस्ट्रीयल कर्मी का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। चूंकि जनपद-[illegible] किसी एस०आई०(एम०) का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्व नहीं हुआ है। फलतः किसी एस०आई०(एम०) [illegible] किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्यपाल, (उ० प्र०) के तत्कालीन विधायक श्री मदन गोविन्द राव पर 1 अप्रैल, 1991 को राज्य चीनी [illegible] के सम्बन्ध प्रबन्धक द्वारा किये गये प्राणघातक हमले की जांच

18—श्री ओम [illegible] श्री [illegible]

क्या [illegible] जानकारी दें कि [illegible] के तत्कालीन विधायक श्री मदन गोविन्द राव पर 1 अप्रैल, [illegible] को [illegible] के [illegible] के सामान्य प्रबन्धक द्वारा जान लेवा हमला किया [illegible] में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कल्याण सिंह

श्री [illegible] के [illegible] अनुपालन [illegible] पर दिनांक 1-4-91 को यह लिखित [illegible] के [illegible] तथा कार्यकारी की सभा को सम्बोधित करते [illegible] के प्रबन्धक [illegible] उनकी [illegible] अराजक तत्वों ने उन पर डण्डे, मुक्के व चाकू से प्रहार किया [illegible] को [illegible] दिया। भीड़ ने आक्रमणकारियों को [illegible] पुलिस के हवाले कर दिया। श्री [illegible] की तहरीर पर थाना रामकोला पर 9 व्यक्तियों के विरुद्ध मु०अप०सं० 146/91 अन्तर्गत धारा [illegible] 149, 323/504/506/426 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा प्रारम्भ की गई। गिरफ्तार शुदा 4 अभियुक्तों को दिनांक [illegible] को जेल भेजा गया। शेष पांच अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। सम्बन्धित प्रकरण की विवेचना [illegible] अनुसंधान शाखा, देवरिया को सपुर्द कर दी गई। सभी 9 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक [illegible] को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित [illegible] जा चुके हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा कानपुर रोड योजना सेक्टर बी में प्रस्तावित व्यावसायिक केन्द्र निर्माण योजना की बाधाओं को दूर किये जाने की मांग

19—श्री बलवीर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण करके दुकानों का आवंटन कर दिया गया है परन्तु उक्त व्यवसायिक केन्द्र के सामने कानपुर रोड के किनारे स्थित पुराने मकान के अवशेषों (खण्डहर) एवं कानपुर रोड पर स्थित दुकानों को अभी तक नहीं हटाया गया है जबकि सम्बन्धित भू-स्वामी (श्री धवन) को मुआवजे का भुगतान प्राधिकरण द्वारा काफी अर्से पूर्व किया जा चुका है? क्या सरकार कानपुर रोड के किनारे की पुरानी दुकानों तथा खण्डहर को तुरन्त हटाकर प्राधिकरण की योजना के अनुसार सड़क, पार्किंग आदि का निर्माण तत्काल करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण से सूचना प्राप्त की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा सेक्टर बी स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय की बाउन्ड्री से मिलाकर ग्राम बरगवां तक के लिए प्रस्तावित सड़क को पूरा कराने की मांग

20—श्री बलवीर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के सेक्टर-बी में सिंचाई विभाग कार्यालय (परिकल्प भवन) की चारदीवारी से मिलाकर कानपुर रोड से लिंक करते हुये कोई नई चौड़ी सड़क ग्राम बरगवां के लिए निकाल जाने के लिए प्राधिकरण की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण करके कानपुर रोड से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक उक्त सड़क का निर्माण करा दिया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

लिंक रोड का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है किन्तु मुख्य सड़क से लिंक रोड को जोड़ने का कार्य मा० उच्च न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण स्थगित है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी (परिकल्प भवन के सामने) की अधिगृहित भूमि के भूस्वामियों को उनके मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही

21—श्री बलवीर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी (परिकल्प भवन के सामने) की भूमि अधिग्रहण की गई किन-किन व्यक्तियों की थी? उनमें से किन-किन व्यक्तियों की कितनी-कितनी भूमि अभिग्रहीत की गयी तथा उन्हें कब-कब किस दर से कितनी-कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में दी गयी? क्या अधिग्रहीत की गयी सम्पूर्ण भूमि पर प्राधिकरण द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

ग्रामनगत योजना के लिए [illegible] भूमि [illegible] आवंटनों की है। **आवंटित** भूमि के [illegible] **अलावा** है। **प्रत्येक व्यक्ति** से [illegible] गयी भूमि का [illegible] **अलग क्षेत्रफल** प्रत्येक की दर तथा [illegible] की गयी प्रतिकर की [illegible] व भुगतान का [illegible] से संशोधित संचनायें अन्तर्वस्तु [illegible] **केवल** तेरह **आवास नम्बर** को छोड़ कर **अनाधिकृत निर्माण** होने **के कारण अभी** कब्जा नहीं [illegible] **अवश्य** है। शेष आवंटितों को भी कब्जा शीघ्र दिया जाय।

श्री [illegible]

[illegible] **सदस्यों** के **द्वारा** शिकायत किये जाने **पर** मुख्य **विकास** अधिकारी **द्वारा** जांच **की मांग**

श्री [illegible]

[illegible] **मंत्री** महोदय [illegible] **प्रार्थना पत्र** दिया है [illegible] **राम** ललित चौधरी के [illegible] के साथ दिनांक [illegible] को [illegible] है; **यदि हां, तो** क्या **प्रार्थना-पत्र** पर उल्लिखित **शिकायतों की जांच** कराई गयी? **यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या** है? [illegible] पर आगे क्या कार्यवाही [illegible] **यदि नहीं, तो क्यों**?

श्री कल्याण सिंह—

[illegible]

श्री [illegible]

श्रीमती कृष्णावती, [illegible] **जो अपनी** आखरी **समरात** से [illegible] हैं। इनके **पिता श्री** [illegible] **बबूलाल** के [illegible] **चुकी** है। **प्रतिपक्षी** [illegible] के [illegible] बबूलाल के मरे [illegible] **मामा** अपने नाम करा लिया और **राजस्व अभिलेखों** में इन्हीं के नाम [illegible] **जा है। वर्तमान समय में विवादित जमीन के** संबंध में **मी० भो०** चकबन्दी के [illegible] **विचाराधीन है।** दोनों पक्षों **में शान्ति** व्यवस्था [illegible] **की कार्यवाही** की [illegible]

[illegible]

सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता जिला परिषद् आजमगढ़ श्री बचनराम मल्ल के पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही

[illegible]

[illegible] **अवर अभियन्ता जिला** [illegible] **सेवा निवृत्त होने** [illegible] **पेंशन** [illegible] **नहीं है?** [illegible] [illegible] **मंत्री** [illegible] [illegible] **विलम्ब** [illegible] **अब से पेंशन** [illegible]

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सहारनपुर में विगत 24 वर्षों से तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री कटार सिंह के स्थानान्तरण की मांग

25—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पंचायती राज्य मंत्री को जानकारी है कि श्री कटार सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) जनपद सहारनपुर में विगत 24 वर्षों से तैनात हैं? यदि हां, तो इनके विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के मामले होते हुए भी उस जनपद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कब तक की जायेगी?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोण्डा से चलकर मनकापुर, मसकनवा, छपिया वभनान होते हुए गोरखपुर तक चलने वाली बस को पुनः चालू किये जाने की मांग

26—श्री छेदी लाल–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा से चलकर मनकापुर, मसकनवां, छपिया वभनान होते हुए एक बस गोरखपुर तक चलती थी जिसे विगत 5 महीनों से रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त सड़क पर बस पुनः चालू करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां।

यह मार्ग अलाभकारी है। दर्जी का कुआं से हरैया (66 किलोमीटर) मार्ग पर निजी बसें पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। यह भाग अराष्ट्रीयकृत है।

अलाभकारी होने के कारण इस मार्ग पर बस चलाने का निगम का विचार नहीं है।

महाकुम्भ इलाहाबाद में वर्ष 1988-89 में तैनात क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी पर गबन के आरोप होने के उपरान्त भी पदोन्नति किये जाने की जांच

27—श्री प्रीतम सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1988-89 में महाकुम्भ इलाहाबाद के मेले में श्री राजेन्द्र प्रसाद क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी पर गबन का आरोप था जिसकी जांच चल रही है? यदि हां, तो क्या श्री आर० प्रसाद को सहायक निदेशक पर्यटक के पद पर प्रोन्नत किया गया तथा उन्हें स्थापना आहरण वितरण जैसे विभाग सौंपें गये हैं? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हां। कुम्भ मेला 1988-89 हेतु शासन द्वारा स्वीकृत रु० 10.00 लाख की धनराशि का भुगतान फर्जी व्यक्तियों/संस्थाओं को किये जाने तथा धनराशि का दुरुपयोग किये जाने की शिकायतों की गोपनीय जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है। उक्त अवधि में श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर इलाहाबाद में तैनात थे।

चूंकि उक्त जांच श्री राजेन्द्र प्रसाद की प्रोन्नति में बाधक नहीं थी, अतः चयन समिति द्वारा नियमानुसार किये गये चयन के आधार पर श्री राजेन्द्र प्रसाद को सहायक निदेशक, पर्यटन के पद पर प्रोन्नति दी गयी थी।

शासन द्वारा निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश को ये निर्देश दिये गये हैं कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच अथवा विभागीय कार्यवाही चल रही हो उन्हें आहरण-वितरण का कार्य न दिया जाये।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी में नजूल की भूमि पर अवैध रूप से उपक्षेत्राधिकारी पुलिस के कार्यालय भवन का निर्माण

28—श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी में उप क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी का कार्यालय नजूल भूमि पर बना है? यदि हां, तो क्या नजूल भूमि के स्वत्व सम्बन्ध स्थानान्तरण की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ले ली गई? यदि हां, तो कब और किससे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उप क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी का प्रस्तावित कार्यालय चित्रकूट विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है? यदि हां, तो क्या नक्शे की पूर्व स्वीकृति ले ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसके निर्माण के सम्बन्ध में अपर जिला अधिकारी-कर्वी/जिला अधिकारी-बांदा ने स्थगन आदेश पारित किया है? यदि हां, तो क्या उसका उल्लंघन करते हुए निर्माण किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए पुलिस विभाग के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के तहसील मुख्यालय कर्वी अन्तर्गत निर्मित राजस्व विभाग के बने सरकारी आवासगृह को गिराये जाने सम्बन्धी जांच

29—श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील मुख्यालय कर्वी अन्तर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभारी लाकअप कर्वी का आवास गृह राजस्व विभाग का बना हुआ है? यदि हां, तो क्या इसके देखरेख का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी बांदा का है? क्या राज्य सरकार की इस इमारत को इसी वर्ष 1991 में गिरा दिया गया है? यदि हां, तो कब? जिला अधिकारी बांदा ने इसमें क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या लाकअप प्रभारी सहायक अभियोजन अधिकारी के आवास गृह गिराने का कार्य पुलिस विभाग के उप क्षेत्राधिकारी कर्वी ने किया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां।

भवन के गिरने या गिराये जाने की परिस्थितियां, उसके लिए दिये गये आदेशों और उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है और जांचोपरान्त वांछित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बांदा के थाना कर्वी अन्तर्गत जनसेवा इण्टर कालेज के प्रबन्धक श्री राजबहादुर सिंह को जून 91 में गलत तरीके से गैंगेस्टर ऐक्ट में बन्द किये जाने सम्बन्धी जांच

30—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना कर्वी की पुलिस द्वारा जून, 1991 में, प्रबन्धक, जन सेवा इण्टर कालेज का गैगेस्टर एक्ट में चलान किया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रबन्धक, जन सेवा इण्टर कालेज, राज बहादुर सिंह ने दिसम्बर, 90 की तारीख 3 एवं 8 को जिला अधिकारी बादां सहित उच्च अधिकारियों को उप क्षेत्राधिकारी (पुलिस) कर्वी के बावत शिकायती पत्र दिया है? यदि हां, तो उनमें क्या कार्यवाही की गई, क्या यह भी सही है कि राजबहादर सिंह सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग-कर्वी के रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं? यदि हां, तो क्या ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन चरित्र प्रमाणीकरण के बाद होता है? क्या इनके ऊपर जिन-जिन मुकदमों का आरोप लगाया गया है, वह मुकदमें में उप क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी के कार्यकाल के हैं? यदि हां, तो क्या गैंगेस्टर के अभियोजन के पूर्व जिला अधिकारी बांदा से स्वीकृत ली गई है? यदि हां, तो क्या शिकायतों एवं उक्त तथ्यों का पूर्व मल्यांकन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कया इस प्रकरण में पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्वी के आचरण की जांच की जाएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

श्री राज बहादुर सिंह, निवासी बरवारा, कर्वी, जिला बांदा द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच अपर पुलिस अधीक्षक से कराई गई। जांच से लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राज बहादुर सिंह केवल लोक निर्माण विभाग कर्वी जिला बांदा के श्रेणी "डी" के ठेकेदार हैं और उनके पक्ष में वर्ष 1983 के बाद कोई चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

श्री राज बहादुर सिंह पर जिन-जिन मुकदमों पर आरोप है उनमें से एक क्षेत्राधिकारी कर्वी के कार्यकाल के पूर्व का है, शेष 4 मुकदमें उनके कार्यकाल के हैं।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, श्री राज बहादुर सिंह के विरुद्ध उक्त कार्यवाही औचित्यपूर्ण है अतः क्षेत्राधिकारी के आचरण की जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी अन्तर्गत पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्वी के उत्पीड़क कार्यों की जांच की मांग

31—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अंतर्गत तहसील कर्वी के क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी के उत्पीड़क कार्यों की जांच संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 7-2-91 मुख्य मंत्री एवं जिला अधिकारी बांदा सहित उच्च अधिकारी को प्राप्त हुआ है तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री से दिनांक 8-2-91 को गृह सचिव को सम्बन्धित मामले की जांच सी०आई०डी० से कराने के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा सी०आई०डी० को जांच सौंप दी गई है।

32—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

जनपद फैजाबाद के थाना कैण्ट में पुलिस हिरासत में हुई ताराचन्द्र निषाद की मृत्यु की जांच

33—श्री पवन कुमार पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना कैन्ट में पुलिस हिरासत में हुयी ताराचन्द्र निषाद नामक युवक की मृत्यु और उसकी लाश परिवारजन को न दिए जाने के विरोध में दिनांक 9-7-91 को भा०ज०पा० विधायक माननीय लल्लू सिंह के नेतृत्व में आक्रोशित जन समुदाय ने फैजाबाद के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से संबंधित थानाध्यक्ष को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाये जाने की मांग की थी? क्या भा०ज०पा० के जिला मंत्री डा० राकेश वशिष्ट ने भी तार भेज कर इसी आशय की कार्यवाही कराये जाने की मांग मुख्य मंत्री से की है? यदि हां, तो ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा कायम न कराये जाने या कोई दण्डात्मक कार्यवाही न करके सिर्फ लाइन हाजिर करने के क्या कारण हैं?

श्री कल्याण सिंह—

दिनांक 9-7-91 को श्री गया प्रसाद पुत्र श्री सुन्दार लाल निषाद, साकिन मुमताजनगर माझा थाना-कैन्ट जनपद फैजाबाद ने श्री ताराचन्द्र की मृत्यु के सम्बन्ध में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को एक प्रार्थना-पत्र श्री लल्लू सिंह विधायक के साथ जाकर दिया था जिसमे दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की थी।

प्रश्न में उल्लिखित तार में दोषी लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने की मांग की गयी थी।

अपर पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद की जांचोपरान्त दिनांक 19-7-91 को थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 311/91 धारा 330/304/342/201 भा०दं०वि० बनाम एस०के० सिंह थानाध्यक्ष, कैण्ट कां० 274 दजलीत सिंह, कां० 970 कृष्ण मुरारी थाना कैण्ट सैयद माजिद अली, ग्रामप्रधान मुमताजनगर, थाना कैण्ट जनपद फैजाबाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग की विवेचना विशेष जांच शाखा, फैजाबाद द्वारा की जा रही है। विवेचना के निष्कर्षों के आधार पर दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

महमूदाबाद जनपद सीतापुर में फायर स्टेशन स्थापना सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव की जानकारी

34—श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद (सीतापुर) में प्रस्तावित फायर स्टेशन की स्थापना कब तक की जायेगी? यदि नहीं. तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

सीमित वित्तीय संसाधनों, प्रदेश के अन्य भागों की तुलनात्मक आवश्यकताओं तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से वर्तमान में महमूदाबाद जनपद सीतापुर में फायर स्टेशन की स्थापना किया जाना संभव नहीं है।

जनपद सीतापुर के थाना सदरपुर अन्तर्गत ग्राम बकहुआ में दिनांक 20 जून, 90 को धारा 307 की घटना की जांच

35—श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 20 जून, 90 को ग्राम बकहुआ, थाना-सदरपुर, जनपद सीतापुर में घटित धारा 397 की घटना के वांछित व्यक्तियों की गिरफ्तारी आज तक किन कारणों से नहीं की गई है?

श्री कल्याण सिंह—

दिनांक 20 जून, 1990 को ग्राम बकहुआ में 307 में कोई घटना घटित नहीं हुई थी। बल्कि 19 जून, 1991 को उक्त ग्राम में घटना हुई थी, जिसकी सूचना रिपोर्ट थाना सदरपुर में 19 जून, 1991 को ही दर्ज की गई। दिनांक 29-7-91 को प्रथम सचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त मंजनू पुत्र अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शेष अभियक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

जनपद मऊ के सुल्तानपुर पंचायत के अन्तर्गत आनेवाली समस्त ग्राम सभाओं को निकटतम न्याय पंचायत घोसी से सम्बन्ध किए जाने की मांग।

36—श्री अमरेश चन्द्र—

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के सुल्तानपुर न्याय पंचायत में कितनी ग्राम सभायें आती हैं? क्या यह सही है कि यह न्याय पंचायत बड़गांव ब्लाक के अंतर्गत आती है तथा इसकी ब्लाक-बड़गांव में दूरी 22 कि०मी० है जबकि घासी ब्लाक की दूरी मात्र 5 कि०मी० है? यदि हां, तो इस न्याय पंचायत को घोसी ब्लाक से सम्बद्ध न किए जाने का क्या कारण है? कब तक इसे ब्लाक घोसी से संबद्ध कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती लीलावती को आवंटित ई०डब्लू०एस० भवन सं० 17/1096 के समीप पड़ी अतिरिक्त भूमि के आवंटन के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

37—श्री दुलारे लाल—

क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि ई०डब्लू०एस० भवन संख्या—17/1096 की आवंटी श्रीमती लीलावती ने भवन से लगी अतिरिक्त भूमि के आवंटन के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को दिनांक 13 दिसम्बर, 1990 को दिया था? क्या इस संदर्भ में सहायक आवास आयुक्त, इन्दिरा नगर, लखनऊ ने आवंटी को सूचित किया था कि आपका मूल पत्र संलग्न करते हुए पत्र संख्या-21510 दिनांक 16 जनवरी, 1991 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, आवास एवं विकास परिषद्, इन्दिरा नगर, लखनऊ को भेज दिया गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह—

जी, हां।

जांचोपरान्त यह पाया गया कि भवन संख्या-17/1096 के आवंटी के द्वारा जिस अतिरिक्त भूमि के आवंटन का अनुरोध किया गया है वह वास्तव में अतिरिक्त भूमि नहीं है अपितु भवन संख्या-17/1093, 17/1094, 17/1095 का प्रवेश मार्ग है। अतः मार्ग की भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम व थाना जामों के निवासी श्री चन्द्रिका प्रसाद सुत अलेखादीन की दीवाल, पुलिस कर्मियों द्वारा गिराये जाने की शिकायत

38—श्री तेज भान सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित चन्द्रिका प्रसाद सुत श्री अलेखा दीन गांव व थाना जामों का दिनांक 27-5-91 का स्थानीय पुलिस के कुछ कर्मचारियों द्वारा दीवाल ढहा देने संबंधी शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या किसी अधिकारी से उस प्रकरण की जांच कराई गई है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। थाना जामों के हेड मुहर्रिर श्री शिव वरन पाल के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायती-पत्र मिला था।

शिकायती पत्र पर क्षेत्राधिकारी, गौरीगंज द्वारा जांच कराई जा रही है। सम्प्रति जांच प्रचलित है।

श्री ब्रजभूषण शरण सिंह, निवासी नवाबगंज, गोण्डा के घर दिनांक 5-7-91 को फैजाबाद पुलिस द्वारा लूटपाट एवं अनैतिक कृत्य किये जाने सम्बन्धी शिकायत पर कार्यवाही

39—श्री छेदी लाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-7-91 को श्री बृज भूषण सिंह, निवासी नवाबगंज, जनपद गोण्डा के यहां फैजाबाद पुलिस द्वारा अनैतिक कृत्य व लूटपाट करने के संबंध में उन्हें कोई शिकायती पत्र मिला है? यदि हां, तो उस शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

प्रदेश सरकार को प्राप्त पर्वतीय शिल्पकार सभा के ज्ञापन पर कार्यवाही

40—श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को भारत-तिब्बत सीमान्त जनपदों के पर्वतीय शिल्पकार सभा के दिनांक 14 अक्टूबर, 1990 के गोपेश्वर (चमोली) के अधिवेशन में प्रस्तुत ज्ञापन उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हुए यह इंगित करेंगे कि सरकार द्वारा उक्त ज्ञापन पर क्या-क्या बिन्दुवार कार्यवाही की गई? सरकार उक्त ज्ञापन में याचित मांगों को कब तक स्वीकार करेगी?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

प्रश्न में उल्लिखित ज्ञापन पर्वतीय विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद बांदा के अन्तर्गत कर्वी के पुलिस क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच एवं उन्हें स्थान्तरित किये जाने की मांग

41—श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत कर्वी के क्षेत्राधिकारी पुलिस के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायत पत्र दिनांक 5-2-91 तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री ने गृह सचिव को इस मामले की जांच सी०आई०डी० के किसी अधिकारी से कराये जाने का आदेश दिनांक 8-2-91 को किया है? यदि हां, तो इसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि संबंधित क्षेत्राधिकारी जनपद बांदा में चार वर्षों से ऊपर कार्यरत है? यदि हां, तो एक स्थान पर नियुक्त रखने की समय सीमा क्या है? क्या प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-1-91 को स्थानीय पुलिस से असुरक्षा की सम्भावना प्रकट करते हुए मुख्य मंत्री से गनर की मांग की थी? यदि हां, तो इसमें क्या किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

(ख) उक्त प्रार्थना पत्र पर सी०आई०डी० से जांच किये जाने के आदेश नहीं दिये गये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(2) सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जनपद बांदा में विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हुए चार वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु ये क्षेत्राधिकारी कर्वी के पद पर दि० 11-4-90 से कार्यरत हैं। सामान्यता तीन वर्ष तक एक स्थान पर नियुक्त रहने के निर्देश हैं।

(3) श्री राम प्रसाद सिंह, विधायक की सुरक्षा हेतु दि० 16-2-91 को गनर प्रदान कर दिया गया है।

42—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत तहसील कर्वी के क्षेत्राधिकारी पुलिस के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 6-2-91 मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री उ०प्र० शासन ने गृह सचिव को जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या दिनांक 16-6-91 को दुबारा निर्वाचित घोषित होने के बाद प्रश्नकर्ता को बन्द किये जाने वाले मुकदमें में प्रश्नगत सी०ओ० कर्वी स्वयं एक पक्ष हैं? यदि हां, तो इस मामले की तफतीश सी०ओ० स्तर से ऊपर के अधिकारी से करायी गई है? यदि नहीं, तो क्या सी०ओ० कर्वी के मातहत दरोगा द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा और इसका क्या औचित्य है? क्या इसकी चार्जशीट अदालत भेज दी गई है? यदि हां, तो कितने दिनों में? क्या इस मामले में प्रश्नकर्ता के साथ अन्य बन्दियों के बाबत डाक्टर ने एक्सरे की राय दी थी तथा अदालत ने चोटों के मुआइना के लिए लिखा था? यदि हां, तो इसमें क्या किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

(ग) मा० विधायक के पत्र दि० 6-2-91 के स्थान पर दिनांक 7-2-91 के कई पत्र शासन को प्रश्नगत विषय के संदर्भ में प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में सी०आई०डी० को जांच सौंप दी गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अभियोग की विवेचना थाना पहाड़ी के थानाध्यक्ष द्वारा की गई एवं आरोप पत्र न्यायालय में भेज गया है।

(च) जी हां।

(छ) पांच दिन मे।

(ज) जी हां। प्रश्नकर्ता के साथ अन्य दो बंदियों के एक्सरे कराने की राय डाक्टर ने दी थी जिसके आधार पर उनका एक्सरे कराया गया था जो आरोप पत्र के साथ न्यायालय भेजा गया है।

43—श्री राम प्रसाद सिंह—

[3सरे मोम० में अता०प्र०सं० 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ नगर में प्रस्तावित निर्माणाधीन खेल स्टेडियम को पूर्ण कराये जाने की मांग

44—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगर में खेलकूद स्टेडियम कब तक बनकर तैयार हो जायेगा? राम घाट रोड पर निर्माणाधीन इस स्टेडियम के गत 10 वर्ष से पूर्ण न होने को दृष्टिगत करके क्या सरकार शीघ्र ही इसका निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केदार सिंह फोनिया—

अलीगढ़ नगर के खेलकूद स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा दिनांक 19-5-88 को खेल विभाग को हस्तांतरित हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोण्डा के बजीरगंज थाने के अन्तर्गत दिनांक 19-6-91 को श्रीरामजस की 7 वर्षीय पुत्री के साथ हुए बलात्कार की जांच

45—श्री छेदी लाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बजीरगंज थाने के अंतर्गत दिनांक 19-6-91 को रामजस की 7 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हुआ है? यदि हां, तो अपराधी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार रामजस की 7 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार नहीं हुआ है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

डाला, चुर्क, कजरहट फैक्ट्रियों को स्थापित औद्योगिक मानकों के आधार पर चलाये जाने के बावजूद भी घाटा होने का औचित्य

46—श्री भागवत—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाला, चुर्क, कजरहट फैक्ट्रियों को अभी तक औद्योगिक स्थापित मानकों के आधार पर चलाया गया है? यदि हां, तो उक्त फैक्ट्रियों में घाटा होने का कारण क्या है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री कल्याण सिंह—

चुर्क, डाला व कजरहट चुनार सीमेण्ट कारखानों को सीमेण्ट उद्योग के लिए प्रचलित मानकों के आधार पर नहीं चलाया जा सका था जिसके प्रमुख कारण चुर्क इकाई के प्लाण्ट का पुराना होना, खराब किस्म का कोयला, चूना पत्थर का मार्जिनल किस्म का होना, आर्थिक स्थिति जर्जर होने से कार्यशील पूंजी की कमी व समय-समय पर नई तकनीकों का समावेश न कर पाना है।

माह जुलाई में नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के विद्यालय परिसर में तैनात पी०ए०सी० को न हटाये जाने का औचित्य

47—श्री भागवत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जुलाई माह में पूरे प्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, जबकि डाला फैक्ट्री के विद्यालयों के परिसर में पुलिस, पी०ए०सी० के कैम्प लगे हुए हैं? यदि हां, तो क्यों और कब तक उन्हें हटा दिया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह—

वर्तमान में विद्यालय परिसर में कोई कैम्प नहीं लगा है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना (त्रिवेणीनगर) नैनी अन्तर्गत चकनऊनियां के गरीबों के मकान को विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा जबरन गिराये जाने की जांच

48—श्री दिनेश चन्द्र सोनकर—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 7 फरवरी, 1987 को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा चक नऊनियां, परगना अरैल, तहसील करछना (त्रिवेणीनगर) नैनी, इलाहाबाद में बलपूर्वक एवं बगैर नोटिस

के कुल कितने गरीबों के मकान गिराये गये? क्या यह मामला प्रशासकीय वित्तीय एवं विलम्ब समिति के समक्ष विचाराधीन है एवं उक्त समिति ने प्राधिकरण की अगली कार्यवाही पर रोक लगायी है? यदि हां, तो क्या प्राधिकरण ने उसके उपरान्त, उन गिरे हुए मकानों का मलवा हटा कर जमीन पर कब्जा किया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नैनी आवासीय योजना हेतु अधिग्रहीत की गयी 498 बीघे भूमि में से भूखण्ड सं०-28 व 91 पर दो व्यक्तियों द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि से हटा दिया गया, जिसके लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी।

यद्यपि यह मामला प्रशासकीय, वित्तीय एवं विलम्ब समिति के समक्ष विचाराधीन है किन्तु समिति द्वारा प्राधिकरण की अगली कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है।

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा पहले ही दिनांक 2-4-85 को लिया जा चुका था। अतः ध्वस्त कराये गये अनधिकृत निर्माण का मलवा हटाकर कब्जा लेने का प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष मोहनगंज, जिला रायबरेली के विरुद्ध ग्राम मेलाईकला के कतिपय लोगों को थानाध्यक्ष द्वारा उनको फर्जी मुकदमें में चालान किये जाने की शिकायत

49––श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मेलाईकला, थाना मोहनगंज, जिला रायबरेली निवासी श्रीमती गया देवी, राम प्रताप, राम प्रकाश तथा श्रीमती भानुलता सिंह ने पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को मिल कर दिनांक 7-7-91 को थानाध्यक्ष, मोहन गंज के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या दिनांक 8-7-91 को उक्त थानाध्यक्ष ने उक्त शिकायतकर्ता को मार पीट कर फर्जी मुकदमा कायम कर चालान कर दिया है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में श्रीमती भानुलता सिंह का दिनांक 9-7-91 को मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित रजिस्टर्ड पत्र उन्हें तथा सी०ओ० तिलोई को व्यक्तिगत रूप से दिया गया है? यदि हां, तो इस प्रकरण की जांच किस अधिकारी ने किया है तथा जांचोपरान्त क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

जी हा।

यह सही नहीं है कि थानाध्यक्ष मोहनगंज ने शिकायतकर्ता को फर्जी मुकदमा कायम कर चालान कर दिया। बल्कि वास्तविकता यह है कि शिकायत कर्ता ने अपने ही गांव के श्यामलाल पासी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया श्याम लाल द्वारा प्रतिरोध करने पर शिकायतकर्ता द्वारा मारपीट किया गया व जानमाल की धमकी दी गई। सूचना मिलने पर शिकायत कर्ता एवं उसके सहयोगियों के विरुद्ध मु०अ०सं०–61/91 कायम कर आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया।

श्रीमती भानुलता सिंह का दिनांक 9-7-91 का पत्र जो क्षेत्राधिकारी तिलोई को संबोधित है एवं जिसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री उ०प्र० व अन्य को पृष्ठांकित है, की जांच क्षेत्राधिकारी तिलोई द्वारा की गई। जांचोपरान्त आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये अतेव कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रदेश में वर्ष 1990 में होने वाले साम्प्रदायिक दंगे सम्बन्धी पूर्ण विवरण की जानकारी

50––श्री राजेन्द्र सिंह (एटा) तथा श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की उ०प्र० में वर्ष 1990 में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए? उनमें कितने व्यक्तियों की मौत हुई, कितने घायल हुए एवं कितने रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में वर्ष 1990 में 25 साम्प्रदायिक दंगे हुए। इन दंगो में 401 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 1151 व्यक्ति घायल हुए तथा रू० 2,83,42,400/- की अनुमानित क्षति हुई।

प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 9 जुलाई,1991 को समूह क एवं ख के अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी शासनादेश की व्याख्या

51—श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु जारी किये गये आदेश संख्या 14/1/90 कार्मिक-2, दिनांक 9 जुलाई, 1991 जिसके अन्तर्गत समहू 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण ऐसे जनपदों में न किये जायें जहां पूर्ववत कार्यरत रहे हैं?

श्री कल्याण सिंह–

जी, हां। संदर्भित शासनादेश द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि संदर्भगत समूहों के अधिकारियों के स्थानान्तरण सामान्यतः, ऐसे जनपदों में न किये जायें जहां वे पूर्व में कार्यरत रहे हों।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के ब्लाक प्रमुख श्री इजहार आलम को सुरक्षागार्ड उपलब्ध कराये जाने की मांग

52—श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें उन्नाव जिले के हिलौली विकास खण्ड के ब्लाक प्रमुख श्री इजहार अहमद का उनकी हत्या किये जाने का प्रयास सम्बन्धी प्रकरण एवं सुरक्षा की मांग विषयक प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता का कवरिंग के सहित दिनांक 18-7-91 या उसके बाद उन्हें मिला है? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इसी आशय के पत्रों पर एस०पी० उन्नाव ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये श्री इजहार अहमद अंसारी को स्थानीय स्तर पर दो बार सुरक्षा देने की व्यवस्था की है? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि श्री अंसारी प्रमुख की हत्या की कोशिशों के आरोप भारतीय जनता पार्टी के इसी चुनाव के पराजित प्रत्याशी भगोले महराज को मात्र चेयरमैन होने और उनका आपराधिक इतिहास होने के बावजूद गनर दिये जाने तथा ब्लाक प्रमुख की असुरक्षा की परिस्थितियों के तमाम तथ्य व प्रमाण होने के बावजूद अंगरक्षक न दिये जाने का क्या औचित्य है?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश सचिवालय में राज्य सम्पत्ति अनुभाग के कर्मचारियों को सचिवालय की भांति वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें दिये जाने की मांग

53—श्री संत बक्श रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन, की भांति राज्य सम्पत्ति विभाग भी सचिवालय का एक अंग है? यदि हां, तो राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उ०प्र० सचिवालय आदि के समान वेतन एवं अन्य सुविधायें क्यों नहीं प्रदान की जाती, जबकि सचिवालय प्रशासन के लेखाशीर्षक संख्या 2052 द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारियों को वेतन क्यों आहरित कराया जाता है?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, राज्य सम्पत्ति विभाग भी सचिवालय प्रशासन की भांति सचिवालय का एक अंग है। इस विभाग में दो कोटि के कार्मिक कार्यरत है–एक सचिवालय संवर्ग के तथा दूसरे राज्य सम्पत्ति संवर्ग के राज्य सम्पत्ति सवंर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों (जो विभाग के अधीन विभिन्न विधायक निवासों, अतिथि गृहों आदि इकाईयों में कार्यरत है) को सचिवालय संवर्ग में सम्मिलित नहीं माना जाता। फलस्वरूप इन्हें सचिवालय के समान वेतन एवं अन्य सुविधायें नहीं दी जाती, बल्कि इन्हें विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए अनुमान्य वेतन एवं अन्य सुविधायें ही दी जाती है। परन्तु सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों (जो सचिवालय प्रशासन विभाग के नियंत्रण में है) को सचिवालय के सामान ही वेतन एवं अन्य सुविधायें दी जाती हैं।

राज्य सम्पत्ति विभाग के कार्मिकों के वेतन आहरण की व्यवस्था शासन द्वारा अनुदान सं० 84–सचिवालय प्रशासन विभाग के लेखाशीर्षक 2052–सचिवालय-सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-01-सचिवालय" के अन्तर्गत की गई है। तदनुसार इसी लेखाशीर्षक से राज्य सम्पत्ति संवर्ग के कार्मिकों का वेतन भी आहरित किया जाता है।

जनपद बलिया में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की संख्या एवं उनके बक्सर (बिहार) तक चलाये जाने की योजना की जानकारी

54–श्री सुधीर–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में राज्य सड़क परिवहन निगम की कुल कितनी बसें हैं? बलिया उजियार मार्ग पर प्रतिदिन कितनी बसें निर्धारित हैं? वे प्रतिदिन कितने ट्रिप करती हैं? क्या राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें बक्सर (बिहार) स्टेशन तक जाती है? यदि नहीं, तो क्या बसों को बक्सर (बिहार) स्टेशन भेजने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कितनी बसें बक्सर को जाती है? क्या बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच इस आशय का कोई समझौता है? यदि हां, तो निर्धारित संख्या उत्तर प्रदेश के लिए क्या है और कितनी बसें चल रही है?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री, उ०प्र० द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 89 से 20-6-91 तक की गयी वायुयान यात्राओं पर व्यय की गयी धनराशि

55–श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 5-12-89 से 20-6-91 तक कितनी हवाई यात्रायें (वायुयान एवं राजकीय हेलीकाप्टर) की और इन पर कितना व्यय हुआ? इसमें कितनी यात्रायें इटावा जनपद की है?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा वायुयान एवं हेलीकाप्टर से कुल 307 यात्रायें की गई। इन यात्राओं में ईंधन पर कुल रु० 18,87,991·00 व्यय हुआ।

उक्त यात्राओं में मा० मुख्य मंत्री द्वारा इटावा जनपद की 42 यात्रायें हेलीकाप्टर से की गई।

प्रतिसार निरीक्षक कानपुर नगर द्वारा भ्रष्टाचार एवं महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने सम्बन्धी शिकायत

56—श्री नरेन्द्र सिंह (फर्रुखाबाद)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रेम सिंह प्रतिसार निरीक्षक कानपुर नगर के भ्रष्टाचार तथा महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यव्रहार किये जाने के संबंध में कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो जांच अधिकारी कौन है? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठते।

श्री फकीरेलाल पुत्र श्री हीरालाल ग्राम अटवा वरी, थाना सण्डीला, जिला हरदोई द्वारा श्री सौदीन पुत्र पूरन इत्यादि के विरुद्ध दिनांक 26-6-91 को सम्बन्धित थानाध्यक्ष तथा दिनांक 28-6-91 को मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र पर कार्यवाही

57—श्री नरेन्द्र सिंह (फर्रुखाबाद)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फकीरे लाल पुत्र श्री हीरा लाल निवासी ग्राम अटवा वरी थाना सण्डीला जिला हरदोई ने थाने पर दिनांक 26-6-91 को प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया है कि उसी ग्राम के श्री सौदीन पुत्र पूरन इत्यादि ने उनकी दो साइकिलें उनके घर से उठवा ली है और जान से मारने की धमकी भी दी है? क्या श्री फकीरे लाल ने इसी आशय का एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक 28-6-91 को दिया है? यदि हां, तो उपरोक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

जी हां।

जांच में पाया गया कि आवेदक एवं विपक्षी आदि के बीच में लड़की की शादी को लेकर लेन-देन का विवाद था। विपक्षी द्वारा आवेदक को गाली गुप्तार देने एवं साइकिल उठाकर ले जाने की बात गलत पायी गयी। उभय पक्षों के मध्य सुलह हो गई है। अब कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

58—श्री सोमारू राम—

[4थे शुक्र में अता०प्र०सं० 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रश्नकर्ता द्वारा कतिपय समाचार पत्रों पर आधारित तथा मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र दिनांक 19-7-91 पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

59—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कतिपय समाचार पत्रों मे प्रकाशित समाचार एवं उ०प्र० जर्नलिस्ट एसोसिएशन चंदौली इकाई वाराणसी के पत्र के आधार पर प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें दिनांक 19-7-91 को मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही करने के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न-नहीं उठता।

सचिवालय में कार्यरत अनुवादकों का वेतनमान पुनरीक्षित किए जाने की मांग

60 —श्री सै० कासिम हसन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कार्यरत अनुवादकों का पद तथा वेतनमान संप्रति प्रवृत्तर सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावाली 1942 के अनुसार उनके पद के सृजन के समय से ही प्रवर वर्ग सहायक के समान सुपीरियर कैडर का रहा है? यदि हां, तो क्या दि० 6 फरवरी, 1991 के शासनादेश द्वारा अनुवादकों का वेतनमान प्रवर वर्ग सहायकों/वैयक्तिक सहायकों/संदर्भ लिपिक से निम्न करा दिया गया है? क्या शासन ने राजस्व परिषद् महाधिवक्ता कार्यालय, लोक आयुक्त कार्यालय, लोक सेवा आयोग आदि कार्यालयों के समकक्ष पदों का वेतनमान भी सचिवालय के वेतनमान के बराबर 1640-2900 करने का निर्णय ले लिया है? यदि हां, तो सचिवालय के अनुवादक संवर्ग को रु० 1640-2900 के वेतनमान से वंचित रखने का क्या औचित्य है?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

दिनांक 6 फरवरी, 1991 के शासनादेश द्वारा प्रवर वर्ग सहायक/वैयक्तिक सहायक/ सन्दर्भ-लिपिक का वेतनमान रु० 1400-2600 से पुनरीक्षित करके रु० 1640-2900 कर दिया गया है. लेकिन अनुवादकों का वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुआ है जिससे उनका वेतनमान निम्न हो गया है। राजस्व परिषद्, लोक आयुक्त कार्यालय, लोक सेवा आयोग आदि कार्यालयों में समकक्ष पदों का वेतनमान भी सचिवालय के वेतनमान के बराबर रु० 1640-2900 करने का निर्णय अभी शासन के विचाराधीन है। महाधिवक्ता कार्यालय के प्रवर वर्ग सहायकों/वैयक्तिक सहायकों तथा अवर वर्ग सहायकों के वेतनमान को सचिवालय के वेतनमान के बराबर करने के आदेश दिनांक 12 जुलाई, 1991 को जारी किये जा चके हैं।

प्राप्त मांग के अनुसार सचिवालय के अनुवादक संवर्ग का वेतनमान भी सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायकों के वेतनमान के बराबर रु० 1640-2900 करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मुख्य सचिव समिति को प्रस्तुत किया जा चुका है, जो मुख्य सचिव समिति के विचाराधीन है। निर्णय प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ मण्डलीय विकास निगम द्वारा मई,1980 में आयोजित परीक्षा में चयनित तदर्थ संदर्भ कर्मचारियों को अब तक नियमित न किए जाने का कारण

61—श्री विजय पाल सिंह तोमर—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डलीय विकास निगम में मई, 1980 में विभागीय परीक्षा एवं साक्षात्कार हुआ था, और उक्त परीक्षा एवं साक्षात्कार में निगम के संदर्भ कर्मचारी जो विभाग में कार्यरत थे, सम्मिलित हुये थे? यदि हां, तो उक्त परीक्षा एवं साक्षात्कार में चयनित तदर्थ कर्मचारी 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक नियमित क्यों नहीं किये गये हैं? इन्हें कब तक नियमित किया जायेगा?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

62—श्री लालचन्द्र मौर्य—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम प्रधान दयालपुर, पोस्ट न्योतिनी, जिला उन्नाव द्वारा प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1988-89 में आहरित कथित धनराशि का दुरुपयोग

63—श्री बिशुन दयाल—

दशम विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के पहले सोमवार के अता० प्रश्न संख्या।।। के उत्तर संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1988-89 में आहरित की गई रु० 66,200.00 की धनराशि ग्राम प्रधान द्वारा अप्रैल, 1990 तक अपने पास रखी गयी है और ग्राम सभा के खाते में न जमा करके अवैधानिक कार्य किया गया है? क्या सरकार आहरित करने की तिथि से माह अप्रैल, 1990 तक अवैध रूप से धनराशि रखने के लिए ग्राम प्रधान से बैंक की दरों पर ब्याज की वसूली करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम व पोस्ट सिथौला जिला फैजाबाद में अधूरे पड़े ईंटों का सोलिंग के कार्य को पूरा करवाने की मांग

64—श्री राम औतार शाक्य—

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सिधौना, पोस्ट सिधौना, जिला फैजाबाद में ईंटों की सोलिंग आधे ग्राम में ही लगाई गई है? यदि हां, तो अवशेष सोलिंग का कार्य कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

65—श्री विजय सिंह राणा—

[उसरे सोम० में अता०प्र०सं० 86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

66—श्री चन्द्र भान मौर्य—

[उसरे सोम० में अता०प्र०सं० 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

67—श्री तेजभान सिंह—

[उसरे सोम० में अता०प्र०सं० 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधायक निवास-5 के कमरा नं०-50 का जबरन ताला तोड़े जाने पर कार्यवाही

68—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवास-5, मीराबाई मार्ग, लखनऊ के कमरा नं०-50 का ताला दिनांक 21-6-91 को जबरन तोड़ने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक 25-6-91 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में संगत सूचना एकत्र कर ली गयी है, और कक्ष संख्या-50 से हटाये गये सामान का विवरण तथा उसका वर्तमान ठिकाना ज्ञात कर लिया गया है। जिस कक्ष में हटाया गया सामान रखा है, उसके अध्यासी के लखनऊ से बाहर होने के कारण उक्त सामान वापस नहीं कराया जा सका है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी। आपको चर्चा में कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री कल्याण सिंह–

नहीं मान्यवर, कोई आपत्ति नहीं है। यह तो 2 घण्टे की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे दिन के लिये तैयार हैं।

सचिवालय परिसर में डाक्टरों की अनुपलब्धता (क्रमागत)

*श्री हरेन्द सिंह–

मान्यवर, मैं नहीं बल्कि हमारे दल के श्री रयाद अली अचानक बीमार हो गये थे। हम लोग 9 बजे विधान भवन में आ जाते हैं लेकिन 10.30 बजे तक भी डाक्टर उपलब्ध नहीं हुए। आपके आफिस गये, आपके निजी सचिव और डिप्टी मार्शल ने भी तलाश किया, वे लोग भी साथ-साथ थे, लेकिन 10.30 बजे तक कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं था। उनको हार्ट अटैक हो गया था। मेरी मांग है कि उन डाक्टर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको दिखवा रहा हूं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जिस दिन से विधान सभा चली है, आप कार्यसूची देखें तो प्रति दिन अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न जितने इस नियमावली के नियमों में दिये गये हैं, कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। श्रीमान्, उसका कारण या तो यह हो सकता है कि माननीय सदस्य अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न करते हों या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि सत्तापक्ष में बैठा मंत्रिमण्डल प्रश्नों का समय से जवाब न दे रहा हो। मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 29 के पैरा (3) में देखें जो कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के संबंध में है कि किसी एक दिन की कार्यसूची में 2 से अधिक अल्पसूचित प्रश्न नहीं रखे जायेंगे यानी कि माननीय अध्यक्ष प्रति दिन की कार्यसूची में दो अल्पसूचित प्रश्नों को स्वीकृत करेंगे। इसी तरह से इसी नियमावली के नियम 47 जो कि तारांकित प्रश्नों से संबंधित है, लिखा हुआ है कि अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य प्रश्नों में से प्राप्ति के क्रमानुसार प्रथम 20 सदस्यों से एक-एक तारांकित प्रश्न निर्धारित दिन के प्रश्नों की कार्यसूची में रखे जायेंगे। उक्त दिन के लिये निर्धारित शेष तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिये जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आप देखें कि जब से सदन चला है कार्यसूची को देखें कि चाहे नत्थी (क) हो या नत्थी (ख) हो, कभी इनमें प्रश्नों की संख्या पूरी नहीं हुई है। हम लोगों के सारे स्वीकृत प्रश्न तीसरे मंगल, तीसरे बुध, तीसरे गुरुवार में डाल दिये गये और पहले व दूसरे मंगल, बुध तथा गुरुवार में प्रश्नों की संख्या पूरी ही नहीं हुई क्योंकि यह सरकार जानती है कि इस सत्र में तीसरा मंगल, तीसरा बुध, तीसरा गुरु और तीसरा शुक्र आयेगा ही नहीं, इसलिये सरकार की नियत साफ हो गयी और माननीय सदस्यों के स्वीकृत प्रश्नों को न आने वाले दिनों के लिये निर्धारित कर दिया गया। इस तरह से जो माननीय सदस्यों के अधिकार हैं, हम लोगों के अधिकारों का हनन किया गया है। अत: सरकार को आप निर्देश दें कि नियमावली के नियम 29 पैरा 3)– और नियम 47 में स्वीकार किये गये प्रश्नों के संबंध में जो माननीय सदस्यों का अधिकार है उतने प्रश्नों का उत्तर सरकार दे अन्यथा माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं इस पर व्यवस्था दे रहा हूं। जहां तक प्रश्नों की बात है, माननीय सदस्य, नरेश अग्रवाल ने जो व्यवस्था उठायी है, सरकार से मात्र इसका इतना ही संबंध है कि जो माननीय सदस्यों के प्रश्न विधान सभा सचिवालय से स्वीकृत होते हैं वह शासन के संबंधित विभाग को भेज दिये जाते हैं। जब उसका उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता है उसका जैसे-जैसे हमारे यहां क्रमानुसार उत्तर प्राप्त होता है, वह प्रश्न कार्यसूची में आ जाता है। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिये विधान सभा सचिवालय से अनुस्मारक भी भेजे जाते हैं। प्रयास किया जायेगा कि जितने भी प्रश्न आते हैं उनके उत्तर भेजने के लिये शीघ्रातिशीघ्र समुचित कदम उठाये जाय।

सदन में व्यवधान उत्पन्न करने तथा मा० सदस्य श्री ऊदल पर आक्षेप के सम्बन्ध में आपत्ति

(व्यवधान)

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्यमंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। उधर बैठे माननीय सदस्य कई दिनों से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं।

(व्यवधान)

इसलिये मान्यवर, सरकार की उचित नीतियों का उचित समर्थन करने वाले माननीय वरिष्ठतम सदस्य, माननीय ऊदल जी हैं उनको बदनाम करने का विपक्ष ने बीड़ा उठाया है। उधर बैठे मा० एक सदस्य ने इसी सदन के अन्दर उनको "सरकारी दलाल" कह कर सम्बोधित किया। मुद्दा विहीन विपक्ष के सामने कोई विकल्प नहीं रहता है तो इस तरह की कार्यवाही वे करते हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप इनको इंगित करें क्योंकि इस तरह से व्यवहार करके यह सदन नहीं चल पायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि सदन को आप व्यवस्थित करेंगे या उधर बैठे हुए लोग उसे व्यवस्थित करेंगे? और अगर किसी तरह की बात यहां पर आयी है विपक्ष की तरफ आपस में भाईचारे में कोई किसी को कोई बात कह देता है, तो उसमें खलल डालना, यह कहां तक उचित है? मा० ऊदल जी इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं, उनके सम्मान के खिलाफ कोई विपक्षी सदस्य ने किसी तरह की बात नहीं कही है। माननीय ऊदल जी के खिलाफ कोई विपक्ष में बैठा हुआ सदस्य कोई शब्द नहीं कहना चाहेगा।

(श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) निरन्तर व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऊदल जी के बारे में जो टिप्पणी की गयी थी, उसको मैंने भी सुना था, लेकिन वह किसी गम्भीरता के साथ नहीं की गयी थी। कभी-कभी सदन में आपस में सदस्यों में हास परिहास होता रहता है। वह टिप्पणी कोई गम्भीरता से नहीं कही गयी थी।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

उनको सरकारी वकील कहा गया है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय ऊदल जी उनकी ओर सोचने वाले नहीं हो सकते हैं। विपक्ष का कोई सदस्य उन्हें दलाल के रूप में कार्य करेंगे या वकील के रूप में कार्य करेंगे, यह नहीं कह सकता है।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सम्मानित सदन में सभी सदस्यों के अपने-अपने अधिकार हैं....

(व्यवधान)

सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार है और उनका अपना सम्मान भी है। मैं देख रहा हूं कि विरोधी दल के नेताओं पर सत्ता पक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप किये जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के इशारे पर हमारे वरिष्ठ सदस्यों पर.....

(व्यवधान)

उनको दलाल कहा गया है। यह सरकार की सुनियोजित योजना है। मान्यवर मैंने एक कहावत सुनी थी, दलालों को नजर आते हैं, सभी दलाल।

(व्यवधान)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न (क्रमागत)

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, अभी नरेश अग्रवाल जी ने कहा नियमावली को दिखाया, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सत्र में प्रश्न काल एक दिन भी नहीं होने दिया और इस कारण सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह नियम प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सदन को चलने भी तो दें, प्रश्नकाल को होनें भी तो दें और सदस्यों की भावनाओं को सदन में आने तो दें। इससे प्रदेश की सम्पूर्ण जनता को ठेस पहुंचती है। यह सदन न चलने देना आप विपक्षियों का सम्पूर्ण प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करना है।

(व्यवधान)

*श्रीराम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे प्रश्न के स्वरूप को बदल दिया गया है। प्रश्नोत्तर काल का बड़ा महत्व है और माननीय सदस्यों का अधिकार है, प्रश्नों के माध्यम से सरकार से सूचनायें मांगते हैं और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इस मसले को मैंने पहले भी उठाया था, लेकिन श्रीमन् आपने उसको बड़े हल्के तरीके से लिया और आप पीठ से चले गये और आपके जाने के उपरान्त अधिष्ठाता श्री ऊदल आपकी पीठ पर विराजमान हुये और उन्होंने मेरे प्रश्न पर व्यवस्था दी। आज का भी प्रश्न ठीक उसी तरह का है, जो मुद्दा उस दिन उठाया था, उसी तरह का आज का भी है। आप तारांकित प्रश्न सं०-2 देखें। वह है, क्या? राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन विभाजन का कोई प्रस्ताव नई सरकार ने तैयार किया है। यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के सम्बन्ध में नई सरकार की नीति क्या है। इसमें मेरा नाम जोड़ दिया गया है, लेकिन मैंने जो 17-7-91 को प्रश्न दिया था, उसमें जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष विधान सभा की स्वीकृति के बाद प्रश्न विभाग को गया। उसमें मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या सरकार प्रदेश का विभाजन प्रशासनिक आधार पर प्रदेश के छोटे-छोटे राज्य बनाने हेतु केन्द्र सरकार को कोई संस्तुति भेजी है। क्या यह भी सत्य है कि उत्तराखन्ड राज्य के साथ-साथ पूर्वान्चल राज्य की भी स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को संस्तुति की है, यदि हां तो इन दोनों राज्यों का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा। यदि नहीं तो क्यों। श्रीमन् मेरा स्पष्ट प्रश्न था माननीय अध्यक्ष की स्वीकृति भी उसमें थी। मैंने उस दिन भी कहा था मेरे सवाल का स्वरूप बदलने का अधिकार किसी को नहीं है क्योंकि मेरा क्वैश्चन बिलकुल अलग है आज जो सवाल है उसमें मेरा नाम आज भी जोड़ दिया गया। तो यह तो आपके पीठ की अवहेलना है, मेरा तो इससे कुछ नहीं बिगड़ता है.....।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न आया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जरा सुन लें मैं आपको सहयोग की बात कर रहा हूं। आपके पीठ की अवहेलना बार-बार की जा रही है। नियमावली के नियम 13 को आप देखें उसमें स्पष्ट लिख हुआ है.....

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न किस तिथि का है?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, नियम 13 को आप देख लीजिये इससे आपको और माननीय सदस्यों को सहयोग मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है "अध्यक्ष किसी भी समय लिखित आज्ञा द्वारा इन नियमों के अधीनस्थ अपनी समस्त शक्तियां या कोई शक्ति उपाध्यक्ष को तथा उनकी अनुपस्थिति में अधिष्ठाता मण्डल के किसी सदस्य को प्रत्यायोजित कर सकेंगे और इसी प्रकार किसी ऐसे प्रत्यायोजन को निरस्त कर सकेंगे।" तो मेरी आग्रहपूर्वक प्रार्थना है आपकी पीठ की गरिमा को देखते हुये, पीठ के द्वारा दिये गये निर्देशों को देखते हुये मैं पीठ की गरिमा के पालन की बात कर रहा हूं, अधिष्ठाता महोदय ने मेरे ऐसे ही प्रश्न पर यह व्यवस्था दी थी। सन् 52 से यह परंपरा है कि प्रश्न में नाम जोड़ दिया जाता है लेकिन वह तब जोड़े जायेंगे जब प्रश्न समान हों, समरूप हों। लेकिन मेरा प्रश्न बिलकुल भिन्न है और आज का जो प्रश्न है उसके शब्द बिलकुल भिन्न हैं आज के प्रश्न का स्वरूप और उद्देश्य भिन्न है। इसलिये मेरा आग्रह है उस दिन जो अधिष्ठाता महोदय ने व्यवस्था दे दी थी उसका पूरी शक्ति से, संसदीय परिपाटी में उसे कायम रखते हुये, नियमावली को ध्यान में रखते हुये संविधान के अनुच्छेदों का पालन कराना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय ने जो निर्देश दिये हैं उनका पालन होना चाहिये। जो प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न अनुभाग को दिये जाते हैं उसके स्वरूप को बदलना बिना आपके संज्ञान में लाये बदला न जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं आपका जो प्रश्न था वह मेरे पीठ संभालने से पूर्व का था और स्वीकृत भी पूर्व अध्यक्ष महोदय ने किया था। इसमें अवहेलना की बात नहीं है आप अल्पसूचित प्रश्नों के संबंध में नियम 29 (5) देखें उसमें दिया है "जब दो या दो मे अधिक सदस्य एक ही विषय पर अल्पसूचित प्रश्न दें और एक सदस्य का प्रश्न अल्पसूचना पर उत्तर के लिये ग्राहय हो जाये, तो अन्य सदस्यों के नाम भी उस सदस्य के नाम के साथ रख दिये जायेंगे, जिसका प्रश्न उत्तर के लिये ग्राहय कर लिया गया है।"

श्री राम गोविन्द चौधरी–

सिद्धांत की जो बात है उस संबंध में मैंने पहले कहा कि यह बात तब होगी जब प्रश्नों में समानता हो, उसके शब्दों में समानता हो, प्रश्न का उद्देश्य एक हो तो मेरे प्रश्न का उद्देश्य दूसरा था। न तो शब्द एक से हैं और न उद्देश्य एक सा है। जब प्रश्न एक से हों, संदर्भ एक हो भाषा एक हो तभी उसे जोड़ा जा सकता है लेकिन जब भाषा अलग हो, शब्द अलग हो, और उद्देश्य भी अलग हों तब नहीं जोड़ा जा सकता है। इस गलत परिपाटी को जो अधिष्ठाता ने दे दिया वह ठीक नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि पीठ की गरिमा,

सदन की गरिमा और सदस्यों के अधिकारों को देखते हुये कम से कम आज नहीं तो कभी भी आप व्यवस्था दें क्योंकि जल्दबाजी में कोई व्यवस्था देने से संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन होगा। इसलिये आप सोच-विचार करके संसदीय परम्पराओं का निर्वाहन करने हेतु विचार कर लें और फिर आप की जो व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी।

श्री अध्यक्ष–

विषय समान होना चाहिये। जो प्रश्न छपा था वह आपको प्रश्न से पहले प्राप्त हो गया था, इसका उत्तर भी पहले आ गया था लेकिन विषय एक हो गया था इसलिये आपका नाम जोड़ दिया गया। भविष्य में मैं विधान सभा सचिवालय को निर्देश दे दूंगा यदि विषय भिन्न हो तो उसे अलग प्रश्न माना जाय।

श्री सुधीर–

मान्यवर, आज मेरा कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-54 लगा था लेकिन उसका उत्तर मुझे मेरे निवास पर नहीं प्राप्त हुआ। किस कारण से ऐसा हुआ यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको भिजवा लूंगा।

प्रदेश के अंशकालिक चिकित्सकों को नियमित किए जाने की मांग

श्री अखिलेश–

मान्यवर, जब मैं विधान सभा सत्र में शामिल होने के लिये अपने घर से आ रहा था तो 500 अंशकालिक चिकित्सक विधान सभा के सामने धरना पर बैठे हुये थे वह मुझसे मिले जिनके सम्बन्ध में, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वे 4 वर्षों से अंशकालिक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन अंशकालिक चिकित्सकों को आप नियमित करने हेतु सरकार को निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर सूचना दे देंगे।

श्रीमती अंजू मोदी की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत आज 10 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। जिनको मैं ले रहा हूं। पहली सूचना श्री ऊदल की है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, 3/4 फरवरी,1991 को श्रीमती अंजू मोदी महिला के पति ने उसे जहर दे कर मार डाला। उसके पति का नाम महेन्द्र मोदी है जो पुलिस विभाग में सरकारी अधिकारी हैं, शायद डिप्टी एस०पी० थे, इसलिये 15 दिन बाद उनकी रिपोर्ट लिखी गयी। यह मामला दहेज़ का था श्रीमती अंजू को एक नर्सिंग होम में दाखिल किया गया जहां वह मर गई और बाद में उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बावजूद भी उस पुलिस अधिकारी को प्रमोशन देकर एस०पी० का रैंक दे दिया गया और उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। श्रीमती अंजू मोदी बिहार की रहने वाली थीं और उनकी ससुराल कानपुर में थी। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है, इसलिये इस पर चर्चा कराने की आप आज्ञा दें। यदि चर्चा नहीं, तो सरकार को निर्देश दें कि सरकार को जो जानकारी है वह दें और इस पर समुचित कानूनी कार्यवाही करें और अधिकारी को निलम्बित करने की कार्यवाही करें।

*वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जिस घटना की ओर माननीय ऊदल जी ने ध्यान आकर्षित किया है, वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह सूचना सही नहीं है कि इस घटना के बाद उनको प्रोन्नत कर दिया गया। उनकी प्रोन्नति दिनांक 2-7-90 को वरिष्ठ वेतनमान में दी गई है, जबकि यह घटना 3/4 फरवरी, 91 की है। यह भी सही नहीं है कि यह एम०पी० हैं, यह एम०पी० नहीं है, लखनऊ में होमगार्ड में स्टाक अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये हैं। इस मामले में हम पहले सी०आई०डी० से जांच कराने वाले थे, लेकिन घटना के बाद उस महिला के भाई ने केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया और केन्द्र सरकार ने हमसे कुछ अपेक्षा की, और उसके बाद हमने मामले की सी०बी०आई० से जांच कराने के लिए केन्द्र सरकार से संस्तुति कर दी है। अब यह उनपर हैं कि वह इसकी किस प्रकार और कैसे जांच कराते हैं। लेकिन यह नियम 311 का बिल्कुल विषय नहीं है, फिर भी जिस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है हमारी सरकार ने पूरी कार्यवाही की है।

श्री ऊदल–

यह सही है कि यह मामला लोकसभा में उठाया गया था, लेकिन भारत सरकार ने यह कहकर उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि यह मामला प्रदेश सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। इसलिए जो भी कार्यवाही इसमें होनी है, प्रदेश सरकार ही करेगी। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में इस सरकार द्वारा कोई कार्यवाही हो रही है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमारी जानकारी के अनसार केन्द्र सरकार ने हमसे कुछ अपेक्षा की थी और हमने तदनुसार सी०बी०आई० से जांच कराने हेत सरकार की संस्तुति कर दी थी, और जब प्रदेश सरकार संस्तुति करती है तब ही सी०बी०आई० द्वारा जांच कराई जाती है। अब मैं मामले को दिखवा लूंगा, हमसे यदि उसने कहा है कि प्रदेश सरकार जांच कराए, तो हम उसको करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

311 में मैं इसे निरस्त कर रहा हूं, जो ऊदल जी की सूचना है।

खाद न मिलने से प्रदेश के किसानों मे व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

सूचना उत्तरकों के बारे में श्री गमरतन सिंह जी की है।

*श्री गमरतन सिंह–

मान्यवर, आपकी कृपा से मैं इस सरकार का ध्यान प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह समस्या पूरे प्रदेश की आज यह है कि किसानों को प्रदेश में खाद नहीं मिल रही है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज बाजार में जो खाद विक्रेता हैं, वे खले तौर से चोरबाजारी कर रहें हैं और जो व्यवस्था की गयी है ब्लाक की ओर से पुराने रेट पर खाद उपलब्ध कराने की, उस सम्बन्ध में हम निवेदन करना चाहेंगे कि पहली बात तो ब्लाक से खाद की परमिट गरीबों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। ब्लाकों में जो लोग परमिट काटते हैं वह ग्राम सेवक और विकास अधिकारी किसानों को दौड़ाते रहते हैं। किसी तरह जब उनको परमिट मिल जाती है तो उसे लेकर भी वह इधर-उधर घूमते रहते हैं-भटकते रहते हैं। उन्हें परमिट पर भी खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है। हमारा

*वक्ता ने भाषण का पनर्रीक्षण नहीं किया।

आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि यह समस्या जो पूरे प्रदेश की है, जिससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, इस समस्या से उनको बहुत शीघ्र छुटकारा दिलाए। वैसे ही किसान सूखे से पीड़ित थे, अब थोड़ी सी बारिश हुई, उसे आवश्यकता है गन्ना और धान की खेती के लिए उसमें खाद डालने की। इस अवसर पर यदि उसे उर्वरक उपलब्ध नहीं हुई तो बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति होगी और वह भी जिसकी बर्बाद हो जाएगा, जिसकी पूर्ति हो पाना बहुत कठिन होगा। यह अतिलोच महत्व का प्रश्न है। हम चाहेंगे कि आप इस पर चर्चा कराने और सरकार को निर्देशित करते कि इसकी आवश्यक व्यवस्था की जाए। खाद की चोरबाजारी रूके और किसानों की जो परेशानी है, 70 और 100 रूपया तक उसे अधिक देना पड़ता है, उस सिलसिले में जो व्यवस्था आवश्यक है, वह की जाए।

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री श्याम नारायण की इसी के सम्बन्ध में हैं, मैं दोनों को साथ में लिये लेता हूं।

श्री श्यामनारायण–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में यूरिया खाद पलायन कर गई है। कहीं भी यूरिया खाद मिल नहीं रही है। अगर कहीं मिल भी रही है तो 150 रुपये या उससे भी ज्यादा कीमत देने पर काले बाजार में। गन्ना विकास समितियों में और सरकारी समितियों में भी खाद यूरिया भरी हुई है। लेकिन वह अपने सदस्यों को भी नहीं दे रहे हैं इस प्रत्याशा में कि काले बाजार में उस खाद को बेच दें। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। किसान पैसा लेकर दुकानों-दुकानों घूम रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक तो वर्षा नहीं हुई, कहीं हुई भी तो थोडी-थोड़ी। फसलें सूखी पड़ी हैं। ऐसे में खाद की आवश्यकता है। गन्ने में भी इसी समय खाद की बहुत आवश्यकता है। इस समय दो-चार दिन के अन्दर खाद पानी नहीं मिला तो जो फसल होनी है वह भी नहीं होगी। मान्यवर, मैं जानता हूं आप इस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में आप सरकार को निर्देश दें कि इस सम्बन्ध में युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जाए। पुरानी खाद को पुराने रेट पर किसानों को उपलब्ध कराया जाय।

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, अभी माननीय राम रतन जी ने और श्री श्याम नारायण जी ने जो प्रश्न उठाया, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। मान्यवर, सही स्थिति कुछ और है। केन्द्र सरकार ने दाम तय किये हैं। मैं किसी पर आरोप लगाने की भावना से नहीं कह रहा हूं लेकिन जो आदेश प्राप्त हुए हैं वह सब जगह जारी कर दिये गये हैं। दाम तो केन्द्र सरकार ने तय किये हैं। हमने भौतिक सत्यापन करने के लिये रोका था। खाद जो रेट तय किया गया है उसी पर उपलब्ध करायी जा रही है। मान्यवर, अभी दो-चार दिनों से बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि केन्द्र सरकार कुछ कीमतों के बारे में पुनः विचार कर रही है। मान्यवर, हमने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं सेल्स प्वाइन्ट्स पर खाद पुराने रेट पर मिले। मान्यवर अभी माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है यह नियम-311 के अन्तर्गत नहीं आती। आप देख लें उसके अन्दर वही विषय उठाये जायेंगे जो सदन के संज्ञान में हो। यह आप ग्राह्य न करें।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि वर्षा न होने के कारण फसलें वैसे ही सूख गई हैं अगर खाद मिल जाती तो कुछ होती भी। परमिट बन रहे हैं पर उसमें भी हर तरह से हेरा-फेरी हो रही है। खाद गोदामों में उपलब्ध है पर वह किसनों को मिल नहीं पा रही है, न ही पुराने रेट पर, न ही नये रेट पर। खाद का बिल्कुल अभाव हो गया है। श्रीमन्, हम चाहेंगे कि इस पर ऐसी कार्यवाही करें कि खाद चाहे पुराने या नये जिस रेट पर भी हो, कम से कम किसानों को उपलब्ध तो कराई जाये।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूरी-पूरी जिम्मेदारी रखकर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को खाद मिलें। हमने केन्द्र सरकार से बात की है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क किया जा रहा है वहां से आदेश हो जाएं इसमें प्रयास किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम-311 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए इसको निरस्त किया जाता है।

श्री जागेश्वर–

हमारे किसानों को खाद की परेशान हो रही है। (व्यवधान)

प्रदेश में बहुमंजिली इमारतों की असुरक्षा से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, वैसे इस सरकार के रहते विधायकों का जीवन असुरक्षित है। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न की तरफ आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लखनऊ में इस समय मल्टी स्टोरी/बहुमंजिली जो इमारतें हैं मैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि बहुमंजिली इमारतों के लिए जरूरी है कि अग्निशमन विभाग से "नो आब्जैक्शन सर्टीफिकेट लिया जाए उसके बिना यह नहीं बन सकती है। उत्तर प्रदेश में अग्निशमन विभाग ने 15 ऐसी बहुमंजिली इमारतें हैं जिनको असुरक्षित घोषित किया है। इसमें ओ०सी०आर, जनपथ मार्केट का भवन जहां अधिकारी बैठते हैं, किसान भवन, जहां किसान लोग जाते हैं। मान्यवर, नेशनल बिल्डिंग कोड में स्पष्ट व्यवस्था है, कि जहां बहुमंजिली इमारतें बने वहां 5 हजार घन फिट पानी रखने के लिए एक सुरक्षित टैंक बना हो और वह 6 इंच के पाइप से जुड़ा हो। यह जो सचिवालय की बिल्डिंग है, जिसमें हम लोग बैठते हैं यह भी असुरक्षित है। संसदीय कार्यमंत्री को मालूम है इस सचिवालय के लिए विद्युत विभाग ने लिख दिया है कि बिजली का लोड ज्यादा ले लिया गया है जिसके कारण सचिवालय में कोई समस्या कभी भी खड़ी हो सकती है, किसी भी समय सचिवालय में आग लग सकती है। हम सदस्यों की, अधिकारियों की और किसानों की तथा जनता की कोई सुरक्षा नहीं रह गई है।

श्री अध्यक्ष–

आप भाषण न दें।

श्री नरेश अग्रवाल–

इस सरकार की नाक के नीच हर आदमी असुरक्षित हो गया है। मान्यवर, मेरे कार्य को निरस्त करके इस पर आप सरकार को निर्देशित करें।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शुक्ल–

इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब आपकी सरकार थी...

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह बोलने से पहले नियम देख लिया करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत एक सदस्य दूसरे सदस्य से प्रश्न नहीं कर सकता है।

(मेजों की थपथपाहट)

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं पिछली सरकार और नयी सरकार की बात नहीं करता, वस्तुस्थिति की जानकारी देना चाहता हूं। जिस बात को माननीय सदस्य ने कहा है, कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र ले लेना चाहिए, तो यह सही है अग्निशमन विभाग से प्रमाण-पत्र ले लेना चाहिए। वह अपनी ओर से अंतिम प्रमाण देते हैं। लेकिन यह बात सही है कि अंतिम रूप से प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। जिस संकट की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया है, सरकार उससे परिचित है। इस संबंध में दिलवाकर पूरी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह विषय लोक महत्व का हो सकता है, अविलंबनीय महत्व का हो सकता है लेकिन नियम 311 में चर्चा करने के लायक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 311 में नहीं आता है। लेकिन इन भवनों का प्रयोग करने वालों की सुरक्षा के संबंध में कृपया निर्देश दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने आश्वासन दे दिया है कि इस संबंध में मैं दिलवा दूंगा।

जनपद सुल्तानपुर के बेसिक शिक्षकों का व्यापक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री हरीचरन यादव की सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में है।

*श्री हरीचरन यादव–

मान्यवर, सुल्तानपुर में जिस तरह से स्थानान्तरण की नीति बनायी गयी है उसका अनुकरण करना सरकारी अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। जिस तरह से स्थानान्तरण को उद्योग बना दिया गया है, जिले-जिले अधिकारी वैसे ही कार्य कर रहे हैं और उन्होंने भी स्थानान्तरण को उद्योग बना दिया है। हमारे यहां जो प्राइमरी पाठशालायें और जनियर हाईस्कूल हैं उनके बारे में सूचना है कि ऐसे 26 स्कूल हैं जहां पर एक अध्यापक रह गया है और 32 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 3 अध्यापकों की आवश्यकता है लेकिन 6-6 अध्यापक वहां चले गये है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, स्थानान्तरण कमेटी से इस संबंध में बात की गयी। उनका कहना है अध्यापक ज्वाइन कर लें उसके बाद विचार किया जायेगा। आज स्थिति यह हो गयी है कि सारे स्कूल बंद हो गये हैं। एक अध्यापक है वह कैसे पांच कक्षाओं को पढ़ायें। वह कहते हैं कि मैं अकेला क्या-क्या करूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये सरकार को निर्देशित करें और इस प्रकार के जो स्थानान्तरण किये गये हैं उनको तत्काल निरस्त किया जाय तथा इस मामले की जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय लोक महत्व का नहीं है और अविलंबनीय भी नहीं है। इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मुजफ्फरनगर में भयंकर सूखा तथा विद्युत संकट के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे पूरे मंडल में ही वर्षा बहुत कम हुयी है लेकिन जहां तक मुजफ्फरनगर का सवाल है वहां वर्षा बिल्कुल नहीं हुयी है। इसके साथ ही वहां बिजली का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। वहां पर मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली किसानों को मिल रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र ऊन-थाना भवन में जमुना और गंगा के पानी से सिंचाई नहीं होती है वहां केवल निजी और राजकीय नलकूपों से सिंचाई होती है। 3-4 घंटे बिजली आने के कारण सिंचाई की बड़ी समस्या हो गयी है। जो वहां पर ट्रांसफामर्स लगे हुये हैं। उनकी क्षमता बहुत कम है। उन पर लोड बहुत ज्यादा हो गया है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) ने राज्य विद्युत परिषद को सूचित किया है कि वहां पर बड़ी क्षमता के ट्रांसफारमर्स लगाये जायें। 30 जून तक वहां डबल ग्रुप सप्ल[illegible] के आदेश विद्युत परिषद् ने दिया था। इसके बारे में जिलाधिकारी और अधीक्षण अभियंता ग्रामीण ने कहा है, चूंकि वर्षा कम हुयी है इसलिये यहां पर 30 जून, 91 के आगे भी डबुल ग्रुप सप्लाई बढ़ा दी जाय, श्रीमन्, यह बड़े लोकमहत्व का मामला है। वहां किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। पानी न मिलने के कारण धान की फसल को पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूंगा कि चर्चा के लिये समय दिया जाय या तो आप शासन को निर्देशित करें कि वह बिजली के संकट को दूर करे ताकि सिंचाई के लिये पानी मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना सीमित महत्व की है। लेकिन इसको संसदीय कार्य मंत्री जी दिखवा लें और जिस संकट के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है वह समाप्त हो जाय तो अच्छा हो। मैं इसको 311 में अग्राह्य करता हूं।

जनपद मेरठ में दौराला शुगर फैक्ट्री के उत्प्रवाह से काली नदी का पानी विषाक्त होने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री विजय पाल सिंह तोमर ने मेरठ में काली नदी के पानी के विषाक्त होने के बारे में सूचना दी है।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, मेरठ में दौराला शुगर फैक्ट्री और डिस्टलरी लगी हुयी है। उसका पानी काली नदी में जाता है जिससे नदी का पानी विषाक्त हो गया है। इस विषाक्त पानी के कारण आस-पास के गांवों का भूमिगत पानी भी विषाक्त हो गया है। नल और कुओं में आने वाला पानी विषाक्त होने के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित हुये हैं। यहां तक है कि कोई आदमी या पशु उस नदी में चला जाता है तो उसे एलर्जी हो जाती है। वहां पर सैकड़ों लोग आंत्रशोथ की बीमारी से पीड़ित है। या तो वहां की उस डिस्टिलरी को रोक दिया जाय या फिर पानी के लिये नदी से अलग कोई व्यवस्था की जाये। अन्यथा वहां पर कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है।

वित्त, नियोजन एव संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस बात की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, सरकार उससे स्वयं चिंतित है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले दो बार उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी लेकिन उन्होंने माननीय उच्च न्याया[illegible] से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। वहां पर पानी के उत्प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में 9-2-90 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस बारे में बोर्ड से कुछ अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है। मैं जानकारी देना चाहूंगा और माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा कि जो भी आशंका उन्होंने उठायी है, उसकी जानकारी की जायेगी और देखा जायेगा कि उस प्रदूषण और विषाक्तता का प्रभाव जन-जीवन पर न पड़े।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की यह सूचना नियम 311 में नहीं आती अतः निरस्त कर रहा हूं।

---

*वक्ता ने भा[illegible] का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फर्रुखाबाद तथा उन्नाव आदि जिलों में हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री रेवती रमण सिंह, श्री वेनी प्रसाद वर्मा और प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) की है जो फर्रुखाबाद में हरिजनों की हत्या के बारे में हैं। मैं इसकी ग्राह्यता के बारे में सुनूंगा।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस सदन में एक प्रश्न ऐसा है, जबसे यह सरकार बनी है, रोज अगर आप देखें तो एक न एक इस तरह का हत्याकाण्ड पूरे प्रदेश में हो रहा है और पूरा जन-जीवन असुरक्षित हो गया है। यह एक काण्ड अपने में अकेला नहीं है। फर्रुखाबाद में जिस जघन्य तरीके से हत्याएं की गयीं, थाने से और तहसील से केवल दो किलोमीटर दूरी पर हत्याकाण्ड किया गया। न केवल फर्रुखाबाद में उन्नाव में 4 दिन पहले इसी तरह की घटना घटी और दो हरिजनों को मार दिया गया। देवरिया में अल्पसंख्यकों की जान को इतना गहरा खतरा बना है कि वे घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, सरकार एक ओर घोषणा करती है कि दंगा रहित कानून व्यवस्था इतनी चुस्त कर रहे हैं कि कोई इस तरह की घटना न घटने पाए, लेकिन रोजाना इस तरह की घटनाएं हो रही है। सात पुलिसकर्मी नैनीताल में मार दिये गये और प्रदेश में निरीह हत्याओं का तांता लगा है और सरकार अक्षम हो गयी है। विधायक श्री इजहार आलम साहब ने बताया कि गत 15 दिन से एक थाने पर थानाध्यक्ष, तहसीलदार या एस०डी०एम० कोई भी नहीं है। किराये पर लोग लेकर गये और हत्या की गयी। यह सरकार हरिजनों की सुरक्षा करने में, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में, आम आदमी की सुरक्षा करने में विफल हो चुकी है। इस सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपके माध्यम से इस बात के लिये आग्रह करूंगा, गर्ग साहब अभी आप सुन रहे थे कि बिजली नहीं जल रही है, आप मंत्रियों को निर्देशित कर दें कि वे बोलने की आदत से बाज आएं, तो मान्यवर, यह सरकार, अक्षमता को छिपाने के लिये मैंने सुना कि कहा है कि हरिजन-हरिजन के बीच का विवाद था। उनकी बीच का विवाद हो या किसी के बीच का हो, 6 व्यक्ति मारे गये और एक ही परिवार के 5 व्यक्ति मारे गये, जो अधिकारी रहने चाहिये थे, रहे होते तो ये हत्याकाण्ड न होते। यह आने वाले दिनों में प्रदेश की क्या हालत होगी, या होने वाली है, इसकी परिचायक है। इसके साथ ही इस गम्भीर मसले पर मैं चाहता हूं कि चर्चा करावें।

(व्यवधान के मध्य)

***श्री बेनी प्रसाद वर्मा–**

मान्यवर, इसी विषय को लेकर कल सदन की कार्यवाही नहीं हो पाई। अगर इस पर चर्चा हो गयी होती, तो आज शायद हम लोगों को इस पर बोलने की जरूरत न होती। आज इस पर लोक सभा में भी चर्चा हो रही है।...(व्यवधान)...जैसा सरकार में बैठे हुए लोगों का आचरण होता है, उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है।...(व्यवधान)...मान्यवर, इनमें सुनने की क्षमता नहीं है, हम आपकी आज्ञा से बोल रहे हैं और ये बगैर आपकी आज्ञा के शोर मचा रहे हैं। इनको विश्वास नहीं है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे पायेंगे, इसलिए ये शोर मचा रहे हैं। अच्छी ट्रेनिंग करके आप आये हैं कि विरोधी पक्ष तो सुनें ही नहीं, जिसकी मिसाल दुनियां में भी नहीं मिलेगी। ...(व्यवधान)..इनका हरिजनों का, पिछड़े वर्ग का कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। श्रीमन्, इसीलिए इस सरकार के बनते ही जो रिकार्ड कायम हुए हैं, हरिजन नरसंहार की, उनकी मिसाल इधर नहीं मिलेगी। (व्यवधान) सरकार की नीयत के बारे में हमने इसलिए शक किया कि यह सरकार प्रेम-प्रसंग कह कर इस मामले को बड़े हल्के ढंग से ले रही है। तो क्या प्रेम-प्रसंग को लेकर 6-6 हरिजनों की हत्यायें करायेंगे? श्रीमन्, थाने से 1 किलोमीटर दूरी पर ये हत्याकाण्ड हुआ है। ये देखते हैं कि किसी के आगे यादव लिखा हो, किसी के आगे हरिजन लिखा हो, उनका स्थानांतरण कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आज परे प्रदेश में जो सक्षम पलिस अधिकारी हैं, उनका अभाव हो गया है। सरकार हरिजनों के प्रति कोई हमदर्दी रखती ही नहीं है। सरकार की नाक के नीचे इसी राजधानी में दो हरिजनों को गोली से भून दिया गया। जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने लाशें रखी गयी थीं। उन्नाव में दो हरिजन जिन्दा जला दिये गये और जो उनको मारने वाले लोग थे, वे [x x x] नारा लगाते हुए वहां से भाग गये। (व्यवधान)

श्री राम कमार शक्ल–

कार्यवाही से यह शब्द मान्यवर निकाल दिया जाय, मान्यवर, भूतपूर्व संसदीय कार्य मंत्री इतना बड़ा [x x x] वोलें, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जय श्री राम का नारा लगाने का अधिकार अकेले भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं है, सभी को है।

*वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कमार गुप्त)–

मान्यवर, आपने बहत सही व्यवस्था दी। राम नाम लेना केवल बी०जे०पी० का ही अधिकार नहीं है, सभी राम नाम ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इनकी न कोई दिशा है, न कोई नीति, इनको रात-दिन राम मंदिर का स्वप्न नजर आ रहा है। ये, श्रीमान् शोर-गुल कर रहे हैं।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, यह दिशाहीन सरकार इस प्रदेश से हरिजनों को अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोगों को जानबझकर राजनीति करने की भावना से उनका उत्पीड़न कर रही है और उनका नरसंहार करा रही है। इनकी जाति के जो अधिकारी कर्मचारी है उनका उत्पीड़न कर रही है इसलिए यह इतना लोकमहत्व का मामला है कि एक दिन ही नहीं एक सप्ताह चर्चा की जाय तो हमारे पास मसाला है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश ही न दें इस पर चर्चा करायें।

*श्री प्रमोद कमार (प्रतापगढ़)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रेवती रमण जी ने, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने, विस्तार से इस पर बता ही दिया है अब मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं कि एक इत्तफाक है या कह दें कि संयोग है कि यह फर्रुखाबाद में जहां काण्ड हुआ है, मान्यवर, 6-6 हरिजनों की सामहिक हत्या हुई यह केवल अकेली घटना नहीं है। इसके आगे मैं कहूंगा कि श्री कूबेर की हत्या हरदोई में हुई थी और उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हो पाई थी कि उन्नाव में 2 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया, अभी उनके गम से यह पूरा प्रदेश उबर भी नहीं पाया था कि उसके वाद तत्काल फर्रुखाबाद में यह हो गया। मान्यवर, एक संयोग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरदोई में यह हुआ तो माननीय मंत्री जी मौजूद थे। मान्यवर, उन्नाव में हुआ तो हमारे कांग्रेस की टीम गयी और उस टीम ने जो रिपोर्ट दी उसमें इस सरकार के स्थानीय राज्यमंत्री पर यह आरोप लगाया गया कि यह उनके समर्थकों ने किया था और फर्रुखाबाद में हो रहा है तो वहां माननीय राजस्वमंत्री भी बगल में मौजूद है तो मान्यवर, [x x x]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

मान्यवर, मैं जानता हूं कि अगर मैं बोलूंगा [x x x]

श्री अध्यक्ष--

यहां पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य हैं, कोई हरिजन विरोधी नहीं है। [x x x] यह शब्द में कार्यवाही से निकलवा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)--

मान्यवर, इस प्रदेश में 21 प्रतिशत हरिजन रहते हैं और अल्पसंख्यक 14 प्रतिशत रहते हैं उन पर, सामूहिक किस तरह से इस सरकार के राज्य में, आतंक फैलाया जा रहा है। मान्यवर, जब 35 प्रतिशत आबादी इस सरकार के राज्य में भयग्रस्त और तनावग्रस्त है और पूरा प्रदेश आतंक में रह रहा है। इसलिए यह लोक महत्व का हो जाता है कि 10 अगस्त को यह घटना हुई है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जहां-जहां घटना हुई है वहां-वहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों [x x x] में इस आरोप को लगा रहा हूं और चनौती दे रहा हूं।(व्यवधान)

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (डा० दिनेश जाहरी)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है [x x x] यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय।.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)--

मान्यवर, इनको (संसदीय कार्य मंत्री) बुलवाने के पहले मेरी बात सुन लें। इतना ही कर रहा हूं कि इसे अवश्य देख लें कि जहां-जहां इनके मंत्री हैं उन्हीं के क्षेत्र में यह क्यों हो रहा है। (व्यवधान) मान्यवर, ग्राह्यता में आपको तो बलाया है आप न्यायप्रिय हैं, मैं जानता हूं कि उस पर कोई विवाद नहीं है मान्यवर जो करना है जल्दी कर डालें।

श्री अध्यक्ष--

अब आप लोक बैठें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बलाया है। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)--

पिछले चुनावों में न इनको हरिजनों का वोट मिला न अल्पसंख्यकों का वोट मिला इसलिये इनको नेस्तनाबूद करने के लिये सरकार ने कमर कस ली है। मैं चाहूंगा कि नियमों को शिथिल करते हुए इस लोक महत्व के प्रश्न पर, इस अत्यन्त ग्राह्य प्रश्न पर, 3।। में चर्चा करा दें। मान्यवर, अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो इस नियम का क्या औचित्य, इस नियम को ही निकाल दिया जाय। इस हरिजन विरोधी सरकार को आप दंडित करने के लिये आप व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप कहेंगे कि सदन अव्यवस्थित हो जाता है जो सूचना मैंने दी थी उसका क्रम देख लें आपने उस क्रम को तोड़कर दूसरे माननीय सदस्यों को बुला लिया। यह अव्यवस्था के लिये आप स्वयं मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

नोट:--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना 300 में हैं उसको आने दीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में मैंने भी कल सूचना दी थी, उसी पर आप सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

311 की सूचना को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है जो प्राप्त हुई है।

श्री इजहार आलम खां–

अध्यक्ष जी, यह मेरे क्षेत्र का मामला है, यह सुन लीजिये। मुझे इजाजत दे दीजिये, मुझे सुन लीजिये ताकि में अपनी बात कह सकूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप स्वयं नोटिस देते। अभी आप बैठें।

श्री इजहार आलम खां–

इस कांड के पीछे इस सरकार की तबादले की पालिसी है। उस क्षेत्र के अंदर, उस कायमगंज के अंदर, उस समय न सी०ओ० था, न एस०डी०एम० था, न थानाध्यक्ष था और न कोई अन्य आफिसर था जो उनकी बात को सुन सकता था। यह क्षेत्र 6 दिन तक खाली पड़ा रहा। बदमाशों ने देख लिया कि क्षेत्र खाली पड़ा है, हरिजनों का, बेगनाहों का, कत्ल कर दिया गया। इस पर इस हाउस के अंदर चर्चा करायी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक बड़े गम्भीर मामले की ओर सदन में ध्यान आकृष्ट किया गया, हमारे प्रतिपक्ष के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया। मेरी बड़ी कठिनाई है, कठिनाई यह है कि जो आरोप लगते हैं उन आरोपों का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। समस्या के निराकरण के बारे में घोषणा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अभी माननीय वर्मा जी की बात को सुन रहा था जो यह ग्राह्यता पर बोल रहे थे उन्होंने किसी बिरादरी का नाम लेकर कहा...

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जिम्मेदारी के साथ यहां कहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

एक ही चश्मा आपके पास है, उसी चश्मे–से आप देखते हैं, दूसरा चश्मा आपके पास है नहीं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

बिरादरी के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है इसकी जाच मान्यवर आप सदस्यों की समिति से करा लें सारी बात सामने आ जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने वहुत ही धैर्यपूर्वक बात सुनी। जिन माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने ग्राह्यता पर बोला उनको बहुत ही धैर्य के साथ सुना। मान्यवर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, नहीं कोई टीका टिप्पणी कर रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने न तो बिरादरी के आधार पर कोई कार्य किया है और न करेगी। अगर आपको जांच करानी है तो उसकी जांच.....

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्य इसपर खड़े हो गये और शोर करने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आप लोग पहले पूरा भाषण सुन लें उसके बाद यदि कोई आपत्तिजनक बात हो तो उसको निकाल दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि हम जातीय उन्माद को समाप्त करेंगे और जहां जात-पात, ऊंच-नीच का कोई सवाल नहीं होगा। मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूं। जसवंत नगर थाने में एक एन०के० यादव नामक इन्सपेक्टर था।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्य उठकर वोलने लगे, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

मान्यवर, पहले मेरी पूरी बात सुन ली जाये उसके बाद भी अगर कोई आपत्तिजनक बात आती है तो आपको यह परा अधिकार होगा कि आप उस शब्द को कार्यवाही से निकाल दें। मान्यवर, हरिजन उत्पीड़न की बात कही गयी है। उन्नाव में हरिजनों के उत्पीड़न की घटना घटी। तो मान्यवर, जब वह घटना घटी उसके तत्काल बात सात लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 लोगों ने सरेन्डर कर दिया और जो भी दोषी पाया जायेगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)

मान्यवर, मैंने एक निश्चित आरोप लगाया है। पहले उसका खण्डन करायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर मैं उसका खण्डन करुंगा तो यह चिढ़ने लगेंगे। मान्यवर, जो इन्होंने कहा है कि सभी मंत्रियों के [x x x] तो मैं उसका खण्डन करता हूं। मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी फर्रुखाबाद में थे, जिस दिन यह घटना घटी थी। सांय 5.00 बजे हम लोग माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ बैठक कर रहे थे। वहां पर जव इस घटना की खबर मिली तो माननीय मुख्य मंत्री जी निर्देश दिया, राजस्व मंत्री जी को, आप वहां पर जायें और घटनास्थल की जांच करें और वस्तुस्थिति से हमें भी अवगत

नोट–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करायें। मान्यवर, आज यदि वहां पर कोई घटना घट जायेगी तो इस तरह की हल्की बातें कही जायेंगी [x x x] तो यह मुहावरा अच्छा नहीं है। मान्यवर जहां तक फर्रुखाबाद की घटना का सम्बन्ध है, वह बहुत ही दुखद घटना घटी है। मान्यवर, यह बात सही है कि चाहे हरिजन ने हरिजन को मारा, या सवर्ण ने हरिजन को मारा है, यह बहुत ही दुखद है और हमारे लिए कलंक है। इसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह अगर हमारी बात को उपहास के तरीके से लेंगे तो यह इस बात का परिचायक है कि यह हरिजनों के मामलें में कितने चिन्तित हैं। मान्यवर, मैं इनको प्रतापगढ़ की बात याद दिलाना चाहता हूं, जब ये सरकार के समर्थक थे, तब हरिजन उत्पीड़न का मामला उठा था। प्रतापगढ़ में हरिजनों को जीप से उतारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन आज उसका कोई सन्दर्भ नहीं है। मान्यवर, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। मान्यवर, 6 लोग मारे गये थे, यह मैं इस आदरणीय सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

श्री राम आसरे वार्मा--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो पिछले इतिहास के पन्ने खोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जो हरिजनों के साथ होता आया है, क्या आगे भी उसी को बढ़ाने के लिये कृतसंकल्प हैं? इतिहास के पिछले पन्नों को खोलने से इनकी मंशा यही लगती है।

श्री अध्यक्ष--

आप पूरी बात पहले सुन लें, वह यह बता रहे हैं, कि उनकी सरकार ने इस मामले में क्या किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं बता रहा था कि इस घटना में 6 लोग मारे गये, इसमें जो लोग नामजद थे, उनको गिरफ्तार करने की पूरी चेष्टा की जा रही है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, जो दिल्ली में रोजगार--व्यापार करते थे, उनको पकड़ने के लिये दिल्ली भी पुलिस पार्टी को भेजा गया है, फिलहाल सबके मकानों की कुर्की कर ली गई है। जहां तक सरकार की जानकारी है, यह घटना एक आपसी प्रेम-प्रसंग के कारण घटी। यह जानकारी गलत भी हो सकती है, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। अगर कोई माननीय सदस्य इससे भिन्न जानकारी देना चाहें, तो हम उस जानकारी को भी बड़ी ईमानदारी के साथ सुनेंगे और दिखवाने की चेष्टा करेंगे। मान्यवर, इस घटना में जो गुलजारी का परिवार है, उसको 25 हजार रुपये की सहायता दी गई है, बाबूराम को 10 हजार रुपये की सहायता दी गयी है।

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से एक-एक हरिजन की सुरक्षा के लिये गारन्टी की व्यवस्था कर रही है और मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले पर पूरी ताकत के साथ कार्यवाही होगी, और जो भी दोषी है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जायेगा, लेकिन मैं एक प्रार्थना आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि नियम 311 या 300 में यह बिल्कुल नहीं आता है। मेरा अभिमत है कि यह विषय महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय लोक महत्व का है, लेकिन यह 300 या 311 में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष--

नियम 311 के अन्तर्गत मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, इस सरकार ने इस मामले को बड़े हल्केपन से लिया है, इसलिये हमारा दल इसके विरोध में बहिष्कार करता है।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन त्यागकर चले गये)

नोट:--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, यह सरकार हरिजनों की सुनियोजित ढंग से हत्यायें करा रही है और इस सरकार के मंत्रीगण इसमें शामिल है और यह सरकार उन लोगों की रक्षा कर रही है, जो हरिजनों की हत्यायें कर रहे हैं, इसके विरोध में मेरा दल बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए, श्री इम्तियाज अहमद भी अपने समुदाय सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य प्रमोद तिवारी ने बहिर्गमन की घोषणा की, उससे पहले उन्होंने यह आरोप लगाया [x x x] इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

*नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक बात उठाई और कहा कि जातिवाद से ऊपर उठकर सरकार द्वारा कामकाज किया जा रहा है। मैं समझता था कि पिछली सरकार ने क्या किया, अगर केवल उस पर ही दृष्टिपात करके चलेगें, तो आगे का काम नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता था कि इस विषय पर मैं कुछ बात उठाऊं। मैंने इनसे व्यक्तिगत तरीके से भी कहा था, लेकिन माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने एक काम कहा। मैं यह समझ रहा हूं कि जातिवाद का नाम लेना बड़ा बुरा होगा, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि जन्म से सभी एक जैसे पैदा होते हैं, लेकिन संस्कारों के बदलाव से वह बदलता है। मेरी निश्चित जानकारी है, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि गोण्डा जिले के अन्तर्गत मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं और आपसे आज ही और अभी चाहूंगा कि सूचना एकत्रित करके बतायें कि कौन सा गुनाह किया। गोण्डा जनपद के अन्तर्गत दरोगा हैं जिनमें एक इन्सपेक्टर है, एस०आई० हैं, सारे लोगों को एक साथ लाइन में भेजा गया। चूंकि आपने जाति की बात कही है, इसलिये बता रहा हूं। उनके नाम हैं:–

1—गोरखनाथ यादव पुलिस स्टेशन गौरा चौराहा से लाइन (एस०ओ०)

2—लाल जी यादव पुलिस स्टेशन पचपेड़वा से लाइन (एस०ओ०)

3—विन्ध्याचल यादव पुलिस स्टेशन नबाबगंज से लाइन (एस०ओ०)

(व्यवधान होने पर)

मैं इसलिये इनके नाम पढ़ रहा हूं कि जातिवाद का नाम लेना अच्छा नहीं है। आपने कहा कि जातिवाद से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। जैसा वर्मा जी ने कहा कि पिछड़ी जातियों में यादवों को सताने का काम किया जा रहा है। आगे नाम सुनिये–

4—रमाशंकर सिंह यादव कोतवाली उतरौला से लाइन (एस०एच०ओ०)

5—राम प्रसाद यादव पुलिस स्टेशन तुलसीपुर से लाइन (एस०आई०)

6—लल्लन सिंह यादव पुलिस स्टेशन पचपेड़वा से लाइन (एस०आई०)

7—जे०पी० यादव पुलिस स्टेशन भगौतीगंज चौकी से लाइन (एस०आई०)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जातिवाद से ऊपर उठकर हमको बात करनी चाहिये लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन सबों में से जो सब अधिकारी हैं, उनको एक साथ लाइन में क्यों भेजा गया? वहां के भी एक मन्त्री जी हैं, कहीं उनका हाथ तो नहीं है? अगर है तो जांच कराकर देखें।

हरिजनों के बारे में.....(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

ये 7 अधिकारी एक ही जिले में थे क्या?

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

आपने एक शब्द कहा था "जातिगत भावना से ऊपर", मुझे यह बात कहने में संकोच था लेकिन अगर सच्चाई है तो आपको स्वीकार करना चाहिये। मेरे नाम के बाद "यादव" लगा हुआ है, यह न कहिएगा कि मैं केवल इसलिये इस बात को उठा रहा हूं। बस्ती जिले में लिस्ट उठाकर पता लगा लीजिये, डी०वाई०एस०पी० का ट्रांसफर हुआ, जब वह ज्वाइन करने गया तो कहा कि सी०आई०डी० में चले जांय। जो माइनारिटीज के लोग हैं, उनको चपरासी, शैडो, गनर के रूप में आप साथ में ले जाना पसन्द नहीं करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पीछे बैठे माननीयसदस्य सोमांश प्रकाश जी ने सवाल उठा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी जहाज में जा रहे थे और सुरक्षा अधिकारी, जो कि किसी भी जाति का हो सकता है, उससे आपने पूछा कि किस जाति के हो.....

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

यह कोई कायदा नहीं है कि मन्त्री के स्थान पर कोई भी सदस्य खड़े हो जायं और जवाब देने लगें। एक साथ कई-कई मन्त्री और विधायक सत्ता पक्ष के खड़े हो जाते हैं। सत्तारूढ़ दल के लोग अगर सदन को अव्यवस्थित करेंगे तो कार्यवाही नहीं चलेगी।

उस डिप्टी एस०पी० ने लिखित दिया है। चूंकि वह एक विशिष्ट जाति का था, इसलिये राम लला के दर्शन के समय उसको प्लेन से नीचे उतार दिया। उसने आई०जी० को लिखकर दिया है, आप जांच करा लीजिये। अगर वह दोषी है तो सदन को बताने का काम कीजिये। मान्यवर, मैं आपसे इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि सहारनपुर की जो सूचना दी जा रही है, चूंकि आपको कई लोगों ने वोट नहीं दिया तो इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम आप कर रहे हैं।

यह बहुत अच्छी परम्परा होगी यदि आप जातिवाद से ऊपर उठ करके काम करें। हो सकता है किसी जाति विशेष से आपको दर्द पहुंचा हो, किसी जाति विशेष के व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई हो लेकिन उसका यह अर्थ नहीं होता कि आप पूरे समुदाय के प्रति इस तरह की कार्यवाही करें।

हरिजन वाले मसले पर अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वह प्रेम-प्रसंग था या नहीं, हो सकता न भी हो, लेकिन अगर प्रेम-प्रसंग ही था और हत्या हो गयी तो क्या थाने से पुलिस को नहीं आना चाहिये? एक किलो मीटर की दूरी पर थाना है और कार्यवाही न हो? या हरिजन बनाम हरिजन मामला है इसलिये कार्यवाही न करें? मैं कहता हूं कि अभी उन्नाव में दो आदमी मरे जल कर, आपने क्या कार्यवाही की? बन्थरा में जो कि यहीं पर सरोजनीनगर में है, 5 आदमी रात को जलाये गये कमरा बन्द करके और मर गये, बाद में मांस का लोथड़ा मिला, हरदोई में काण्ड हुआ, सहारनपुर में काण्ड हुआ, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, सारे जाटवों को हटाने का काम हो रहा है।

इतने बड़े पैमाने पर ट्रान्सफर हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी सिर्फ ट्रान्सफर और पोस्टिंग का काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन मण्डल विरोधी आपके स्टाफ में है जो यह देखने का काम कर रहा है और आपको पी०सी०एस० और आई०ए०एस० अधिकारियों के नाम बतला रहा है जो कि एक-एक दिन में 200-200, 250-250 लोगों की सूची निकाली जा रही है। इतने नाम किसी को याद नहीं हो सकते हैं कि एक दिन के बन्दर आपने इतने सारे आई०ए०एस० और पी०सी०एस० अधिकारियों को बदल दिया और इतने सारे पुलिस के अधिकारी सब बदल दिये गये और सबको एक जगह से हटा कर दूसरी जगह पर भेज

दिया गया। किसी मंत्री को इतने नाम याद नहीं हो सकते हैं। कहीं तो इस काम की इतिश्री होनी चाहिये, कहीं तो यह सिलसिला खत्म होना चाहिये। आप अपने स्टाफ में ऊंचाई पर बैठे हुए लोगों को देखने का काम करें कि कहीं वह मण्डल विरोधी अधिकारी के कहने पर, जो कि मुख्य मंत्री जी को इस सबकी जानकारी दे रहा है, कहीं वहीं तो नहीं इतने सारे ट्रान्सफर्स करा रहा है? कहीं न कहीं आपको उसका प्रश्रय जरूर मिला होगा। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह विषय ही ऐसा है।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाह रहा हूं और मैं इसका खुला निमंत्रण आपको दे रहा हूं।

नियम 311 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जो 311 की सूचना आयी है वह हरिजन उत्पीड़न से संबंधित है। क्या आप सदन की कार्यवाही को रोक कर, विषय से हट कर, ट्रान्सफर नीति पर चर्चा करा रहे हैं? मैं माननीय नेता विरोधी दल का सम्मान करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जो नियम 311 में सूचना दी गयी है, नियम की परिधि में यदि वे कोई संकेत करते हैं तो उसको माना जायेगा लेकिन में जानना चाहता हूं कि क्या विषय से हट करके आप चर्चा करा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उन पर चर्चा नहीं हो रही है। जो आक्षेप होगा उसे मैं स्वयं निकलवा दूंगा। माननीय नेता विरोधी दल का सम्मान करते हुये उन्हें बोलने का अवसर दे दिया।

फर्रुखाबाद तथा उन्नाव आदि जिलों में हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

*नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

अगर सत्य बात उजागर की जाती है, तो कलेजे पर चोट लगती है। जो बात मैं कह रहा हूं बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूं। मैं अनुमति चाहूंगा, आप कहें तो देवरिया जिले की घटना का भी बयान कर दूं। हरिजनों के साथ उत्पीड़न पर आज तक कोई भी चर्चा यहां पर नहीं हुई है, वह न के बराबर है। न किसी को गिरफ्तार किया गया है और न किसी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादतियां हुई हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन आज तक किसी के विरुद्ध इस सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं, त्याग करता हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस बीच सूचना को एकत्र कर लें और सदन को बतायें।

(मा० नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव) अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

*वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं इस संसदीय परिपाटी का बड़ा सम्मान करता हूं। जब नेता विरोधी दल खड़े हुये और क्या बोलें यह तो आपके अधिकार की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने एक आरोप लगाया कि एक जाति विशेष के लोगों का स्थानान्तरण किया जा रहा है। मैं निवेदन करता चाहता हूं कि

---

*चर्चा ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वह भी जाति-पाति से उठकर देखें और जाति-पाति से ऊपर उठकर बात करें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नेताविरोधी दल ने जिस नियत के साथ बात कही है, जो भी कार्यवाही हमारी सरकार द्वारा की जा रही है, ट्रान्सफर जो भी हो रहे हैं, वह गुण-दोष के आधार पर हो रहे हैं। हमने स्थानान्तरण की एक नीति बनायी है। हो सकता है उसमें पंडित जी आ जाये ठाकुर साहब आ जायें या कोई पिछड़े वर्ग का आ जाये, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 311 में इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो बातें माननीय नेता विरोधी दल ने कही हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं कि जो-जो नाम उन्होंने लिये हैं, उन नामों को मैं दिखवा लूंगा कि क्या उनका स्थानान्तरण किसी जाति विशेष के कारण हुआ है? इन शब्दों के साथ मैं उनकी इस बात का खंडन करता हूं कि किसी जाति विशेष के आधार पर कोई ट्रान्सफर किया गया है। मान्यवर, एक बात और है, माननीय नेता विरोधी दल ने उन्नाव की बात कही है। मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 18 लोगें ने सरेन्डर किया है और बाकी लोगों की कुर्की हुई है और वहां के थाने के प्रभारी को लाइन हाजिर कर निलम्बित कर दिया गया है। माननीय नेता विरोधी दल मंत्री पद की भी शोभा बढ़ा चुके हैं। कहीं पर गलती होती है, तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री की होती है और मैं समझता हूं कि पहले यह परिपाटी नहीं रही है कि किसी सरकारी अधिकारी को यहां खींचा जाये, किसी सरकारी अधिकारी का नाम खींचना कहां तक उचित है, इसका निर्णय मैं माननीय नेता विरोधी दल पर ही छोड़ देता हूं। माननीय सोमांश प्रकाश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन उस दिन वह हमारी बात से सहमत हो गये थे और वही बात आज फिर उठ गयी। एक लांछन लगाया गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी पर मनगढंत तरीके से लगाया गया है। एक कागज मुझे दिया गया है माननीय सोमांश प्रकाश जी उसे पढ़ दें तो उससे स्थिति साफ हो जायेगी। इस प्रकार अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं है। मान्यवर, आपके पास भी 3,4 चपरासी होंगे, पी०ए० होंगे उसमें कभी कोई जाता होगा कभी कोई जाता होगा (व्यवधान) मंदिर में हरिजन के प्रवेश की बात करते हैं तो हमारे साथ माननीय रमापति शास्त्री थे, माननीय एजाज साहब थे, मस्तराम जी थे। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी ने साथ कौन जाता है इसे मुख्य मंत्री जी के सचिव देखते हैं। तो मैं इस बात को चुनौती देता हूं जो यह कहा जाता है कि मुख्य मंत्री जी ने हवाई जहाज से उतार दिया यह गलत है। माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं थी कि कौन उनके साथ ड्यूटी पर जा रहा है मैंने स्वयं उनसे पूछा था उन्होंने कहा, यह कार्य श्री शेखर अग्रवाल करते हैं। ड्यूटी लगाने का काम मुख्य मंत्री जी का नहीं है। (व्यवधान) माननीय सोमांश प्रकाश जी उसे पढ़ दें। तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अकारण सदन को गुमराह कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह नियम 311 में कहीं नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 311 की इन दोनों सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

पंजाब के आतंकवादियों द्वारा प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में हत्या एवं लूट-मार किए जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री भारत सिंह रावत जी की है।

श्री लालजी वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन तो लें। आपका निर्णय हो जाने के बाद भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री बोलते रहें इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को अनुमति दी थी।

*श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, इस सदन और प्रदेश के लिये जो सबसे अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है वह यह है कि पंजाब का आतंकवाद हमारे प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों के आसपास के जिलों में जैसे देहरादून, बिजनौर, गढ़वाल और नैनीताल में आ गया है। उसकी काली छाया कुछ महीनों से लगातार बढ़ती जा रही है। आतंकवादी इन क्षेत्रों के पुलिस थानों में आक्रमण कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं। रायवाला में पुलिस थाने में आक्रमण कर दो पुलिस कर्मियों को मार दिया, बिजनौर में, अफजलगढ़ में भी दो पुलिसकर्मियों को मार दिया। नैनीताल में पीरूमदारा में थाने में 12 बजे दिन में हमला कर पुलिस वालों को मारा गया और उनकी राइफलें छीन ले गये। अभी 8/9 तारीख की घटना है कोटद्वार में 4 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। तो शिवालिक पहाड़ियों के जिलों में आतंकवादियों का भय बढ़ता जा रहा है। जनसाधारण उनके भय से उनका नाम तक नहीं बताना चाहते हैं यह कार्य वह दिन-दहाड़े कर रहे हैं। आपकी पुलिस कितनी सतर्क है, कितनी कारगर है इसका उदाहरण देना चाहता हूं। 15 दिन तक आतंकवादी 8 आदमियों को, ठेकेदार और उसके मजदूरों का अपहरण कर ले गये और 15 दिन तक उनके साथ रहे और फिर उनको छोड़ दिया, पुलिसवाले उनको नहीं पकड़ पाये। जब हमने पुलिसवालों से संपर्क किया और पूछा तो उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के पास ए०के० 47 राइफल हैं, 57 नम्बर की राइफल हैं। इसलिये उन आतंकवादियों का मुकाबला हमारे इन हथियारों से नहीं हो सकता है। इसलिये पुलिसवालों का मनोबल गिरा है और वह जनता के संरक्षण में इसलिये नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके पास हथियार घटिया किस्म के हैं जिससे उस क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ा है। यही नहीं आतंकवादियों का प्रवचन होता हैं और कहते हैं कि शादी में दहेज नहीं लेना चाहिए औ वह अपनी योजनाओं के संबंध में लोगों को बतातें हैं। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि 1985-86 में वहां पर उसी क्षेत्र में उस समय की सरकार ने एक जांच कराई थी और हमारे यहां जो घने जंगल हैं और जिनके नीचे जो बस्तियां हैं आतंकवादी वहां दिन में आते हैं और अपना काम करके घने जंगलों में चले जाते हैं। वहां पर कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है जबकि पूरी तरह से आतंकवादी वहां घुस रहे हैं। आतंकवादी वहीं तक नहीं बल्कि हेमकुंड सिखों का जो तीर्थ-स्थान है वहां भी आतंकवादियों का आना-जाना बना हुआ है।

इसलिये निवेदन है कि कोटद्वार, नजीबाबाद, देहरादून नैनीताल आदि स्थानों में जहां आतंकवाद ज्यादा है वहां की जनता की सुरक्षा के लिये पुलिस चौकियों की संख्या बढ़ाई जाये और पुलिस एवं पी०ए०सी० को ए०के०-47 रायफलों के मुकाबले आधुनिक एवं स्वचालित हथियार दिये जायें, अन्यथा जो आतंकवाद की काली साया फैली है, जिसको मिटाने के लिये सरकार कहती है, उसमें वह सफल नहीं होगी। वहां गुजर जनजाति के लोग जो घने जंगलों में रहते हैं वह डर के मारे उनका नाम नहीं बताते हैं। इसलिये इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सारे कार्य रोककर आज चर्चा करायी जानी चाहिए वरना सारा प्रदेश आतंकवाद की चपेट में आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में जो सूचनायें आयी हैं और श्री रावत जी ने जो सुझाव दिया है उसको ध्यान में रखते हुए शासन कार्यवाही करें।

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जो आपने निर्देश दिया है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

---

*सदन ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13-8-91 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 63 सूचनाएं आयी हैं। नियम 301 के अंतर्गत जैसा अभी तक परम्परा रही थी कि अंतिम दिन नियम 301 के अंतर्गत सभी सूचनाएं ले ली जाती हैं, तो उसी परम्परा के अनुसार यह सभी सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं।

(सदन की सहमति से सभी प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं)

तहसील सदर, जनपद मुरादाबाद के ग्राम सैदपुर, पल्ला व सिकन्दरपुर पट्टी को रामगंगा नदी के कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो० रिजवानुल हक–

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर व अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि उक्त विषयक ग्रामों की आबादी का कटाव, रामगंगा नदी, गत वर्ष से कर रही है और उसने इस गांव को जाने वाली लोक निर्माण विभाग को 1 कि०मी० सड़क भी काट दी है। श्री प्रेम कुमार सिंह अधिशाषी अभियंता (बाढ़ खण्ड) मुरादाबाद ने अपने पत्रांक 236/बाढ़ खण्ड/पी०–9(35) दि० 31-1-1991 द्वारा हमें सूचित किया है कि उक्त ग्राम फ्लड जोन में है जिन्हें बचाया जाना सम्भव नहीं है और इन्हें अलग बसाना होगा। यदि इन्हें तुरन्त अलग न बसाया गया या सरक्षात्मक कार्य नहीं कराया गया तो सम्भावित बाढ़ मे जान माल की अपार हानि होगी जिसके जिम्मेदारी सरकार की होगी इन दोनों ग्रामों की कुल आबादी 3,500 है व कच्चे पक्के मकानों की संख्या 550 है।

अतः मैं सदन के माध्यम से तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं]

लखनऊ शहर के मनकामेश्वर मन्दिर के निकट टैगोर मार्ग में सीवर लाइन आदि की सफाई–व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोकहित के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

शहर लखनऊ के गोमती नदी, बन्धे के किनारे, मनकामेश्वर मंदिर के निकट टैगोर मार्ग, यादव होटल के पास की जनता नारकीय जीवन व्यतीत कर रही है। उस गली से हजारों लोगों का आवागमन होता है। वहां पर पानी भरे रहने के कारण गन्दगी का साम्राज्य हो गया है। मच्छर तथा अन्य कीड़े-मकोड़े के पैदा होने के कारण किसी भी समय कालरा या अन्य संक्रामक महामारियों का प्रकोप हो सकता है। यहां पर सीवर लाइन जाम पड़ी है। पानी की निकासी के लिये नाली भी नहीं है, जिसके कारण पानी वहीं अवरूद्ध हो गया है। शासन, सीवर की सफाई तथा सड़क के किनारे 2 फीट गहरी नाली खोदवाकर नदवा कालेज की बाउण्ड्री के बराबर, बह रहे नाले से मिला दी जाय तो समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा किसी भी समय भयंकर संक्रामक रोग फैल सकते हैं एवं जिसका प्रभाव लखनऊ शहर के संपूर्ण निवासियों पर भी पड़ सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सीवर लाइन की सफाई तथा 2 फीट गहरी तथा लगभग 100 मीटर लम्बी नाली खुदवाकर पानी की निकासी का प्रबन्ध किया जाय।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बदायूं के बिल्सी क्षेत्र के डकैती एवं इस्लामनगर में घुड़सवार डकैतों के आतंक से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, मैं शासन के संज्ञान में निम्न तथ्य ला रहा हूं उत्तर प्रदेश में जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदारूढ़ हुई है तब से बदायूं जनपद में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और प्रशासन बिल्कुल पंगु सा हो गया है। तथा आये दिन जनपद में घोर अराजकता व्याप्त हो गयी है। जिसके कारण जन-जीवन को असहनीय वेदनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसका उदाहरण निम्नलिखित है:–

मेरे चुनाव क्षेत्र बिल्सी के अन्तर्गत थाना बिल्सी उझैती एवं इस्लाम नगर जनपद बदायूं में घुड़सवार डकैतों का इतना बड़ा आतंक हो गया है कि दिन-दहाड़े आये दिन लूट मार कर रहे हैं और 10/11 अगस्त की रात में बिल्सी कस्बा के निकट घोड़े पर सवार डकैतों ने अन्धाधुन्ध फायरिंग किया और उसके जवाब में जनता ने भी जवाबी फायरिंग किया। किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और डकैत जनता को आतंकित करते हुये भागने में सफल हो गये। रोजाना बिल्सी कस्बे तथा ग्राम अगोर तथा खैरी में फायरिंग की आवाज सुनी जाती है किन्तु आज तक बिल्सी एवं उझैती थाना की पुलिस डकैतों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिससे पूरे क्षेत्र में भय तथा आतंक का महोल छा गया है और जनजीवन बिलकुल त्रस्त हो गया है। आम नागरिक अपने को बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहा है। बार-बार आग्रह करने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्यवाही न करना प्रशासन मशीनरी का ध्वस्त हो जाना है।

इसी प्रकार दूसरा उदाहरण बदायूं शहर में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के निकट एक सप्ताह पूर्व डकैतों ने 3 लाख रुपये लूट लिये और लूट की धनराशि मोटर साइकिल से ले जाते हुये कचहरी मार्ग पर रिक्शे से टकरा जाने के कारण डकैत गिर पड़े। एक डकैत लईक अहमद घटनास्थल पर गिरफ्तार हुआ तथा दो डकैत पुलिस की मौजूदगी में फायर करते हुए भाग गये। जिनको कि पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी इसके कारण जनता में घोर रोष, भय तथा आतंक की भावना व्याप्त है। पूरे नगर में इस घटना को लेकर लोगों में घोर रोष तथा कुंठा की भावना व्याप्त है।

अत: इस तात्कालिक महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाकर मैं चर्चा की मांग करता हूं। और अपेक्षा करता हूं कि शासन इस पर गम्भीरता से विचार करेगा तथा स्थानीय पुलिस की नाकामयाबी को रोकने का कारगर कदम उठायेगा और डकैतों को तत्काल गिरफ्तार कर आम नागरिक को भय मुक्त करेगा।]

ग्राम धोवहा, डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थनगर के गाटा संख्या 150 पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मुकीम–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अति लोक-महत्व की निम्नलिखित सूचना नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाकर अवलिम्ब कार्यवाही का अनुरोध करता हूं।

मान्यवर, ग्राम धोवहा मुतलहक, तहसील डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के गाटा संया 150 जो कागजात में सड़क दर्ज है पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है। इससे क्षेत्र की जनता में काफी असन्तोष व्याप्त है। किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

अत: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अवलिम्ब उक्त प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला ग्राम विकास अभिकरणों के सीधी भर्ती के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सम्भावित आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भागवत–

[मान्यवर, शासन के वित्त विभाग व कार्मिक विभाग की स्पष्ट नीति है कि कोई भी सरकारी सेवक किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष से अधिक किसी भी दशा में न रह सकेगा। फिर भी प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में 15-15 वर्षों से डेपुटेशन पर प्लानिंग ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पशु पालन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करके तैनात है। सीधी भर्ती के 5000 कर्मचारी/अधिकारी विगत 15 वर्षों से पदोन्नति के संवैधानिक अधिकार से इन डेपुटेशन कर्मियों के अपने मूल विभाग में वापस न जाने के कारण वंचित है। क्योंकि पदोन्नति के पदों पर इन डेपुटेशन कर्मियों ने कब्जा जमा रखा है जबकि सीधी भर्ती के कर्मी अनुभवी व अधिक योग्यताधारी है।

सीधी भर्ती के कर्मचारियों की यूनियन व सचिव, ग्राम्य विकास के बीच दिनांक 27-3-90 व 4-12-90 को दो बार पांच वर्षों से अधिक कार्यरत डेपुटेशन कर्मियों की वापसी का लिखित समझौता हो चुका है। समझौते के क्रियान्वयन के लिए सचिव, ग्राम्य विकास ने दिनांक 21-6-91 को शासनादेश जारी किया था, किन्तु सचिव (मुख्यमंत्री) ने श्री मयंकर सिंह (वर्तमान में लघु उद्योग राज्य मंत्री) की संस्तुति पर उक्त शासनादेश को टेलेक्स से 29 जून,91 को स्थगित कर दिया है। इसमें शासन के वित्त विभाग व कार्मिक विभाग की पूर्व निर्धारित नीति तथा संघ के साथ लिखित समझौते का खुला उल्लंघन किया गया है।

यही नहीं मुख्यमंत्री जी ने पत्रावली पर अन्तिम निर्णय देने के लिए अपने पास से एक माह पूर्व तलब किया था और दिनांक 9-8-91 को मुख्यमंत्री जी के सचिव ने डेपुटेशन कर्मियों से मिलीभगत करके पूर्व में जारी किये गये शासनादेश को निरस्त करने का आदेश निर्गत कर दिया है। इससे संघ के 5000 सीधी भर्ती के कर्मचारी/अधिकारी आन्दोलन करने जा रहे हैं। इन डेपुटेशन कर्मियों की वजह से सीधी भर्ती के अधिकारी/कर्मचारी मानसिक रूप से त्रस्त हैं। क्या शासन की यही नीति है कि 15 वर्षों तक डेपुटेशन के अधिकारी/कर्मचारी एक ही पद व काउन्टर पर तैनात करके भ्रष्टाचार करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री नृपेन्द्र मिश्र ने डेपुटेशन कर्मियों की ओर से अहं भूमिका अदा की है। जिसकी जांच की जानी आवश्यक है। वित्त एवं कार्मिक विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में क्यो किया जा रहा है जबकि सीधी भर्ती के कर्मचारी योग्य एवं अनुभवी हैं। यह लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन में चर्चा की जायें।]

श्री राम सुमिरन चौकीदार, कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम, उप खण्ड लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ चौक की सेवा समाप्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं।

महोदय, श्री राम सुमिरन पुत्र श्री सखमीलाल चौकीदार, कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम उप खण्ड लखनऊ खण्ड शारदा नहर चौक को श्री एस० एन० रिजवी सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता श्री ए०के० पाण्डे ने अपने आदमियों की नियुक्ति हेतु श्री राम सुमिरन चौकीदार को दिनांक 6-8-90 को मौखिक रूप से सेवासमाप्त की सूचना दी। जबकि शासनादेश के अनुसार 240 दिन पूर्ण होने पर किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जा सकता। लेकिन उपरोक्त अधिकारियों ने शासन की नीतियों तथा नियमों

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का पूर्णतय: उल्लंघन किया है तथा इस संबंध में दशम विधान सभा के सदस्य श्री दीपचन्द्र तथा इाम्तयाज. मो० खां ने कई पत्र भेजे लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 24-7-91 को श्री हृदय नारायण दीक्षित सदस्य विधान सभा ने एक पत्र मा० सिचाई मंत्री को सम्बोधित लिखा है। लेकिन इसका लाभ समुचित व्यक्ति को अभी तक नहीं मिला है जबकि प्रार्थी अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी है जो कि हरिजनों के लिए खुलेआम नीतियों के खिलाफ है।

अत: मैं इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हरिजनों की पूर्णतय: उपेक्षा है, को इस माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं। ताकि यह माननीय सदन इस विषय पर अपना सही निर्णय देकर उचित अभ्यर्थी को लाभान्वित कर सके।]

मुख्य अभियन्ता जल निगम द्वारा इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों के क्रय में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामीनाथ यादव–

[माननीय, उ०प्र० जल निगम के वर्तमान मुख्य अभियन्ता स्तर-1 जो कि क्रय समिति के अध्यक्ष एवं सामग्री क्रय के लिए पूर्ण उत्तरदायी हैं, ने जल निगम द्वारा वर्ष 1989-90 में पूर्ति इण्टरप्राइजेज से 20,000 के स्थान पर 15,000 (5000 कम) में भारत इण्टरप्राइजेज से 15000 के स्थान पर (4800) 10200 तक तथा मे० ग्रेशम कम्पनी से 20000 के स्थान पर 6000 (14000 कम) इण्डिया मार्का-11 हैण्ड पम्पों के आपूर्ति के सम्बन्धों में निर्धारित अवधि से बिना समय बढ़ोत्तरी के आपूर्ति समय से न करने एवं कम मात्रा में करने के लिए फार्मों पर कोई ठोस दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण उ०प्र० जल निगम को मई 1990 में आमंत्रित करों पर जो आपूर्ति आदेश पूर्व की तुलना में 400 रु० प्रति हैण्डपम्प अधिक दर से क्रय करने पड़े। इससे जल निगम को एक करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की हानि हुई तथा लक्ष्यों की पूर्तियां भी समय से नहीं हो सकी।

इसमें भारी रिश्वतखोरी हुई तथा चालू वर्ष में निविदाओं में मुख्य अभियन्ता ने इन फर्मों से जो डिफाल्टिंग है, तथा जल निगम को 14,000000 रु० से अधिक का नुकसान दे चुकी है, क्रय समिति पर बाहरी पक्ष का दबाव डाल कर जल निगम ब्लैकमेल करने वाली शर्तों की संस्तुति उच्च अधिकारी को भी दी थी, तथा प्रदेश की फार्मों को दे जाने वाली रियायतों को जो कि शासन द्वारा देय है, को उक्त फर्मों को पुन: लाभ पहुंचाने के लिये इन्होंने अनदेखा किया तथा पुन: उन्हीं तीनों फर्मों को जो डिफाल्टिंग हो चुकी हैं को टेण्डर स्वीकृत कर लिया गया।

अस्तु माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय नगर विकास मंत्री से कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद में रासायनिक उर्वरक गोदामों को सील किये जाने तथा खाद बिक्री में मनमानी किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संत श्री राम द्विवेदी–

[माननीय, फैजाबाद जनपद में अधिकांश सहकारी गोदामों के रासायनिक उर्वरकों के स्टाक को सील कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट लाइसेन्सियों के गोदाम भी सील कर दिये जाने से किसानों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। जिला प्रशासन की एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की अक्षमता एवं अदूरदर्शिता के कारण जनपद में खाद का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो गया है।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बड़ी संख्या में किसान खाद के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं, चोर बाजारी से अधिक ऊंचे दामों में खाद बेचने की शिकायतें मिली है। जब कि जनपद में हजारों मीट्रिक टन खाद का पुराना स्टाक सहकारी गोदामों व साइसेन्सियों के यहां सील पड़ा हुआ है।

जनपद में कृषि अधिकारी ने स्टाकिस्टों को पुरानी खाद को नये रेट पर बेचने का मनमानी आदेश जारी कर दिया है, इससे खाद यूरिया 160/- प्रति बोरी तक बेची जा रही है, जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा स्टाकिस्टों से अवैध धन उगाही की भी सूचना है, सत्यापन करने में भी डीलरों से नाजों रुपया अवैध लिये जाने की शिकायत है।

पुरानी स्टाक की खाद को बढ़े हुए दाम में बेचने तथा होर्डिंग के कारण स्थिति और भी जटिल हो गयी है, सर्वत्र हाहाकार है, यहां तक कि जनपद में खाद की समस्या को लेकर कानून व्यवस्था भी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं इस सम्बन्ध में किसानों को पुराने स्टाक की खाद तुरन्त उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने की मांग करता हूं।]

सहारनपुर जिलान्तर्गत ग्राम लाखनौर के पास हिन्डन नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला राकेश–

[माध्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व विषय की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं।

विगत कई वर्षों से ग्राम-लाखनौर, जनपद-सहारनपुर के पास हिन्डन नदी पर पुल बनना स्वीकृत है। निर्माण को लेकर तथा पुल के न बनने से जन आक्रोश बढ़ गया है। धन-जन व पेट्रोलियम पदार्थों की हानि हो रही है। गांव को खतरा उत्पन्न हो गया है। सैकड़ों एकड़ जमीन नष्ट हो गई है, पुल के निर्माण के आस-पास के गांव ही नहीं बल्कि दो जनपद-सहारनपुर व मुजफ्फरनगर का सम्पर्क मार्ग बन जायेगा, वहीं लाखों किसानों, मजदूरों को राहत मिलेगी, व्यापारिक दृष्टि से भी सरकार की आय का श्रोत होगा।

अत: आपके माध्यम से अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करते हुए पुल निर्माण की मांग करती हूं]

जनपद बदायूं में विशेष समन्वित योजनान्तर्गत निर्मित एवं हरिजनों को आवंटित दुकानें खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह–

[माध्यवर, मैं शासन के संज्ञान में निम्न तथ्य ला रहा हूं:– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष समन्वित योजना 2 अक्टूबर, 1980 से लागू की गई थी, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य विकास खण्डों में समग्र विकास हेतु नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को निर्मित किया गया था। उक्त योजना के अन्तर्गत 18,438 दुकानें निर्मित करायी गयीं और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 18438 दुकानों में से 4.300 दुकानें छठीं, सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर भी खाली पड़ी हुई हैं। मेरे क्षेत्र एवं जनपद बदायूं में भी इस योजना के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण कराया गया था। और बिल्सी, अमियापुर आदि स्थानों पर बराबर चल रही हैं

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

और इससे अनुसूचित जाति के लोग रोजी-रोटी कमा रहें हैं। इन दुकानों को बिना किसी नोटिस के अपर जिला विकास अधिकारी हरिजन कल्याण, पुलिस के बल से जबरिया खाली करा रहे हैं और विधिवत् आवंटित एवं कागिज व्यक्तियों को बेरोजगार बना रहें हैं। जिससे जनपद में व्यापक रोष विद्यमान है। और जनाक्रोश इतना उग्र है कि कोई गम्भीर घटना घटित हो सकती है। यह तत्कालिक लोक महत्व का प्रश्न है। इसे मैं सदन में उठा रहा हूं या चर्चा की मांग कर रहा हूं तथा सम्बन्धित शासनादेशों की फोटोप्रतियों को संलग्न कर रहा हूं।

मेरा शासन से अनुरोध है कि जो दुकानें अनुसूचित जाति के लिए आवंटित की गयी हैं उनको अनुसूचित जाति के ही बेरोजगार नवयुवकों को आवंटित की जाय और जबरिया पुलिस के बल पर इन दुकानों को खाली न कराया जाय।]

डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

[मान्यवर, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है जिसके लिए सरकार द्वारा लगभग 8 करोड रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि को विश्वविद्यालय के निर्माण पर व्यय न करके अम्बेडकर विश्वविद्याल के मुख्य प्रशासक श्री आर०डी० सोनकर द्वारा अपने निजी स्वार्थों पर व्यय किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सेवा निवृत्त आई०ए०एस० श्री सोनकर को भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया था। श्री सोनकर ने गवर्मेंट सर्विस कंडक्ट रुल का उल्लंघन कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कानपुर से प्रत्याशी सुभाषिनी अली को जिताने के लिए बहुत लोगों को पत्र लिखे।

परियोजना में तकनीकी सलाहकार, अधिशासी अभियन्ता के पद सृजित हैं लेकिन मुख्य प्रशासक द्वारा अपने चहते श्री एस०के० गोयल जो सहायक अभियन्ता हैं को उक्त पद पर रखा गया है जबकि यह पद अधिशाषी अभियन्ता के स्तर का है और एक तकनीकी सलाहकार को अलग से 250/- प्रतिदिन के मानदेय पर रखा गया है। इस प्रकार शासन को दोहरा चूना लगा रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा 29 जून, 91 को टेलेक्स जारी करते हुए सभी पदों पर भर्ती में रोक लगा दी। रोक के बाजूद श्री सोनकर द्वारा अपने निजी स्वार्थवश चपरासियों के 13 पदों पर भर्ती कर ली गयी। अवर अभियन्ता के पद पर श्री वी०के० त्रिपाठी को बिना किसी साक्षात्कार व परीक्षा लिए शासन की रोक के बावजूद नियुक्त किया गया है।

विश्वविद्यालय का कार्यालय जवाहर भवन से हटाकर पत्रकार पुरम चौराहे के पास गोमती नगर में एक आई०ए०एस० अधिकारी के घर में रु० 10,000/मासिक किराये पर नियमों को ताख पर रखते हुए लिया गया, इसके लिए सरकार से मंजूरी नहीं ली गयी। तथा मकान मालिक को एक लाख रुपया किराये के रूप में एडवांस दे दिया।

सरकारी धन से सरकार से बिना पूछे दो एयर कन्डीशन खरीद कर अपने घर पर लगाये हैं तथा बिजली हेतु विश्वविद्यालय की तरफ से एक नया कनेक्शन लिया है, जिसका पेमेंट विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के पैसे से किराये पर लिये गये कार्यालय के बाहर एल०डी०ए० की जमीन पर हजारों रुपये खर्च करके साइकिल स्टैन्ड बनवाया गया है यह गैर कानूनी है। किराये के भवन में रु० 4.00 लाख की कीमत का कर्मचारियों के लिए पार्टीशन बनवाया गया है। यह सरकारी पैसे को सरासर बेकार व्यय किया जा रहा है क्योंकि जब किराये का भवन है और यह कार्यालय रायबरेली रोड पर जाना है जहां विश्वविद्यालय का कार्य चल रहा है तो फिर पार्टीशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। विश्वविद्यालय में अनेक पोस्टों पर लगभग 50 व्यक्ति दैनिक वेतन [illegible] रखे हैं इसके लिए भी

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन से कोई मंजूरी नहीं ली गयी है। और सरकारी पैसे को विश्वविद्यालय के निर्माण के काम में न खर्च करके बेकार में खर्च के बहाने उसे हड़पा जा रहा है। विश्वविद्यालय में रेफ्रीजेरेटर, वाटरकूलर आदि बहुत सी वस्तुएं बिना शासन की मंजूरी के क्रय की गई है, जो विलासिता की वस्तुएं हैं।

यह मामला लोक महत्व का है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर तत्काल जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें]

सिद्धार्थनगर जिलान्तर्गत क्षेत्र सोहरतगढ़ में बानगंगा नहर से पर्याप्त पानी न मिलने से फसलों की हो रही क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवलाल मिन्नल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सोहरतगढ़–जिला सिद्धार्थनगर में सूखे के कारण फैली भयावह स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर यह क्षेत्र मुख्य रूप से धान के लिए प्रसिद्ध है। यही यहां की मुख्य फसल है। इस वर्ष पानी न बरसने के कारण धान की रोपाई अधूरी है, जो रोपा भी गया, वह सूख रहा है। सिंचाई का साधन इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। बान गंगा नामक नहर अवश्य है लेकिन नेपाल अधिराज्य में पानी रोक लिये जाने एवं वर्षा कम होने के कारण इस नहर में भी पानी का अभाव है। जो पानी है भी वह नहरों व गूलों, के टूट-फूट जाने के कारण उपयोगी नहीं हो पा रहा है। इन नहरों की मरम्मत में विगत कई वर्षों से भ्रष्टाचार का सहारा लिया गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में सूखा की स्थिति को देखते हुए तुरन्त राहत कार्य प्रारम्भ करावें तथा नहरों और गूलों की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चालू करावें।]

जनपद गयबरेली के ग्राम जनई स्थित सीताराम मन्दिर को पर्यटन केन्द्र घोषित किए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवबरन–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ग्राम जनई त० महराजगंज जिला गयबरेली स्थित सीताराम मंदिर के संबंध में सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि यह मंदिर अति प्राचीन तथा महाराजा जनमेजय के द्वारा सम्पन्न नाग यज्ञ हवन कुण्ड पर स्थापित है। हजारों भक्त एवं दर्शनार्थी प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर एकत्रित होकर इसी पवित्र ताल में स्नान करते हैं तथा सीताराम मंदिर में लाभ कर अपने को कृतार्थ पाते हैं, यही नहीं इस तालाब में देश-विदेश के पक्षी पूरे साल भर विहार करते हैं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मंदिर को पर्यटन केन्द्र घोषित कर इसके महत्व में चार चांद लगाकर आस-पास की जनता की श्रद्धा को सुदृढ़ किया जाय।]

फैजाबाद जनपद के कैण्ट थाने में पुलिस की पिटाई से तारा चंद निषाद की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सेवक सिंह–

[मान्यवर, फैजाबाद जनपद के कैंट थाने में जुलाई, 91 के प्रथम सप्ताह में पुलिस की पिटाई से युवक तारा चन्द निषाद की थाने में ही मौत हो गयी। पुलिस ने शव भी उसके परिवार वालों को नहीं दिया। थाना प्रभारी एस०के० सिंह को लाइन हाजिर कर जिले की पुलिस मामला दबा रही ..

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अडिशनल पुलिस अधीक्षक नगर ने मामले की जांच के बाद थाना प्रभारी को दोषी पाया। भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामला भी दर्ज हुआ। लेकिन अभी तक उस में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

उक्त थाना प्रभारी कैंट थाने में ही अपना आवास बनाये हैं और गवाहों को धमका रहा है।

आपके माध्यम से लोक महत्व का यह मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय द्वारा अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को गत वर्ष की छात्रवृत्ति न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इलाहाबाद जनपद के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के छात्र-छात्राओं के साथ निरन्तर किये जा रहे अन्याय से सम्बन्धित अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर खींचना चाहता हूं।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को गत वर्ष की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दी गयी हैं जबकि सत्र समाप्त हो चुका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि जिन छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु आदेश स्वीकृत हो जाते हैं उन्हें चेक देने के पूर्व अवैध रुपया देने के लिए विवश किया जाता है। मुझे ज्ञात हुआ है कि वर्तमान समय में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के जितने भी आवेदन पत्र आये हैं उन्हें अधिकारियों ने कूड़े की तरह बोरे में भरवाकर रखवा दिया है। उसका कोई भी रिकार्ड पंजिका पर नहीं दर्ज किया गया है। पूरे जनपद के विद्यालयों से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति हेतु कितने आवेदन पत्र जमा हुये हैं उसका संज्ञान सदन को होना आवश्यक है।

क्योंकि इस समस्या से इलाहाबाद के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के हजारों छात्र एवं छात्राओं का भविष्य जुड़ा है। यदि इस मामले की उपेक्षा की गयी तो उनका भविष्य अधर में फंस जायेगा।]

नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के कर्मचारियों एवं शिक्षकों द्वारा किए जा रहे हड़ताल से विषम परिस्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नसीमुद्दीन–

[मान्यवर, नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज (फैजाबाद) में कुलपति एवं प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये से क्षुब्ध समस्त कर्मचारी, शिक्षक, शोध सेवा संघ तथा चालक संघ के सदस्य 22 जुलाई, 91 से हड़ताल पर है।

शिक्षण, शोध प्रसार के सारे कार्य बंद हो जाने से इसका कुप्रभाव आने वाले समय पर भी पड़ेगा। संघ के महामंत्री श्री जाकिर अली के ऊपर निदेशक कार्य श्री दीक्षित के कार्यालय से फायरिंग के बाद स्थिति और बिगड़ गयी है। कुलपति डा० उत्तम चंद उपाध्याय एवं निदेशक कार्य श्री आर०एन० दीक्षित लम्बे अवकाश पर चले गये हैं। कार्यवाहक कुलपति कोई नीति सम्बन्धी निर्णय ले पाने में अपने को अक्षम महसूस कर रहे हैं और स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो गयी है।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपके माध्यम से लोकमहत्व का यह मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर विश्वविद्यालय का वातावरण शांतिपूर्ण बनाने, कर्मचारियों की मांगे स्वीकार करने, विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं घटी सम्पूर्ण घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के क्षेत्र जलालपर के कतिपय गांवों में शीघ्र विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सचना

श्री राम लखन–

[मान्यवर, फैजाबाद जनपद के विधान सभा क्षेत्र ज़लालपुर के अनेक गांवों में दो से पांच वर्षों से विद्युत पोल लगे रहने के बावजद अभी तक विद्युतीकरण न हो पाने से असंतोष व्याप्त है।

ग्राम उफरौली, जगतपुर बिल्टई, अम्तावाद, सकरा यसफपर आदि के हरिजन बस्तियों में दो से पांच वर्षों से विद्युत खंभे पड़े हैं। अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो सका है।

आपके माध्यम से यह मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के उक्त हरिजन बस्तियों के साथ ही अन्य सभी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण कार्य को अविलम्ब पूरा करने की मांग करता हूं।]

किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ के मनोचिकित्सा विभाग के वरिष्ठ शोध अधिकारी डा० सतीश कुमार अरोड़ा की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बी०आर० वर्मा (आजमगढ़)–

[मान्यवर, विख्यात मनोचिकित्सक किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ के मनोचिकित्सा विभाग के वरिष्ठ शोध अधिकारी 38 वर्षीय डा० सतीश कुमार अरोड़ा को गोलीमार कर की गयी हत्या में अभी तक गिरफ्तारी न होने से चिकित्सा विभाग में रोष व क्षोभ व्याप्त है।

डा० अरोड़ा विश्व स्वास्थय संगठन तथा भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के संयुक्त तत्वाधान में "नशीली दवाओं तथा पदार्थों का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव" पर इस समय शोध कर रहे थे। इनकी हत्या में नशीले पदार्थों व दवाओं का व्यापार करने वाले किसी बड़े माफिया गिरोह का हाथ हो सकता है।

3 जुलाई, 91 की रात 11 बजे इंदिरा नगर में कार से खींच कर बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी। डा० अरोड़ा इंडियन पीपुल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्य भी थे।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दो बार गृह सचिव तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिनिधि मंडल भी मिला। स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी पत्नी डा० अमालिया अरोड़ा से मिलकर अस्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया था, वह कोरा आश्वासन ही रहा।

उक्त मामला आपके माध्यम से सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर घटना की सी०बी०आई० जांच, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा उनकी विधवा को स्थायी नौकरी देने की मांग करता हूं।]

फैजाबाद जिलान्तर्गत जलालपुर क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल-संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अंगद–

[मान्यवर, फैजाबाद जनपद के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवों में पेयजल संकट व्याप्त है।

नोट.–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सुरहुरपुर में जल-स्तर बहुत नीचा होने तथा खारे पानी के कारण वहां निवासियों को शुद्ध पेय जल के लिए अत्यंत संकट का सामना करना पड़ रहा है। उक्त गांव में दो-ढाई सौ फुट भूमि के अंदर बोरिंग करने पर ही पानी मिल पाता है।

आप की अनुमति से लोकमहत्व का यह मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर पेयजल संकट से ग्रस्त गांवों की अविलम्ब समस्या हल करने की मांग करता हूं]

फैजाबाद जनपद की के०एम० सुगर मिल, मोतीनगर (मसौधा) के गन्दे पानी के प्रवाह से प्रदूषण उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाकान्त यादव–

[मान्यवर, फैजाबाद जनपद की के०एम० सुगर मिल मोतीनगर (मसौधा) से निकले गंदे पानी से वहां के नागरिकों का रहना दूश्वार हो गया है। गंदा पानी बहुत बड़े क्षेत्र में फैला रहता है। एक किलोमीटर क्षेत्र में दुर्गंध फैली रहती है।

क्षेत्र में लगे हैंड पम्पों व कुओं का पानी भी इससे प्रभावित हुआ है। जमीन के अंदर का भी पानी प्रदूषित हो गया है।

गंदे पानी के इकट्ठा रहने से बड़े-बड़े मच्छर पैदा हो गये हैं, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। कई एकड़ खेत में कोई फसल नहीं हो रही है।

आपके माध्यम से यह मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लांकर प्रदूषण से मुक्ति दिलाने, उक्त मिल के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं]

डा० कैलाश सिंह अधीक्षक, मेमोरियल चिकित्सालय गोण्डा द्वारा धांधली किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याद अली–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि:

1—डा० कैलाश सिंह अधीक्षक मेमोरियल चिकित्सालय गोण्डा में अपनी पूरी सेवा अवधि 20 वर्ष में से 14-15 वर्ष से ज्यादा अपना समय गोण्डा में ही व्यतीत किये हैं, आज भी गोण्डा में ही कार्यरत हैं।

2—डा० कैलाश सिंह एक शोरेप्रस्त आदमी हैं और उन्होंने अराजक तत्वों से मिल कर तथा डा० आनन्द सिंह को मिलाकर डा० उमेश चन्द्र द्विवेदी की निर्मम पिटाई की और आज भी जान मे मारने की धमकी दे रहे हैं। डा० द्विवेदी शैडो की साया में बलरामपर अस्पताल लखनऊ में कार्यरत हैं।

3—डा० कैलाश सिंह की पत्रावली में पूर्व चिकित्सा सचिव, श्री श्याम सूरी ने यह टिप्पणी अंकित की है कि इन्हें गोण्डा में न रखा जाये किन्तु आज भी वे गोण्डा में ही विराजमान है।

4—डा० कैलाश के विरुद्ध विजिलेंस जांच करायी गयी और विजिलेन्स ने भी इनको गोण्डा से हटाने की संस्तुति की है।

5—डा० कैलाश सिंह के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गोण्डा ने भी गोण्डा जनपद से बाहर भेजने की अनुशंसा की है।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त के बावजूद भी इनका स्थानान्तरण गोण्डा से नहीं किया गया है। अतः आपसे अनरोध है कि आज की सदन की कार्यवाही रोक कर उक्त विषय पर चर्चा करा ली जाये।]

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार पाण्डेय—

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल खोले जाने की घोषणा सरकार द्वारा 1980-81 में की गयी और इस हेतु क्षेत्रीय व सभी पूर्वतीय जनपदों सुल्तानपुर, जौनपुर आजमगढ़ तथा फैजाबाद की ही बीकापुर व टान्डा तहसील के किसानों ने शेयर (अंशदान) के रूप में लगभग 25 लाख रु० जमा किये।

लगभग 10 वर्ष का अन्तराल बीत जाने के बाद भी अभी तक न तो मिल खुली और न ही किसानों का पैसा वापस हुआ। कई बार किसान शान्तिपूर्ण धरना-आन्दोलन-प्रदर्शन कर चुके हैं, पर हर बार आश्वासन ही मिला।

मिल खोले जाने या किसानों का जमा पैसा ब्याज सहित वापस कराने जैसी मांग को लेकर निर्णायक संघर्ष की चेतावनी किसानों ने दे दी है। गांव-गांव में किसानों की बैठकें हो रही हैं और गोरिल्ला पद्धति का आन्दोलन करने की व्यापक तैयारियां हो रही है। किसी समय रेल-बस यातायात जाम करने, तहसील थाने का घेराव करने जैसी घटना हो सकती है और प्रशासन की ओर से आन्दोलनकारी किसानों में सख्ती किये जाने पर मरने-मारने की नौबत आ सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुये इस मामले में तुरन्त कार्यवाही कराये जाने और मिल खोलने या किसानों का पैसा ब्याज सहित वापस कराये जाने की मांग करता हूं।]

बुलन्दशहर जिलान्तर्गत कस्बा सिकन्दराबाद के साम्प्रदायिक दंगे में मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

[मान्यवर, माननीय सदन के संज्ञान के एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न उपस्थिति करने की अनुज्ञा चाहता हूं। मान्यवर, दिनांक 20-5-91 को चुनाव के मतदान के दिन कस्बा सिकन्दराबाद जनपद-बुलन्दशहर में लगभग 2.00 बजे स्वामी दयालकन्या पाठशाला में पोलिंग आफिसर खुर्शीद हबीब की हत्या के बाद हुए दंगा में दोनों सम्प्रदायों के करीब 15 लोग मौत के घाट उतारे गये, तथा सैकड़ों दुकान व मकान जलाकर राख कर दिये गये। कस्बे में कई दिन तक कर्फ्यू लगा था। इतना ही नहीं पुलिस ने बहुत सारे मृतकों को लापता दिखाकर मृतकों की संख्या कम कर दी है। जिससे दुखी परिवारों को बेहद तकलीफ है। मृतकों के आश्रितों में केवल 3 व्यक्तियों को अनुदान की मामूली राशि दी गयी है। शेष 12 लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला है। एक मृतक के आश्रित को एक भी पैसा नहीं मिला है। मृतक अल्प संख्यक है। जिनके घर व दुकानें नष्ट हुयी है। वे सब बेरोजगार है। अब तक मात्र साढ़े आठ लाख रुपया दिया गया है, उनकी तुरन्त क्षति पूर्ति करायी जाये।

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यदि यह क्षति पूर्ति तुरन्त नहीं करायी गयी, प्रभावित परिवार आन्दोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

मान्यवर आपसे प्रार्थना है कि क्षति पूर्ति एवं लापता लोगों को जांच करवाकर तुरन्त हल कराने की कृपा करें।]

जनपद गाजियाबाद के दादरी क्षेत्र के कतिपय गांवों में विद्युतीकरण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

[मान्यवर, माननीय सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न उपस्थित करने की अनुज्ञा चाहता हूं।

मान्यवर, दादरी विधान सभा क्षेत्र जनपद—गाजियाबाद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ग्राम-कचेड़ा, बोड़ाकी, दतावली, शाहदरा, मंगरौली, छपरौली, नूरपुर, कोडली, याकूबपुर, सुनपुरा, सीकीपुर, नगली, बाजीदपुर, जान सिवाना, के विद्युत कनेक्शन हेतु पिछले कई वर्षों से उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के पास जमा है कुछ गांवों में बिजली के खम्भे पहुंचा दिये गये हैं किन्तु अन्य कोई प्रगति अंभी तक नहीं हो पायी है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पिछली 20 जुलाई को एक आन्दोलन किया था, किन्तु कोई निश्चित परिणाम नहीं मिला।

मान्यवर, वर्षों पहले एस०पी०ए० योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा धन जमा किये जाने के बाद ग्रामों का विद्युतीकरण न होना अत्यन्त खेद की बात है। ग्रामीणों में अत्यन्त रोष व क्षोभ है।

मान्यवर आपसे प्रार्थना है कि क्षति पूर्ति एवं लापता लोगों को जांच कराकर तुरन्त हल कराने की कृपा करें]

हिन्दी संस्थान, लखनऊ में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० बृजभान यादव—

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत श्री रोमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गयी गम्भीर प्रशासनिक अनियमितताओं के फलस्वरूप कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष से कामकाज ठप्प हो गया है।

हिन्दी समिति, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से प्रतिनियुक्ति पर संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उच्च पदों पर ली गयी पदोन्नति जून, 1991 में अनियमित होने के फलस्वरूप समाप्त कर, संस्थान के कर्मचारियों को दी गयी पदोन्नति आदेश, श्री शर्मा द्वारा रद्द कर दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री शर्मा के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किये। श्री शर्मा ने एक कर्मचारी के स्थायीकरण के आदेशों को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किये। हिन्दी समिति के कर्मचारी सर्व श्री श्रीकान्त शुक्त व रमेश चन्द्र भट्ट को अनियमित चिकित्सा प्रमाण पत्र होने के कारण अस्वीकृत चिकित्सा अवकाश, बिना नियमों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किये स्वीकृत कर लगभग 40,000 रुपये का भुगतान कर दिया।

इस लोक हित के महत्वपूर्ण मामले की ओर मैं, आपके माध्यम से, इस सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और सरकार से यह मांग करता हूं कि श्री शर्मा के उपर्युक्त कार्य-कलापों की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के ग्राम शिमलाना में हिन्डन नदी के कटान से खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

वीरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, जनपद सहारनपुर के नानौता ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम–शिमलाना में हिन्डन नदी विगत कई वर्षों से विनाशकारी कटाव कर रही है। यह गांव कई बार कटाव के कारण उजड़ चुका है। शासन ने इस कटाव को रोकने हेतु प्रयास भी किया था, लेकिन वह बहुत अपर्याप्त व प्रभावहीन था। इस समय यह गांव बहुत ही भयंकर स्थिति में हैं। नदी ने गांव को फिर अपनी चपेट में ले लिया है। कटाव मकानों तक पहुंच गया है तथा किसी भी समय मकानात नदी में समा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे इलाके का वर्षा का पानी इस गांव के बीच से होकर नदी में गिरता है, जिसके कारण नदी से शुरू होकर गांव के अन्दर तक कटाव से लगभग 20 फट तक का गहरा नाला बन गया है। इस नाले से भी मकानों को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है।

इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन से मांग करता हूं कि हिन्डन नदी के बहाव की दिशा बदलने के लिये गांव के निकट तथा गांव के अन्दर कटाव रोकने हेतु पत्थर की ठोकरें आदि तत्काल लगवाकर इस गांव को विनाश से बचाया जाय।]

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय गांवों के कृष्णा नदी के कटान से बचाने हेतु बांध बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय कृष्णा नदी से ग्राम बनती खेड़ा, कोतारामपुर, कौड़ी मुजफ्फरनगर जिलों में मंडी से कटान हो गयां है जिससे लोगों में भय व्याप्त है। तत्काल बांध की आवश्यकता है।

आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद में सोरांव क्षेत्र के मऊ आइमा ब्लाक प्रमुख को अवैधानिक रूप से गनर दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद इलाहाबाद के सोरांव विधान सभा क्षेत्र में मऊ आइमा ब्लाक के प्रमुख को अवैधानिक रूप से प्रदान किये गये गनर के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रमुख जी काफी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इलाहाबाद जनपद की पुलिस में यह, बदनाम अपराधी माने जाते हैं इसी को देखकर इनके साथ लगे गनर को हटाया गया था, किन्तु प्रतापगढ़ जनपद की पुलिस द्वारा इन्हें गनर दिया गया है जो अवैधानिक है। इस सूचना के माध्यम से यह अपेक्षा करता हूं कि इनको दिया गया गनर वापस लिया जाय।]

नोट:-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिर्जापुर जनपद की चुनार तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह–

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि चुनार तहसील जनपद मिर्जापुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करने हेतु वहां के वकीलों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा अनशन, धरना तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन यहां तक कि वकीलों द्वारा आत्मदाह की धमकी दी जा रही है। वादी के हित में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना अविलम्ब होना चाहिए। जिससे जनता एवं वकीलों का रोष शांन्त हो सके।

अत: मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के स्थापना की मांग करता हूं। जिससे जनता को सस्ता न्याय मिल सके।]

दि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा बलिया के किसानों के बकाया मूल्य का शीघ्र भुगतान कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[मान्यवर, बलिया जनपद केवल कृषि पर आधारित है। यहां के लोग अपना जीवन-यापन कृषि से ही करते हैं। किसानों की आमदनी का जरिया केवल गन्ने की खेती करना है। गन्ने के पैसे से ही किसान सभी आवश्यकताएं अपनी पूरी करते हैं। इस वर्ष रसड़ा चीनी मिल में किसानों के गन्ने की धनराशि का बिल्कुल ही भुगतान नहीं किया गया है जिससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इतने किसानों को पैसा के अभाव में शादी-विवाह करना भी बंद कर देना पड़ा तथा किसानों को अपना तीज-त्यौहार भी पैसे के अभाव में बंद कर देना पड़ा है। गन्ने के मूल्य के भुगतान हेतु किसान प्रदर्शन, धरना, एवं भूख हड़ताल की कार्यवाही प्रारंभ करने जा रहे हैं।

अत: लोक महत्व के इस निश्चित विषय पर मा० अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि किसानों के गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान तत्काल कराया जाय।]

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989 में सामान्य वर्ग के लगभग 230 अवर अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदो पर हो चुकी है, और इस विभाग में लगभग 123 पद सहायक अभियन्ता (सिविल) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिये रिक्त पड़े होने के बावजूद भी इन पदों को नहीं भरा जा रहा है जबकि विभाग में 10 वर्ष से 20 की सेवा किये हुये क़रीब 200 पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध है। विभाग में रिक्त पद उपलब्ध होते हुये भी अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की पदोन्नति करके आरक्षण कोटा पूरा न किये जाने के कारण अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ताओं में घोर निराशा व्याप्त हो गयी है।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के प्रकरण पर आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि सिचाई विभाग में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सहायक अभियन्ताओं के 123 पदों पर अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति यथाशीघ्र की जाय, ताकि अवर अभियन्ताओं में व्याप्त असंतोष समाप्त हो सके।]

जिला परिषद शाहजहांपुर के अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र पाल सिंह—

[मान्यवर, जिला परिषद शाहजहांपुर के अध्यक्ष श्री जयन्द्र प्रसाद द्वारा पंचायत राज ढांचे की मखौल बनाकर जिला परिषद की लाखों रुपये की सम्पत्ति जैसे शीशम के पेड़ एवम् पूरे जनपद के शाहजहांपुर जलालाबाद तिलहर पुवाया आदि शहर कस्बों में अपने चहेतों को लाखों रुपये की भूमि व भवन का नाम मात्र धन जमा कराकर तानाशाह रवैये से स्वयं की सम्पत्ति समझकर अपने कार्यकाल में आवंटित व नीलाम कर दी गयी है। नियमों के विपरीत कर्मचारियों की भी पदोन्नति की है। इनके अवैधानिक कार्यों से जनपद में जनाक्रोश व्याप्त है जो किसी समय भयंकर रूप ले सकता है अतः इस समस्या पर मैं नियम 301 के अन्तर्गत उठाकर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।]

निबन्धक उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां लखनऊ द्वारा सहकारी समितियों के चुनाव में मनमानी किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम भूत सिंह—

[मान्यवर, सहकारी समितियों के चुनाव में निबन्धक उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ द्वारा मनमानी तरह से चुनाव सम्पन्न कराये जा रहे हैं जबकि उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों का कार्यकाल सितम्बर, 1990 से मार्च 1991 तक समाप्त होना था जिसमें से कुछ समितियों के संचालक मंडल ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ब्रांच से विधिवत कार्य करते रहने के लिये स्टे ले लिया है। निबन्धक उ०प्र० सहकारिता के आदेशों के अनुरूप अन्य समितियों में सहायक निबन्धकों द्वारा सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं। उसी के तहत सह० क्रय-विक्रय समिति केरूगंज शाहजहांपुर के संचालक मंडल द्वारा इस आशय का स्टे प्राप्त किया गया है कि संचालक मंडल ही अग्रिम चुनाव तक कार्य-संचालन करेगा इसके बावजूद निबन्धक सहकारिता सम्पूर्ण समितियों का चुनाव न कराकर जहां सरकारी कर्मचारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं, वरन वहां पर निबन्धक सहकारी समितियां उ०प्र० द्वारा चुनाव-प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है जिन समितियों के संचालक मंडल ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे प्राप्त कर लिया है। अतः इस समस्या को मैं नियम 301 के अन्तर्गत उठाकर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।]

जनपद फैजाबाद में सरयू नदी में जल प्रदूषण उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम—

[मान्यवर, जनपद-फैजाबाद में सरयू नदी के जल-प्रदूषणके कारण यहां के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। प्रदूषण का मुख्य कारण अयोध्या में विद्युत शवदाह गृह का न होना तथा अयोध्या के आस-पास लगे कल-कारखानों में जल-प्रदूषण यंत्र न लगे होने के कारण सारा गन्दा पानी सरयू नदी में गिरता है साथ ही सीवर लाइन की कमी से भी सारे शहर की गन्दगी नदी में पहंच रही है।

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरयू नदी के जल-प्रदूषण के कारण अयोध्यावासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि सरकार प्रदूषण मुक्ति मोर्चों के द्वारा सुझाये गये उपायों के अनुसार सरयू नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने की व्यवस्था करें ताकि वहां रहने वालों का जन-जीवन सामान्य हो सके और पर्यावरण शुद्ध एवं सुरक्षित रह सके।]

गाजीपुर जिलान्तर्गत 33 के०वी० गहमर विद्युत उपकेन्द्र के पूरी क्षमता से कार्य न करने से कृषकों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश–

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत 3 के०वी० गहमर विद्युत उपकेन्द्र बहुत ही पुराना 1989 का शिलान्यास किया हुआ है। किसी तरह मार्च 1991 में विद्युत उपकेन्द्र ने कार्य करना आरम्भ किया है। लेकिन पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है यह बहुत ही लोकमहत्व का कार्य है। सूखे की वजह से विद्युत आपूर्ति ठीक न होने से पूरा क्षेत्र सिंचाई से वंचित है।

कृपया अविलम्ब 33 के०वी० गहमर विद्युत उपकेन्द्र पूरी तरह से आरम्भ कराने का कष्ट करें, जिससे विद्युत आपूर्ति ठीक हो सके व सिंचाई का कार्य सुचारू रूप से हो सके।]

गाजीपुर जिलान्तर्गत गहमर-रेवतीपुर मार्ग पर शीघ्र पुल बनाए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भरत–

[मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लोक महत्व गहमर रेवतीपुर मार्ग के मध्य गहमर मार्ग के आरम्भ में 600 मीटर बाद ही नगसर ड्रेन पड़ता है जिसके वजह से जान-माल की खतरा बना रहता है। पिछले दो वर्षों से पहले, वर्षों के दिनों में बच्चे डूबकर मर गये हैं। हमेशा किसी न किसी की दुर्घटना होती रहती है। पुल न होने की वजह से पूरा गहमर करहिया, शेरपुर, पथरा (खदरा गदाईपुर) नगदिलपुर गांव की खेती नहीं हो पाती। मात्र 600 मीटर जाने हेतु 22-24 कि०मी० जाना पडता है इसके बाद भी निश्चित नहीं है कि ट्रैक्टर या बैल खेत पर पहुंच पायेंगे।

कृपया इस लोक महत्व के मार्ग पर पुल बनवाने हेतु धन पास कर पुल बनवाने का कष्ट करें जिससे इस मार्ग पर आने वाले गांव के लोगों का जीवनयापन ठीक हो सके। इस पुल के न बनने से लोगों में रोष व्याप्त है।]

प्रदेश के अर्ध-निर्मित प्राथमिक विद्यालयों के भवनों को शीघ्र पूर्ण निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, काफी समय पूर्व प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के भवन-निर्माण हेतु प्रति भवन 90 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। यह धनराशि उस समय बाजार में भवन निर्माण सामग्री की कीमतों के आधार पर तय की गयी थी। अब वर्तमान में भवन-निर्माण सामग्री के दाम लगभग दुगने हो गये हैं। इसलिये पूर्व स्वीकृत धनराशि से अब भवन-निर्माण कराया जाना असंभव हो गया है, और लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों के भवन अधूरे बने पड़े हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और पूरे प्रदेश की समस्त जनता से संबंधित है। भवन न होने के कारण विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पठन-पाठन में असुविधा हो रही है।

नोटः–[ ] वह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: समस्त जनता से संबंधित इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुये मांग करता हूं कि भवन-सामग्री के वर्तमान मूल्यों के आधार पर भवन-निर्माण हेतु सरकार समुचित धनराशि इस मद में आवंटित करने का कष्ट करें।]

राजकीय महाविद्यालय बिधूना जनपद इटावा में स्नातक कक्षायें शीघ्र प्रारम्भ किए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री घनीराम वर्मा–

[मान्यवर, 1 अप्रैल, 1991 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह जी यादव द्वारा बिधूना कस्बे में राजकीय महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास किया गया था और जुलाई, 1991 मे स्नातक कक्षायें प्रारम्भ कराये जाने की घोषणा की थी। परन्तु अभी तक कक्षायें प्रारम्भ नहीं हुई हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता में निराशा एवं सरकार के प्रति वायदा खिलाफी के कारण रोष व्याप्त है।

अत: मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को आपके तथा सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि कस्बा विधूना में एक सप्ताह के अन्दर स्नातक कक्षायें प्रारम्भ कराई जावें।]

थाना उसहत, बदायूं जनपद में कालाबाजारी के सन्दर्भ में दर्ज रिपोर्ट पर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बनवारी सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान जनपद बदायूं के कस्बा उसहत के श्री शिव सेवक द्वारा कालाबाजारी के विरुद्ध 4 लोगों के नाम थाना उसहत में धारा 317 के तहत एक रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसमें 6 ड्रम मिट्टी के तेल को अवैध रूप से ब्लैक में बेचने के सम्बन्ध में है। उस पर आज तक कोई भी कार्यवाही ही नहीं हुई है कार्यवाही न होने से वहां के नागरिकों तथा कस्बा के लोगों में काफी रोष व क्षोभ व्याप्त हो गया है।

मैं चाहूंगा कि कृपया इस ओर अविलम्ब ध्यान देते हुए तत्काल मामले की जांच की जाय और दोषी अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें सजा दी जावे।

आशा है कि आपके माध्यम से सरकार इस ओर कड़े से कड़े कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करेगी।]

ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत भूगर्भ जल निदेशक के द्वारा स्थानान्तरण में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

ओम प्रकाश दिवाकर–

[मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग के निदेशक द्वारा बिना सिद्धान्त के श्रेणी-2 के 10 अधिकारियों की दो पृथक-पृथक स्थानान्तरण सूचियां क्रमश: 29-7-91 व 31-7-91 को निर्गत की गयी।

निदेशक द्वारा स्थानान्तरण प्रस्तावों में विशिष्ट वैज्ञानिकों को सिविल खण्डों तथा सिविल अभियन्ताओं को यांत्रिक खण्डों में पदस्थापित किया गया। विभागाध्यक्ष ने श्रेणी-प्रथम में भी मा० मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके बुन्देलखण्ड में सिविल अभियंता का स्थानान्तरण करवा दिया।

निदेशक ने अनियमित ढंग से यांत्रिक खण्डों में सिविल अभियन्ता का स्थानान्तरण करके माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की है क्योंकि इसके पूर्व 1986-87 में स्थानान्तरण करने पर उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना नोटिस दी जा चुकी है।

निदेशक की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के अन्तर्गत स्थानान्तरणों से विभाग के समस्त खण्डों का कार्य अवरुद्ध हो जायेगा तथा अब ऐसे सिविल अभियन्ताओं से रिंग मशीन अन्य यांत्रिक उपकरणों को चलाने का दायित्व दिया है, जो कि यांत्रिक कार्यों में अनाभिज्ञ हैं और सिंचाई विभाग के यांत्रिक खण्डों में ऐसी प्रथा नहीं है। निदेशक की उक्त नीति से प्रदेश में नलकूपों के असफल होने तथा सर्वेक्षण कार्यों के न हो पाने से शासन को लाखों रुपये की क्षति होगी।

अतः इस लोक महत्व के प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त अनियमित स्थानान्तरण निरस्त करने की अविलम्ब आवश्यकता है।]

ग्राम्य विकास विभागन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

सैयद कासिम हसन—

[मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग में जनवरी, 90 में अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल अन्वेषणात्मक छिद्रण खण्ड प्रथम के पद को उच्चीकृत कर अधीक्षण अभियन्ता के पद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और उस पद पर 10 वर्षों से कार्यरत अधिशासी अभियन्ता को ही तदर्थ प्रोन्नति दे दी गयी। परिणामतः 10 वर्षों से एक ही स्थान पर (लखनऊ) कार्यरत अभियन्ता स्थानान्तरित न होकर वहीं बने रहे। 2-8-91 को उन महानुभाव की अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिकी) के पद पर नियमित नियुक्ति कर दी गयी। अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन रहते हुए भी उक्त अधिकारी द्वारा खण्डीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) की भांति सभी वित्तीय अधिकारों का प्रयोग अनियमित ढंग से किया जा रहा है। यही नहीं इनकी प्रोन्नति भी फर्जी तथ्यों के आधार पर की गयी बतायी जाती है, जिसमें न्यायालय को भी गुमराह किया बताया जाता है। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। शासन द्वारा पूरी जांच कराकर परे तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।]

लखीमपुर-खीरी जिलान्तर्गत निघासन तहसील के कतिपय गांवों में चकबन्दी विभाग द्वारा धांधली किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

निरवेन्द्र कुमार—

[महोदय, आपके संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं जनपद, लखीमपुर-खीरी के निघासन तहसील में चकबन्दी विभाग द्वारा विकास क्षेत्र पलिया कला के ग्राम-पढुआ, गड्डानिया, पटिहन, पूरन पुरवा, मकनपुर, बघौआ, परसपुर व विकास खण्ड निघासन के ग्राम-ढखेरवा, खालसा, बनवीरपुर, जमनगर वैलहा, गंगावेहड़ तथा विकास खण्ड गोमियावेहड के ग्राम इरेरी, मुड़ा बुजुर्ग, मझरा परब इत्यादि गांवों के खतौनी रकबों के विपरीत धन के लालच में नक्शे पर बड़े चक बनाये गये हैं, जिसके कारण अनेक किसानों को खतौनी के रकबों से मौके पर कम व अधिक तथा कई लोगों को मौके पर रकबा ही नहीं प्राप्त हो सका है एवं अनेक गांवों में चकबन्दी द्वारा मौके पर कब्जा हस्तान्तरण नहीं कराया गया है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग है, कि उक्त ग्रामों के नक्शे दुरुस्ती कराकर खतौनी रकबे के मुताबिक किसानों को कब्जा दिलाया जाय।]

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई में जरेरा के निकट पुल बन्द हो जाने से गंगा नदी की बाढ़ से सम्भावित तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

[मान्यवर, जनपद हरदोई में गंगा नदी के मेंहदीघाट पुल को मिलाने वाले मेंहदी घाट मार्ग पर जरेरा के निकट पुल से गंगा नदी की बाढ़ के पानी का निकास ही बन्द हो गया है। जिससे अनेक गांव और हजारों एकड़ का विस्तृत क्षेत्र बाढ़ के भीषण प्रकोप से आशंकित है।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूं।]

उन्नाव जनपद में शारदा सिचन प्रणाली के अन्तर्गत असीवन पुरवा तथा उन्नाव ब्रांच में पानी की कमी से सूखे की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती सिंह विशारद एवं श्री गंगा बख्श सिंह--

[मान्यवर जनपद में शारदा सिचन प्रणाली के अन्तर्गत असीवन पुरवा तथा उन्नाव ब्रांच से सिचाई होती है उन्नाव ब्रांच 39 मील पर समाप्त हो जाती है इस ब्रान्च में पानी की अत्यधिक कमी के कारण किसानों की फसल की सिचाई नहीं हो पा रही है और मील 33 से 39 तक पानी जाता ही नहीं है। डलमऊ की पम्प कैनाल और परवा ब्रांच की भी यही स्थिति है।

सूखे के कारण स्थिति वड़ी सोचनीय हो गयी है और किसानों में उत्तरोत्तर असन्तोष बढ़ता जा रहा है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अध्यक्ष जी की आज्ञा से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उन्नाव जनपद में अधिक से अधिक मात्रा में पानी दिया जाय।]

जनपद आजमगढ़ की शारदा सहायक नहरों में पानी की कमी के कारण उत्पन्न भयावह स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं कि आजमगढ़ भयंकर सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। वर्षा न होने के कारण किसानों के सामने भयंकर एवं भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है शारदा सहायक की जो नहरें क्षेत्र में हैं उसमें अधिकांश सूखी हैं। किसान अपने पशुओं को चारा तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। नलकूपों का पानी भी सूख गया है शहर में भी पानी के पीने की समस्या भी उत्पन्न हो गयी है। आर्थिक रूप से पिछड़े तथा उद्योग शून्य घोषित न होने के कारण यहां के निवासियों के पास जीविका कमाने का कोई अन्य साधन नहीं है। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शीघ्र ध्यान दें और उचित कार्यवाही करें ताकि जनता को राहत मिल सके।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी जिला देवरिया के प्रबन्ध समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिवंश सहाय--

[मान्यवर, मैं आपकी अनमति से मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी जिला देवरिया के प्रबन्ध समिति में विवाद था जिसे कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने आदेश दिनांक 12-4-90 के अनसार श्री रघुराज सिंह को प्रबन्धक मंडल जिस पर इनके विपक्षी श्री भारतेन्दु मिश्र हाईकोर्ट गए जहां मुकदमा विचाराधीन है। इसी बीच कुलपति गोरखपुर ने अपने आदेश दिनांक 12-4-90 को बदल दिया जबकि नियमों के अनुसार इन्हें पुनर्विचार का अधिकार नहीं है जिसे हाईकोर्ट ने कुलपति के आदेश दिनांक 22-7-91 को स्थगित कर दिया है। महाविद्यालय पर श्री रघुराज सिंह का पूर्ण नियंत्रण है, इनके द्वारा नियुक्त प्राचार्य श्री अजय प्रताप शाही कार्यरत हैं क्योंकि गबन एवं धोखाधड़ी के आरोप में स्थायी प्राचार्य रामपाल उपाध्याय निलंबित किए जा चुके हैं। जब हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश है इसके बावजूद कुलपति सबसे जूनियर प्राध्यापक को विद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किए है महाविद्यालय में दो प्राचार्य होने से अध्ययन का कार्य बाधित है। झगड़े का अंदेशा है।

अस्तु आज सदन के संज्ञान में लाकर माननीय शिक्षामंत्री से मांग करता हूं कि इस प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप कर न्यायसंगत कार्यवाही करावें जिसमे विद्यालय का पठन-पाठन बाधित न हो।]

जनपद गाजीपुर में गांगी नदी के पहाड़पुर घाट पर पक्के पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गामाराम शास्त्री-

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व क प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद गाजीपुर लोक निर्माण विभाग गांगी नदी पर पहाड़पुर घाट पर पहाड़पुर, वासुचक रामपुर, माझा मार्ग पक्के पुल तथा इसी नदी पर मिट्टी के पुल के निर्माण पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस पुल के बनने से हजारों लोग, हजारों कृषक, व्यापारी एवं अन्य लाभान्वित होंगे। इस पुल के न बनने से लोगों में रोष व्याप्त है। हजारों लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन किया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त पुल का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में किया जाए जिससे वहां की स्थानीय जनता को न्याय एवं राहत मिल सके।]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जनपदों के लिए आवंटित धनराशि के गबन एवं दुरुपयोग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

[मान्यवर, मैं हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा आजमगढ़, आगरा गाजीपुर, कानपुर, बरेली, फर्रुखाबाद तथा गढ़वाल आदि जनपदों में समाज के पिछड़े एवं दलित वर्गों के लिये सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के गबन एवं दुरुपयोग के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जिला हरिजन समाज कल्याण विभाग ने आजमगढ़ जनपद में पुराने चेकों के माध्यम से लगभग दो लाख रुपये छात्रवृत्ति की राशि आहरित कर सम्बन्धित छात्रों को न भुगतान कर अधिकारियों द्वारा हड़प कर ली गयी। आगरा जनपद में फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ट्रान्सफर शीट से छात्रवृत्ति का लगभग 50,000 रुपये निकाल लिया गया। कानपुर में लगभग 15 लाख रुपये, बरेली में विधवा पेन्शन के 5 लाख रुपये पुराने चेक के माध्यम से अधिकारियों द्वारा आहरण कर लिया गया। फर्रुखाबाद जनपद में जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी ने विभाग की आडिट पार्टी के सामने अभिलेखों को दिखने से मना कर दिया तथा गोल-माल से सम्बन्धित प्रपत्रों को जला दिया गया, जिससे प्रमाण-पत्र मिटाए जा सकें। जिससे जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

आपसे अनुरोध है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सरकार को निर्देशित करें, जिससे सम्बन्धित व्यक्तियों को लाभ एवं राहत मिल सके।]

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बाराबंकी द्वारा मजदूरी का सही भुगतान न किए जाने से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरधारी–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हू जिसमें अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाराबंकी ने वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग रु० 42.00 का लाख का भुगतान किया जिसमें मजदूरी का सही रूप से भुगतान न किये जाने पर वहां की ग्रामीण जनता में आक्रोश व्याप्त है। उन्हें अपनी सही मजदूरी प्राप्त न हो सकी है। अधिशासी अभियंता बाराबंकी ने चेक से भगतान न करके सहायक अभियंताओं को नकद भुगतान किया है मजदूरी की एक मश्त धनराशि कमीशन काटने के बाद सहायक अभियंताओं को दिये जाने के कारण मास्टर रोल पर अंकित मजदूरी का भुगतान सभी मजदूरों को नहीं दी जाती है। इस सम्बन्ध में ग्रामीण मजदूरों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद एवं प्रदर्शन करने के फलस्वरूप भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा मजदूरी का वितरण जन-प्रतिनिधियों के सम्मुख नहीं कराया, जिससे अधिशासी अभियन्ता द्वारा भ्रष्टाचार का स्पष्ट संकेत है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि अधिशासी अभियंता द्वारा सही कदम न उठाये जाने के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें ताकि स्थानीय जनता को राहत एवं न्याय मिल सके।]

शासन स्तर पर गठित ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति में विलम्बित व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र नाथ–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस सम्मानित सदन का ध्यान शासन स्तर पर गठित ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति में विलम्बित व्यय भुगतानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ऊर्जा-अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1-4-91 द्वारा श्री वी०पी० वर्मा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के कारण दिनांक 25-6-91 को त्यागपत्र दे दिया है। समिति के अध्यक्ष व इसमें इस समय कार्यरत विशेष कार्याधिकारी एवं चपरासी के वेतन व अन्य भगतान ऊर्जा विभाग में विलम्बित हैं। वर्ष 1990-91 तक तो समिति के आयव्ययक में प्राविधान किया गया किन्तु इस वर्ष 1991-92 में तथा अगस्त 91 में प्रस्तुत अनुपूरक मांग में कोई प्राविधान नहीं किया गया। श्री वर्मा अपर विशेष कार्याधिकार व भगतान आदि विषयक सचिव, ऊर्जा को प्रेषित पत्रांक 23 व 24/ग्रामविसम/91

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 6-5-91 पत्रांक 29/ग्रविसम/91 दिनांक 5-6-91 तथा सचिव, विद्युत परिषद को प्रेषित पत्र दिनांक 14-5-91 व अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 29-5-91 पर की गयी कार्यवाही तथा भुगतान आदि के सम्बन्ध में अब तक कोई भी सूचना उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयी। वेतन व अन्य भुगतान रोके जाने से असुविधा स्वाभाविक है।

अतः इस सूचना के माध्यम से अध्यक्ष व अन्य लोगों के विलम्बित भुगतान, आय–व्ययक में प्राविधान न किये जाने तथा अध्यक्ष के उपरोक्त इंगित पत्रों पर कार्यवाही की सूचना उन्हें न दिये जाने के सम्बन्ध में जांच एवं कार्यवाही की मांग करता हूं।]

ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति में कार्यरत श्री दयाराम चपरासी का आर्थिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ रावत–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस सम्मानित सदन का ध्यान ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति में कार्यरत श्री दयाराम, चपरासी का वेतन माह फरवरी 90 से एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति व अनुग्रह राशि का भुगतान बिना किसी पूर्व सूचना एवं आदेश के रोक कर आर्थिक उत्पीड़न की अमानवीय कार्यवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में समिति के विशेष कार्याधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित पत्रों, संयुक्त सचिव, ऊर्जा के पत्रांक-2797 पी-1/90-23 व 2817 पी-1/90-23 दिनांक 12-6-90 व इनमें संदर्भित विशेष कार्याधिकारी की टिप्पणी अपर सचिव, विद्युत परिषद के पत्रांक-4800 सप्र/राविप-11/90-10(14) सप्र/81, दिनांक सितम्बर, 90 समिति के अध्यक्ष द्वारा सचिव, विद्युत परिषद को प्रेषित एवं विद्युत सेवा आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 14-5-91, 29-5-91 व 6/91 एवं विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार को उत्तरित प्रश्न सं-82 से स्पष्ट है, कि कर्मचारी के समिति में कार्यरत एवं उपस्थित होते हुए भी वेतन व अन्य भुगतान रोक कर उसके आर्थिक उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है।

इस सूचना के माध्यम से कर्मचारी का उत्पीड़न समाप्त करने एवं उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों व उत्तर पर कार्यवाही न किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की मांग करता हूं।]

हरदोई नगर में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश अग्रवाल–

[मान्यवर, नगर हरदोई में पीने के पानी का गंभीर संकट है। लगभग एक लाख वाली आबादी वाले इस नगर में केवल चार ट्यूबवेल व दो पानी की टंकियां मौजूद हैं। जल निगम द्वारा हरदोई नगर में मात्र 10 हैंड पम्प पाईप अभी तक लगाये गये हैं।

जल निगम में हरदोई नगर में हिन्दी पाठशाला के पास एक नई पानी की टंकी बनाई लेकिन उसका ट्यूबवेल न बन पाने के कारण टंकी का कार्य नहीं शुरू हुआ है। शासन ने जबकि ट्यूबवेल के निर्माण हेतु पैसा जल निगम को दे रखा है। पानी के लिए सबेरे लोगों को नलों के पास कतारों में खड़े देखे जाते हैं।

इस भीषण पेयजल की समस्या से नगर हरदोई के नागरिकों में भयंकर असंतोष है जिससे किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

कृपया सरकार को निर्देश देकर पानी उपलब्ध करने की कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।]

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी में कार्यरत जूनियर रेजीडेन्ट्स डाक्टरों के वेतन भत्ता का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित–

[मान्यवर, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में वर्ष 1990 में रेजीडेन्सी स्कीम के अंतर्गत मा० उच्च न्यायालय के आदेशों पर पैथालोजी रेडियोलोजी आदि विभागों में कतिपय जूनियर रेजीडेन्ट्स की नियुक्तियां की गयी थी। इनमें से कुछ जूनियर रेजीडेन्ट्स को हाल ही में मासिक वेतन-भत्तों का भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया है। परन्तु रेडियोलोजी विभाग में जूनियर डा० के पद पर कार्यरत डा० वीना जैन तथा पैथोलॉजी विभाग की एक महिला जूनियर रेजीडेन्ट को एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी अभी तक वेतन-भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है, यद्यपि प्रधानाचार्य द्वारा इन जूनियर डाक्टर्स को वेतन भुगतान करने का प्रस्ताव पुनः जून, 1991 में निदेशक को भेजा जा चुका है। उक्त जूनियर डाक्टर्स को वेतन भुगतान न होने से जहां एक ओर उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर मा० उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 3486 आफ 90 (डा० वीना जैन बनाम राज्य सरकार तथा अन्य) सपठित रिट सं० 1450 आफ 1990 में जूनियर रेजीडेन्ट के पद पर नियुक्ति के साथ ही आवश्यकतानुसार पद भी सृजित करने के आदेश दिये थे ताकि उन्हें वेतन आदि का भुगतान प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं० 6522 सेफ-14/पांच-138-87 दिनांक 8 नवम्बर, 1989 के अनुसार प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में कार्यरत समस्त जूनियर रेजीडेन्ट्स सीनियर रेजीडेन्ट्स को उक्त शासनादेश में निर्धारित दरों पर वेतन भत्ते अनुमन्य हैं। परन्तु मैं रेडियोलोजी तथा पैथोलॉजी विभाग के संबंधित जूनियर रेजीडेन्टों को वेतन-भत्तों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने की मांग करता हूं।]

आगरा तथा फिरोजाबाद जनपदों के ग्रामीण अंचलों में पशुओं के रोगग्रस्त होने तथा पशु अस्पताल खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र भान मौर्य–

[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है कि पिछले एक माह में आगरा तथा फिरोजाबाद जनपदों में हजारों पशुओं की गलाघोंट तथा खुरपका रोगों के कारण अकाल मृत्यु हो गयी है और पशुओं की मौत का क्रम लगातार जारी है, किन्तु जिला प्रशासन विशेष रूप से पशु चिकित्सा विभाग मूक दर्शक रहकर किसानों की बर्बादी को देख रहा है। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण अंचलों में पशु अस्पतालों का नितान्त अभाव है, और इस ओर पशासन की लापरवाही से किसानों में गंभीर असंतोष तथा आक्रोश व्याप्त है।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए ऐत्मादपुर आगरा तथा जसराना, फिरोजाबाद में चार-चार पशु चिकित्सालय खोलने की शासन से मांग करते हैं।]

प्रदेश के आंशिक नलकूप चालकों द्वारा समान वेतन, सुविधा तथा स्थायीकरण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय मार्ग के बनी स्थान से भिर्री कला परवा-कानपुर बाईपास बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[लखनऊ, उन्नाव, कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन वाहन दुर्घटनाएं घटित होने के कारण करोड़ों रुपये की जनधन की हानि होती है। वाहन दबाव इतना अधिक है कि तमाम प्रशासनिक नियंत्रणों के बावजूद दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं।

लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग के बनी स्थान से भिर्रीकला परवा-कानपुर मार्ग, लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकल्प बाईपास बनाया जा सकता है। इसका मात्र 21 कि0मी0 हिस्सा खड़ंजा स्तर तक ही है शेष लेपित है। इसे बाईपास के रूप में विकसित कर करोड़ों की जनधन की हानि बचाई जा सकती है। इस जनधन की हानि से जनरोष है।

अविलम्बनीय लोकमहत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

राजकीय बालिका विद्यालय, अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में अध्यापिकाओं की नियुक्ति किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलराम यादव–

[मान्यवर, वर्ष 90-91 में राज्य सरकार ने अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में राजकीय बालिका विद्यालय हेतु स्वीकृति दी है। इसी क्रम में लगभग 72 लाख लागत से विद्यालय का भवन का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। विद्यालय में पठन-पाठन हेतु भवन का प्रथम तल बनकर तैयार है। परन्तु खेद है कि शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के बावजूद भी शिक्षण हेतु अध्यापिकाओं तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में भयंकर रोष व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गढ़वाल जनपद के पौखाल में विदेशी शराब की दुकान खुलने से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

[महोदय, गढ़वाल जनपद में पौखाल स्थान पर जिला प्रशासन ने भृगुखाल स्थान से विदेशी शराब की दुकान स्थानान्तरित कर दी है जब कि शराब की दुकान का नीलामी भृगुखाल स्थान के लिये हुआ था। जिला प्रशासन ने शराब के ठेकेदारों से मिल कर यह साजिश की है। यदि यह शराब की दुकान का नीलाम पहले पौखाल स्थान पर ही होता तो सरकार को लाखों रुपये का राजस्व मिलता। पौखाल स्थान पर भृगुखाल से स्थान बदलना व स्थापित करने के कारण जनता में रोष है। महिलायें, बच्चे, जनप्रतिनिधि, भूख-हड़ताल व धरने पर बैठे हैं जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित कर दिये हैं किन्तु खेद है, नियमों की अवहेलना कर प्रशासन ने पौखाल में दुकान खोल दी है। प्रशासन के इस कदम से जनता में भयंकर रोष है भविष्य मे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। शराब ठेकेदार जनता को असामाजिक तत्वों के माध्यम से आतंकित कर रहे हैं। मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में ला रहा हूं। शासन को शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बलिया जिलान्तर्गत ग्राम कुल्हड़िया (उमरपुर, दियारा) में गंगा के कटान से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधीर–

[महोदय, बलिया जनपद के ग्राम कुल्हड़िया (उमरपुर,दियारा) गंगा के कटान से पूरी तरह से बिलीन होने के कगार पर हैं और वहां बसे लगभग 2500 हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के पुरुष, महिलायें एवं सैकड़ों मवेशियों का जीवन संकटमय है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय इस सुनिश्चित विषय पर आपके राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार तत्काल ग्राम-कुल्हड़िया कटान से पीड़ित लोगो को सुरक्षित स्थान पर बसाने की तत्काल व्यवस्था करें।]

बदायूं जिलान्तर्गत थाना रजपुरा के कस्बा गमा की श्रीमती कमला देवी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम खिलाड़ी–

[महोदय, बदायूं जनपद के थाना रजपुरा के अन्तर्गत कस्बा गमा में 13/14 जुलाई रात्रि में सशस्त्र डकैतों द्वारा श्री सुयोग्य कुमार गुप्ता उर्फ मुनमुन की माता श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० बृज किशोर गुप्ता की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी गयी एवं उनके घर के जेवरात तथा नकदी लूट ले गये। घोर आश्चर्य की बात है कि पुलिस इतने बड़े हादसे को हजम कर गयी तथा आई०पी०सी० के अन्तर्गत मात्र धारा 460 कायम किया। सुयोग्य कुमार गुप्ता उर्फ मुनमुन की जान खतरे में है अभी तक उनके जीवन की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इस कांड से गुन्नौर क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया तथा जन जीवन असुरक्षित हो गया है। यह लोकमहत्व का मामला है जिस पर सदन में चर्चा होना आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमती कमला देवी के हत्यारों को फौरन गिरफ्तार करने तथा डकैती का मुकदमा दर्ज करने व सुयोग्य कुमार गुप्ता उर्फ मुनमुन की जीवन रक्षा हेतु उन्हें फौरन सुरक्षा गार्ड देना जनहित में होगा और इस मामले की जांच करने के उपरान्त दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

बलिया जनपद में कदम दुबहर बांध के अपूर्ण होने से समीपवर्ती गांवों को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[महोदय, जनपद बलिया में गंगा की बाढ़ से बलिया बैरिया बांध के दक्षिण के लगभग सभी गांवों जिनकी आबादी करीब तीन लाख है गंगा की भयंकर बाढ़ से प्रतिवर्ष डूब जाया करते हैं। इन गांवों के बचाव के लिए कदम, दुबहर बांध जनहित के बचाव में शुरू किया गया बांध दो स्थानों को छोड़ कर लगभग तैयार हो गया है। सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उदासीनता के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसमें लाखों रुपये के घपले हुए हैं। गंगा नदी में आयी बाढ़ से बीस गांव में तीन लाख लोग भयातुर हैं। सिंचाई विभाग के निष्क्रियता से लोगों में आक्रोश है, बाढ़ के पानी से कभी भी बांध टूट सकता है और महाप्रलय हो सकती हैं। सरकार की उदासीनता ने लोगों को आन्दोलित कर रखा है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय इस सुनिश्चित विषय पर आपकी अनुमति से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर कार्य संचालन के नियमावली नियम 301 के अन्तर्गत निवेदन करता हूं कि सदन दूरहर बांध के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की शासन से जांच करावें एवं अपूर्ण कार्य को पूर्ण करावें जिससे जनजीवन में व्याप्त भय एवं आक्रोश समाप्त हो सके।]

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के अधिकारियों द्वारा धांधली व भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[मान्यवर, मुझे आपका ध्यान राज्य योजना आयोग की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 18-7-90 के आदेशों के विपरीत आयोग/भूमि उपयोग परिषद में जातिवाद के आधार पर कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति की गयी। जिसमें श्री राकेश सक्सेना सहायक परियोजना अधिकारी की दिनांक 18-6-91 को फर्जी तरीके से नियुक्ति की गयी है। श्री मदन लाल को आयोग में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर, विकास अन्वेषण प्रयोग प्रभाग से, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया जबकि श्री लाल न तो शैक्षिक योग्यता पूर्ण करते हैं और न ही इस पद हेतु उपयुक्त है। इसी प्रकार श्री वली खान व राम लखन, अवर वर्ग सहायक को कुछ वर्ष पूर्व 3 माह के लिए आयोग से समन्वय सहायक के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया था जो अभी तक बिना किसी आदेश के बने हैं और उनका विनियमितीकरण करने की कार्यवाही बिना सेवा नियमावली के की जा रही है। जबकि आयोग के अवर वर्ग सहायक/प्रवर वर्ग सहायक जो शैक्षिक योग्यता रखते हैं, उनको सम्मिलित करते हुए इस पद पर, पद-विज्ञप्ति कराकर नियुक्ति की जानी चाहिए।

अत: अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत जो औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हें मैं एक-एक करके ले रहा हूं।

निवेदन है कि जैसा अभी तक आज माननीय सदस्यों ने सदन की कार्यवाही के संचालन में धैर्यपूर्वक सहयोग दिया है वैसा ही मैं आगे भी आशा करता हूं कि शांति और धैर्य से सहयोग मिलेगा। पहली सूचना श्री पवन कुमार पांडेय की है।

कार्तिक मेला अयोध्या, फैजाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा धन का दुरुपयोग करने तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सही उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री पवन कमार पांडेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अक्टूबर माह में फैजाबाद और अयोध्या में.....

(व्यवधान)

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, आप नियम 300 में विषय की ग्राह्यता पर ही बोलें।

*श्री पवन कुमार पाण्डेय—

फैजाबाद और अयोध्या नगरपालिका क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया और कार्तिक मेला प्रारम्भ होने की तिथि से बहुत पहले ही ट्रेनें और बसें सहित सभी यातायात के साधन बन्द कर दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का प्रश्न कैसे बनता है, उसकी ग्राह्यता आप बताएं?

श्री पवन कुमार पाण्डेय—

मैं नया सदस्य हूं, आप मुझे कुछ तो छूट दीजिए, कोई तो सुविधा दीजिए। हमने इसको सूचना अतारांकित प्रश्न के रूप में पहले दी थी और औचित्य के प्रश्न में फिर इसे आज ला रहा हूं। सभी यातायात के साधनों को वहां पूरी तरह बन्द कर दिया गया था। अयोध्या और फैजाबाद नगरपालिका के अन्तर्गत आने-जाने के लिए केवल विशेष व्यक्तियों को ही विशेष पास दिये गये थे। ऐसी स्थिति में कार्तिक मेला के यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं के नाम पर जो लगभग 55 लाख रुपये का फर्जी भुगतान दिखाकर अधिकारियों व कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा पूरी धनराशि का बन्दर-बांट कर दिया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उनके दल के उनके जैसे अनेक लोग चुनाव में और चुनाव के पूर्व बराबर यह घोषणा करते रहे हैं कि सरकार ने मेला नहीं होने दिया, परिक्रमा नहीं होने दी। एक नहीं हजारों स्थानों पर दिये गये भाषणों के बाद आज किस आधार पर मेला होना स्वीकार करके मेला यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये गये व्ययों को यह सही बता रहे हैं। सरकार में आज बैठे लोगों की मांग पर पूर्व सरकार ने इस मामलों एक जांच बैठायी है, जो अभी विचाराधीन है। ऐसे में सरकार द्वारा दिया गया उत्तर झामक और भ्रष्टाचार को सरकारी मोहर लगाने के समान है।

श्री अध्यक्ष—

बहुत हो गया, अब केवल अन्तिम पैरा आप पढ़ दीजिए।

श्री पवन कुमार पान्डेय—

अतः आपके माध्यम से इस गम्भीर मामले को जो कि माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

श्री रामगोविन्द चौधरी—

माननीय, यह नये सदस्य हैं, इनका औचित्य का प्रश्न इसलिए बनता है कि इस सम्बन्ध में इन्होंने पहले एक अतारांकित प्रश्न भी किया था, जिसका सही उत्तर नहीं आया है। ...(व्यवधान) इसीलिए इन्होंने अब नियम 300 में इसे दिया है, इसलिए इसका औचित्य बनता है। मंत्री जी ने उनके प्रश्न का उत्तर भली नहीं दिया, इसलिए सही उत्तर न देने से असन्तुष्ट होकर दुखी होकर इन्होंने आपके सामने आज दिया है। ...(व्यवधान)

(श्री पवन कुमार पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें आपकी वकालत बहुत सही तरीके से चौधरी जी ने कर दी है। इसका जवाब आपके उत्तर में मंत्री जी द्वारा आ चुका है और यदि उसको सत्यता के बारे में आपको कोई सन्देह है तो उसके नियम अन्य नियम जैसे नियम 165 आदि बने हैं, उसके अन्तर्गत आप नोटिस देकर इसे उठा सकते हैं। उस पर तदनुसार कार्यवाही हो जाएगी। दूसरी सूचना श्री खालिद गौरी जी की है।

---

*अध्यक्ष के आदेश का पुनर्मुद्रण नहीं किया।

जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा नियुक्तियों में धांधली किए जाने तथा शिक्षा मंत्री द्वारा गलत उत्तर दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री खालिद गौरी—

मान्यवर, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था, इसके उत्तर में जो सूचना दी गयी है, वह पूर्णतया असत्य है और उसका सच्चाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए नियम 300 के अन्तर्गत इसकी सूचना हमें देनी पड़ी है। इसमें हमारा निवेदन है। मेरा प्रश्न इस प्रकार था – क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा 1991 में आम चुनाव की घोषणा होने के बाद नियुक्तियां की गयी, यदि हां, तो किन पदों पर कितने लोग नियुक्त किये गये तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हमें मिला कि जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गयी। जबकि वास्तविकता यह है और प्रमाण में हमने सूचना के साथ तमाम कागजात संलग्न किये हैं, कि वहां 4 अप्रैल, 91 से लेकर 20 अप्रैल, 91 तक लोगों की नियुक्तियों हेतु साक्षात्कार लिये गये और उसके बाद उन्हें नियुक्त किया गया तथा जिन व्यक्तियो को जिन ब्लाकों में और जिन तिथियों से नियुक्त किया गया है, उनके मैंने प्रमाण दिये हैं। इसमें आप देख लें 12-6-91, 13-6-91 को कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिये गये। इस प्रकार इसको जो सूचना दी गई थी कि कोई नियुक्ति नहीं की गई यह असत्य साबित हुई। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि शासन ने भी यह निर्देश जारी किये थे कि कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी। 28 जून को इसका रेडियोग्राम जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी हरदोई के यहां पहुंच भी गया था लेकिन इसकी अवहेलना करते हुए 8 जुलाई को कुछ नियुक्तियां वहां की गयीं और यह नियुक्तियां मान्यवर पिछले चुनाव के दौरान, उस वक्त जो शिक्षा मंत्री थे, हरदोई से चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव अभियान को सफल बनाने के लिये, उनको राजनैतिक लाभ दिलाने के लिये यह नियुक्तियां की गई थी जिनका हवाला मैंने अपनी सूचना में दिया है। एक बात और कहना चाहूंगा मान्यवर, जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी हरदोई के कार्यालय में बहुत से कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी लगाये गये थे। जिनको वेतन करीब-करीब चुनाव शुरू होने से चुनाव की तारीख तक के दिनों का पैसा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो चुनाव के दौरान नियुक्तियां की गयी डेली वेजेज की, वह किस आधार पर की गयी जबकि नियुक्तियां न किये जाने के निर्देश जारी हो गये थे। उनके चुनाव के समय कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी थी कि इन लोगों की नियुक्तियां करनी पड़ी। एक बात मान्यवर, मैं और कहना चाहूंगा सहमति के विषय में, एक सूचना गलत दी गई है उसके सम्बन्ध में हमारे पास आंकड़े और कागजात उपलब्ध हैं। इसलिये हमारे सुझाव को स्वीकार किया जाय। सरकार को निर्देशित किया जाय कि इस प्रकरण की जांच करायें और यह भी व्यवस्था दें कि हम लोग, जो प्रश्न पूछते हैं, उनके विषय में सही उत्तर कैसे प्राप्त हो।

श्री अध्यक्ष—

श्री खालिद गौरी जी, आपने जो सूचना दी है इसके लिये अलग से प्रावधान है। यह 300 में नहीं आती है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मसले की ओर निर्दिष्ट करने की बात है। कृपा दो निर्देश दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

जहां उचित होगा, मैं निर्देशित कर दूंगा।

---

*सदस्य के भाषण का रोमन लिपि में अंश है।

सदन संचालन के विषय में सदस्यों की जांच समिति गठित किए जाने हेतु दिनांक 12 अगस्त, 1991 को मा० सदस्य श्री राम कुमार शुक्ल के स्वीकृत प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

तीन सूचनाएं महत्वपूर्ण आई हैं दिनांक 12 अगस्त की कार्यवाही के सम्बन्ध में—श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री अकबर, श्री निरवेन्द्र कुमार, श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की सूचनाएं।

श्री श्याम नारायण—

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है, देख लें।

श्री अध्यक्ष—

देखता हूं, होगी तो इसी के साथ सम्मिलित कर ली जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, शान्त बैठने का यही परिणाम है कि सूचना नहीं ली गयी।

श्री अध्यक्ष—

आप सुन तो लें, मैं क्या कहने जा रहा हूं। माननीय श्याम नारायण जी की भी सूचना है। यह सूचनाएं 12 तारीख की कार्यवाही से संबंधित हैं। यह कल की घटना में संबंधित नहीं है। श्याम नारायण जी की सूचना है 23 अगस्त की। इसको अलग से ले रहा हूं। कल की सूचना में श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री अकबर, श्री राम आसरे वर्मा जी एवं श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की कल की घटना के बारे में सूचना है।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख रहा हूं, एक श्री लालजी वर्मा की सूचना है।

श्री नरेश अग्रवाल—

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

इन सूचनाओं को लेने के पहले मैं नेता विरोधी दल से कुछ कहना चाहता हूं। इसमें नेता विरोधी दल अपने विचार प्रकट करें।

(व्यवधान)

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, पहले जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं उनको सुन लें। नेता विरोधी दल सबको सुनने के बाद कहेंगे आप उनको पहले सुने ले रहे हैं। जो नोटिस दिए हैं पहले उन मा० सदस्यों को सुन लें। उसके बाद माननीय संसदीय कार्यमंत्री और सत्ता पक्ष के लोगों को सुन लें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, चौधरी जी का कहना सही है आपने क्रम को तोड़ दिया। 12.20 के बाद जिस प्रकरण को लेना था उसको अब ले रहे हैं।

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

पिछले दिनों में जिस क्रम से लिया वही क्रम दोहराया जा रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं कल की घटना के बारे में कहना चाहता हूं जो यहां पर हुई अत्यन्त दुखद घटना थी, उस घटना के प्रति दुख व्यक्त करते हुए, उस घटना से आपको दो दिन से जो कष्ट हो रहा था, अपने को आपके साथ जोड़ता हूं। कल ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई आपके द्वारा ऐसे निर्देश दे दिए गये जो बिल्कुल नियमों और परम्पराओं के विपरीत, संविधान के विपरीत हो गये थे। मान्यवर, अध्यक्ष पीठ के द्वारा दिए गये निर्देश लोकसभा में भी पेश किए गये हैं। परम्पराओं के अनुसार इस पीठ से निर्देश दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा, सब प्रदेशों में बड़ी विधान सभा है। इस विधान सभा की परम्पराएं हैं, जो कार्यान्वयन है वह किसी मायने में लोक सभा से कम नहीं है। जो समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं वह लोक सभा तथा अन्य विधान सभाओं से समय-समय पर उद्धृत किए जाते हैं। मान्यवर, आप अध्यक्ष पीठ पर आये, कार्यसूची प्रारम्भ हुई, कई माननीय सदस्य आपके कार्यसूची के आगे चलाने के कारण उत्तेजित हो गये। उसके बाद वह सदन के फ्लोर पर आ गये, अध्यक्ष पीठ के सामने आ गये और नारेबाजी करने लगे आपने आवेश में आकर 13 सदस्यों को निलम्बित कर दिया, जो सर्वथा इस नियमावली के विपरीत संसदीय परम्पराओं के विपरीत हुआ। मान्यवर, आपने 299 नियम का उदाहरण पेश किया। नियम 299 को अध्ययन कीजिए।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर 299 में है,—सदन में शांति और व्यवस्था इसमें (1) — में कहा गया है कि अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरंत बाहर चले जाने का निर्देश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निर्देश दिया जाय वह सम्बन्धित सभा मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे।

श्रीमान्, लेकिन आपने एक बार कह दिया कि हम सभी सदस्यों को निलम्बित करते हैं, आप लोग बाहर चले जायें। आपको कहना चाहिये था कि जिस सदस्य को आपको सदन से निलम्बित करना था पहले उसे सदन से चले जाने का निर्देश करते अगर वह न जाता तो आप उस सदस्य को इंगित करते और अपने आसन से उंगली दिखाकर इंगित करते कि अमुक सदस्य को मैं इंगित करता हूं। उसके बाद माननीय नेता सदन या संसदीय कार्यमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में सत्ता पक्ष का कोई सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता था कि मैं अमुक सदस्य को निलम्बित करने का प्रस्ताव रखता हूं। इस पर "हां" और "ना" का प्रश्न उपस्थित किया जाता और अगर "हां" की संख्या अधिक होती तो उस सदस्य को निलम्बित करने का निर्देश हो सकता था। अगर यह सदस्य आपके आदेश का पालन न करता और बाहर न जाता तो आप मार्शल को निर्देशित कर सकते थे कि वह उस माननीय सदस्य को सभामंडप से बाहर करें। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने आवेश में आकर क्षमा कीजियेगा, कुछ समय के लिये आप आवेश में आ गये थे, आप भी मानव हैं। अध्यक्ष हैं, लेकिन व्यथित हैं, क्षुब्ध हैं, आवेश आ गया होगा और आवेश में कह दिया कि जो सदस्यगण में आये हैं सबको निलम्बित करता हूं। आपने सबको निलम्बित कर दिया। आपको एक-एक व्यक्ति को इंगित करना चाहिये। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री को प्रस्ताव रखना चाहिये था। एक-एक करके 13 सदस्यों को निलम्बित करते तो आपका निर्देश शिरोधार्य होता। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गवाह हैं अगर असत्य न बोलें। आप सन् 77 में सदन में थे और आप माननीय न्याय मंत्री थे आपको याद होगा कि उस समय भी सदन में अव्यवस्था फैल गयी थी। सदस्यों में धक्का-मुक्की हुई थी और माननीय सदस्य राजनारायण तिवारी का सर फट गया था। माननीय सदस्य औसान सिंह यादव का कुर्ता फट गया था। उस समय भी एक कमेटी के गठन की घोषणा की गयी थी। आपको स्मरण होगा और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को भी स्मरण होगा कि तत्कालीन अध्यक्ष माननीय बनारसी दास जी ने भी उस समय 20-25

सदस्यों को निलंबित किया था। आप कार्यवाही निकाल कर देखें, माननीय सदस्यों को एक-एक करके इंगित किया गया था और वह यदि निर्देश नहीं मानते थे तो संसदीय कार्यमंत्री एक-एक आदमी को निलंबित करने के लिये प्रस्ताव रखते थे, और अध्यक्ष द्वारा निलंबित करने के उपरांत मार्शल के द्वारा उस समय सदस्यों को बाहर ले जाने की प्रक्रिया हुई थी। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करुंगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का एक गौरवमयी इतिहास है। इसकी गौरवशाली परंपरायें हैं, इसके कदम गौरवशाली हैं। इसकी परंपराओं निदेशों, और कार्यवाही का उद्धरण लोक सभा तथा अन्य विधान सभाओं में दिया गया है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि उन परंपराओं और परिपाटी को ध्यान में रखते हुये कल आपने थोड़ी सी उत्तेजना में आकर जो परंपराओं और नियमावली के विपरीत निदेश दिया है उस पर पुनर्विचार करें और उसको निरस्त करने की कार्यवाही करें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

यदि आवश्यक हुआ तो मैं इन सभी सूचनाओं पर एक साथ व्यवस्था दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कल सदन में जिस तरह की अव्यवस्था पैदा हुई, वह अपने में अभूतपूर्व थी। अव्यवस्था के लिये जहां पर विपक्ष के माननीय सदस्य विषयों की गम्भीरता से उद्वेलित थे, वे कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकते हैं, वहीं पर सत्तापक्ष के लोग भी इस सदन में जय श्री राम का नारा लगाकर धार्मिक उन्माद का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यह असंतोषजनक बात है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जय श्रीराम का नारा लगाकर सदन में अव्यवस्था पैदा करने की छूट आप माननीय सदस्यों को देते हैं या नहीं, इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

एक सदस्य --

आप राम आसरे हैं।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मैं राम आसरे हूं, असली राम के आसरे हूं, आप लोगों की तरह से नकली राम के आसरे नहीं हूं। मान्यवर, जो अव्यवस्थित सदन में जिस तरह की कार्यवाही यहां पर हुई, चन्द क्षणों की कार्यवाही यहां पर हुई, लेकिन उस कार्यवाही ने नियमावली के परखचे उड़ा दिये और संविधान की घोर अवहेलना कर दी। कार्य सूची को आप देख लें तो जिस तरह से कार्यसूची की मदें ली गयी, उनसे सरकार की नीयत साफ हो गयी। कभी तो मद 14 ले ली, 19 ले ली, 43 ले ली। मान्यवर, मद 19 को आप ले लें, चूंकि सरकार के पास तर्क और जवाब नहीं है, इसीलिये अव्यवस्थित सदन का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। उत्तरांचल के नाम पर इस प्रदेश में दूसरे राज्य के गठन का प्रस्ताव पास किया है। उत्तरांचल पर हो सकता है कि कुछ लोग मतभेद रखते हों और कुछ सहमत हों। मान्यवर, संविधान में राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी है और जब राज्यों के पुनर्गठन को आधार बनाकर कोई विषय सदन में आये तो हर माननीय सदस्य का अधिकार बनता है कि राय दें। आज पर्वतीय क्षेत्रों में दसियों वर्षों से वहां के जन-मानस में मानसिकता बनी है उत्तराखण्ड की। इस मानसिकता को बनाने के लिये दसियों साल जनता ने संघर्ष किया और उत्तराखण्ड नाम से राज्य बनाने की बात उभर कर आ गयी। उत्तराखण्ड की उस भावना और मानसिकता को तोड़ने के लिये वहां की जनता में बंटवारा करने के लिये उन्होंने नाम बदल कर उत्तरांचल कर दिया। उत्तरांचल तो कर दिया लेकिन उसी तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चाहे पूर्वांचल की बात हो, वह नहीं करेंगे, बुन्देलखण्ड की बात नहीं करेंगे, अगर पुनर्गठन की बात थी तो प्रदेश की सारी स्थिति को देखते हुए जहां जिस तरह की आवश्यकता होती, सिफारिश करते तो समझ में बात आती कि इनकी नीयत साफ है। लेकिन, मान्यवर, इन्होंने राजनीतिक भेदभाव के साथ गन्दी नीयत से प्रस्ताव करके यहां पर रख दिया था। इसीलिये आपा-धापी में प्रस्ताव पास करा लिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इस सदन का पवित्र दायित्व होता है, धन्यवाद के प्रस्ताव को पास

करना। उस परिस्थिति में ही प्रस्ताव आता है, समर्थन आता है। प्रस्तावक इस बात को भी सदन के सामने रखता है कि आखिर धन्यवाद प्रस्ताव क्यों दिया जा रहा है। उन तथ्यों को भी सदन के सामने रखता है और समर्थन में भी उन तथ्यों को रखा जाता है। पूरे सदन में उस पर चर्चा होती है और इस चर्चा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अधीन मिला हुआ है। उसके लिए आप ही समय निश्चित करते हैं, आपके ही द्वारा माननीय सदन के सदस्य अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी वंचित कर दिया गया।

मान्यवर, लोक सभा में जो कार्यवाही होती है, वह हमारे लिए एक मार्ग दर्शन का काम करती है। मान्यवर, लोक सभा की परिपाटी है कि हां पर वे महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो उसी के मुताबिक यहां पर महामहिम राज्यपाल हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जब चर्चा हो जाती है, तो उस चर्चा के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी का यह दायित्व बनता था कि उस चर्चा में उठाये गये मुद्दों पर सदन के सामने जवाब देते, उनको स्पष्ट करते, लेकिन मान्यवर कोई चर्चा नहीं हुई और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया था। उसके पक्ष में कोई भी तर्क नहीं दिया गया, पात्र प्रस्ताव पढ़ दिया गया और समर्थन एक लाइन में कर दिया गया। लेकिन मान्यवर, उस पर नेता विरोधी दल का दो घंटे तक भाषण हुआ और इस प्रदेश की राजनीति के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश की शांति-व्यवस्था के बारे में, तमाम ऐसे मुद्दे माननीय नेता विरोधी दल द्वारा उठाये गये थे, जिन मुद्दों का जवाब माननीय मुख्य मंत्री के मुख सेयह सदन सुनने के लिए इच्छुक था, लेकिन जिस आपा-धापी में यह प्रस्ताव स्वीकृत कराया गया। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा नेता विरोधी दल के द्वारा रखे गये तथ्यों का जवाब नहीं दिया गया, अगर उनके पास जवाब था,तो माननीय मुख्य मंत्री जी उन बातों का जवाब देते। मान्यवर, औचित्य का प्रश्न इसलिए बनता है कि जो संविधान के तहत हमें अधिकार मिला है, अपनी नीति रखने का, धन्यवाद के प्रस्ताव पर, हम नहीं रख पाये। जो मान्यवर, लोक सभा की परिपाटी है, उसके मुताबिक माननीय मुख्य मंत्री को हां पर उठाये गये प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था। वह जवाब सुनने से हम वंचित रह गये। ऐसी स्थिति में, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर इस सरकार की नियत साफ है, तो इन दोनों प्रस्तावों को वापस लेकर सदन में फिर रखें और इन प्रस्तावों पर चर्चा करायें और इनकी परीक्षा हो जायेगी कि ये कितने साफ नीयत के हैं। मैं इस पर पुनः बल देता हूं और इस पर आपकी अवश्य व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इन भाजपाइयों को जय श्री राम का नारा लगाने का अधिकार दिया गया है या नहीं?

(घोर व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं यह औचित्य का प्रश्न जो मैंने रखा है, इस पर बल देता हूं। यह औचित्य का प्रश्न बनता है। इस पर आप कृपया व्यवस्था दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जिस औचित्य के प्रश्न पर मैंने सूचना दी है, वह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और औचित्य के अन्तर्गत इसलिए आता है कि वह विषय पूरा का पूरा इस आदरणीय सदन के संज्ञान में है और आपके संज्ञान में भी है। मान्यवर, कल की पूरी की पूरी कार्यवाही न तो नियमावली के अनुरुप थी और न ही परम्पराओं के अनुरुप हुई। कल का जो वातावरण था, उससे आप इतना क्षुब्ध हो गये कि आपने बिना परम्पराओं के बिना नियमों के 13 सदस्यों को निलंबित कर दिया। उसके संबंध में माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने और माननीय वर्मा जी ने अपने विचार अभी व्यक्त किये हैं।

मान्यवर, नियमावली का नियम 299 क जिसके अन्तर्गत आपने कार्यवाही किए जाने की बात कही है मगर उसमें यह व्यवस्था है कि सदस्यगण वेल में अगर जॉय और किसी लेखक, रिपोर्टर का कागज छीने या आपके ऊपर कागज फेकें, ऐसा कोई कृत्य करें जो आपकी दृष्टि में बहुत अशोभनीय हो तोआप वहां से उस सदस्य का नाम पुकारेंगे और वह सदस्य निलम्बित माना जायेगा। और मान्यवर, जो दूसरे प्रकार की निलम्बन की कार्यवाही है जिसका उदाहरण चौधरी साहब ने दिया है वह 299(3)(क) है जिसमें

नियमानुसार इंगित करना चाहिए और सबका नाम आना चाहिए था। तो मान्यवर, किसी भी दशा में कल की निलम्बन की प्रक्रिया की कार्यवाही उचित नहीं है इसमें जल्दबाजी हुई है। मान्यवर, मैं न तो वेल में गया और न मैंने नारे बाजी की, मैं तो चिल्लूपार गोरखपुर के मा० सदस्य हरिशंकर तिवारी जी के साथ बैठा हुआ था लेकिन मेरा नाम पता नहीं कैसे आ गया और मेरा भी निलम्बन हो गया यह सब पता नहीं कैसे हो गया? मान्यवर, सदन में जब भी हंगामा होता है तो हम लोगों का ही वक्त ज्यादा बेकार हो जाता है। सरकार तो अपने काम 'हां' और 'नहीं' में आवाजें बुलवाकर करवा लेती है लेकिन मान्यवर आप देखें, जो हंगामेबाजी होती है उसमें ज्यादातर सत्तापक्ष के लोग ही कुछ इस तरह का कृत्य करते हैं कि पूरा विपक्ष उत्तेजित हो जाता है। मैं सत्तापक्ष के सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि नियमावली के नियम 286 और उसके उप भाग 9 को देखने का कष्ट करें उसमें साफ-साफ लिखा है कि जब कार्यवाही चल रही हो तो कोई सदस्य चीत्कार नहीं करेगा और ये लोग जै श्री राम का चीत्कार करते हैं। मान्यवर, राम का नाम लेना तो ठीक है मैं आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा कि जब चीत्कार होता है तो इधर से भी प्रतिक्रिया होती है।

मान्यवर, कल की पूरी की पूरी कार्यवाही नियमों से परे सम्पन्न हुई है। मान्यवर, मैंने अपना उदाहरण दिया कि मैं तिवारी जी के साथ बैठा था और मैं भी निलम्बन की सूची में आ गया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसा हंगामा और इसी में आपने एक दिन पूर्व हुए अधिवेशन की कार्यवाही में जो हंगामा हुआ उसके सम्बन्ध में एक जांच समिति भी बैठा दी। वह उस हंगामें में तो सुनाई नहीं पड़ा लेकिन बाद में इस बारे में पता चला, कि वह हमारे अशोभनीय आचरण के बारे में जांच करेगी। मान्यवर, आप तो विधिवेत्ता हैं, कानून की जानकारी में आपका बड़ा नाम है। मान्यवर, कोई भी अपराधी होता है तो चाहे उसका अपराध छोटा हो या अपराध बड़ा हो कानून में उस अपराध के कारक तत्वों और उस व्यक्ति के इरादों की समीक्षा की जाती है कि अपराध क्यों हुआ? मान्यवर, एक दिन पूर्व के अधिवेशन में हम लोग वेल में गये थे यह मैं स्वीकार करता हूं। एक ऐसे विद्वान इस सदन के पुराने सदस्य जो आज की तारीख में मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री हैं जिनकी टिप्पणियों, उठाये गये प्रश्नों को, व्यवस्था के प्रश्नों को बड़े आदर और ध्यान से सुना जाता रहा है। इसी विधान सभा में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, पिछली 2 विधान सभा में वह हमारे साथ रहे हैं। मान्यवर, उन्होंने इस सदन में इतना बड़ा शब्द प्रयोग कर दिया [x x x] इससे आप सहमत होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब उसका विरोध गलत तरीके से होगा गलत शब्द उसके विरुद्ध प्रयुक्त होंगे, तो वह आहत होगा और प्रतिक्रिया में आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

मेरे निकालने के बाद अब उसको क्या दोहरा रहे हैं?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, उस शब्द को आपने निकाल दिया उसके लिए तो मैं आपका अनुगृहीत हूं लेकिन मान्यवर, अगर कोई किसी का घर गिरा दे और फिर बनवा दे तो क्या अपराध से मुक्त हो जायेगा? आपने इस शब्द को निकाल दिया इसके लिए तो मैं अनुगृहीत हूं। मान्यवर, उनकी टिप्पणी से क्षुब्ध होकर माननीय सदस्य वेल में आ गये। मान्यवर, अगर गांव में कोई लड़ाई होती है तो दुतरफा 151 होता है लेकिन मान्यवर, यहां तो एकतरफा 151 हो गया। हमारी जांच होगी, मान्यवर हम लोग तो मा० गुप्त जी के शिष्य लोग हैं जो हमारे गुरुदेव हैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी उनकी भी जांच होनी चाहिये उनको भी जांच में संदर्भित किया जाना चाहिये ताकि हम लोग वहां सीख सकें कि वे कैसा बयान देते हैं फिर हमें जो बयान देना है प्रतिउत्तर मैं उसको तदनुसार सोच सके। जांच कमेटी की घोषणा हंगामें के मध्य हुई है, उस जांच कमेटी में माननीय गुप्त जी का नाम संदर्भित किया जाय, मान्यवर आपकी जो व्यवस्था है उसे शिरोधार्य करते हैं। यह पूरा का पूरा विषय आदरणीय सदन के संज्ञान में है कार्यवाही पूरे उत्तेजना में हुई है पूरे हंगामें में हुई है, कल काफी महत्वपूर्ण फैसले इस सदन में ले लिये गये। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकरण पर माननीय नेता विरोधी दल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विचार कर लें जो कल का एजेन्डा था उसके लिये एक दिन सदन बढ़ा लिया जाय या फिर कल की कार्यवाही निरस्त हो। मान्यवर, इस पर विचार हो जाय। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, समिति गठित करने की बात हो गयी, आज एक प्रश्न यहां पर था, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कोई बात नहीं है, यह इससे अलग है, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, उस एकतरफा कार्यवाही की बात को भी उस कमेटी में संदर्भित कर दें और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का नाम भी उसमें भेजें।

(व्यवधान)

श्री अकबर–

अध्यक्ष महोदय, नियम से संबंधित जो ध्यान आकृष्ट किया है, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने व अन्य दूसरे सदस्यों ने कि नियमों के विपरीत कार्यवाही चली, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, आप नियमों के पंडित है। लेकिन मान्यवर, यह सरकार जिस संविधान की शपथ लेकर सत्तारुढ़ हुई है, जो कार्य कर रही है.....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय उसमें नहीं है।

श्री अकबर–

मान्यवर, इस पर शंका हम लोगों को पहले से ही थी।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री अकबर–

मान्यवर आप हमारे रक्षक हैं हम तो आशा करते हैं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। इस पीठ की तरफ से कल जिस तरह से कार्यवाही ही हुई उससे हम लोग शंकित हैं, हम लोग विचलित हैं, शंकित हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको माननीय राम गोविन्द चौधरी जी भी समझा रहे हैं फिर भी आप ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री अकबर–

यहां नियमों के विपरीत कार्यवाही हुई, कल यह जो कार्यवाही हुई है, मान्यवर सुन तो लें, फिर हम किसके सामने अपनी दरख्वास्त करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

आप अब बैठें।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अकबर–

कल ही एक नयी बात यह हुई है। मान्यवर आप सुन तो लें। [x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, इसे कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री अकबर–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, इन्होंने अध्यक्ष पर आक्षेप लगाया है अतः इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायें। अब मैं श्री निर्वेन्द्र कुमार जी को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, इस सदन में कई दिनों से हरिजन उत्पीड़न, अल्पसंख्यक उत्पीड़न के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। लेकिन इन दिनों, इन दोनों समस्याओं के साथ-साथ महिलाओं के उत्पीड़न के सम्बन्ध में भी.....

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इस पर बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। इस समय 12 तारीख की कार्यवाही के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न लिये जा रहे हैं। आप कृपया उसमें बोलें।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। जनपद लखीमपुर खीरी में नीलगांव थाने में एक गांव है–लूकेपारा। वहां पर बहू की दहेज के लालच में हत्या कर दी गयी और वह व्यक्ति जिसने हत्या की है इस समय सरकार के संरक्षण में है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य को बता दें कि यह इस नियम के तहत नहीं आता है। इस समय 12 तारीख की कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय निर्वेन्द्र जी यह इस नियम के तहत नहीं आता है। मैं आपको इस विषय पर किसी और नियम के तहत बोलने की अनुमति दे दूंगा। आप इस समय कृपया बैठ जायें।

नोटः–[x x x] यह अंश की अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कल सदन की जो कार्यवाही चल रही थी वह बहुत ही आपा-धापी में चल रही थी। मान्यवर, यह सदन नियमों के तहत चलता है तथा जिस पीठ पर आप बैठें हैं वह भी नियमों के अंतर्गत ही होता है और उसी नियमों के अंतर्गत सहारा लेकर आप इस सदन को चलाने का काम करते हैं। लेकिन आपके अध्यक्ष पीठ पर रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपा-धापी में आप ऐसा प्रस्ताव लेकर आये जोकि नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।

मान्यवर, कल नियम 104 के अंतर्गत कुछ सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव किया था। आप नियम 104 देखें। नियम 104 में श्री राम कुमार शुक्ल जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह प्रस्ताव नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। मान्यवर, नियम 105 में (3) देखें उसमें लिखा हुआ है "व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र के निर्देश नहीं होंगे।" इसी के (4) में लिखा हुआ है "उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।" तो मान्यवर, जो आचरण के सम्बन्ध में समिति गठित की जा रही है वह नियमों के विपरीत है वह प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं आती। तो मान्यवर, मेरा औचित्य प्रश्न उठाने का तात्पर्य यह है कि जो नियमों के विपरीत कार्यवाही हुई है उसे समाप्त करके नियमों के अंतर्गत करने का कष्ट करेंगे। इसके लिए चाहे सदन की कार्यवाही बढ़ानी क्यों न आवश्यक हो। मान्यवर, जो आरोप की बात आयी है, हम लोग गम्भीर मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। लेकिन यह सरकार पूरे प्रदेश को अव्यवस्थित करने का काम कर रही है साथ ही सदन में नियमों के विपरीत काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, अब समाप्त करें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं केवल एक बात कहूंगा, उसके बाद समाप्त कर दूंगा। मैं कह रहा था कि यह नियमों के विपरीत प्रस्ताव पेश किया करते हैं, इसीलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस औचित्य के प्रश्न पर गंभीरता से निर्णय लें, क्योंकि अव्यवस्था तो फैलाने वाले यही लोग हैं, यही जय श्रीराम का उद्घोष बार-बार करते हैं। आप आये दिन देखते हैं कि 4-4 मंत्री एक साथ खड़े हो जाते हैं, इससे विपक्ष उत्तेजित तो होगा ही और उसी बीच में अनियमित तरीके से यह प्रस्ताव पास करा लेते हैं। मैं चाहूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न पर आप अपनी व्यवस्था दे दें और कल की कार्यवाही के लिये सदन की कार्यवाही एक दिन और बढ़ाकर उसको नियमित करने का काम करें, यही मेरा निवेदन है।

(श्री श्याम नारायण के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं ग्राह्यता पर आपको अलग से सुन लूंगा, क्योंकि आपका विषय इससे थोड़ा हटकर है।

श्री राम आसरे वर्मा–

अध्यक्ष जी, जिन लोगों को आपने सुना है, उस पर अपनी व्यवस्था दे दें, उसके बाद नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों को बुलवाइये।

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं इस विषय पर माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनूंगा, उसके बाद इस पर अपनी व्यवस्था दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा होरही है, उससे मैं भी संबंधित हूं। वैसे आपका जो आदश है, वह शिरोधार्य है, आप हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, हम आपके आदेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक अवसर मुझे अपनी बात कहने का अवश्य दें।

मान्यवर, जब कभी कोई रोग हो जाता है, तो उसके कीटाणुओं को मारने की दवा दी जाती है, लेकिन आपने रोगी को मारने की दवा दे दी जो कुछ यहां परसों हुआ, कल हुआ, उसमें यह सब होने के पीछे उद्देश्य क्या था, बिन्दु क्या थे, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि इसमें आप सारी बातों की परिधि में जायें। इसकी पूरी जिम्मेदारी माननीय संसदीय मंत्री की है, जिन्होंने सारे विपक्ष का [x x x] उत्तेजना फैलाई। हम उत्तेजित हुये, हमने गलती की, हमको आपने सजा भी दी, आपकी सजा हमें शिरोधार्य हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि.....(व्यवधान)।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

जिन लोगों ने सूचना दी है, मैं उनको सुन रहा हूं।

श्री बाबूराम यादव–

तो मान्यवर, आपने घटना का कारण नहीं देखा। उस घटना के कारणों का निवारण होना चाहिये था, आपकी पीठ से इस पर आदेश होना चाहिये था। हमारें आचरण की जांच हो रही है, लेकिन उसके साथ-साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आचरण की भी जांच होनी चाहिये।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यह सारे नियमों को ताक पर रखकर बोल रहे हैं।

श्री बाबूराम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपने जो दंड दिया, वह हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो इसके कारण हैं, माननीय गुप्ता जी, उनको भी इस जांच की परिधि में लिया जाय।

*नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

मान्यवर, इधर दो-तीन दिन से सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में माननीय राम आसरे वर्मा जी, राम गोविन्द चौधरी जी, हृदय नारायण जी, निर्वेन्द्र कुमार जी, श्री अकबर जी, लाल जी वर्मा और माननीयसदस्यों ने अपना मत रखा। यह बात सत्य है कि एक पक्ष कोई बात रखता है और व्यवधान उपस्थित होने पर दूसरा पक्ष भी सामने आता है, तो यह निश्चित है कि सदन कार्यवाही में अव्यवस्था पैदा होती है। यह बड़ा दुखद प्रकरण रहा। माननीय गुप्त जी स्वयं बड़े सहृदय व्यक्ति हैं। बातचीत के बाद, जो कुछ भी उस दिन सदन में हुआ, उसका स्वयं उन्हें भी दुख है, जिसका प्रकटीकरण बातचीत के दौरान हुआ। माननीय सदस्यों की भावना है, वह स्वयं बहुत ही विद्वान हैं और संसदीय परम्पराओं में निष्णात हैं। हम लोगों ने कार्यवाही के दौरान यह भी देखा और माननीय सदस्यों ने यह बात सही उठायी कि संशोधन प्रस्ताव मेरा भी था और यदि तकनीकी दृष्टि से देखा जाय तो आपने पास तो करा लिया लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखें तो क्या मेरे संशोधन प्रस्ताव के बाद सरकार को बने रहने का औचित्य है? इन्होंने "श्री राम" का नारा लगाया, मैंने अपने भाषण में "धर्मोन्माद" शब्द कहा था। आज मैं इस सदन में खड़े होकर समझ पा रहा हूं कि अगर संशोधन वापस न हुआ तो मेरा संशोधन बरकरार है। आपने मेरे संशोधन के साथ

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारे संशोधनों का स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि कानूनी तौर पर इस सरकार का सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। मगर यह भूल कही जायेगी। शुक्ल बन्धुओं ने रखा, प्रस्ताव और समर्थन। प्रस्ताव और समर्थन को मैंने भी पढ़ा था। मैंने समझा था कि प्रस्तावक और समर्थक बोलेंगे। सदन व्यवस्थित न होते हुए भी प्रस्ताव पढ़ लिया गया, एक ही लाइन में समर्थन कर दिया गया। अगर सरकार की तरफ से शुक्ल बन्धुओं ने अपनी बात विशद विवेचना के साथ रखी होती तो विपक्ष के लोगों को बहुत सी बातें रखने का अवसर मिलता। आपने उस अवसर से विपक्ष को वंचित कर दिया। विपक्ष के बहुत से नेतागण चाहते थे इस पर विचार करना लेकिन वह प्रक्रिया समाप्त हो गयी। मुझे भी दुख हुआ कि आपको आने में कठिनाई हुई, ऐसा नहीं होना चाहिये था।

किसी विशिष्ट समय पर तात्कालिक आवश्यकता के अनुरुप ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य मन्त्रणा समिति में पारित न हो पाने के बाद भी सदन में आ जाते हैं। कार्य मन्त्रणा समिति की बात आपने अगर सदन में रखी होती तो हम सबकी सहमति हो गयी होती, कार्यवाही का भाग बन जाता। कार्यमन्त्रणा समिति ने जो प्रस्ताव भेजा, उसके बाद हरिजनों की हत्या की घटना घटी। समिति को पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ। वह विषय तात्कालिक था, वह अचानक सामने आ गया, उस पर सम्पूर्ण विपक्ष एक हो गया और कार्यवाही को आगे बढ़ाना पड़ा। मैं समझता हूं कि अगर विपक्ष की ओर से कोई बात रखी गयी तो मेरा पूर्ण विश्वास था कि सत्ता पक्ष के लोग शान्त और दत्तचित्त होकर उसे सुनेंगे। मगर इधर से कुछ कहा गया और उधर से भी कुछ कहा गया। इसमें एक की ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी दोनों की बन रही है। इस जिम्मेदारी के बीच में उन्हें बरी नहीं किया जा सकता है। हम लोगों से ज्यादा भार उनका है, उनके कंधों पर सत्ता की जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर सारा उत्तरदायित्व है, उनको स्वयं व्यवस्थित होना चाहिये।

आपने आज देखा कि सदन का जब भी बहष्कार हुआ, जिसने भी सदन का त्याग किया उसमें हम सभी एक अभिमत थे, सबने इस काम में हिस्सा बटाया। हमने यह भी देखा कि उस दिन आपको सदन में व्यवधान पैदा हुआ। यद्यपि हम सबने मिल कर आप में श्रद्धा और विश्वास प्रकट किया है, आपको अपना अध्यक्ष मनोनीत किया है इसलिये आप हमारी सबकी श्रद्धा और विश्वास के पात्र हैं। विपक्ष का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं करना चाहता है, वह तात्कलिक बात थी जो कि इस तरह की बात हुई। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि वह सामयिक बात थी इसलिये उसको आप मन में न रखें, आपको आने का अवसर जरुर मिलना चाहिये। आपके प्रति हम लोगों का जो विश्वास है उसको हम लोग बनाये रखना चाहते हैं और यह जो प्रकरण है इसको अब समाप्त होना चाहिये।

हम लोगों को सजा के लिये कहा गया जिससे कि सदन चले। मैं सोचता हूं कि हमारी बात दो घण्टे पहले हो जानी चाहिये थी, इसमें थोड़ी देर लगी। हम चाहते हैं कि हम लोग एक-दूसरे का विश्वास प्राप्त करें, आपस में सामंजस्य का वातावरण बने, एक-दूसरे के दिलों के तार जुड़ें और यह होना चाहिये और जो होगा भी। मैं समझता हूं कि कुछ जल्दबाजी में सदस्यों को निलम्बित करने के कार्यवाही हुई। मेरी इस विषय में आपसे बातचीत भी हुई कि उसको आपने समाप्त कर दिया और यदि "निलम्बन" शब्द है भी तो हमारे माननीय सदस्य इस विचार के हैं कि वे विपक्ष में और उनकी जबान बन्द है वे नजरबन्द भी थे, यहां की सजा भी वे मान्य कर लेंगे और यदि ऐसी ही प्रक्रिया चलेगी तो फिर सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

जांच समिति की जो बात आपने कही है, इस संबंध में जो भी आपने कार्यवाही की है, मेरा निवेदन है कि इस पर आप पुनर्विचार कर लें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस पर पुनर्विचार कर लें, मेरी आपसे बात हुई थी कि माननीय सदस्यों का निलम्बन आपने समाप्त कर दिया है, सम्भवत: इस संबंध में आप सदस्यगण कोभी सूचित करेंगे। जो कमेटी के गठन के बारे में आपने कहा है उसमें एक शब्द "दुराचार" आया है। मैं इस शब्द के अर्थ में नहीं जाना चाहता, नहीं तो यह बहुत विशद व्याख्या हो जायेगी। जो कमेटी बनेगी उसके सदस्य माननीय सदस्यगण ही होंगे तो बराबर की हैसियत वाला व्यक्ति बराबर की हैसियत वाले व्यक्ति की क्या जांच करेगा? मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकरण की जांच आप स्वयं करें कि सदन किस प्रकार से चला है।

माननीय गुप्ता जी, जिनको स्वयं दुख है, उस दिन [x x x] वाली घटना पर वह स्वयं सक्षम हैं, जानकार हैं, उम्र में भी शायद मुझसे थोड़ा सीनियर ही होंगे। हमें उनके साथ काम करने का अवसर मिला है, मैं जानता हूं कि वे स्वयं अपनी ओर से इसमें कुछ करेंगे। आपको अपनी पीठ पर आना चाहिये और उस दिन इसमें जो व्यवधान हुआ उस पर मुझे दुख है। जो सदस्यों के निलम्बन की कार्यवाही है, इसको समाप्त करने के प्रकरण पर आप पुनः विचार कर लीजिये। पूरा विपक्ष चाहता है कि हमारी बात को आप सुनें। अगर उन्हें सत्ता में रहने का जनादेश मिला है तो हमको भी विपक्ष में रह कर विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाने का जनादेश मिला है। कुछ तो अपनी बात रखें और जब सुनवाई नहीं होगी, तो इस तरह की कार्यवाही होती रहेगी। आप माननीय सदस्यों को सुनने का कष्ट करें, विचार करें और हम लोगों को समय दें। मैं सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी का नेता हूं और नेता विरोधी दल भी हूं। हमारे दल के लोग बोलना चाहते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, बोल नहीं पाते हैं, आप उनको समय दें। मैं यह नहीं कहता कि आप दूसरे दल के लोगों कोसमय न दें, लेकिन आप मेरे दल का भी ध्यान रखें। आप कानून के ज्ञाता हैं, विधिवेत्ता हैं, अगर सत्ता पक्ष की ओर से 'जयश्रीराम' कहा जायेगा तो होसकता है कि कोई 'अल्लाह हो अकबर' का नारा लगाये, 'जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल', का नारा लगावे तो उसे आप कैसे रोक पायेंगे? तो मान्यवर, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें और जो भी आपकी व्यवस्था होगी वह मुझे शिरोधार्य होगी। मान्यवर, आप इस कार्यवाही को समाप्त कर सदन को चलायें।

(व्यवधान)

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है, इसलिये मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप इसको लम्बा न खींचिये।

श्री अध्यक्ष–

शुक्ला बन्धु बहुत देर से आग्रह कर रहे हैं।

*श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, विपक्ष में हमारे विद्वान साथी हैं, उनको नियमावली का बड़ा ज्ञान है और बार-बार नियमावली की दुहाई देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब उनके पक्ष की बात होती है, तो वह नियमावली की दुहाई देते हैं और जब उनके विपरीत बात बैठती है, तो नियमावली को ताक पर रख देते हैं, उस को भूल जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा था कि मैं देखूंगा, तो विपक्ष को कैसे पता लग गया, क्या देखेंगे? कैसे पता लग गया? जो नियमावली है, उसके अनुसार बात करें, विरोध करें, लेकिन उसी दिन सभी लोग यहां पर आ गये और सचिव को घेर लिया और सदन को चलने नहीं दिया। पूरे दिन वहां पर बैठे रहे, यह सदन की अवमानना है और आपकी अवमानना है। इसको इधर-उधर करके छोड़ा नहीं जा सकता है। सदन इस तरह से नहीं चलता है, अगर अपने ऊपर आवे तो आई गयी चली गयी, हो जाये।

(व्यवधान)

*श्री राम आसर वर्मा–

तो सदन श्री राम के नारों के साथ भी नहीं चलेगा।

श्री नरेश अग्रावाल–

ऐसे आरोपों के साथ सदन नहीं चलेगा।

(शोर होने पर)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही मे निकाल दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शांत रहें।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय नेता विरोधी दल बोल चुके हैं। इनके बोलने के बाद सत्ता पक्ष की ओर से किसी को अगर खड़ा कर दिया जाता है, तो यह अच्छी बात नहीं है, यह उचित नहीं लगता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। नेता विरोधी दल के बोलने के बाद वह बोलते तो अच्छा लगता, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह सही है कि आप किसी को भी बोलने के लिये निर्देशित कर सकते हैं। अगर मुख्य मंत्री जी किसी बात को कहते हैं, तो उस अध्याय को बन्द हुआ माना जाता है और उसी तरह से जब नेता विरोधी दल कोई बात कहते हैं और कोई उनका उत्तर देना चाहता है, तो उनके स्टेटस को भी देखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

शुक्ल जी को माननीय नेता विरोधी दल की बात का उत्तर देने के लिये नहीं कहा था। चूंकि वह मूल प्रस्तावक थे, इसलिये मैंने सोचा कि इधर की भी बात सुन लें और उधर की बात सुन लें।

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। माननीय नेता विरोधी दल के बोलने के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलना चाहिये। आपकी पीठ का एक मखौल किया गया है। माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के लिये व्यवस्था है कि जब वह बोलेंगे तो बीच में कोई और नहीं बोलेगा और उनके लिये समय की कोई सीमा नहीं होगी। तो जब एक प्रस्ताव रखा गया है तो उसका जवाब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने न देकर उधर से और लोग दें तो यह उचित नहीं है.....

श्री अध्यक्ष–

वह जवाब नहीं दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं

श्री नरेश अग्रवाल–

इसी पीठ से इस तरह से बुलाना मखौल होगा। मेरा आरोप गलत हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परम्परा मत पड़ने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शुक्ल जी आप बैठें आपकी सारी बातों का जवाब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी दे देंगे (व्यवधान)

*वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के विचार मैंने बड़े ध्यान से सुने। माननीय नेता विरोधी दल ने अपने पूरे भाषण के बाद अंत में एक अच्छी बात कही, एक निचोड़ के रूप में कहा कि हमें नये सिरे से नया अध्याय शुरू करना चाहिये। कुछ बातें मेरे बारे में भी कही

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और यह भी कहा कि मैं संसदीय परम्परा की जानकारी रखता हूं, मुझे प्रसन्नता है लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी हैरत होती है, मैं आज इधर बैठा हूं, मुझे उधर बैठने का मौका बहुत दिनों तक मिला। उधर के बहुत से माननीय सदस्यों से सीखने और उनके साथ बैठने का मौका मिला है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह का वातावरण मैंने कभी पहले नहीं देखा। बड़े-बड़े उत्तेजनात्मक मौके आये, खोपड़ियां भी टूटी, माइक तोड़ कर फेंके गये, जूते-चप्पल भी फेंके गये लेकिन जिस तरह का वातावरण इस बार यहां पैदा किया गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ। (व्यवधान) इसमें सुन लीजिये कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है मैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता हूं। मैं सत्तापक्ष का हूं और संसदीय कार्य मंत्री हूं सदन ठीक से चले इसके लिये मेरी भी जिम्मेदारी है। जैसे परिवार का मुखिया होता है मैं भी उसका एक सदस्य हूं। मैं बहुत से माननीय सदस्यों से छोटा हूं। अनुभव भी उनसे कम होगा लेकिन जिस पद पर बैठा हूं उसकी जिम्मेदारी मुझे निभानी है। (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

संसदीय कार्य मंत्री हैं संसदीय रूप मे कहनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो क्या यही संसदीय व्यवस्था है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी की बात समाप्त हो जाने दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं उनकी बात सुनने के लिये तैयार हूं। (व्यवधान) मान्यवर, अगर कोई योजना ही बनाये हुये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिससे ठेस लगे। माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही हमें एक नया अध्याय आरंभ करना चाहिये मैं उनकी इस बात से सहमत हूं इसी समय से ही सही। कहा गया है फारगेट एण्ड फारगिव। इस सदन की एक महान परम्परा रही है। मेरा नाम लिया गया मैं विवाद मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता हूं। माननीय राम आसरे वर्मा जी ने एक बात ऐसी कही जिसमें मेरे लिये बुज दिल शब्द का प्रयोग किया गया। उस घटना की जानकारी उन्हें होगी, क्योंकि उसका उन्होंने उल्लेख किया। मेरे संबंधी के साथ जैसा क्रूरतम व्यवहार हुआ था जिसको सुनकर मेरे मन की भावनायें उद्वेलित होना स्वाभाविक है। कार्यवाही क्या हुई? यह कहा गया। तो मैंने कहा था कि क्या हुई? अगर बताऊंगा तो सरकार में यह लोग कि कार्यवाही को पूरी पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, कार्यवाही में बाद में सरकार लिखा हुआ है। वाद-विवाद हुआ। लेकिन तत्काल मैं खड़ा हुआ और कहने वाला था कि सरकार के लिये मैंने कहा है। लेकिन इससे माननीय सदस्यों को ठेस पहुंची है तो उसका मुझे दुख है। नेताओं की बैठक में भी मैंने कहा था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आयी कि दुबारा जब यहां इकट्ठा हुए तो हमारी गलती थी तो उसका उत्तर हम दे पाते तो देते वरना प्रेस में जाता और अखबार में छपता जिससे जनता के सामने हम नंगा होते। लेकिन इसको मैं नजरंदाज करता हूं।

मान्यवर, कल भी हुआ कि मैं उत्तर देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया। जो कार्यवाही हुई वह असंगत है, सरकार वैधानिक नहीं है, कहा गया। मान्यवर, नियम 299 देख लें हमारा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, नियम 299 के बाद आगे भी क्लाज हैं। यदि मा० अध्यक्ष नियम 299 के बाद यह अनुभव करते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, उसका मतलब है कि अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव हो गया. तो उस समय अध्यक्ष आदरणीय सदन को समर्पित कर दें। अन्यथा प्रस्ताव करते हैं कि वे इंगित करेंगे और तब निलम्बन की कार्यवाही होती। मान्यवर, हमतक मामला आया नहीं और न नेता सदन का प्रस्ताव था। वह तो शांति व्यवस्था का [illegible] करने का आपको अधिकार है जिसके तहत आपने कार्यवाही किया। उसमें जिम्मेदारी आप पर होगी, हम पर नहीं। लेकिन इन सभी बातों को छोड़कर नेता विरोधी दल की बात को हम लें और नये सिरे से बात शुरु करें।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल को किंचित आशंका है कि कार्यवाही नियमित नहीं है। नियम यह है कि यदि नेता विरोधी दल का प्रस्ताव लगा है तो उसके बाद ही दूसरे नेताओं के प्रस्ताव लगेंगे, नेता विरोधी दल का प्रस्ताव सबसे ऊपर होगा। जब नेता विरोधी दल का प्रस्ताव प्रस्तुत हो जायेगा तो अन्य नेताओं के प्रस्ताव प्रस्तुत मान लिये जांय, यह परिपाटी है। श्री राम गोविन्द चौधरी उस पर हैं। लेकिन जो नं० 1 पर आ जायेगा उसके नीचे दूसरों के प्रस्ताव जुड़ जायेंगे। इसलिये सभी के प्रस्ताव मान लिये गये। शोरगुल में धन्यवाद का प्रस्ताव पास हो गया। मान्यवर, यह पहली बार नहीं हुआ बल्कि इसके पहले भी 1987 में भी ऐसा ही हुआ था लेकिन यह अच्छा नहीं है। किन्तु यह परिपाटी रही है कि ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव पास करते हैं। मान्यवर, हमारी कोई गलती है या सत्ता पक्ष से या विरोध पक्ष से तो उसको देखने का सभी को पूरा-पूरा अधिकार है और उससे हम भी सहयोग पूरा-पूरा देंगे। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। चुनाव लड़कर हम लोग आये हैं। लेकिन यह सदन विचार अभिव्यक्ति का स्थान है प्रदर्शन का स्थान नहीं है। आप सहमत हो या नहीं लेकिन नियमों को देखें तो ऐसा नियम नहीं है कि हम कड़ी-से-कड़ी बात को भी नियमों के अंतर्गत यहां न उठा सकें।

इसलिये मैं मान्यवर चाहता हूं कि इस प्रकरण को अब यहीं समाप्त किया जाये और हमारा, सत्ता पक्ष का, आपके साथ पूरा सहयोग है और नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं और कल जो कार्यवाही हुई जिसके कारण आपने संयुक्त समिति गठित किया है वह समिति विखंडित की जाये चूंकि आदरणीय सदन के प्रस्ताव से समिति बनी है, इसलिये आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें जिसे सर्वसम्मति से पास किया जाये।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

हम आप सब मिलकर ऐसी परिपाटी, ऐसी परम्परा कायम करें, जिससे इस आदरणीय सदन की जो गरिमा रही है, वह अक्षुण्य बनी रह सके। उससे प्रदेश,देश और प्रजातन्त्र का विकास होगा। यदि हममें आपस में कहीं कोई किंचित मतभेद होता है तो सदन के बाद बैठकर परस्पर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हम उसे तय कर लिया करें और सदन का समय जाया न किया करें, जोकि कोई अच्छी बात नहीं है। मैं फिर आप सबसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं चाहे जिसकी चूक हुई हो आप मिल बैठकर, शान्तिमय वातावरण में उसे सुलझा लिया करें, जिससे कि कभी कोई अशोभनीय स्थिति न उत्पन्न होने पाए। हम फिर आपसे अपील करते हैं कि जो हुआ सो हुआ अब उसके बाद हम लोग एक नए अध्याय, नई परिपाटी का शुभारम्भ करें और वातावरण को नियमित करने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरा भाषण दे दिया, और उस भाषण में जो पिछले दिन घटना यहां पर घटी–जिन कारणों से घटी उन कारणों पर उन्होंने कोई खेद तो प्रकट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि माननीय नेता विरोधी दल का भाषण और पूरे विपक्ष के भाषण में संशोधन प्रस्तुत किये हुए मान लिए गए, उसके आगे की बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देते, तो आगे की कार्यवाही...(व्यवधान)।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि निलम्बन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर माननीय नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री का आया ही नहीं, तो उन्होंने प्रस्ताव किया ही नहीं, फिर निलम्बन की कार्यवाही बिलकुल नियम विरुद्ध है। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें.....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी प्रकरण यदि दुखद है तो उसकी पुनरावृत्ति सुखद नहीं हो सकती। बड़ा छोटा सा मुद्दा था सदन को यह और हम सबकी आशा थी कि शान्तिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से यह सदन चले....(व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण करें। किसी कारण से कुछ दिन व्यवस्थित सदन चला, कुछ दिन कुछ समय चला और कुछ दिन बिलकुल नहीं चल पाया। यह सदन विचार अभिव्यक्ति का बड़ा सशक्त माध्यम है और शासन के ऊपर जितने तीखे प्रहार हो सकते हैं, वह इसी सदन में किये जाते हैं। तभी उसकी गम्भीरता भी सदन के बाहर के लोग अच्छी प्रकार से समझते हैं। इसलिए शुरू से मेरा यह प्रयास रहा कि मैं लोगों को अपनी-अपनी बात कहने का अधिकतम अवसर दूं, दे सकूं। फिर भी कुछ घटनाएं हो गई। मैं यह भी प्रयास कर रहा हूं कि असंसदीय शब्द तो दूर की बात है, जो शब्द असंसदीय तो न हों, लेकिन खटकने वाले हों, तो वह सदन की कार्यवाही का अंग न हों। क्योंकि जब इसकी कार्यवाही छपेगी तो वह वर्तमान के लिए तो होगी ही, भविष्य के लिए भी होगी। वह उससे क्या शिक्षा लेंगे, यह इस पर निर्भर करेगा कि हम उसमें क्या छोड़ जाते हैं, क्या परम्पराएं बना जाते हैं। मैं बिना किसी का नाम लिये हुए बिना किसी दल का नाम लिए हुए कहना चाहता हूं कि कुछ परम्पराएं पिछले वर्षों में विकसित हुई हैं, जो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के लिए मुझे तो शोभनीय या स्वस्थ्य नहीं लगतीं। फिर भी मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो स्वस्थ्य परम्पराएं हैं उनका हम अवश्य परिपालन करें। खराब परम्पराएं जो अभी जड़ नहीं पकड़ पाई हैं उनको अपने से दूर कर दें। इसी कड़ी में सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करते हुए अपना कार्यभार ग्रहण किया था कि ज्ञान और मार्गदर्शन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। आप सब ने मेरा बहुत सम्मान किया। मुझे विद्वान कहा। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि दुनिया में सारी बातों का ज्ञान मुझे हैं। आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। अभी पिछले शुक्रवार को जो घटना घटी, एक गलत परम्परा, जिसकी बुनियाद डालने की कोशिश की गयी अनजाने में, बिना किसी मंतव्य के। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं अध्यक्ष हूं, कल कोई दूसरा होगा। लेकिन अध्यक्ष आप हम में से कोई इसी सदन के सदस्यों में से होगा। उसको पीठ पर आने दें। मैंने आज माननीय नेता विरोधी दल से यह निवेदन किया था कि इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। मुझे प्रसन्नता हुई उन्होंने आश्वासन दिया कि अध्यक्ष पीठ तक आने में कोई व्यवधान नहीं होगा। सदन में अपने-अपने विचार व्यक्त करने के अलग-अलग तरीके हैं। अब यह सत्र समाप्त होने वाला है। मैं चाहता हूं कि यह प्रकरण यहीं समाप्त हो जाय। अगले सत्र में हम फिर साथ-साथ होंगें। हमारे पास अनेकों समस्याएं होंगी, जिनके निराकरण के लिये हमें रास्ता निकालना होगा। श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने सदस्यों के निलम्बन की बात कही। मैंने निलम्बन ''शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया था। नियम-299(1) में निलम्बन की बात ही नहीं है। उसमें उल्लेख है कि अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो तो वह उस सदस्य को बाहर जाने के लिये कह देंगे। वह सदस्य उस दिन के उपवेशन के अवशेष समय के लिये अनुपस्थित समझा जायेगा। मेरे मन के अन्दर किसी को दण्डित करने की बात नहीं थी। दण्ड की बात आई तो मैंने कहा दण्ड नहीं है केवल अनुपस्थित करने की बात है। निलम्बन करने की बात तो 299 के उप नियम-(2) में है। नाम लेने पर भी कोई सदस्य बाहर नहीं होता है तो इंगित किया जाता है और फिर प्रस्ताव होने के बाद जो आगे 299(3)(ख) में प्रक्रिया है, उसके हिसाब से होता है। मैंने कहा कि मैं उस सीमा तक नहीं जाना चाहता। आप सब अपने साथी हैं। किसी कारण भावावेश, उत्तेजना में यह बात हो गई। मैंने 299(1) का सहारा लिया। मेरे आदेश को न मानते हुए कुछ माननीय सदस्य रह गये तो मेरे सामने दो उपाय थे। कार्यसूची का कार्य आगे बढ़ाना या इंगित करना। इंगित करना एक दुखःद प्रकरण होगा। इसलिये जो विधायी कार्य महत्वपूर्ण थे उन्हें स्थगित कर दिया 3-14 तक सदन के पटल पर रखने के थे। एक प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की सहमति से पारित हुआ। इस तरह सदन की कार्यवाही हुई। माननीय लाल जी वर्मा ने कहा कि आपाधापी में कार्य सम्पादित हुआ। जो हो गया सो हो गया उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। हम सब इस सदन में एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखने के लिये बैठे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता कांग्रेस का भाषण होता, समाजवादी दल का भाषण होता, बहुजन समाजवादी पार्टी का भाषण होता ऐसा सोचा था किन्तु दुख है कि हम उनके विचार सुनने से रह गये। हम सब को प्रयास करना है कि जो हो गया, वह अब न

हो। एक बात और कहूंगा नारे बाजी से संबंधित। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब हम सब यहां पर थे तो मैंने कहा था कि इस तरह के नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। नारेबाजी को हम चीत्कार की संज्ञा दे सकते हैं। सदस्यों द्वारा माननीय जो नियम हैं उनके नियम 286 के उप नियम 8 में कहा गया है कि एक सदस्य बोलते रहेंगे, तो दूसरे सदस्य शान्त रहेंगे। आज इतनी सुन्दर कार्यवाही चली, मुझे आशा है आगे भी ऐसे ही सुन्दर वातावारण में कार्यवाही चलेगी। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री का सुझाव आया है। मैं दो बातें रखना चाहता हूं कि पारित किया गया प्रस्ताव भी सम्मानित सदस्य वापस ले सकते हैं ऐसी मुझे जानकारी हुई है। अगर वापस ले सकते हैं तो ठीक है मैं औपचारिकता में नहीं जाता, मैं प्रस्ताव रखता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यव, मैं पढ़े देता हूं। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 12 अगस्त 1991 को माननीय सदस्य श्री रामकुमार शुक्ल के स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में सदन की जो समिति गठित की गई थी वह समाप्त की जाए।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है और जिसका समर्थन माननीय नेता विरोधी दल ने किया है, प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

जो समिति दिनांक 12 अगस्त, 1991 को गठित की गई थी वह निरस्त की जाती है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष–

मुझे बोल लेने दें। माननीय सदस्यों के आचरण के बारे में जो समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गयाथा उसको निरस्त कर दिया गया है। जहां तक 13 माननीय सदस्यों से संबंधित यह प्रश्न था, शेष समय के लिए उन्हें अनुपस्थित माना गया था। यह किसी प्रकार का दंड नहीं है। बिना किसी दुर्भावना के, सभी माननीय सदस्य हमारे कार्य को सम्पादित कराने में सहयोग देंगे।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

नरेश चन्द्र जी एक सूचना 10 बजकर दो मिनट पर प्राप्त हुई थी।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, प्रदेश में संवैधानिक संकट आ गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप जिद न करें। जितनी लिखित सूचना आ गई हैं उनको मैं प्राथमिकता दिए देता हूं उसके बाद आपकी सूचना सुन लूंगा। नियम 300 की जो सूचना हैं उनको निरस्त करता हूं।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, दिनांक 2 अगस्त को इस माननीय सदन में भूतपूर्व मंत्री जी श्री आजम खां को, जब वह बार-बार बोलने के लिए आज्ञा मांग रहे थे संभवत: आपका ध्यान आकर्षित नहीं हो सका और उनको आज्ञा नहीं मिली। बार-बार वह खड़े हो रहे थे। अन्त में इन्होंने कहा कि मान्यवर एक मुसलमान सदस्य को भी सुन लीजिए। यह उनकी मजबूरी थी लेकिन इसी बीच में सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने जब-जब माननीय आजम खां बोलने के लिए खड़े हुए, तो वह हंगामा खड़ा करते रहे। जैसे उनके खड़े होने पर इनको एलर्जी है। मान्यवर, अन्त में आजम खां बैल में आकर खड़े हो गये। आपका ध्यान आकर्षित हुआ, काफी देर तक मान्यवर सदन की कार्यवाही बाधित हुई यह नियमावली के विरुद्ध है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आप संविधान को देखें। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। एक वर्ग विशेष के सदस्य जो पुराने सदस्य हैं, भूतपूर्व मंत्री रहे हैं, वह बार-बार सदन में खड़े हों और कुछ बोलना चाहें और उनको बोलने की आज्ञा न मिल रही हो तो मैं आपके ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन इतना जरुर कहना चाहता हूं कि पितामह भीष्म जिन्होंने कौरवों का अन्न ग्रहण किया था तो वह उनके प्रभाव में आ गये थे, आप भी.....

(शोर एवं व्यवधान)

मान्यवर, यह लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, मैं इनको कौरव नहीं कह रहा हूं। जब यह इस सदन में बोलने नहीं दे रहे हैं तो यह बाहर क्या बोलने देंगे? मान्यवर, एक माननीय सदस्य बार-बार आपकी आज्ञा मांग रहे थे और आपका ध्यान आकर्षित भी हुआ था। लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। इससे संविधान का उल्लंघन हुआ है क्योंकि एक धर्म निरपेक्ष के सिद्धांत से संचालित सदन में अल्पसंख्यक वर्ग के एक वरिष्ठ सदस्य को बोलने की आज्ञा न दी जाय यह उचित नहीं है। मेरा निश्चित मत है कि यह सांप्रदायिक लोग हैं.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष

आप आरोप नहीं लगायेंगे।

एक मा० सदस्य–

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। यह अपने शब्द वापस लें। (शोर)

(इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय की आवाजें।)

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, यह मस्जिद तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। हमारे दल के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी ने कहा था कि अगर मस्जिद पर फावड़ा चलेगा तो पहला फावड़ा हमारे सर पर चलेगा.....

(शोर एवं व्यवधान)

मैं मस्जिद तोड़ने वालों से कहना चाहता हूं कि यदि मस्जिद तोड़ने की साजिशें करेंगे तो हमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष लोग उस साजिश का मुकाबला करेंगे, अपने प्राणों की आहुति देंगे। मंदिर बनाने से हमारा विरोध नहीं है। (शोर) पर इन्हें मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे।

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, अगर यह साम्प्रदायिक न होते तो यह लोग हंगामा न करते।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया है। आप लोग बीच में व्यवधान न करें।

एक मा० सदस्य–

साम्प्रदायिक को साम्प्रदायिक न कहा जायेगा तो और क्या कहा जायेगा।

लघु उद्योग राज्यमंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य का पूरा वक्तव्य कार्यवाही से निकाल दें।

(शोर)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, ये बार-बार साम्प्रदायिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दें या ये अपने शब्द वापस लें...(घोर व्यवधान)

सदन-संचालन के सम्बन्ध में अधिष्ठाता के निर्देश

श्री अधिष्ठाता–

(घोर व्यवधान के मध्य)....जब स्पीकर खड़ा होता है तो माननीय सदस्य बैठ जाते हैं। अभी कुछ देर पहले माननीय अध्यक्ष ने कितने सुन्दर विचार व्यक्त किये थे कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिये मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिये। आपने स्वीकार किया। अब उनके निवेदन को छोड़कर फिर शोरगुल करने लगे। यह निहायत गैर मुनासिब बात है और संसदीय मर्यादाओं और नियमों के अनुकूल नहीं है। यह कितना मुनासिब है कि पीठासीन अधिकारी की व्यवस्था के विपरीत सत्ता पक्ष या विपक्ष बलात अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मनचाहे ढंग से हल्ला करता है? हम आपसे निवेदन करते हैं कि व्यवस्था को सुचारु रूप से चलने दें। जो आपकी बात है, सुनी जायेगी, जवाब दिया जायेगा और व्यवस्था कायम की जायेगी। व्यवस्था को ठीक से चलने दें, तभी संसदीय मर्यादाऐं और सदन की परम्परा कायम रह पाएगी...(घोर व्यवधान)...मुझे कुछ पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा? मेरे आने से पहले माननीय अध्यक्ष जी उनको बुला रहे थे और ये अपनी बात कह रहे थे। क्या सही है और क्या नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना, इन्होंने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं पता। आप अपने अधिकारों का अनुचित उपयोग करें, यह अच्छी बात नहीं है। आप हर बार खड़े हो जाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। जब माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं। आपका खड़ा होना कतई मुनासिब नहीं है। इसको गांव की पंचायत न बनाएं। यह सदन है, विधान सभा है, इसकी व्यवस्था को बनाए रखें तब तो क्रम चलेगा, अन्यथा नहीं चल सकेगा।

धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर किसी सदस्य द्वारा बोलने की अनुमति मांगे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

किसी भी बात में पीठ से व्यवस्था का प्रश्न कोई भी व्यक्ति उठा सकता है।

(व्यवधान के मध्य)

आप पहले प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली को पढ़िये। पहले कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाता है, तो आप उसको पहले सुन लीजिए।

(व्यवधान)

*श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य एक ऐसे सदस्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसने सदन में यह कह कर सदन में बोलने की अनुमति मांगी कि वह मुसलमान सदस्य है, इसलिए उसे सुन लिया जाय। इस पर माननीय पीठ ने व्यवस्था दी कि किसी को भी किसी धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मान्यवर, जब पीठ ने इस पर व्यवस्था दे दी, तो फिर इसके बाद इस संबंध में कोई भी चर्चा सदन के अन्दर नहीं हो सकती। मान्यवर, यह सदन की मर्यादा है। मान्यवर, आपके आने के पूर्व और माननीय अध्यक्ष के जाने के बीच में माननीय ने साम्प्रदायिक बात कह कर सत्ता पक्ष की ओर इशारा किया, जबकि वह साम्प्रदायिकता की ही बकालत कर रहे हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि यह साम्प्रदायिक शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मान्यवर, जब पीठ ने एक बार निर्णय दे दिया, तो क्या दुबारा उस पर चर्चा हो सकती है?

श्री अधिष्ठाता–

नहीं हो सकती है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया यह साम्प्रदायिक शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

यह ठीक है, इसमें पीठासीन अधिकारी ने अगर कोई व्यवस्था दे दी है, तो उस पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस सदन में आपसे ज्यादा सदन को चलाने में किसी को भी अनुभव नहीं है। आप उपाध्यक्ष रहे हैं। आपके इस पीठ पर आसीन होने से पहले माननीय अध्यक्ष जी सदन का संचालन कर रहे थे। नियम 300 पर वह ग्राह्यता पर सुन रहे थे। तो श्रीमन् उसमें कौन सा व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित हो गया कि उसमें निर्णय हो चुका है। इस तहर के आरोप लगते रहते हैं कि यह सरकार अल्प संख्यक विरोधी, है, हरिजन विरोधी है, किसान विरोधी है। यह कोई असंसदीय बात नहीं है। इस तरह के लोक सभा की कार्यवाही में और विधान सभा की कार्यवाही में संदर्भ मिल सकते हैं। यह कोई असंसदीय नहीं है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न और है।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैंने व्यवस्था की अपेक्षा माननीय पीठ से की थी, माननीय पीठ ने व्यवस्था दे दी, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा बिना व्यवस्था का प्रश्न उठाये किस आधार पर बोलने लगे?

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री का मैं ध्यान आकर्षित करुंगा। माननीय सदस्य को किसी भी विषय पर एक बार बोलने का अधिकार है। आपका यह कतई अधिकार नहीं है कि आप एक ही विषय पर बार-बार उठ कर खड़े होकर बार-बार रिपीटीशन करें, यह संसदीय परम्परा नहीं है।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

माननीय अधिष्ठाता जी, गुफ्ता भी बहुत परेशान है।

श्री अधिष्ठाता—

आप क्यों खड़े होकर बोलने लगे?

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री श्याम नारायण—

मान्यवर, नियमों के अन्तर्गत मैंने नियम 300 का प्रश्न उठाया है, जिसकी इजाजत आपने दी है। मान्यवर, माननीय सदस्य श्री आजम खा के द्वारा बार-बार आज्ञा मांगने पर उनको बोलने का अवसर नहीं मिला और हंगामा भी होता रहा उसके बाद उनको जब अवसर नहीं मिला तो मजबूर होकर उनको विवश होकर कहना पड़ा कि एक मुसलमान सदस्य को भी सुन लीजिए। अगर माननीय सदस्य इस पर ध्यान दिये होते तो यह नहीं कहते कि वह मुसलमान कहकर अपना समय ले रहे थे। मान्यवर, वह समय मांग रहे थे और उनको समय नहीं दिया जा रहा था।

(शोर)

मान्यवर, यह बोलने नहीं देगें। मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया कि इनको माननीय सदस्य आजम खां को देखते ही एलर्जी पैदा हो जाती है और एलर्जी किस बात की, यह लोग साम्प्रदायिक है यह किसी अल्पसंख्यक आदमी को सुनना नहीं चाहते हैं इसलिए मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपकी नोटिस मेरे सामने है किसी भी विषय पर अनिश्चित समय तक बोलना उचित नहीं लगता, हमेशा एक मिनट में कोई बात कही जाती है। वैसे इस तरह का भेदभाव पैदा करना और इस ओर बार-बार आपका पीठासीन का ध्यान आकृष्ट करना "साम्प्रदायिक हैं उन्हें सुन लीजिए, यह उचित नहीं है। इस तरह का भेदभाव पैदा करना उचित नहीं है। आपकी नोटिस उचित नहीं प्रतीत होती। (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल—

मान्यवर, नियम 300 के औचित्य की मैंने सूचना दी थी।

श्री अधिष्ठाता—

आप बीच में क्यो खड़े हो रहे हैं दूसरी बार हरिचरण श्रीवास्तव का है।

श्री श्याम नारायण—

मान्यवर, यह ग्राह्य इसलिए है कि यह आपके संज्ञान में है, यह नियम विरुद्ध है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने इसे स्वीकार नहीं किया।

श्री नरेश अग्रवाल—

मान्यवर, आप तो नियमो के ज्ञाता हैं और मैं नियम की ही बात कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

नियमों के ज्ञाता हमें बताने की जरूरत नहीं है हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियम यह है कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं मैंने अपनी व्यवस्था का प्रश्न उठाया है आप उसको सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

जब कोई विषय नहीं है तो व्यवस्था किस बात की उठा रहे हैं आप सदन की कार्यवाही के बारे में उठा रहे हैं या और किसी बारे में उठा रहें हैं?

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने जिस नियम में अपनी सूचना दी अध्यक्ष जी के कार्यालय में वह सूचना नियमों से नहीं ग्राह्य की गयी। मैंने आज 300 के अन्तर्गत एक सूचना दी औचित्य के प्रश्न की। माननीय सचिव ने इस बात पर मेरी सूचना नहीं ली कि वह सूचना 10 बजकर 7 मिनट पर प्राप्त हुई। मान्यवर आप नियम 300 देख लें इसमें स्पष्ट है कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए कोई समय नहीं निश्चित है। उपवेशन शुरू होने के पहले एक घण्टा पूर्व देना चाहिए। और हम अपना जो भी औचित्य का प्रश्न उठायें उसकी सूचना हमको एक घंटा पूर्व देनी होगी। नियम 56 में और नियम 311 में तो स्पष्ट है कि उपवेशन शुरू होने के एक घंटा पूर्व में अपनी सूचना देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मुझे इत्तिला यह मिली है कि आपकी नोटिस समय से प्राप्त नहीं हुई। इसलिय यह आपका इसमें नहीं आया है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर [x x x] नियम 300 में कहीं समय सीमा नहीं बंधी है कि इतनी देर पहले देना है। मान्यवर आप मुझे सुन लीजिये आप सुन लेंगे तो मेरी सूचना ग्राह्य हो जायेगी। 300 में बिल्कुल स्पष्ट है कोई समय नहीं है जबकि नियम 56 में है एक घंटा पहले का समय निश्चित है। 10 बजकर 7 मिनट पर सूचना मेरी प्राप्त हो गयी। यह कहीं नहीं है कि इस समय तक देंगे, समय सीमा निर्धारित नहीं है। मान्यवर, आपको नियमों से पूर्ण रूप से अवगत नहीं कराया गया। अब उसी चीज को लेकर श्रीमन् मैं खड़ा हूं मेरा औचित्य का प्रश्न बनता है। मान्यवर इस प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है गंभीर मुद्दे पर मुझे सुन नहीं रहे हैं आप, सुन नहीं रहे हैं इस बात पर, कार्यालय की गलती से आपको नियम ढंग से नहीं बताये गये तो यह मेरी गलती नहीं है। मुझे अपनी बात कहने के लिये समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

आपका नोटिस औचित्य के प्रश्न का नहीं है, मेरी कोई जानकारी में नहीं है, आफिस में मिला नहीं, माननीय अध्यक्ष जी आयें तो उनसे बात करें, मेरे सामने नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे अधिकारों का हनन होगा अगर मुझे नहीं सुनेंगे नियमावली में नियम दिये गये हैं पीठ का कर्तव्य है कि मुझे मेरे अधिकारों पर संरक्षण दें। मुझे इसकी ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नरेश जी ग्राह्यता का प्रश्न नहीं है बाकी तमाम सारी कार्यवाही महत्वपूर्ण है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, संवैधानिक संकट है, अध्यक्ष जी निर्देश दे गये हैं कि माननीय तिवारी (श्री श्याम नारायण) जी के बाद आपको सुनेंगे अध्यक्ष जी का यह निर्देश था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

आपके उस प्रसंग से उस नोटिस से माननीय अध्यक्ष जी ज्यादा जानकारी रखते हैं मुझे जानकारी नहीं है सदन व्यवस्थित रखना है कार्यवाही को सुचारु रूप से जिसे संचालित करना है जो भी हमारे सामने नोटिस है उसी पर विचार कर सकेंगें इसके अतिरिक्त नहीं।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप अधिष्ठाता मंडल के सदस्य के नाते मान्यवर उस कुर्सी पर हैं उस पीठ पर हैं मैं आपको अध्यक्ष की हैसियत से देख रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अपनी असमर्थता बता रहा हूं आपके सामने। मेरी जानकारी में नहीं हैं कुछ, मेरे सामने जो नोटिस हैं वह जिसकी भी हैं वही देखकर कार्यवाही चला रहा हूं। माननीय अध्यक्ष की संज्ञान में है उन्होंने कुछ कहा है तो उनके सामने रखिये।

श्री नरेश अग्रवाल–

अध्यक्ष जी निर्देश दे गये कि माननीय सदस्य के बाद आपको सुन लेंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप अनावश्यक समय न लें। माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें।

*श्री शिव कुमार बेरिया–

माननीय अधिष्ठाता जी यह सदन और हम सभी लोग संवैधानिक परम्पराओं और नियमों से बंधे हुए हैं। जब कहीं पर भी संवैधानिक परम्पराओं का उल्लंघन होता है वहीं पर हम नियम 300 के अंतर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप मे प्रश्न उठाते हैं। मेरा यह जो सवाल है उसमें है कि श्री रमेश चन्द्र पाण्डे कार्यालय मंत्री भा०ज०पा० डुमरियागंज ने दिनांक 2-8-91 को एक पत्र जारी किया। जिसमें लिखा कि माननीय विधायक जी, श्री जिप्पी तिवारी ने विकास खण्ड डुमरियागंज के प्रांगण में दिनांक 11-8-91 को दिन में 12 बजे निर्वाचन क्षेत्र डुमरियागंज के समस्त विभागों के अधिकारियों की बैठक करना चाहा है। मुझे निम्नलिखित अधिकारियों से निवेदन करना है कि दिनांक 11-8-91 को दिन में 12 बजे विकास खण्ड डुमरियागंज के प्रांगण में पहुंच कर बैठक में भाग लेने का कष्ट करें। यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय विधायक श्री जिप्पी तिवारी सत्ता पक्ष के हैं। तो माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से यह सवाल उठाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो विधायक होता है, उसका पद विधायिका का होता है. वह संवैधानिक पद होता है। मीटिंग बुलाने का दायित्व सरकार का और सरकारी अधिकारियों का होता है। वह मीटिंग बुला सकते हैं लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी.....

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय इस सदन मे सम्बन्धित हैं या नहीं।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, यह इससे सम्बन्धित है। मान्यवर, तो फिर यह अधिकार दिये जायें कि सभी पार्टी कार्यालय के जो मंत्री हैं वह अपने-अपने क्षेत्रों में सारे अधिकारियों की बैठक बुलायें और उसकी कार्यवाही कार्यालय के जो मंत्री हैं वह अपने-अपने शहरों, अपने-अपने क्षेत्रों में सारे अधिकारियों की बैठक बुलाये और उसकी कार्यवाही के लिए निर्देशित करें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय से हटकर है अतः नियमों में नहीं आता। मैं इसे निरस्त करता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्रतियां) †

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं मद संख्या-3 लेता हूं।

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-1 (वाणिज्यिक) †

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार, को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदान संख्या-2 (वाणिज्यिक)†

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार, को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 1991 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (सन्देह) निवारण और वैधीकरण) विधेयक, 1991

सचिव विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश **विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली**, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (सन्देह निवारण और वैधीकरण) विधेयक, 1991, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधित के दिनांक 13 अगस्त, 1991 को वापस प्राप्त हो गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा का कार्यमंत्रण सामति ने अपनी दिनांक 12 अगस्त, 1991 की बैठक में सदन के दिनांक 13 अगस्त, 1991 के उपवेशन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन के सभी सदस्यों की सहमति से निम्नलिखित सिफारिशें पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री अधिष्ठाता–

[1—सदन के दिनांक 13 अगस्त, 1991 के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय:–

13 अगस्त, 1991, मंगलवार–

(1) निम्नलिखित विधायी कार्य:–

(क) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1991 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

(ख) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

(ग) उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन विधेयक, 1991) पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

(घ) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

(ड़) उत्तर प्रदेश विद्युतीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा:–

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मऊ में त्वरित विकास के लिए वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय।"

(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा:—

"यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया मऊ आजमगढ़, देवरिया बस्ती, गोरखपुर गाजीपुर, वाराणसी मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर जनपदों को मिलाकर "पूर्वांचल" नाम से एक पृथक प्रदेश गठित किया जाय।"

(4) प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अखिलेश सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा नियम 52 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर एक घंटे की चर्चा।

2—दिनांक 13 अगस्त, 1991 को असरकारी कार्य न लिया जाय]

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री शिव बहादुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि माननीय गन्ना विकास राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ)

रूड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राज नाथ सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रूड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में सदस्यता के लिये रूड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) की श्रेणी 3 की मद संख्या (11) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें।"

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में मदस्यता के लिए रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) की श्रेणी-3 की मद संख्या (11) के अनुसार विधान सभा के चार मदस्यों का निर्वाचन करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री शिव बहादुर)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के प्रवन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अनुसार विधान सभा दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधान सभा की विभिन्न समितियों में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, अभी तक इस आदरणीय सदन में पिछले कुछ वर्षों से परिपाटी रही है कि बजाय चुनाव कराने के माननीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाता है कि वह माननीय सदस्यों को नामित कर दें। पहलें भी ऐसी घोषणायें हुई हैं। इन सब प्रस्तावों को मिलाकर एक समेकित प्रस्ताव रखना चाहता हूं। यदि अनुमति हो तो पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता–

अनुमति है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा प्रस्ताव यह है कि आज कुछ समितियों में माननीय सदस्यों के निर्वाचन के मामले सामने आये हैं पहले भी आ चुके हैं, उसके लिये माननीय अध्यक्ष को अधिकृत करते हैं कि वह उन समितियों में माननीय सदस्यों को नामित कर दें।

इसके लिये औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

यदि सदन सहमत हो तो औपचारिक प्रस्ताव को पढ़ा हुआ माना जाय?

(सदन की सहमति से औपचारिक प्रस्ताव पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मैं प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, रुहेल खण्ड विश्वविद्यालय, बुन्देल खण्ड विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की सभाओं में कार्य करने के लिये पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन, नरेन्द देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन तथा रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में कार्य करने के लिये चार सदस्यों और गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में क्रमशः दिनांक 2 अगस्त, 8 अगस्त एवं 13 अगस्त, 1991 को स्वीकार किये गये+ उनके सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त निकायों में कार्य करने के लिये यथास्थिति, दो, तीन, पांच-पांच, दो, चार और दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर मा० अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त निकायों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।]

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेन्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट:–+ दिनांक 17-8-91 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने के लिय सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थाति करता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण), विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरद्वार दुबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आवंधन) विधेयक, 1991

सिंचाई, न्याय तथा विधायी कार्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आवंधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अधिष्ठाता– प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आवंधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आवंधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 13-8-1991 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से निदेश संख्या 15 के अन्तर्गत निम्नलिखित की 10 सूचनायें चयनित की गयीं:–

(1) कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री नरेन्द सिंह भाटी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री महेन्द्र सिंह भाटी (2) श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी (3) श्री हरेन्द्र सिंह (4) श्री यदुनाथ सिंह, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भोला सिंह (5) श्री हरिवंश सहाय (6) श्री स्वामी नाथ यादव (7) श्री महराज सिंह यादव (8) श्री हृदय नारायण दीक्षित (9) श्री चन्द्रभान मौर्य (10) श्री निरवेन्द्र कुमार।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर आदि सभी जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति एकदम बिगड़ चुकी है। पिछले तीन-चार महीनों में लगातार वहां पर हत्याओं का सिलसिला, एक नहीं दर्जनों हत्यायें हुई हैं। फिरौती, डकैती, रोड होल्डर तो एक आम बात हो गयी है। इसलिये मान्यवर, आज गाजियाबाद में जो औद्योगिक समूह हैं वह चाहे न्योडा में हों या फिर गाजियाबाद में, सारे औद्योगिक समूह वहां से हटने के लिये प्रयत्नशील हैं। उसी कड़ी में इस सदन के विधायक श्री महेन्द्र सिंह भाटी के भाई राजबीर सिंह भाटी की हत्या कर दी गयी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें सी०आई०डी० इनक्वारी कर दी गयी। मैं शासन से चाहूंगा कि अगर वहां की स्थिति को अगर ठीक करना है, तो पुलिस बल को ताकत देनी होगी और जो जरायम पेशा के लोग हैं, जरायम को छिपाने के लिये सी०आई०डी० की जांच शुरू करा देते हैं। इस प्रक्रिया को रोकना होगा। मैं चाहता हूं कि सदन के एक वरिष्ठ सदस्य महेन्द्र सिंह भाटी के भाई की हत्या का मामला है, इस मामले को गम्भीरता से लेते हुये, गाजियाबाद, नोयडा, मुजफरनगर,मेरठ में आत्मविश्वास पैदा हो सके, इसलिये इस मामले को सी०आई०डी० से हटाकर पुलिस को पुनः संदर्भित करने के लिये आश्वासन देने की कृपा करें। मान्यवर, इसी सन्दर्भ में एक बात और रह गयी कि श्री हरेन्द्र मलिक ट्रेन से आ रहे थे और अमरोहा के पास कुछ असामाजिक तत्व ट्रेन में इसलिये ठहरे हुये थे, जो असलहों, रिवाल्वर, राइफल, ए०के० रायफल लेकर उनकी तलाश कर रहे थे और उनकी हत्या कर देना चाहते थे, मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई तत्काल कार्यवाही की जाये, जिससे वह सुरक्षित रह कर सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें और विधायी कार्यों का सम्पादन कर सकें।

*श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रकरण को माननीय सदन के सामने लाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5-6 महीनों मे जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, उससे पूरा पश्चिमी प्रदेश आतंकित हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में सैकड़ों अपहरण हुये हैं, जिनमें एफ०आई०आर० भी नहीं लिखी गयी है। गर्ग शराब वाले मामले में 60 लाख की फिरौती हुई।

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं। आप ग्राह्यता पर बोलें। वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर बोलें। आप नाम नहीं ले सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

अनेक अपराध हुये हैं, जिनमें एफ०आई०आर० नहीं लिखी गयी है। 20-25 लाख फिरौती की तो मामूली बात है और इसी प्रसंग में अनेक हत्यायें हुई हैं और पूर्व सरकार के मंत्रियों के दबाव में उनमें कोई कार्यवाही नहीं हो पायी।

श्री अधिष्ठाता–

काम रोको प्रस्ताव में तात्कालिक स्थिति पर बोलना चाहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

आप मुझे बोलने तो दें, तभी तो मैं तात्कालिक स्थिति पर बोलूंगा और जब बोलने ही नहीं देंगे तो मैं क्या कहूंगा। आज भी वहां पर आतंक का वातावरण फैला हुआ है। उन लोगों ने न्यायपालिका और प्रशासन को बन्धक बना लिया है, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। आप आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिये, हरेन्द्र को बदमाश चेक कर रहे थे। हम लोगों का पीछा कर चुके हैं।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

महेन्द्र भाटी जी दादरी से तीसरी बार विधायक है उन पर प्राणघातक हमला हो चुका है लेकिन बदमाशों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, रोजाना इस तरह की घटनायें हो रही हैं। बदमाश आज भी वहां घूम रहे हैं 7 अप्रैल को दिन में पौने चार बजे थाने से दो सौ मीटर की दूरी में भाटी साहब के भाई रनवीर भाटी की हत्या कर दी गयी। तत्कालीन सरकार ने तीन दिन के अंदर मामला सी०आई०डी० को सौंप दिया। आज भी अपराधी खले आम घूम रहे हैं वे ए०के० 47 ए०के० 74, एस०एल०आर० और ए०के० 94 राइफलें और स्टेनगन लेकर घूम रहे हैं। 15 लोगों की राजनीतिक हत्यायें हो चकी हैं जिसमें जिला परिषद के सदस्य होने वाले या पूर्व विधायक उसमें रहे हैं। तो इस प्रकार की जितनी हत्यायें हुई हैं उन सब में सी०आई०डी० इनक्वायरी हो रही है। तो मांग है कि सी०आई०डी० से हटा कर उसे पुलिस को दे दिया जाय ताकि जल्दी कार्यवाही हो सके और उनको जेल भेजा जा सके और हमें जीने का अधिकार मिल सके। वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कारण कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ईमानदार हैं, गाजियाबाद में पुलिस कार्यवाही कर रही है लेकिन थानों के लोग बैठे रहते हैं, वह कार्यवाही नहीं करते हैं जो पराने मुख्य मंत्री के इशारे पर शराब के धंधे में लिप्त रहते हैं बदमाशों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के रहते वहां पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा इस संबंध में वह सख्त कार्यवाही करें जैसे लुर्जा में एक गौतम इस्पेक्टर हैं जिनकी पत्नी का खटीमा नैनीताल में फार्म है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस लिया जाय।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

*श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मुझे भी इस मामले में कुछ कहना है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा (व्यवधान) मुझे पहले जानकारी कर लेने दीजिये। भाटी जी आप बैठें।

मेरी अपनी जो पुरानी जानकारी है, जो अनुभव है, जिस प्रक्रिया नियमावली को लेकर हम चलते हैं उसमें नियम 56 में जो नोटिस आती है उसमें तमाम माननीय सदस्य हस्ताक्षर किये रहते हैं लेकिन नोटिस की ग्राह्यता के संबंध में एक सदस्य को बुलवाया जाता है। यह पुरानी व्यवस्था रही है। भाटी जी इस पर बोलना चाहते हैं उनके भाई का नाम इसमें लिया गया है। इस नोटिस में 4 लोगों के हस्ताक्षर हैं तो क्या ग्राह्यता को लेकर सभी को बोलने का अवसर देना आवश्यक है?

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, परिपाटी तो यही रही है कि एक सूचना पर एक ही बोलें लेकिन एक ही तरह की सूचना अलग-अलग लोगों ने दी है तो उनको भी सुन लिया जाय तो आप पर कोई बंधन नहीं है। विषय के महत्व को देखते हुये ज्यादा लोगों को भी सुना जा सकता है। भाटी जी के सहोदर का मामला है इसलिये उनको सुन लें तो उत्तम होगा।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला जोरों से शुरू हुआ है। काफी अधिक मात्रा में हत्यायें वहां हो रही है और एक भी हत्यारा नहीं पकड़ा गया है, मात्र कुर्की हो रही है जैसे डी०पी० यादव की हुई जो उस गिरोह के मालिक थे। मेरे भाई की हत्या हुई, उसमें नामजद अपराधी थे लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रोफेसर सत्यवीर सिंह की हत्या हुई, हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुये, भोपाल सिंह यहीं के सदस्य थे उनकी हत्या हुई उनके हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुये। मान्यवर, श्री सुरेन्द्र जो ब्लाक प्रमुख थे उनके हत्यारों की आजतक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह सही है कि कुर्की हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वातावरण ठीक हो जायेगा। लेकिन अगर चीप पापुलेरिटी के लिये अखबारों में आने के लिये लिखकर दे दिया जाये कि तेजी से काम कर रहे हैं तो इससे समस्या का हल नहीं होगा। मान्यवर, कुर्की से लोग भाग रहे हैं और भाग गये हैं किन्तु जबतक हत्यारों को पकड़ा नहीं जायेगा तबतक समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर आदि में एक भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। वहां 6 करोड़ रुपयेअपहरण के नाम पर वसूला गया है और एक-एक अपहरण का एक-एक करोड़ रुपया लिया गया है। कहा जा रहा है कि सफेदपोश अपराधी जो हैं उनके नाम खोले जायेंगे लेकिन पुलिस ने उनके नाम आज तक नहीं खोले हैं। किन्तु सही है कि कुछ काम शुरू हुआ है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। शासन अपराधी लोगों को गिरफ्तार करने की हिम्मत करें।

मान्यवर, मेरे भाई का मामला सी०बी०सी०आई०डी० को दिया गया है। मुझे अब यकीन हो रहा है कि सिविल पुलिस वाले भी कुछ कर सकते हैं जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अवलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप चर्चा करायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस महत्वपूर्ण विषय की ओर श्री भाटी जी एवं अन्य मा० सदस्यों ने शासन का ध्यान आकर्षित किया है वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, मुझे सभी पश्चिमी जिलों में जाने का मौका मिला तो पाया कि वहां भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। यह सही है कि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त सदन में इस पंक्ति में बैठने वाले लोग ही उनको संरक्षण देते थे लेकिन इस सरकार का दृढ़ संकल्प है कि अपराधी तत्वों एवं माफिया गिरोह के लोगों को बख्शा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

आप विषय पर बोलें और आक्षेप न करें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आक्षेप मैंने नहीं किया है। मैंने यह कहा है कि मा० सदस्य ने जैसा कहा है वह सही है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जांय। अव्यवस्था न फैलायें। (व्यवधान) सदन में अनावश्यक आलोचना न करें। (व्यवधान) आप लोग शासकदल में बैठे हैं सुनने की क्षमता रखें। मा० सदस्यों को टोकने का अधिकार है। आप लोग शांत रहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो तथ्य ग्राह्यता में लाये गये हैं उनपर जवाब देने का दायित्व मुझ पर बनता है। मा० सदस्य ने जो जानकारी दिया है उससे मैं सहमत हूं। मान्यवर, नोएडा में उद्योगपति उद्योग छोड़कर भाग रहे हैं स्थिति बिलकुल सामान्य हो गयी है, लेकिन श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने लोगो में भयमुक्ति का संचार किया है जिससे इन्टरप्रनयोर अब वहां टिकने लगे हैं। जिन हत्याओं की इसमें चर्चा की गई है, उसमें अधिकांश वह है जो कई महीने पहले की हैं और उन सब पर सी०आई०डी० जांच जारी कर दी गई थी। मैं ज्यादा न बोलकर अपने माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि कल्याण सिंह जी से मेरी बात हुई थी, सम्भवतः जांच सिविल पुलिस को दे दी गई है। फिर भी आज शाम को दिखवा लूंगा और मुझसे रेवती रमण जी या भाटी जी कोई भी सम्पर्क कर लेंगे तो मैं उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करा लूंगा। मुझे जिन-जिन के बारे में जानकारी दी गई है, सब काम सरकार के द्वारा किये जायेंगे, जिससे आप सन्तुष्ट होंगे। मैं उस पूरे इलाके को भयमुक्त करना चाहता हूं। यहां इस सम्बन्ध में एक बात यह भी कही गयी है कि न्यायपालिका में भी भय पैदा किया जा रहा है, तो नाहर सिंह जिन्होंने उनमें भय फैलाया है और न्याय के कार्य में बाधा पैदा की है, की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा राजनैतिक संरक्षण प्राप्त वह व्यक्ति हो। मान्यवर, आप चाहें इसमें वक्तव्य दिला दें या चर्चा करा दें, हम उसका स्वागत करेंगे। जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इसकी ग्राह्यता पर बल दिया है, अपनी बातें कहीं हैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए जांच कराई जाएगी और पूरी कार्यवाही करने का हम आश्वासन देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन पर और इसमें पूरी प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी को देखते हुए आपका यह मामला नियम 56 में अस्वीकार करते हुए मैं इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए शासन को भेज देता हूं और आप इसको देखकर जो प्रशासनिक सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिक से अधिक उसको करने की कृपा करें।

अब अगली सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि कि प्रदेश की स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में है। (व्यवधान)

*श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि

प्रदेश के समस्त स्थानीय निकाय आज जो हैं वह घोर आर्थिक संकट में हैं। मान्यवर, को मालूम होना चाहिए कि आज पूरे प्रदेश में 3 महीने से लेकर 30 महीने तक का वेतन स्थानीय निकाय कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है, जिससे लोग और उनके परिवार वाले भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मैं अधिष्ठाता जी से निवेदन करुंगा कि यह पूरे समूचे प्रदेश में जो हालत बनी हुई है, उसके लिए आने वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय में तमाम संगठनों ने जो स्थानीय निकाय से सम्बन्धित हैं, इस बात की नोटिस लगाई है कि यदि 10 अक्टूबर तक उनके वेतन वितरण का भार शासन ने अपने हाथ में नहीं लिया तो समूचे प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं सरकार के लोगों और पूरे सदन के लोगोंको बताना चाहता हूं कि यदि सरकार ने इसका समाधान नहीं किया तो निश्चित रूप से 10 अक्टूबर के बाद प्रदेश की जनता भारी संकट में पड़ जाएगी और सरकार के लिए उसका सामना कर सकना कठिन हो जाएगा। क्योंकि यह ऐसा मामला है.....

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने विषय तक सीमित रहें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मेरा प्रश्न लोक महत्व से जुड़ा हुआ है। समूचे प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों का वेतन 3 माह से 30 माह तक का नहीं मिला है। इसमें ज्यादातर सफाई कर्मचारी हैं और यह ऐसा वर्ग है जिसके लोग अन्य कोई कार्य खोम्चा या दुकान आदि नहीं लगा सकते हैं। इससे वह घोर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, एक-एक दाने के लिए तरस रहे हैं।.....

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

स्थानीय निकायों की स्थिति कमजोर होने के कारण वेतन वितरण की कठिनाई है। शासन द्वारा वेतन भुगतान के रूप में जो धनराशि स्थानीय निकायों को दी जाती है, उससे वेतन की समस्या का समाधान होता है। वेतन आयोग के वेतनमानों के आधार पर 1-1-86 से जो वेतनमान दिये गये हैं उसके भुगतान के बारे में समस्या है। स्थानीय निकाय अभी उनको यह धनराशि देने की स्थिति में नहीं है, इस कारण शासन सक्रियता से उनकी समस्या के समाधान में रुचि ले रही है। इसके लिये लगभग 74 करोड़ रुपये के बकाये के लिये शासन ने वित्त विभाग से निवेदन किया है कि हमें अंशदान के रूप में कुछ सहयोग किया जाय ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। जहां तक इस अंशदान का प्रश्न है,इसमें भी नियम हैं, और नियम यह हैं कि जब स्थानीय निकायों की स्थिति यह हो कि वह अपने बकाये के भुगतान करने की स्थिति में न हों तो उन्हें अंशदान के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त होती है। अंशदान के रूप में 18 करोड़ रुपये हमें प्राप्त हो सके हैं। धनराशि के भुगतान के लिये निवेदन किया है कि हमें अनुदान स्वीकृत किया जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अनुदान स्वीकृत कर दिया जाय तो.....

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जाना चाहूंगा कि नगर महापालिका के कर्मचारियों को तो चूस कर वह स्वस्थ हो गयी। क्या उन कर्मचारियों को, जो भूख से मर रहे हैं, उनके जीवन निर्वाह के बारे में विचार कर आदेश देने की कृपा करेंगी।

श्री अधिष्ठाता–

वैसे इस पर प्रश्न की कोई बात नहीं है।

माननीय मंत्री जी आप इस पर गौर करें। कर्मचारी भूखे रहकर कैसे काम करें? यह ठीक है कि आज परिस्थिति ठीक नहीं है। आपको उनके वेतन के भुगतान के लिये सोचना चाहिए उसको दिलाने की कृपा करें। आप अपनी नोटिस में लें और लेकर के कर्मचारियों के भुगतान की व्यवस्था अवश्य कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय नगर विकास मंत्री जी ने निकाय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में बताया। मंहगाई बढ़ जाने के कारण वेतन बढ़ जाने से कोई फायदा नहीं है। कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए हम उनके समाधान के निम्नारण के उपाय कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

हरेन्द्र जी का मामला है। यह बोल लें।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी मेरी हरिजनों के उत्पीड़न से संबंधित सूचना थी। प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न की कई घटनायें हो रही हैं। फर्रुखाबाद और मुजफ्फरनगर आदि जगहों पर हरिजनों के उत्पीड़न से संबंधित घटनायें हुई हैं। मान्यव· कानपुर मोकेवपुर और नसीरपुर में हरियाणा के भट्टेवाले आए और गरीब हरिजनों का अपहरण करके ल गय। उन हरिजनों ने रिपोर्ट की तो हरिजनों की रिपोर्ट पर एस०पी० ने कोई कार्यवाही नहीं की। थानाध्यक्ष ऊंची जाति का है वह हरिजनों की बात नहीं सुन रहा है। हरिजन समाज का इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है। हरिजन लोग गांव छोड़कर चले जा रहे हैं। कैंडी गांव थाना भवन में एक हरिजन का कतल हो गया उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई इससे ज्यादा लोकमहत्व की घटना और नहीं हो सकती है। इसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए सदन के संज्ञान में, पूरी सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस पर काफी चर्चा हुई है। नये विन्दु जो माननीय सदस्यों ने उठाए हैं उसको मैं देख लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

इसको अस्वीकार किया जाता है।

(व्यवधान)

चौथी सूचना श्री यदुनाथ सिंह जी की तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी की है।

(व्यवधान)

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, एक सूचना मेरी भी है।

श्री अधिष्ठाता–

हरिवंश सहाय जी की सूचना है। इसमें दस के नाम हैं जो व्यवस्था है वह यह है कि पांच को सुना जाता है। ग्राह्यता के बारे में पांच को मैंने सुना। बाकी को अस्वीकार करता हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, ग्राह्यता पर सुन लें।

(व्यवधान)

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, आज जितनी सूचनायें आई हैं उन सबको सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

यह संभव नहीं है कि सबको सुना जाए।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक सूचना मेरी भी है। टांडा में 15 जून को कितने लोगों की दुकानें लूटी गई दो लोगों की हत्यायें करके लाशों को गायब कर दिया गया–

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रक्रिया एवं नियमावली में पांच को सनने की व्यवस्था है।

श्री लालजी वर्मा–

इस सत्र का आखिरी दिन है इस पर ग्राह्यता पर सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नियमों में यह प्राविधान है कि पांच के आगे नहीं सना जाता।

श्री लालजी वर्मा–

इस प्रकरण में 25 लोगों की हत्यायें कर दी गयी हैं। दर्जनों लोगों की दुकानों को लूटा गया है। लाशें गायब की गयीं हैं। जो वहां का क्षेत्राधिकारी है उसके इशारे पर यह कार्य हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जांय। आप लिखकर दे दीजियेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, आज सदन का अंतिम दिन है। यह जो सूचनायें हैं आप शासन को निर्देशित कर दें कि इन पर कार्यवाही की जाय।

(शोर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, वहां का जो क्षेत्राधिकारी है वह इन घटनाओं को करा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें, आप क्यों अव्यवस्था कर रहे हैं। 5 सूचनाओं पर सुना गया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप मेरी बात सुनने के लिये तैयार नहीं है इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(माननीय लालजी वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, आपने व्यवस्था की बात की। व्यवस्था के साथ परम्परा की बात है। आप पिछली कार्यवाहियों को देख लें। पहले जब कार्य स्थगन आते थे तो 10 विषयों को सुनते थे और उसमें से 5 को मानते थे। लेकिन आपने 10 की जगह पर 5 कर दिया। व्यवस्था और परम्परा दोनों से सदन चलता है। मेरा अनुरोध है कि आज अंतिम दिन है माननीय सदस्यों के क्षेत्र की बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने आपको दे रखी हैं। व्यवस्था इसमें आड़े आ सकती है लेकिन परंपरा इसमें आड़े नहीं आती है। मेरा अनुरोध है कि सबको सुनने के बाद आप शासन को निर्देशित करें कि शासन उस पर कार्यवाही करें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

हमारी नियम 56 के अंतर्गत एक सूचना है। हमारे क्षेत्र भोगांव में अपराध हो रहे हैं, हत्यायें हो रही हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये। आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

जब कोई विजनेस हैं ही नहीं तो व्यवस्था किस बात की। आप बैठिये। (शोर)

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

आतंक और भय के कारण गरीब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठिये, व्यवस्था बनायें रखें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कानून नहीं रह गया है। जंगल का राज्य रह गया है। पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार होरहे हैं। मुझे आंतकित किया गया, मेरा रास्ता रोका गया जिसके कारण मैं 6 तारीख की कार्यवाही में भाग नहीं ले सका। मुझे मारने की साजिश की जा रही है, मेरी जिंदगी का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये।

(घोर व्यवधान के मध्य) आप बैठिये। आप क्यों नहीं बैठते हैं? किस बात पर बोल रहे हैं? बिना नाम बुलाए, बिना विषय के बोल रहे हैं, यह उचित नहीं प्रतीत होता। कोई विषय यहां हो तभी बोलें। आप बैठने की कृपा करें। नियम 56 में व्यवस्था है कि पांच सूचनाएं ही ली जाएंगी। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुसार पांच सूचनाएं ली गयी हैं (घोर व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि--

[x x x]

श्री अधिष्ठाता--

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

(घोर व्यवधान के मध्य कोई बात सुनी नहीं जा सकी)।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दीक्षित जी बैठें। ये आपके दल के सदस्य हैं, उनको बैठाएं। मुझे यहां बैठते हुए तकलीफ हो रही है कि अनावश्यक रूप से, विषय से हटकर विषयान्तर होकर अनावश्यक रूप से अव्यवस्था की जा रही है। जब कोई पीठासीन अधिकारी खड़ा होकर बोलता है तो आपको बैठ जाना चाहिये और बात सुननी चाहिये।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, आप खड़े हुए तो मैं बैठ गया....(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

हम आप सबको नियमों के अन्तर्गत चलना पड़ेगा....(घोर व्यवधान) जब आप किसी विषय पर बोलना ही नहीं चाहते और जान बूझ कर व्यवधान पैदा करना चाहते हैं तो व्यवस्था कैसे हो।

(श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि निरंतर कुछ बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। अनावश्यक रूप से बिना विषय के बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप लोग बैठें (घोर व्यवधान)....बैठ जाइये। क्या विधान सभा इसी तरह से चलेगी?

(व्यवधान के मध्य)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, 3-4 दिन पहले यह तय हुआ था कि नियम 311 में जो सूचनाएं आयेंगी, उनको नहीं लिया जायेगा। लेकिन आज जितनी सूचनाएं नियम 311 में आई थीं, उन सबको ले लिया गया था।

श्री अधिष्ठाता–

इस वक्त नियम 311 पर विचार हो रहा है क्या?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

नहीं, मान्यवर। इस समय नियम 56 पर विचार हो रहा है, लेकिन मैं परम्परा की बात कर रहा हूं। मैंने नियम 56 में जो सूचना दी है, उसमें उन्नाव, कानपुर जिलों में भू-गर्भ जल प्रदूषण से लकवा जैसी बीमारियों के बढ़ने की बात है और हमारे क्षेत्र में लोग टेढ़े हो गये हैं और रोग ग्रसित हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

जो भी सूचनाएं नियम 56 के अन्तर्गत आती हैं, उनमें से केवल 5 ही सुनी जाती हैं। आप क्या चाहते हैं कि नियमों को तोड़ कर मनमाने ढंग से आपको सुना जाय।

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य–

श्रीमान् मेरा निवेदन है कि सदन व्यवस्थित नहीं चल रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, नियमावली का नियम 110 जो है, उसकी उप-धारा(8) आप देखें, उसमें कहा गया है कि बिना नोटिस के नियमों का निलंबन किया जा सकता है। मान्यवर, नियम 56 में जो माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, उसके संबंध में सबको आज सुन लें, क्योंकि आज अंतिम दिन है।

श्री अधिष्ठाता–

यह कैसे सम्भव है? आप माफ करियेगा, हम पुराने सदस्य हैं, आपके बीच में भगवती सिंह विशारद जी बैठते हैं। पहले स्पीकर महोदय किसी को ग्राह्यता पर सुनते ही नहीं थे। वह केवल पढ़कर कह देते थे कि ये-ये सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अमुक-अमुक सूचनाएं स्वीकार की गयीं और शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं। आपकी भावनाओं का आदर करते हुए सम्भवतः प्रक्रिया नियमावली में व्यवस्था की गयी है कि जो नियम 56 में सूचनाएं आयें, उनमें से ग्राह्यता के आधार पर 5 को सुना जाय।

आप किस आधार पर कह रहे हैं? इस वक्त 5 बज रहा है, आपके सदन का समय 11 बजे से 5 बजे तक का है और आपका तमाम सारा विधायी कार्य पड़ा हुआ है।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री हृदय नारायण दीक्षित के बोलते रहने पर)

क्षमा करें आप, यह आप समय का अनावश्यक दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कतई आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता।

(व्यवधान)

आप विषय से बाहर जा रहे हैं।

(व्यवधान)

इसके लिए हम दोषी हैं कि जो हमारी बाकी मदें हैं, वह गौण हो गयी हैं। इससे केवल हम समय का दुरुपयोग करते हैं, आप बैठने की कृपा करें आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैं नहीं सुनता, कुछ नहीं लिखा जायेगा। इसलिए कि नियम के विरुद्ध हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[x x x]

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1991

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1991 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आप हम लोगों को नहीं सुन रहें हैं इसलिए हम लोग जा रहे हैं।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित सदन त्याग कर चले गये)

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मद संख्या-23 पढ़े जाने पर)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अभी तो मद संख्या 22 चल रही है इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है, इसमें मैंने केवल तिथि बढ़ायी है। वहां पर किन्हीं परिस्थितियों में एक प्रशासक की नियुक्ति की गयी थी।

श्री अधिष्ठाता–

पर्वतीय विकास मंत्री नहीं हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वे नहीं हैं। मान्यवर, इसमें केवल तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव है। अभी तक की व्यवस्था के अन्तर्गत वहां पर 20 सितम्बर 91 तक बढ़ाने का इसमें संशोधन किया गया है इसका कारण यह है कि जब वर्तमान सरकार आई तो हम लोगों ने विचार किया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर यह हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य जी ने पीठ को स्थापित कर भारत की एकता अखंडता के लिए एक महती प्रयास किया था लेकिन आज देखने से यह प्रतीत होता है कि जिस पवित्र उद्देश्य के लिए यह मंदिरों की स्थापना की गयी उसका कतिपय कारणों से पालन नहीं हो रहा है। इस बात का अनुभव किया गया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की रचना उसकी व्यवस्था, उसकी उपयोगिता उसी तरह से होनी चाहिए जैसे तिरुपति के मंदिर की है। अब इस बात को सोचा गया है कि हमारा पूरा का पूरा विधेयक इस तरह का लाया जायेगा कि जिससे पूरी व्यवस्था में संशोधन हो इसके लिए एक मंत्रिमंडल की उपसमिति बना दी गयी जो उसमें आवश्यक संशोधन करेगी। मैं विस्तार के साथ कुछ अधिक न कहकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह मंदिर जिस उद्देश्य के लिए बना था उसका पूरा-पूरा काम हो सके। इसलिए मंत्रिपरिषद की एक उपसमिति उसमें आवश्यक संशोधन करना चाहती है। इसलिए इसमें हम एक पूर्ण विधेयक इस सदन में पेश करना चाहते हैं और इसलिए समय बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत छोटा सा विधेयक है इसमें प्रवर समिति का प्रस्ताव भी नहीं है इसलिए इसको पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कोई बोलना चाहेंगे? खण्ड के बारे में कोई संशोधन तो है नहीं?

खण्ड-2 व खण्ड-3 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1991

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा।

(2) यह 11 जुलाई, 1991 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1939 की धारा 11 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11 में, उपधारा (3) में, द्वितीय प्रतिवन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "30 जून, 1991" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1991" रख दिए जायेंगे और 30 जून 1991 को रख दिये गए समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 32 सन् 1991

निरसन और अपवाद

3. (1) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा(1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, यह व्यवस्था सही नहीं है, विधेयक जो है जो जिस संबंधित मंत्री का है उसकी बात सदन में आनी चाहिये, स्वयं मंत्री इसे सदन में रखे या मंत्री किसी असमर्थता की वजह से आपको इस आशय का अनुरोध लिखकर देते कि वे इस कारण से असमर्थ हैं मेरे स्थान पर यह मंत्री रखेंगे। अगर जन स्वास्थ्य मंत्री ने इस आशय का पत्र आपको भेजा नहीं तो फिर दूसरी गलत परिपाटी पड़ जायेगी? आप उनको सचिवालय से बुलवाइये। (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, मुझे भी एक मिनट सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मंत्रिमण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व है ये इस बारे में सक्षम हैं इसलिये भार साधक सदस्य बनने के लिये।

श्री खास जी वर्मा—

माननीय इसे क्यों पारित किया जाय इस पर क्यों विचार किया जाय। हेतु एवं कारणों के बारे में भी तो कुछ बताया जाय।

श्री अध्यक्षता—

उन्होंने जो विचार के लिये प्रस्ताव किया है आप इस पर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्रीमती शकुन्तला चौधरी—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से जन स्वास्थ्य मंत्री का जो विधेयक है जिसको यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री रख रहे हैं, का विरोध करना हूं। जो प्रक्रिया चालू हो रही है उससे माननीय आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। जन स्वास्थ्य मंत्री सबेरे यहां विराजमान थे। उनकी इस विधेयक पर राय नहीं ली सरकार की दलील के कारण यह विधेयक लाया गया है, स्वास्थ्य मंत्री की इस पर बिलकुल सहमति नहीं थी इसलिये स्वास्थ्य मंत्री ने इस विधेयक का आफीशियली करके स्वयं वे सदन में उपस्थित नहीं हुए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसे प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि जन स्वास्थ्य मंत्री ने इसका आफीशियली विरोध किया है। पहले ऐसा था कि आयुर्वेदिक और यूनानी में नियुक्ति को अधिकार देने के संबंध में (व्यवधान)

श्री अध्यक्षता—

माननीय सदस्यगण कृपया बैठिये

श्री राम गोविन्द चौधरी

जो होम्योपैथिक वाले आ, लोहे का बंग ले चलो लिखा रखा लेकिन डाक्टरों को अतिक्रमित करने के लिये डाक्टरों के ऊपर पुनः एक निबंधक बनाने का प्रावधान उसमें किया गया। श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री जी है वह ऐसे से डाक्टर हैं। वह जानते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसी कारण से सहमत नहीं थे। मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं भी इस विधेयक से सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि आज होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां जो हैं वह गांवों में खोली गई हैं वहां चारों तरफ दुर्व्यवस्था फैली हुई है, वहां अस्पताल है वहां डाक्टर नहीं है मेडिसिन नहीं, उसका संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। डाक्टर वहां पर नहीं जा रहे हैं। इस प्रदेश में लाखों डाक्टर बेकार पड़े हुए हैं परन्तु यह सरकार उन्हें नियुक्त नहीं कर रही है। मैं इस सदन के द्वारा इस अलोकतांत्रिक कार्य का विरोध करता हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना हूं कि आप जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की असहमति से इस विधेयक को सदन के पास कराना चाहते हैं तो क्या पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहमति ले लें उसके बाद इस विधेयक को लायें। तथा इसमें जो खामियां हैं जैसे डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे इसकी पूरी व्यवस्था इसमें नहीं की गयी है, सो इन सारी खामियों को दूर करके इस विधेयक को सदन में लायें मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इसका विरोध किया है इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसे रखा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मैं सुश्री शकुन्तला चौधरी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपनी गलती का अहसास किया। मैं उम्मीद करता था कि वह धन्यवाद देंगे कि जो काम वह नहीं कर पाये उसे हमने सही ढंग से करने के लिए एक प्रयास किया है। वह आज तो उन्होंने कहा कि आपने कार्यक्रम में कोई का मतलब

---

*यह अंश श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा।

कर दिया तो हमें अध्यादेश लाने की क्या जरूरत पड़ी। अब हमारी जिम्मादारी हो गयी है तो हमने उसी गम्भीरता से देखें और माननीय राम गोविन्द चौधरी जी के उन भाषणों का स्मरण किया जो वह पहले दिया करते थे उसका मार्गदर्शन लिया और यह तय किया कि इसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए अध्यादेश रखने की आवश्कता है, जिसके अंतर्गत हमने इसका कार्यकाल बढ़ाया है। माननीय राम गोविन्द चौधरी जी की गलती का समाधान करने के लिए समय मांगा है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जायेगा और इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि जैसे इस बान्च में आगूलचूल परिवर्तन करके विकास किया गया है उसी तरह से होम्योपैथिक के बारे में भी करेंगे और जो कमियां उसके अन्दर हैं वह दूर की जायेंगी। मैं इस बात पर बल देता हूं और माननीय चौधरी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो संशोधन का प्रस्ताव उन्होंने रखा है, उसे वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 व खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन, अधिनियम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1952 की धारा 53 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की धारा 53 में उपधारा (2) में शब्द "चौदह वर्ष" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह वर्ष" रख दिये जायेंगे

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड—2, खण्ड—1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) तृतीय अध्यादेश, 1991 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेन्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, लोग कहते हैं कि उधर से इधर आने पर दिमाग बदल जाता है, लेकिन इधर से उधर जाकर राम गोविन्द चौधरी जी जरूर बदल गये हैं। यह उन्हीं के द्वारा रखा गया अध्यादेश है, और उसी का अननुमोदन कर रहे हैं।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेन्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) तृतीय अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है।

श्रीमान, मुझे ऐसा लगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री पुजतिहा होकर उधर गये हैं। हमारे परब में एक कहावत है कि जिस आदमी की बारात में कोई नहीं जाता, उसमें जो आदमी जाता है, वह मंडप में गांठ खोलने का काम करता है, वही आदमी पंडित का काम भी करता है और वही आदमी नाऊ का काम भी करता है, ठीक वही स्थिति माननीय संसदीय कार्य मंत्री की है। वही काम आज यह कर रहे हैं, क्योंकि आबकारी मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। मैं उन्हें जानता हूं कि बहुत सज्जन आदमी हैं और उनका आबकारी से कुछ लेना-देना नहीं है, लेते भी नहीं, इसलिये उनका हिस्सा जो है, वह स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने लेकर उनकी बात अपनी तरफ से कह दी और इसमें उन्हें कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। यह विधेयक अपने आप में लोगों को धोखा देने वाला है। श्रीमान, इसमें दो तरह की बातें कही गयी हैं। एक तो नीलामी या टेन्डर के द्वारा जो बोली, बोली जाती है, उसमें जो आय होती है और दूसरा जो आयुक्त को यह अधिकार है कि क्रेता जो ठेकेदार है, उनकी बिक्री को आधार मानकर समय-समय पर और भी पैसे का प्राविधान लगाते हैं, एक उसकी बात है इनका कहना है कि जो कमिश्नर समय-समय पर ठेकेदारों पर पैसे का जो प्राविधान करते हैं, उसको लाइसेन्स फीस में न माना जाय। मान्यवर, यह ठेकेदारों के साथ बिल्कुल अन्याय है। जब यह फीस में नहीं माना जायेगा, तो शराब का दिन प्रतिदिन ठेकेदार दाम बढ़ाता जायेगा। यह सरकार द्वारा अधिक से अधिक राजस्व वसूली के लिये चिन्ता है, जबकि इनको चिन्ता यह होनी चाहिये कि इस प्रदेश में शराबबन्दी कैसे हो? यह सरकार दिन प्रतिदिन शराब से अधिक से अधिक राजस्व वसूली के लिये तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

इसके कारण क्या होता है कि शराब की नीलामी लेने वाले लोग उसको विकृत कर देते हैं, उसमें मिलावट कर देते हैं जिसको पीने से प्रदेश में सैकड़ों लोगों की मौतें हो गयी हैं। आप ठेकेदारों पर जो भार डालने जा रहे हैं, उसे न डालें नहीं तो वे ऐसा काम करेंगे जो इस प्रदेश की जनता के जीवन से खिलवाड़ होगा। यह राम राज्य की कल्पना वाली सरकार 1977 में इनके नेता सदन, सिंचाई मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्री शासन में भागीदार थे। उस समय केन्द्र सरकार ने पूरे प्रदेश के अधिकांश भाग में शराबबन्दी लागू कर दी थी। हमारी पार्टी के लोगों और सरकार की सहमति थी, ये लोग भी शामिल थे। यह सरकार क्या आज सदन में इस बात की घोषणा करेगी कि प्रदेश में पूर्ण शराबबन्दी लागू कर दी जायेगी? इसी से इनकी रामराज्य की कल्पना साकार होगी। राम, दारू के विरोधी थे, रावण, कुम्भ और असर मदिरापान करते थे। मेरा कहना यह है कि धारा 302 का जर्म करना या उसके लिये प्रेरित करना दोनों एक ही बात है। जो सरकार मदिरा पीने के लिये प्रेरित करती है, वह राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकती, यह तो रावण राज्य की कल्पना है। यह सरकार घोषणा कर दें कि असरवादी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये पूर्ण शराबबन्दी करती है नहीं तो यह बात सिद्ध हो जायेगी कि "दिन में जय श्री राम और शाम को दो सौ ग्राम"। इसी के साथ मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आबकारी, परिवहन, एवं अल्पसंख्यक मंत्री (श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से सदन में प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय।

माननीय चौधरी जी ने अपने अन्तर्वेदन के सम्बन्ध में कुछ बातें रखने का प्रयास किया है। राम राज्य की उपमा करते हुए वह पूर्ण आबकारी की बात कर रहे हैं। शायद वह यह स्वीकार करना चाहते हैं कि पिछले वर्ष तक, जब वह मन्त्रिमण्डल में थे, तब तक वह रावण राज्य था। अगर उनकी राम राज्य के प्रति आस्था है तो मैं विधेयक पर ही बोलूं और विधेयक पर विचार करने की बात कह रहे हैं, उन्हीं की सरकार द्वारा पेश किया गया था। मैं समझता हूं उन्होंने इसको पढ़ा है तो इसमें कुछ और खामियां जरूर मिल गये होंगे। अगर उन्होंने इसको पढ़ा होता तो निश्चय ही वह कह रहे हैं शायद न कहते। मदिरा का व्यापार, निर्माण और विक्रय का अधिकार एक संविदा के साथ दिया जाता है, जो कि लाइसेन्स फीस की शर्तों के अधीन इस अधिकार को किसी को दे सकता है। आबकारी लाइसेन्स को देता है। जो नियमावली 1985 में बनी थी उसके अन्तर्गत लाइसेन्स फीस तय होती है, जिसकी तीसरी किश्त सोलहवीं में आती जाने वाली धनराशि लाइसेन्स फीस के रूप में जमा है। यदि संविदा की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर निर्धारित मात्रा में मदिरा का उठान नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त होने तक की कार्यवाही की जाती है। इन दोनों बातों के उद्देश्य और कारण में दर्शायी गयी है। अगर माननीय श्री चौधरी जी ने इसको पढ़ा होता तो इतनी छोटी-छोटी बात करने की उनको आवश्यकता न होती।

निर्माण मूल्य के सम्बन्ध में कहते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे आबकारी वसूल किया जा सकता है। इसमें कमी है, यह व्यवस्था है, इस तरह की बातें हों। 1988 में आबकारी विभाग की ओर से व्यवस्था की गयी थी और 1990 को विभाग ने इसके लिये एक टेक्स्ट बना दिया। हमने इस विधेयक के द्वारा केवल यह व्यवस्था की है कि इससे इस प्रदेश के राजस्व को कोई हानि न हो। केन्द्र सरकार के पास आय के अनेकों स्रोत हैं लेकिन राज्य सरकार के पास राजस्व का साधन सीमित ही है। पहले राजस्व की जो हानि इसके कारण से प्रदेश को हुई है उस ओर आगे न हो।

निर्माण मूल्य पर शुल्क पर आपत्ति करते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले वर्ष के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका की है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष प्राप्त होने वाली निर्माण-शुल्क की धनराशि से कहीं अधिक धनराशि इस वर्ष प्राप्त होने की आशा है। निर्माण शुल्क के निराकरण हेतु यह विधेयक लाया गया है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि निर्माण-शुल्क की धनराशि पिछले वर्ष से कम नहीं होगी। मैं माननीय सदस्यों के सुझाव आपके सामने रख दिये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से अपील करता हूं कि इसे स्वीकार करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

श्रीमान, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय, इस विधेयक के संबंध में अभी मैंने कुछ विचार व्यक्त किये थे परन्तु माननीय आबकारी मंत्री जी जब बोलने के लिये खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हमने इसे पढ़ा ही नहीं है। मैंने पहले ही आपके माध्यम से कहा था कि ये कभी जी सीधे-साधे हैं, ये सोचे नहीं होंगे लेकिन अब लगता है कि वह नशे में चूर थे इसलिये मेरी बातें उनको सुनाई नहीं पड़ी।

मैंने निर्माण मूल्य और लाइसेन्स फीस दोनों ही बातें कही थीं। अब आबकारी से बचने के लिये यह जोड़ देना कि जो आबकारी आयुक्त से वे समय-समय पर अधिसूचित दर पर करेंगे, दूसरे यह भी जोड़ रहे हैं कि नीलामी लेने वाला अग्रिम धन दो देने जा रहा है और वे व्यवसाय हो जायेंगे अपनी शराब को ऊंचे मूल्य पर बेचने के लिये या फिर मिलावट करने के लिये कि आमदनी के साथ मूल धन की वापसी हो सके। मा० मंत्री जी तो इस पर हैं इनको क्या कहें? माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि——————

श्री लाल जी वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता जी, इस समय सदन व्यवस्थित रूप से चल रहा है किन्तु उधर देखिये कि माननीय मंत्री जी बीच में खड़ी हुई हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपा करके आप बैठ जायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय आबकारी मंत्री ने कहा कि डेढ़ साल की सरकार जो थी वह राक्षस की सरकार थी और अब इनकी सरकार के जो लोग हैं, वह बिलकुल मद से चूर हैं। यह क्या कह रहे हैं, इनको तमीज ही नहीं हैं।

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, 'तमीज' शब्द कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री रवीन्द्र प्रताप—

जो असंसदीय शब्द हैं, उसको निकलवा दें। यह आरोप लगाया है।

श्री किशन गोपाल—

[x x x] उन्हें मालूम ही नहीं है कि वह क्या कह रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अध्यक्ष की व्यवस्थायें हैं और उनके अनुसार यह शब्द असंसदीय है, तो आवश्यक रूप से इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री शिव बहादुर)—

क्या आपको असंसदीय नहीं लगता है?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अध्यक्ष की व्यवस्थाओं की एक किताब है। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अवगत हैं कि एक बार एक सदस्य ने 'नालायक' शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर यह निर्णय दिया गया था कि 'नालायक' शब्द संसदीय है। 'तमीज' शब्द संसदीय है या नहीं है, इसका अध्ययन करके अगर यह असंसदीय है, तो निकाल दिया जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

इनको पता ही नहीं है, क्या संसदीय है और क्या असंसदीय है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो डेढ़ वर्ष की सरकार है.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात को अच्छी भाषा में रखें।

नोट:—[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

'तमीज' शब्द तो उर्दू और हिन्दी का मिश्रित शब्द है। यह अच्छा लगता है और अगर यह असंसदीय है तो आप इसे निकाल दीजियेगा। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। आबकारी मंत्री जी ने जो डेढ़ साल पूर्व की सरकार को रावण की संज्ञा दी है, उसको भी निकलवा दीजियेगा।

मान्यवर, कौन सी सरकार कैसी है, यह विधेयक ठीक है या नहीं है और अगर यह ठीक होता तो प्रवर समिति का प्रस्ताव ही क्यों किया जाता? इस प्रदेश में खराब शराब पीने से हजारों लोगों की मौतें हुई हैं, यह बात आपके भी संज्ञान में है। दिन प्रतिदिन शराब के ठेकेदारों को सरकारें विवश करके अधिक पैसे की नीलामी पर लेने के लिये विवश करती हैं, उनको मजबूर करती हैं जिनाधिकारियों के द्वारा। आबकारी लोगों के द्वारा दबाव डालकर अधिक पैसे पर नीलामी के लिये मजबूर किया जाता है, जिसके कारण उसमें लगा व्यवसायी परेशान होता है और वह उस व्यवसाय में लगे होने के कारण दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर पाता है। पैसा देने के लिये उन पर दबाव डाला जाता है। बड़े दामों में नीलामी बोली जाती है। तो जो लोग इस प्रकार अपना पैसा लगाते हैं उसकी वसूली के लिये तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं और खराब और जहरीली शराब लोगों को पिलाते हैं जिससे हजारों लोगों की मौत हो जाती है। वर्तमान सरकार जनजीवन से खिलवाड़ करने के लिये यह विधेयक लाई है। हम मान लेते हैं कि आपका विधेयक अच्छा है तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो आप राम राज्य की कल्पना पर सरकार बनाने की बात करते हैं तो क्या आप शराब पीने के हिमायती हैं और चाहते हैं कि जहरीली शराब पीकर लोग मरें, क्या इसी राम राज्य की कल्पना आप करते हैं, क्या ऐसा ही राम राज्य आप कायम करना चाहते हैं। शराब पीने से तरह-तरह के रोग पैदा होते हैं, शराब पीने से लोगों की मौत होती है तो उसको दूर करने के लिये आप पूर्ण शराब बंदी लागू करेंगे। अगर इस बात की आज इस सदन में घोषणा कर दें कि आज की तारीख से प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी कर देंगे तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा, अन्यथा मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि आपकी राम राज्य की स्थापना करने की बात करना एक ढोंग है एक तरफ आप राम राज्य का नाम लेकर लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को शराब पीने के लिये उत्प्रेरित कर रहे हैं। यह दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? आप एक भी उदाहरण दे दें कि अयोध्या के किसी हिस्से में शराब पी जाती थी, मदिरा पी जाती थी या उसके पीने की छूट थी तो मैं अपना संकल्प वापस ले लूंगा। आज भी अयोध्या में शराब के ठेके नहीं होते हैं। अयोध्या आप गये, पूरी सरकार गयी तो क्या यह कह आये कि राम लला हम आयेंगे शराब पीकर घूमेंगे। तो आपका राम राज्य का नारा सिवाय लोगों को धोखा देने के और कुछ नहीं है (व्यवधान)। मान्यवर, इनके सदस्यों में दो तीन संत बाबा भी आये हैं, एक सामने बैठे हैं मैं उनका आदर करता हूं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों के साथ जो जनता को शराब पीने के लिये प्रेरित करते हैं उनका साथ देंगे। यह जो विधेयक है यह असंवैधानिक है, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था यह उसके विपरीत है। इसलिये मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा आपे कहां इसमें फंस गये हैं इसे वापस ले लें और घोषणा करें कि आज के दिन से पूरे प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

(डा० बृजभान यादव के खड़े होने पर) पहले मैं जो प्रस्तावक हैं अगर उनमें से कोई बोलना चाहता है तो उनको अवसर दूंगा उसके बाद आपको सुनूंगा। (प्रस्तावकों में से किसी के खड़े न होने पर) ठीक है आप बोलें।

डा० बृजभान यादव–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं शराब की बिक्री से कितनी राजस्व की प्राप्ति होती है? इससे जनजीवन को कितना नुकसान पहुंचता है क्या वह इससे कम है? इसी के साथ जो जन-जीवन को नुकसान देनेवाली चीजें जैसे मैनड्रेक्स है, हीरोइन है या अफीम है जो जनजीवन के लिये नुकसानदायक है उसकी बिक्री भी खोल देंगे और उस पर टैक्स लगाकर राजस्व की वसूली करेंगे?

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न नहीं अपने विचार प्रकट करें।

डा० बृजभान यादव—

माननीय चौधरी साहब ने जो बात कही उससे मैं अपने संबद्ध करता हूं। तो क्या ऐसी चीजें जो नुकसानदायक हैं उनकी बिक्री से राजस्व वसूली करेंगे?

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, प्रश्न नहीं। इसका जवाब जब वह बोलेंगे तब दे देंगे।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आबकारी मंत्री जी ने संशोधन विधेयक पेश किया है जिस पर तमाम वक्ताओं ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जैसा अभी आज की और तमाम पूर्ववर्ती सरकारों ने पैरलेल संगठन बनाया है, आबकारी मंत्रालय के अंतर्गत एक तरफ मादिरापान पर अंकुश हेतु मद्य निषेध विभाग खोला गया है और दूसरी तरफ मद्य को बढ़ावा देने के लिये आबकारी विभाग खोला गया है। आज पूरे प्रदेश में मदिरा के जो ठेके हो रहे हैं वह ऐसे लोगों के हाथों में हो रहे हैं जो प्रदेश के बड़े-बड़े अपराधी और माफिया गिरोह से संबंधित हैं और वह शराब के ठेके लेकर पूरे प्रदेश में अपनी पैरलेल सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि वर्तमान सरकार उन माफिया गैंगों के हाथों में शराब के ठेके केन्द्रित हो गये हैं क्या उनके हाथों से निकालने की कोई योजना सरकार चलायेगी?

श्री सत्य प्रकाश विरूल—

मान्यवर, श्री राम गोविन्द चौधरी जी हमारे बड़े पुराने साथी हैं, मैं समझता था कि वह कुछ अच्छे सुझाव देंगे लेकिन उनके भाषण से मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने विरोध पक्ष में होने के नाते इस विषय पर कुछ बोलना है इसलिये उन्होंने इस धर्म का पालन करने हेतु कुछ न कुछ बोला। उन्होंने स्वीकार किया कि आबकारी मंत्री जी का आबकारी से कोई कभी वास्ता नहीं रहा है। लेकिन उन्हें मालूम है कि मैं तो झूमकर नहीं बोल रहा था किन्तु उनका भाषण तो पूरा ऐसा था कि जैसे पूरी तरह झूमकर बोल रहे हैं और बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उन्हें तो यही नहीं मालूम कि क्या संशोधन विधेयक है, क्या उसकी मंशा है और कहा कि अच्छा होता इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें।

मान्यवर, इस विषय को लेकर कुछ बातें सामने आयी। मैं यह जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों के शासनकाल में खासतौर से माननीय राम गोविन्द चौधरी के समय में शराब के नाम पर माफिया गिरोह जिस तरह से पनपे हमारी सरकार के राज्य में वह नहीं पनपेंगे और उसको कड़ाई से रोका जायेगा। मान्यवर, यह आबकारी विभाग खोला नहीं गया है बल्कि यह पुरानी सरकार के समय से चला आ रहा है। और मेरी सरकार का प्रयास है कि नकली शराब, अवैध शराब और जहरीली शराब लोग न बेच पाये और लोगों को ठीक शराब मिलें। लेकिन यह जो विधेयक है इसकी मनशा स्पष्ट है यह कोई नया कदम नहीं किया गया है बल्कि वर्षों से जो व्यवस्था लागू थी उसका गलत इन्टरपिटेशन करके आयकर विभाग जो आयकर लेना चाहता है वह नहीं कर पाये। प्रदेश सरकार का जो राजस्व है वह बना रहे, इसलिये केवल उसकी परिभाषा में परिवर्तन किया गया है मात्र इतना ही है। इसमें कोई नई चीज नहीं की गई है, न नया कर लगाया गया है और न कोई शराब का मूल्य निर्धारित किया है, जो है उसी व्यवस्था में परिभाषा का परिवर्तन किया गया है। मैं श्री राम गोविन्द चौधरी से कहना चाहता हूं कि यद्यपि नामों को नहीं पढ़ूंगा किन्तु यह कहना चाहूंगा कि विरोध पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं वह उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने केवल विरोध पक्ष का धर्म पूरा किया, इसलिये आप अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, आबकारी मंत्री जी को कम से कम भाषण देने का ढंग तो आ गया है। मान्यवर, मैं अपना संशोधन जो इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का दिया है उस पर पूरी तरह से बल देता हूं। जब तक पूरी शराबबन्दी की घोषणा यह सरकार नहीं करती।

श्री सत्यप्रकाश विकल—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से चौधरी साहब से केवल यह जानना चाहता हूं कि वह यह बताएं कि उनके अलावा जिन साथियों के नाम इसमें हैं, वह किस जगह गए हैं, क्या वहीं गए हैं?

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) तृतीय अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ।)

खण्ड—2,3,4 व 5 व खण्ड—1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991

उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1985 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) अधिनियम 1991 कहा जायेगा।

(2) धारा 2 और 3 दिनांक 1 अप्रैल, 1990 को प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2—आबकारी आयुक्त द्वारा बनाई गयी और अधिसूचना संख्या 15795/लाइसेंस-3, दिनांक 22 मार्च, 1985 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1985 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 2 में— उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1985 के नियम 2 का संशोधन

(क) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात—

"(ग) 'बोली की धनराशि' का तात्पर्य ऐसी दुकान या दुकानों के समूह में जिसकी या जिनकी नीलामी की जाय या जिसके या जिनके लिए टेंडर दिया जाय, किसी देशी शराब की फुटकर बिक्री का एकान्तिक विशेषाधिकार दिये जाने के लिये अधिनियम की धारा 24 के अधीन लाइसेंस दिये जाने के प्रतिफल से हैं, जो दो भागों में, जिनमें लाइसेंस फीस और निर्गम मूल्य समाविष्ट होगा, अधिनियम की धारा 30 के अधीन नीलाम क्रेता द्वारा देय हो:—

(ख) खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ड़) 'लाइसेंस फीस' का तात्पर्य निर्गम मूल्य के रूप में वर्णित बोली की धनराशि के भाग से भिन्न बोली की धनराशि के उस भाग से है जो नियम 5 के अनुसार बोली या टेण्डर के स्वीकार किये जाने पर देय हो."

(ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात—

"(छ) 'निर्गम मूल्य' का तात्पर्य बोली की धनराशि के उस भाग से है जो नियम 8 के अनुसार नीलाम क्रेता द्वारा देय हो, जिसका आकलन आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र पर किया गया हो।"

3—इस अधिनियम द्वारा उपान्तरित नियम तब तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक समुचित प्राधिकारी द्वारा, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की सुसंगत धारा के अधीन, अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसका संशोधन या विखण्डन न कर दिया जाय। संशोधन करने की शक्ति

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1991

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेन्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) अध्यादेश 1991 का उत्तर प्रदेश देशी शराब उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1991

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1991

लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एव नालामी) नियमावली (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 द्वारा यथासंशोधित उक्त नियमावली के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3,4,5 व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन), विधेयक, 1991 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, यह जो अध्यादेश है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद यह थी कि बहुमत की सरकार है तथा इनको पूरा बहुमत मिला हुआ है, यह विधेयक लायेंगे, लेकिन इन्होंने भी अध्यादेश का सहारा लिया। वैसे यह अध्यादेश और विधेयक जो वितरित हम लोगों को हुआ है, उसमें बहुत सी परस्पर विरोधी बातों का उल्लेख है। यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है ओर जन-जीवन से इसका बहुत गहरा नाता है। अतः इसको बहुत सोच समझकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसीलिए मैंने अननुमोदन का प्रस्ताव किया है और आगे चलकर इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का भी प्रस्ताव आएगा। तो इसमें सम्यक् रूप से विचार करके यह अध्यादेश और विधेयक लाना चाहिए था। इसमें मान्यवर मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आप देखें कि उद्देश्य और कारण जहां दर्ज हैं, उसके पैराग्राफ "5" में उल्लेख है कि धारा-52 की अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व धारा-24 के अन्तर्गत चकबन्दी योजना प्रचलित हो जाने के तुरन्त बाद भूमि के टुकड़ों के हस्तांतरण को निषिद्ध करना। इसीलिये यह अधिकार दिया गया है। पैरा-4 में भ्रष्टाचार को रोकने तथा चकबन्दी से संबंधित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए चकबन्दी योजना प्रारम्भ होने के बाद जोत भूमि के हस्तान्तरण पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रतिबन्ध को

समाप्त करना। मान्यवर, यह प्रतिबन्ध समाप्त होना चाहिए। इसका लाभ उन गरीब किसानों को तो नहीं मिलेगा जो किसी प्रकार से धन इकट्ठा करके जमीन खरीद लेते हैं और (4) के अनुसार उन्हें किसी भी प्रकार से अपनी जमीन पर दाखिल खारिज करने का हक प्राप्त नहीं होगा और इस कार्य के लिये उसे घूस देना पड़ेगा। यह बराबर विरोधी बात है। जमीन खरीदने के लिये किसी तरह से पैसा जोड़ता है दाखिल खारिज करने के लिये पैसा देना पड़ता है। इस पर विचार कर लेना चाहिए। माननीय मंत्री जी यहां पर इसको स्पष्ट कर देंगे परन्तु जहां तक मेरे समझ है यह व्यवहार में आयेगा। इसको दूर कर दें तो मान्यवर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं विरोध के लिये नहीं सकारात्मक विरोध के लिये खड़ा हुआ हूं। यहां माननीय राजेन्द्र कुमार जी बैठे हैं। मैं सन् 1977 में इन्हीं के साथ आया था और मैंने देखा था यह प्रखर बुद्धि के हैं परन्तु यह यहां मन्द पड़ गये हैं। ऐसा कोई विधेयक नहीं है जिस पर यह न बोले हों।

(इस समय 5 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सत्ता में आने से पहले इन्होंने तरह-तरह के वादे जनता से किये। शहरी क्षेत्र में, कस्बों में, व्यापारी वर्ग से वोट इन्हें इसीलिये मिला क्योंकि इन्होंने कहा कि हम बिक्रीकर को समाप्त कर देंगे। परन्तु अब जब सत्ता में आ गये हैं तो बिक्रीकर की बात आने पर यह उसके सरलीकरण की बात करते हैं कि हम उसका सरलीकरण करेंगे। मान्यवर, इनकी कथनी-करनी में फर्क की बात है उसी के लिये मैं कह रहा हूं। अब बिक्रीकर को अध्यादेश के द्वारा और विधेयक के द्वारा इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह आगे क्या करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर यह जो कह रहे थे वह करते तो कुछ भला हो जाता। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा इसमें लिखा है चकबन्दी क्रियाओं के आरम्भ की जानकारी। इसमें जमींदारी विनाश से संबंधित समस्त कानूनों से आच्छादित क्षेत्रों जिसमें पहाड़ी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, को चकबन्दी क्षेत्र की परिधि में लाया जाना। यह मान्यवर ठीक है। उचित भी है मेरी जानकारी में है बहुत से गाँव ऐसे हैं जहां की जमीनों पर चकबन्दी करायी जानी चाहिए थी लेकिन वहां पर चकबन्दी नहीं करायी है। पूरे गांव के लोग दरख्वास्त देकर बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि हमार गांव की चकबन्दी कर दी जाए लेकिन इन गांव में थोड़े लोग ऐसे हैं कि वह उन गांवों की चकबन्दी नहीं करने देना चाहते हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करुंगा मेरे क्षेत्र कोयलाडांढ में दस वर्षों से पूरा गांव कोशिश कर रहा है कि वहां की चकबन्दी कर दी जाए। वहां की जमीन समतल है उस पर खेती होती है। वहां चकबन्दी नहीं हो रही है। पहाड़ी क्षेत्र को आपने ले लिया यह अच्छी बात है लेकिन उन गांवों को, जहां के लोग चकबन्दी चाहते हैं, जो जमीनें चकबन्दी योग्य हैं वहां चकबन्दी करा दें। जब आप जबाब देंगें तो आश्वासन दे दें। कोयलाडांढ़ गांव को चकबन्दी की परिधि में सम्मिलित कर लें। सहायक चकबन्दी अधिकारियों को खारिज दाखिल मुकदमें के निस्तारण के अधिकार जो आपने दिए हैं इसे हम ठीक कहेंगे। लेकिन इसको भी और विचार करके यह अधिकार देना चाहिए। कहीं इसमें भ्रष्टाचार और न बढ़ जाएं इसको ध्यान देने की जरुरत है। इसको ध्यान देने के लिए परस्पर विरोधी बातों को समाप्त करने के लिए जरुरत इस बात की है कि इस पर विचार कर लें और विचार करके विधेयक लावें। तब मैं इसका समर्थन करुंगा। इस प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं।

*राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक 1991 पर विचार किया जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं अपने पुराने साथी तिवारी जी की बात सुन रहा था। संशोधन विधेयक को सोच विचार कर लाना चाहिए था मैं इन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संशोधन विधेयक काश्तकारों के लिए बहुत सोच विचार कर लाया गया है। तिवारी जी सोच-विचार करके नहीं आए इसमें मेरा दोष नहीं है। यहां जो बहस होगी उसमें उनकी शंकायें दूर हो जायेंगी। जिन विसंगतियों की तरफ संकेत किया जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए यह संशोधन लाना अनिवार्य हो गया था। समय-समय पर प्रदेश में भूमि के विकास के लिए इस तरह के संशोधन और विधेयक प्रस्तुत हुए हैं। प्रदेश में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ उसके बाद सोचा गया। हमारी भूमि जो प्रदेश के अलग-अलग टुकड़ों में बंटी है उसको किस तरह से एकत्र करके, इकट्ठी करके, काश्तकारों को उससे लाभान्वित किया जाए। इसलिये उत्तर प्रदेश में चकबन्दी अधिनियम 1953 में लागू किया। कालांतर में प्रयोग करते-करते मालुम हुआ कि इसमें कुछ विसंगतियां रह गई हैं। पिछली सरकार विसंगतियों को दूर नहीं कर पाई उसको हमने दूर करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिये माननीय तिवारी जी ने जिस बात की शंका प्रकट की मैं कहना चाहता हूं कि उनकी शंका निर्मूल है। उन्हें जानकारी होगी कि जो धारा 4 है, धारा 4 के प्रकाशन के पश्चात चकबंदी की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अभी तक यह था कि धारा 4 का प्रकाशन हो जाने के बाद जब धारा 24 का प्रकाशन हो जाये तो यह समझा जाता था कि चकबंदी की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। लेकिन यह भी व्यवस्था थी कि जब तक धारा 52 का प्रकाशन न हो जाय तब तक जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत 31/8 एकड़ से कम टुकडे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। धारा 24 के प्रकाशित होने के बाद जब तक धारा 52 का प्रकाशन होता था तब तक देर हो जाती थी और कभी तो कई वर्ष लग जाते थे। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाय और चकबंदी अधिनियम के जो उद्देश्य हैं वह धारा 24 के प्रकाशन जब होता है तब वह लागू हो जायें जिससे चकबंदी का उद्देश्य पूरा हो सके। जो छोटे-छोटे टुकडें हैं उनका हस्तांतरण चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने देती है इस पर रोक लगायी जाय। जहां तक परमीशन मांगने का प्रश्न है अभी तक ऐसा था कि जब तक धारा 24 का प्रकाशन न हो जाय परमीशन मांगी जाती थी और आमतौर पर परमीशन मिल जाती थी। चकबंदी अधिकारी अनुमति दे देते थे। लेकिन इसमें किसानों को मेहनत से कमाया हुआ धन बरबाद हो जाता था। इसलिये सरकार ने सोचा कि ऐसी अनुमति का क्या प्रयोजन जो अनौपचारिक बन जाय और अनुमति जब दी जाय जब किसान का गाढ़ी कमायी का पैसा रिश्वत के रूप में वसूल कर लिया जाय, इसलिये इस अनियमित प्राविधान को समाप्त किया है। चकबंदी के संबंध में अभी तक कुछ ऐसे अधिनियम थे जिनकी वजह से कठिनाइयां आती थीं। जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ और उसके बाद भी और ऐसे अधिनियम लागू किये गये जिनके द्वारा जमींदारी उन्मूलन पर्वतीय अंचल में किया गया। देहरादून, जौनसार क्षेत्र के लिये दूसरा अधिनियम बनाया गया। चकबंदी अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि यह पूरे उत्तर प्रदेश के लिये लागू होगा। लेकिन यह भी व्यवस्था है कि जमींदारी विनाश अधिनियम जहां पर लागू होगा वहां पर चकबंदी अधिनियम लागू होगा। अब यह विसंगति हो गयी थी। नगरी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, देहरादून, जौनसार क्षेत्र इससे वंचित रह जाते थे। तो इसमें कई विसंगतियाँ थीं जिनको दूर करने के लिये यह संशोधन लाये हैं। मैं समझता हूं कि माननीय तिवारी जी ने जो आशंकायें की हैं वह निर्मूल हैं, उन्होंने सोच समझ कर अपना अननुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। जब वह बोल रहे थे तो मैं आश्चर्य कर रहा था। आज शराब से संबंधित एक संशोधन पर चर्चा हो रही थी शायद उसी का प्रभाव था। चर्चा हो रही थी जमींदारी विनाश अधिनियम की और वह बोल रहे थे बिक्री कर के बारे में। मान्यवर, जो हमारे भूमिधर हैं, सीरदार हैं, आसामी हैं उनको जो कठिनाइयां थीं उनको दूर किया गया है। 1977 में जो संशोधन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में सब लोगों को भूमि धर कर दिया गया है। जो संक्रमणीय भूमिधर हैं उनको संक्रमणीय अधिकार प्राप्त हैं और जो असंक्रमणीय भूमिधर हैं उनको असंक्रमणीय अधिकार प्राप्त हैं। अब उसको इस संशोधन में लाकर निश्चित रूप से उस विसंगति को दूर करना था। इसलिये मैं समझता हूं कि जो कठिनाइयां थीं, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये, अभी तक की सरकारें उनको दूर नहीं कर पायीं। हमने तय कर लिया हैं कि भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देंगे। हमने देखा कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार को दूर करने के लियेसंशोधन आवश्यक है, इसलिये इसको लाए हैं। जो और भी कहा है कि पूरा विधेयक, तो पूरा विधेयक भी लाया जोगा, लेकिन तब तक जो अपेक्षित संशोधन है, जिससे काश्तकार को लाभ होगा, उसको हम लाए हैं। पूरे विधेयक की प्रतीक्षा में तब तक रुकना उचित नहीं है। इसलिये यह संशोधन हम लाए हैं।

*श्री राम गोविन्द चोधरी–

श्रीमान, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं "उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रसतुत करें।"

श्रीमान, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना और अननुमोदन के प्रस्ताव पर माननीय श्याम नारायण तिवारी जी की बातों को भी बड़े ध्यान से सुना। माननीय राजस्व मंत्री जी जो रिश्वतखोरी की बात कर रहे थे, श्रीमान, मेरी तो बिलकुल चुनौती है माननीय राजस्व मंत्री को और इस सरकार को कि ये चकबन्दी विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दें, घूसखोरी की प्रक्रिया को समाप्त कर दें, भाषण देना दूसरी बात है श्रीमान, और समाप्त करना दूसरी बात है। ये चकबन्दी विभाग मे भ्रष्टाचार को अगर समाप्त कर दें और ये घोषणा कर दें, घोषणा ही नहीं, उसके अनुसार कार्यरूप में लाएं कि एक भी काश्तकार इस बात की गवाही कर दें कि चकबन्दी विभाग में रिश्वत ली गयी है तो सरकार इस्तीफा दे दें, तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा। झूठी बात करके सदन को गुमराह करना अलग बात है लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करना किसी एक सरकार के बस की बात नहीं है। आज जन-जन में व्यापक भ्रष्टाचार हो गया है। उसमें तो पूरे हिन्दुस्तान के सभी लोगों का सहयोग हो, सभी पार्टियों का सहयोग हो, सभी अधिकारी/कर्मचारी का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, तब तक यह कह देना कि भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, बेमानी है। इस समय हिन्दुस्तान में रहने वाले सारे लोगों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकेगा। यह बात सही है कि बहुत सोच विचार करने के बाद चकबन्दी का कानून बनाया गया था, काश्तकारों के लाभ के लिये। श्रीमान, आप तो इस प्रदेश के ही नहीं, देश के वरिष्ठ वकील हैं। आप दूसरा विभाग देखते हैं लेकिन इसका थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही, जिन भावनाओं और उद्देश्यों को लेकर चकबन्दी विभाग बनाया गया था उसके ठीक विपरीत प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है। जिस गांव में चकबन्दी की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है, उस गांव के किसान तो, मंत्रीजी स्वयं जानते होंगे, परिचित होंगे वह किसान 100 साल के लिये गरीब हो जाता है। जानबूझकर उनसे पैसे की वसूली का प्राविधान चकबन्दी में कर दिया जाता है। उन्होंने एक प्राविधान किया है कि जमीन का हस्तांतरण से एस०ओ०सी० से लिया जाता था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया है। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस देश का किसान, आप स्वयं किसान हैं, कितने ऐसे किसान होते हैं जिनकी जीविका का साधन केवल कृषि ही है। न उनके घर कोई नौकरी करने वाला होता है, उनके घर कोई उद्योग लगाने वाला होता है। जमीन की वह हिफाजत अपनी मां की तरह से करता है। लेकिन कभी-कभी उनको अपनी जमीन हस्तांतरित करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है, तो जिन प्रयोजनों के लिए वह अपनी जमीन हस्तांतरित करना चाहता है, और नहीं कर सकेगा, तो क्या सरकार ऐसा कोई प्राविधान करेगी कि उनकी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी कर देगी? अगर किसान को अपनी लड़की की शादी करनी है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसे मजबूर होकर अपनी जमीन हस्तांतरित करनी पड़ती है। ऐसे काश्तकारों को क्या सरकार की तरफ से पूरा खर्चा दिया जायेगा? या आप ऐसे निरीह और गरीब किसानों को अपंगु बनाना चाहते हैं? मान्यवर, इन्होंने कहा कि गांव सभा या स्थानिक अधिकारिकी (स्थानीय प्राधिकारिकी) में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त विनिर्दिष्ट के जायेगी। पहले से भी ऐसा अधिकार है। चकबंदी के माने यह हैं कि जो छोटे–छोटे किसानों के खेत टुकड़ों में हैं, उनको बड़े पैमाने पर लाया जा सके, जिससे वे अच्छी तरह से अपनी खेती की देख-भाल कर सकें, अच्छी तरह से फसल उगा सकें। चकबन्दी में होता यह है कि जो होशियार किसान होते हैं, वे अच्छी जगह पर जमीन ले लेते हैं। तो क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इस तरह का प्राविधान करेंगे कि जो उच्च अधिकारी लखनऊ में बैठते हैं और कानूनगो, लेखपाल वहां पर क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, वहां पर चकबंदी के नाम पर लूट मची हुई है। क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर अंकुश लगायेंगे? चक रोड छोड़ने का प्राविधान है कि एक निश्चित मात्रा में चक रोड छोड़ा जाय, ताकि गांवों में आने-जाने की व्यवस्था हो जाय। लेकिन कितनी ऐसी चक रोड हैं, जिसे लोग आज तक कब्जा किये हुए हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको कब्जे से हटाने के लिए क्या कोई माननीय मंत्री जी आपने प्राविधान किया है? दूसरी बात सार्वजनिक जमीनों को छोड़ने की बात है। अभी हमारे गांव में चकबंदी हो रही थी। मैंने चकबंदी अधिकारी से जानना चाहा कि क्या स्कूल के लिए जमीन छोड़ देंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्कूलों के लिए जमीन छोड़ने का प्राविधान नहीं है। मान्यवर, जिन गांवों में चकबंदी हो, उन गांवों में स्कूल, अस्पताल कम से कम दो चीजों के लिए प्राविधान अवश्य होना चाहिए और कृषकों के लिए खलिहान होना अत्यन्त आवश्यक है। उसकी तो व्यवस्था निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू नहीं है, पहाड़ी एरिया, वहां पर चकबंदी करा देंगे। मान्यवर, वहां पर चकबंदी करा कर क्या करेंगे? वहां पर ऊंची-नीची, समतल आदि जमीनें हैं और अगर किसी को नदी में तलहट जमीन मिल गयी, तो ऐसी जमीन की चकबंदी कराने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्वी मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, माननीय मंत्री जी को राजस्व के मामले में जानकारी भी है क्योंकि जब विपक्ष में रहे हैं तो राजस्व विभाग में अधिक दिलचस्पी लेते रहे हैं तो हमारे सामने आज जो विधेयक ले आये हैं इसमें अनेक त्रुटियां रह गयी हैं। इन्होंने जो अच्छे काम किये हैं वह ठीक हैं लेकिन अनेक त्रुटियां हैं। चकबन्दी विभाग किसानों का हितकर न होकर अहितकर हो गया है, किसानों के लिए बोझ हो गया है, गरीब किसानों की उपेक्षा बनकर रह गया है। इसलिए मैं निवेदन करुंगा राजस्व मंत्री जी से कि इसमें जल्दबाजी नहीं है, बहुत सी ऐसी बात हैं जो इस विधेयक में लाने से रह गयी हैं। कृपया जल्दबाजी न करें आप इन सारी खामियों के बारें में विचार विमर्श करें, अधिकारियों से विचार विमर्श करें, राजस्व विभाग में दिलचस्पी रखने वालों से विचार विमर्श करें, किसानों से विचार विमर्श करें और इसके बाद एक छोटा विधेयक जो जनहित में हो, किसानों के हित में हो उसको आप अगली बार इस सदन में ले आयें। मैं इस अधूरे विधेयक का विरोध करता हूं और इसकी प्रवर समिति में भेजने की मांग करता हूं।

*श्री अकबर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी मंशा उनकी नीयत पर शक करने की नहीं है। जो उन्होंने संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये हैं, वह चूंकि स्वयं किसान हैं और किसानों के हित को देखते हुए, किसानों की परेशानियों को देखते हुए, मैं खुद भुक्तभोगी हूं, उसको देखते हुए जो विधेयक लायें हैं, मैं उनकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि उनके विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है उनके इस विधेयक को इक्जीक्यूट करने के लिए, किस तरह से इन नियमों का सरलीकरण किया जाय, किस तरह से उनको लागू किया जाय, किस तरह से अधिकारियों को पाबन्द किया जाय कि वह अमल करें, इस विधेयक को उन सब बातों से प्रभावी बनाने के लिए इस पर गौर करने के लिए जो माननीय चौधरी साहब ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का इसका प्रस्ताव किया है, मैं उस पर बल देता हूं। आशा है माननीय राजस्व मंत्री इस बात पर अमल करेंगे।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था और इसका जवाब भी माननीय राजस्व मंत्री जी ने दिया कि जो चौथा है कि बन्दोबस्त अधिकारी से अनुज्ञा लेने के प्रतिबन्ध को खत्म कर दिया गया। तो अब यह बन्दोबस्त अधिकारी प्रभावी होता है चकबन्दी अधियिनम 141 लागू होने पर। मान्यवर, यह धारा 24 को छोड़ दीजिए। धारा 4 के प्रभावी होने पर बन्दोबस्त अधिकारी के प्रभावी क्षेत्र में वह क्षेत्र आ जाता है तो अब उनसे अनुज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, जमीन का हस्तांतरण हो सकता है, यह तो अच्छी बात है। अब आपने जो दिया है कि चकबन्दी क्षेत्र में जोतो के विभाजन पर लगाए गये प्रतिबन्ध को प्रभावकारी बनाए जाने के उद्देश्य से चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 की अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व ही धारा 24 के अन्तर्गत चकबन्दी योजना प्रचलित हो जाने के तुरन्त बाद भूमि के टुकड़ों के हस्तांतरण को निषिद्ध करना। मान्यवर, वैसे तो छोटे-मोटे किसान करते यह थे कि रो-गाकर किसी तरह अपना नाम सम्मिलित करवा लेते थे। एक तरफ तो आपने बन्दोबस्त अधिकारी से अनुज्ञा लेने का प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया यह

---

*चर्चा से भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

किसके लिए किया, यह स्पष्ट कर दें, बड़े किसानों के लिए किया होगा छोटे-मोटे टुकड़ों से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है और यह भूमि के टुकड़े जिनका ताल्लुक छोटे किसानों से हैं उनके हस्तांतरण को निषिद्ध कर दिया तो वह रोते-रोते किस दरबार में जायेंगे?

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

तो मान्यवर यह परस्पर विरोधी है और यह विसंगतियां हैं यह जनहित में नहीं हैं यह गरीब किसानों के लिये नुकसानदेह है इसलिये इस पर ध्यान देना चाहिये। उत्तराधिकार के निर्विवाद के सम्बन्ध में निस्तारण का अधिकार सहायक चकबन्दी अधिकारी को दिया गया है यह तो ठीक है यह पहले था निर्विवादित मामलों का निस्तारण वे कर देते थे, जो विवादित थे.....

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष केशव आदि बनाम चकबन्दी अधिकारी-वाले मामले में, उसके द्वारा अधिकार नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी पहले माननीय सदस्य समाप्त कर लें अपनी बात फिर आखिर में बोल लीजियेगा।

श्री श्याम नारायण–

तो विसंगतियां हैं। जहां समतल जमीन है चकबन्दी योग्य है लेकिन उसमें चकबन्दी निहित स्वार्थों के नाते नहीं हो रही है उसको उस परिधि में लाने की आप आज्ञा देंगे। इसका मैं सुझाव दे रहा हूं। लेकिन विसंगतियों को दूर करने के लिये आवश्यक है कि थोड़े समय के लिये इस पर सम्यक रूप से विचार हो जाय मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

***श्री लीला राम शर्मा–**

मान्यवर, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से जो पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी लागू करन की बात कही है इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो जमीन है वह 2-3 किस्म की है आज जो चकबन्दी लागू करने की बात कही गयी वह उस जमीन के सम्बन्ध में कही गयी जिसमें जमींदारी विनाश उन्मूलन कानून लागू है। हमारे पहाड़ के अंदर वर्ग 4 वर्ग 5 की जमीन होती है जिसमें कि भूमि का हक रहता है और चकबन्दी का कोई फायदा नहीं होता है जब तक कि उन जमीनों को इसमें शामिल न किया जाय। आप विधि विशेषज्ञ हैं आपने देखा है कि एमेंडमेंट साल में इतने ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से वहां अदालत भी सही निर्णय नहीं ले पाती हैं और लोगों को भी ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि यह ऐसी विधि है जिसके एमेंडमेंट से सारे लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। पहाड़ में यह नियम लागू होगा तो काफी विसंगतियां आपके सामने आयेंगी इसलिये इन सारी विसंगतियों को पहले से ही दूर करने के लिये इसे प्रवर समिति के समक्ष भेजा जाय ताकि जो सही मायने में संशोधन किये जा रहे हैं वह आ जायें और ताकि फिर दुबारा संशोधन करने की आवश्यकता न हो। मैं कहना चाहता हूं कि जो यह माननीय राम गोविन्द चौधरी साहब ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने यहां पेश किया है और कहा कि प्रवर समिति की रिपोर्ट इस पर एक माह में आ जायेगी तो इस विधेयक को उसमें भेज दिया जाय और फिर यह विधेयक उसमें पूरी तरह से विचार-विमर्श के बाद यहां लाया जाय।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने चकबन्दी पर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट सदन के सामने पेश किया है लेकिन मान्यवर यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि यह चकबन्दी जो है कितने दिनों में एक गांव की चकबन्दी खत्म की जा सकती है। एक-एक गांव ऐसे हैं जहां 20-20 वर्ष हो गये आज भी चकबन्दी हो रही है लेकिन उसका मान्यवर निस्तारण नहीं हो सका जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है और वह आज भी अपना चक

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्राप्त नहीं कर सका और आज तक लम्बित है इसलिये आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आश्वासन भी चाहूंगा कि जहां इस विधेयक को लाये हैं चकबन्दी कितने दिनों में समाप्त की जा सकती है। कागज में धारा 52 का प्रकाशन होता है लेकिन गांवों के चकों को चिन्हित नहीं किया जाता है। इसमें यह आया है कि चकों को चिन्हित करने के सम्बन्ध में उनका कानून कठिन होगा मैं कहना चाहता हूं कि आप जांच करा लें और पूछें चकबन्दी विभाग से कितने चकों को चिन्हित किया गया है। धारा 52 के प्रकाशन के बाद, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां चकों को चिन्हित नहीं किया गया। जिस गांव का मैं रहने वाला हूं धारा 52 हो गयी है परन्तु आज तक मुकदमों का निस्तारण नहीं हुआ है। हमारे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर में भी चकों पर वह नहीं पहुंच पाये हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करें और इस पर कार्यवाही करें। जहां तक मान्यवर माननीय मंत्री जी ने पैरा-8 पर कहा है "ऐसे क्षेत्रों में जिनमें सम्पत्तियां गांव सभाओं में निहित नहीं की गयी हैं, चकबन्दी योजना के अंतर्गत खातों से कटौती के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की व्यवस्था करना "उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से गांवों में सीलिंग की जमीन निकली हुई है उसे भी सरकार को अपने कब्जें में शीघ्रता से लेनी चाहिए। आज भी सीलिंग की जमीन उन लोगों द्वारा बेची जा रही है और उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। चकबन्दी हो गयी है। हाईकोर्ट में कहीं न कहीं मामला फंसाकर रोके हुए हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए इसे प्रवर समिति को भेजने पर विचार करें।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने इस भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर जो विचार रखे हैं, मै उसमें मात्र इतना कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय राम गोविन्द चौधरी साहब ने जो संकल्प इस संदर्भ में पेश किया है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान चायल विधान सभा क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे चायल विधान सभा क्षेत्र में मौली एक गांव है जो मूरतगंज ब्लाक में है और उसमें हरिजन बस्ती है। और उस हरिजन बस्ती में एक रास्ता ग्राम मझियांवा ब्लाक सिराथ को गया हुआ है। उसपर एक चक रोड बनी है जिसे वहां के काश्तकारों ने काटकर अलग कर दिया है और वह रास्ता समाप्त हो गया है तथा वहां के प्रधान ने गलत तरीके से जमीन का पट्टा कर दिया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वह इसपर कार्यवाही करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे प्रवर समिति में भेजने पर बल देता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, अभी हमारे कई सदस्यों ने सुझाव रखे, उनका मैं आभारी हूं। मुझे दो स्थानों के नाम बताये गये हैं जहां चकबन्दी शामिल होते हुए भी अभी तक उसपर कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। शासन की जो नीति है वह यह है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसे कैसे उपयोगी बनाया जाये, उसे कैसे उपजाऊ बनाया जाये इसलिए चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उन स्थानों पर जिनका उल्लेख हमारे सदस्यों ने किया है, अगर नहीं हुई है तो हम यह पता लगायेंगे कि किन कारणों से नहीं हुई है, उस पर क्यों विलम्ब हुआ तथा क्या व्यवधान हुआ, पुराने सरकार के किन प्रभावी अधिकारियों के द्वारा यह हुआ, जिस कारण इसमें इतना विलम्ब हुआ है। हमारी शासन की नीति साफ है, हमारी नियत भी साफ है और चकबन्दी रोकी नहीं जायेगी। एक बात और कहना चाहता हूं और माननीय चौधरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विरोध किया। संभवतः उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। जो आशंका उन्होंने व्यक्त की है उसका निराकरण है। अभी जैसा उन्होंने कहा कि चक रोड रोक दी जाती है, चिन्हित जो किये जाते हैं,उन चिन्हों को फाड़ दिया जाता है। अभी तक कोई ऐसा प्राविधान नहीं था कि किसी ने जोत लिया उसे अपने में मिला लिया, इसलिए आवश्यकता महसूस की और सरकार ने संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया कि जो व्यक्ति चक रोड को जोत लेगा, चिन्ह अंकित नहीं करेगा उसके लिए एक पैनेल ऐक्शन द्वारा उसे दण्डित किया जायेगा। मान्यवर, आज लोग सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके अनुपयोगी बनाते जा रहे हैं तो उसको हम निश्चित रूप से रोक सकेंगे, यह बहुत उपयोगी संशोधन हमने प्रस्तुत किया है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। चकबन्दी विभाग में भ्रष्टाचार की बात यहां कही गयी।

मान्यवर, मैंने जैसा पहले भी निवेदन किया कि भ्रष्टाचार होता क्यों है, हमारे गांव का बिना पढ़ा-लिखा किसान, वह जान भी नहीं पाता कि कब दफा-4 का प्रकाशन हो गया, कब चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई और कब धारा-52 का अन्त हो गया. इसीलिये हमने यह संशोधन किया है कि नोटिफिकेशन का प्रकाशन जो पहले केवल सरकारी विज्ञप्ति द्वारा होता था, वह किसान की जानकारी में निश्चित रूप से आ सकें. इस हेतु धारा 4 की उपधारा 2 का नोटीफिकेशन जब होगा, उसको वहां के स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशन होगा, जिससे काश्तकार को हमारे खेतिहर लोगों को सम्पूर्ण जानकारी मिल सके कि अब चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त हो गयी है. इससे अभिलेखों में गड़बड़ी होने की संभावना समाप्त हो जायेगी, इसीलिये यह संशोधन भी इसमें किया गया है।

मान्यवर, एक आशंका तिवारी जी ने प्रकट की, निर्विवाद उत्तराधिकार के मामले होते थे, वह पहले ए०सी०ओ० स्तर से निपट जाते थे। अभी हाल ही में एक निर्णय माननीय उच्च न्यायालय से हो गया, उसके अनुसार अब इस पर रोक लगा दी गयी है कि अब निर्विवाद उत्तराधिकार के मामले जो हैं, उसके लिये अब एस०ओ०सी० स्तर तक जाना पड़ेगा। पहले यह था कि जो भू-राजस्व अधिनियम है, उसके अनुसार कानूनगो जो हैं, वह दाखिल खारिज की कार्यवाही कर सकता था, लेकिन अब जैसे चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी, तो ए०सी०ओ० निर्विवाद उत्तराधिकार के मामले में अब सक्षम नहीं रह गया, इसमें जबरदस्त विसंगति यह थी और इसी में दाखिल खारिज के मामले में गड़बड़ होनी थी, इसलिये हमें यह संशोधन लाना पड़ा. अब इससे इस प्रकार की समस्या का समाधान हो जायेगा।

मान्यवर, एक और आशंका माननीय चौधरी जी ने प्रकट की, कि जो कंकरीली भूमि है, पथरीली भूमि है, अनुपजाऊँ भूमि हैं, उसकी भी चकबन्दी कर दी जाती है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे जो स्थान है, वहां चकबन्दी नहीं होती, ऐसे स्थानों को चकबन्दी से बिल्कुल पृथक रखा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण अंश यह था कि अभी तक चौकोर चक बनते थे, लेकिन चौकोर बन नहीं पाते थे, कारण यह था कि गांवसभा की अगर जमीन है, तो उसे किसी काश्तकार में सम्मिलित कर सकते थे, लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की भूमि है, और उसके पास सरकारी भूमि है, तो खातेदार की भूमि में उसे सम्मिलित करके चौकोर चक नहीं बना सकते थे। अब ऐसा हो गया है कि सरकारी भूमि को खातेदार, काश्तकार की भूमि में मिला सकेंगे और उस सरकारी भूमि के मूल्य के बराबर की भूमि दूसरी जगह उपलब्ध कराकर हम देंगे, जिससे चकबन्दी का उद्देश्य पूरा हो सकेगा और हम चौकोर चकों का निर्माण भी करा सकेंगे। इसी तरह से बड़े ही मूल्यवान संशोधन हमने इसमें प्रस्तुत किये हैं और मेरा निश्चित मत है कि हमारे माननीय सदस्य जब इन संशोधनों को गौर से पढ़ेंगे तो वह भी स्वीकार करेंगे कि बड़ ही व्यावहारिक संशोधन है और जनहित में इसका पारित होना आवश्यक है। हम काश्तकार को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लाभकारी जोतें बनाना चाहते हैं, इसीलिये ये संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या मा० राजस्व मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने ऐसे कोई आदेश निर्गत कर दिये हैं जिसके अनुसार जहां चकबन्दी हो रही है वहां पर गांव के चारों तरफ फिक्स्ड प्वाइंट्स तय कर दिये जायें ताकि नाप-जोख हो तो सही नाप-जोख हो सके? दूसरी बात, जब चकबन्दी समाप्त होती है और नक्शा बनता है तो क्या इसका निरीक्षण आदि सार्वजनिक रूप सेप दर्शित करने की घोषणा करेंगे? क्योंकि झगड़े इसी बात पर होते हैं कि नक्शें में ज़मीन इतनी है और खाते में इतनी है। अगर प्रदर्शित कर दिया जाय तो गांववाले आसानी से अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं।

श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी–

माननीय विशारद जी पुराने और विद्वान सदस्य हैं, उनके सुझाव व्यावहारिक हैं। लेकिन सम्भवत: यह उस समय नहीं थे जब मैं कह रहा था। जब चकबन्दी प्रारम्भ होती हे तो फिक्स्ड प्वाइंट्स तो हैं ही लेकिन बहुधा से नष्ट कर दिये जाते हैं। वे अभिलेखों में तो होते हैं लेकिन मौके पर नहीं होते हैं। गांव के ही प्रभावशाली लोग, उन डिमारकेटिंग लाइन्स को, जिनसे निश्चित हो सके कि अमुक व्यक्ति का खेत यहां तक है, नष्ट कर देते हैं। इसीलिये प्राविधान किया गया है कि फिक्स्ड प्वाइंट्स या सार्वजनिक

चिन्हों या चक रोड्स को क्षतिग्रस्त करने या अनधिकृत कब्जा करने पर उनको दण्डित किया जायेगा। जुर्माना ही नहीं सजा का भी प्राविधान है। दूसरा जो सुझाव रखा है अधिनियम के संशोधन में नक्शें को प्रदर्शित करने का, तो ऐसा तो नहीं है लेकिन धारा-52 के प्रकाशन के बाद भी काश्तकार को जानकारी नहीं हो पाती थी लेकिन अब प्रकाशन स्थानीय समाचार-पत्रों में अनिवार्य कर दिया गया है। स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन होगा, इसलिये यह प्राविधान रखा है ताकि स्थानीय काश्तकार आसानी से उससे वाकिफ हो सके और अपनी आपत्तियां दाखिल कर सके। अगर कोई अन्य कठिनाई आयेगी तो विभागीय अधिकारियों को बुलाकर अलग से दिशा निर्देश दिये जायेंगे।

श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, पहाड़ के अन्दर तलाब, अब्बल, दोयम, वीराम, वर्ग-4 और वर्ग-5 किस्म की भूमि होती है जो कि काश्तकारों के पास होती है। इन सब के लिये कोई ऐसा नियम बनाया है कि अब्वल जमीन की चकबन्दी की जायेगी तो उसमें दोयम नहीं होगी? दोयम किस्म की जमीन को आपने अब्वल रखी। इसी प्रकार से कई नियम आपने बना दिये हैं। जेड ए के बाहर जो जमीन है उसको वर्ग 4 और वर्ग 5 में रखा गया है क्या उस भूमि को आप चकबन्दी में लेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जहां तक पहाड़ी भूमि का संबंध है, इस संशोधन के माध्यम से केवल यही प्रयास किया गया है कि अभी तक हमारे जो चकबन्दी के क्षेत्र की परिभाषा दी गयी है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 वहां लागू था वही क्षेत्र केवल इसमें आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिये 1960 में एक अधिनियम बना था जिसके द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की जमींदारी समाप्त की गयी थी। पर्वतीय क्षेत्र में जहां की जमींदारी समाप्त की गयी थी उसे हम चकबन्दी के अन्तर्गत आच्छादित कर सकते हैं लेकिन जब वहां चकबन्दी कानून लागू होगा, जैसे कि मैदानी क्षेत्र में भी कई जमीनें ऐसी हैं कटान की जमीन आदि ऐसे कई एरिया हैं जहां यह लागू नहीं है, अभी उसके लिये नियम बनाने की आवश्यकता है।

श्री लीला राम शर्मा –

कुछ भूमि ऐसी है जो कि गांव के क्षेत्र में हैं और वर्ग 4 में हैं। वर्ग 5 में नान जेड ए में रखी गयी हैं यद्यपि किसानों के पास उनका पूरा हक है। क्या ऐसी भूमि को भी आप चकबन्दी में सम्मिलित करेंगे? दूसरी जमीनों का भी जिक्र आया जो कि अब्वल हैं, दोयम हैं, तालाबी हैं, इसका चकबन्दी में कैसे बंटवारा करेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

पहाड़ी क्षेत्र में चकबन्दी योजना लागू होने पर हम निश्चित रूप से निर्देश देंगे कि किस प्रकार की भूमि को चकबन्दी योजना में समाहित किया जाय। काश्तकारों को उससे वंचित न रखा जाय।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि महाराजगंज में नौतनवां नगरपालिका में आज तक चकबन्दी नहीं हुई है उसके संबंध में जब भी प्रक्रिया शुरू होती है तो वहां के प्रभावी भू०पू० लोग उसे करने नहीं देते हैं। क्या वहां के अवैध कब्जे समाप्त करके मा० राजस्व मंत्री जी चकबन्दी का कार्य शुरू करेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

ऊंचर के बैठे लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा होगा, हमारे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं है, वहां की प्रक्रिया रुकने नहीं पायेगी।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, इस विधेयक में दो-तीन बातें हैं। इसके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि– – – –धारा 52 का प्रकाशन हो जाता है, लेकिन कुछ गांवों मे चकबन्दी नहीं हो पाती है। इसका

कारण यह है कि वहां पर चकबन्दी कमेटी का गठन [illegible] की पार्टीबाजी के कारण नहीं हो पाता है और वह गांव छूट जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि चकबन्दी कमेटी का गठन शासन स्तर से ही कर दिया जाये, जिस गांव में विवाद हो। दूसरी बात यह है कि किसान तहसील से लेकर बोर्ड आफ रेवेन्यु तक मुकदमें लड़ता है, लेकिन जब चकबन्दी शुरु हो जाती है, तो वह मुकदमा अबेट हो जाता है और यह चकबन्दी अदालत में आ जाता है। तो इससे दोहरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और किसान को आर्थिक हानि भी होती है और उसका समय भी बरबाद होता है। जहां पर मुकदमा चल रहा हो, वहीं पर उसे फाइनल हो जाने दिया जाये और जो निर्णय उस अदालत का हो उसे चकबन्दी न्यायालय में मान्य समझा जाये। इस विधेयक में ऐसे प्रोवीजन्स नहीं हैं, इसलिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर दे दें, दूसरे के बारे में अधिनियम की धारा 5 में व्यवस्था है कि जब चकबन्दी प्रारम्भ हो जायेगी तो वह वहां पर अबेट हो जायेगा।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, यह परीक्षण का विषय है। इसको देख लिया जायेगा।

*श्री मुन्ना चौहान–

मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं और संभव है कि उनको इस बात की जानकारी न हो कि जनपद देहरादून में चकराता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भूमि का कानून बिलकुल अलग है। चकराता के अन्दर जमींदारी उन्मूलन का प्रभाव नहीं है। वहां पर जितनी भी भूमि है वह खत समलात है और उस बंजर भूमि पर सरकार का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। इस व्यवस्था को वहां पर परम्परागत रूप से लागू वाजिब उल अर्ज से गवन किया जाता है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी वाजिब उल अर्ज को वहां के लिये वैध कानून माना है। चकराता में चकबन्दी से सम्बन्धित किसी भी निर्णय के पहले यह आवश्यक है कि वाजिब उल अर्ज के प्राविधानों के अनुरुप यह सुनिश्चित किया जाये कि स्थानीय काश्तकारों के हक-हकूक पूर्णतः सुरक्षित हो सकें और चकबन्दी से किसी प्रकार का विवाद न हो, क्योंकि चकबन्दी की प्रक्रिया में भू खन्डों की अदला-बदली होती है। बंजर भूमि पर सरकार का अधिकार नहीं है। इस आशय का प्रतिवेदन स्थानीय संगठनों से राजस्व परिषद को दिया है। काश्तकार द्वारा बंजर भूमि पर किसी प्रकार के कब्जे के फलस्वरूप भूमि को वर्ग-4 की श्रेणी में रखने का अधिकार सरकार को प्राप्त नहीं है। इसलिये चकबन्दी कानून में कोई व्यवस्था करते समय इस बात की व्यवस्था करने से न भूलें।

श्री अध्यक्ष–

राजस्व मंत्री जी विचार कर लेंगे और इस का अध्ययन कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब और तिवारी जी क्या आप वापस ले रहे हैं?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से 15 व खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन), विधेयक, 1991

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 का अगतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा।

(2) धारायें 2 से 14 दिनांक 19 फरवरी, 1991 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 3 में, खण्ड (6-क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:–

"(6-क) 'संहत क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा 24 के अधीन अन्तिम चकबन्दी योजना प्रचलित हो गई हो और उस क्षेत्र के सम्बन्ध में उस अधिनियम की धारा 6 के अधीन उस अधिनियम की धारा 4 में प्रचारित विज्ञप्ति रद्द न की गई हो;"

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 की धारा 3 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में,–

(क) खण्ड (2-क) में, शब्द "जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" के पश्चात् शब्द "या किसी अन्य विधि जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गई हो," बढ़ा दिए जायेंगे;

(ख) खण्ड (11) में, शब्द "भूमिधर अथवा सीरदार" के स्थान पर शब्द "अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ख) प्रत्येक ऐसी विज्ञप्ति गजट में और ऐसे किसी दैनिक समाचार-पत्र में जिसका उक्त क्षेत्र में परिचलन हो, प्रकाशित की जाएगी और उक्त क्षेत्र में प्रत्येक कटक में ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायेगी जैसी समुचित समझी जाय।"

धारा 5 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (i) में, खण्ड (ग) में, उप खण्ड (ii) निकाल दिया जायेगा।

धारा 8 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) में, शब्द "अशुद्धियां" के पश्चात् शब्द, "उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (2) में, शब्द "अशुद्धियां" के पश्चात् शब्द, "उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 9-क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 9-क में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां सहायक चकबन्दी अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाय कि उत्तराधिकार का मामला निर्विवाद है, वहां वह मामले का निस्तारण ऐसी जांच के आधार पर करेगा।"

धारा 19-क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 19-क में, उपधारा (2) में, शब्द "मूल्यांकन करने के पश्चात् कोई भी भूमि जो" के पश्चात् शब्द "राज्य सरकार की हो या कोई भूमि जो" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 28 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "उस दिनांक के जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छः मास के भीतर प्रार्थी को प्रविष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा उसे दिलाएगा" के स्थान पर शब्द "और जहां कोई भूमि राज्य सरकार को प्रविष्ट की गई हो, वहां राज्य सरकार के किसी प्रार्थना-पत्र के बिना, उस दिनांक के, जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छः मास के भीतर, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति या राज्य सरकार को प्रदिष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाएगा" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति", जहां कहीं भी आए हों, के पश्चात् शब्द "या राज्य सरकार" बढ़ा दिए जायेंगे।

धारा 29-ख का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 29-ख में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में,—

(एक) उपखण्ड (1) में, शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिए जायेंगे;

धारा 29-ग का संशोधन

(दो) उपखण्ड (2) में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "भूमिधर अथवा सीरदार" के स्थान पर शब्द "अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

12—मूल अधिनियम की धारा 29-ग में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "गांव सभा में" के स्थान पर शब्द "किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 लागू होती हो गांव सभा में, और किसी अन्य क्षेत्र में राज्य सरकार में" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "आवश्यक परिवर्तनों के साथ" के पश्चात् शब्द "गांव सभा में निहित" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 46 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 46 में—

(क) पार्श्वशीर्षक में शब्द "मापन" के पश्चात् शब्द "या सीमा" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "मापन" के पश्चात् शब्द "या सीमा" बढ़ा दिये जायेंगे और शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिए जायेंगे।

धारा 52 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की उपधारा 52 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्. -

"(1-क) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति किसी ऐसे दैनिक समाचार-पत्र में भी जिसका क्षेत्र में परिचलन हो और ऐसी अन्य रीति से जैसी उचित समझी जाय, प्रकाशित की जायेगी।"

अध्याय—चार

निरसन और अपवाद

15—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश और उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इन अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 15 खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक 1991 पारित किया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश 1991 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक 1991

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण द्वितीय) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर मेरी वास्तव में इच्छा थी कि मैं इस बार इस अध्यादेश पर अपना विरोध न करूं लेकिन जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया है मुझे विवश होकर अननुमोदन का प्रस्ताव करना पड़ रहा है। विवशता यह है कि यह बिक्री कर का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले 1977 से आज तक इस सदन में बिक्री कर के प्रश्न पर बराबर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी भाषण देते रहे कि बिक्री कर समाप्त किया जाय, बिक्री कर समाप्त किया जाय। बिक्री कर समाप्ति का नाम लेकर और मन्दिर का नाम लेकर माननीय गुप्ता जी इस सदन में आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय पर बोलें।

श्री श्याम नारायण–

मैं वही कह रहा हूं। इनका कहना था कि बिक्री कर समाप्त कर दें लेकिन अब यह अध्यादेश लेकर आये हैं। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं इस अननुमोदन के प्रस्ताव के माध्यम से कि माननीय राजेन्द्र प्रसाद जी बिक्री कर समाप्त करने की जो बार-बार उद्घोषणा करते थे आज वह इस पर संशोधन प्रस्ताव लेकर आये हैं और इनकी इच्छा शक्ति बिक्री कर समाप्त करने की कतई नहीं है और जो इन्होंने घोषणा की है और चुनाव घोषणा पत्र में जो-जो बातें कही हैं वह सारी उसी तरीके की हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है जो बिक्री कर (संशोधन) विधेयक से स्पष्ट हो गया है। तो यह कोई भी अपने वायदे पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश की जनता जो इस प्रत्याशा में है कि यह मंदिर बनायेंगे गलत है। मंदिर का नाम लेकर यह केन्द्र पर छोड़ देना चाहते हैं और उसको बदनाम करने की यह साजिश कर रहे हैं। यह मेरा निश्चित मत है।

श्री अध्यक्ष–

आप विषयांतर न करें।

श्री श्याम नारायण–

यह चाहते हैं कि केन्द्र हस्तक्षेप करें और मस्जिद को किसी प्रकार से इनको क्षतिग्रस्त न करने दिया जाये....।(व्यवधान) इसके लिए हम लोग जान देंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप विषयान्तर कर रहे हैं। आप विषय पर ही बोलें।

श्री श्याम नारायण–

(व्यवधान).....वास्तविकता यह है कि मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता हूं लेकिन यह विवशता है कि इस पर कुछ कहूं। मान्यवर, इसीलिये मैं चाहता हूं कि यह बिक्री कर समाप्ति की बात करें और इसको यह वापस लें अन्यथा मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट 1948 के कतिपय उपबन्धों के कार्यान्वयन में अनुभव की जानी वाली कठिनाइयों को दूर करने और कतिपय उपबन्धों को असपष्ट करने, राज्य के वित्तीय संशाधनों को बढ़ाने, उद्योगों के विकास के हित में कतिपय इकाइयों को कर के छूट देने और कतिपय कार्यों को विधिमान्य करने के लिये उक्त अधिनियम का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया। इसी उद्देश्य से इस अधिनियम को संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। इसमें लम्बे-लम्बे 34 खण्ड हैं लेकिन माननीय सदस्य को समझाने के लिये दो-चार प्रमुख बातों को मैं यहां बताना चाहता हूं। एक तो यह जो आपके सामने विधेयक आया है यह पूर्व सरकार का है जिसमें आज हमारे श्री चौधरी जी जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं, यह तत्सत्र छोटा था इसलिये इसे दूसरे रूप में न लाकर इस रुप में पुर्नस्थापन करना पड़ा। श्री तिवारी जी हम एक कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं जिससे उद्योगों को राहत मिल सके और अनेक कठिनाइयां दूर हो सकें लेकिन जब आप लोग सत्ता पक्ष में थे तो अपने घोषणा पत्र को आप भूल गये जिसमें बिक्री कर समाप्ति की बात आपकी पार्टी ने किया था। हमारी सरकार मूल रूप से बिक्री कर समाप्ति करने के आधार पर सत्ता में नहीं आयी है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं बिक्री कर राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से देशी शराब पर कर लगाये जाने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया है। दूसरे राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये 1-4-90 से औद्योगीकरण करना है और पुरानी इकाइयों को जो 8-10 वर्षों के बीच में लगी है उन्हें छूट देने का है।

श्री हरद्वार दुबे–

इसमें कि हमारी सारी विसंगतियों को दूर करने और राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से यह विधेयक इस समय लाया गया है।

श्री भगवती सिंह विशारद–

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को प्रदेश में जनमत संग्रह हेतु एक माह के लिए परिचालित किया जाय। अध्यक्ष जी, मेरी यह मान्यता है और आप भी मेरी इस मान्यता से सहमत होंगे कि सरकार नेत्रहीन और बधिर होती हैं। लेकिन यह सरकार जो हैं इसकी हिये कपार की दोनों की फूटी हैं और इनमें जरा भी धैर्य होता, जरा सा विवेक होता तो वह इस संशोधन विधेयक को इस समय पेश न करते। यहां मैं यह विवाद नहीं उठाना चाहता कि यह बिक्री कर समाप्त कर रहे हैं या नहीं, लेकिन जो उपवेशन चल रहा है उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने दो-तीन घोषणाएं की थीं। एक तो यह की थी कि हम बिक्री कर का सरलीकरण करने जा रहे हैं और दूसरी घोषणा वह व्यापारियों की थी, जो समाज सेवी लोग हैं उनकी और विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर बिक्री कर की कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं। अगर उनका यह मन्तव्य सही है और वह उस पर स्थिर हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उन्हें इस समय यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की आवश्यकता नहीं थी। वित्त मंत्री जी ने यह भी बताया था कि पिछली तीन तारीख को इस सम्बन्ध में व्यापारियों और उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक भी हुई। तो जब यह विचार-विमर्श हो रहा था तो उस समय इस तरक का संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

मान्यवर, उन्होंने प्रदेश के औद्योगीकरण के नाम पर यहां के उद्योगपतियों को इतनी छूट देने की व्यवस्था की है कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्रदेश के गरीब आदमियों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना व्यवसाय हाथ के सहारे की कारीगरी करके कुछ चीजें उत्पादित करते हैं। उन चीजों को बिक्री कर से कोई छूट न देकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देने का प्राविधान इस संशोधन में हैं। मान्यवर, खादी संस्थाओं की दुकानों पर तैयार कपड़े मिलते हैं, तो अब बिक्री कर उसमें भी लगता है तथा छोटे-छोटे व्यापारी जो मेलों में अपनी दुकान ले जाते हैं--सिले-सिलाए कपड़े बेचते हैं, बिक्री कर उनको भी देना पड़ता है। लेकिन जो उद्योगपति अपने यहां व्यवसाय स्थापित करेंगे उनको सन् 98 तक किसी तरह का बिक्री कर नहीं देना पड़ेगा और जो अपना उद्योग किसी रूप में परिवर्तित करेंगे उनको भी अब यह छूट दे दी हैं। उनके स्थान पर उस स्थान को जो उद्योग ग्रहण करेंगे उनको भी वहीं छूट प्राप्त होती रहेगी। दूसरी ओर जो कमजोर लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं उनको किसी तरह की सुविधा देना वित्त मंत्री जी ने आवश्यक नहीं समझा। इसमें ऐसी बात होने जा रही है, जिसकों सुनकर मान्यवर, आपको भी आश्चर्य होगा। हमारे यहां जो प्रचलित बिक्री कर अधिनियम और नियमावली हैं, उसमें पांच लाख तक टर्न-ओवर पर जो बिक्री कर वसूल होता था, उसका दस प्रतिशत सरचार्ज के रूप में व्यापारी को देना पड़ता था। अब इसमें वित्त मंत्री जी ने 25 प्रतिशत का प्राविधान किया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो चीजें बाजार में इस समय मिल रही हैं उनमें मूल्य की वृद्धि होना निश्चित है और यह निश्चित रूप से जो मूल्य वृद्धि होगी इसका ज्यादा असर साधारण लोगों पर पड़ेगा। इसी तरह से इस संशोधन विधेयक में 13 ऐसे प्रतिनिहित विधायी के अधिकार सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है जिसमें अपने नोटिफिकेशन के द्वारा इस कानून में अपनी सुविधा प्राप्त कर लेंगे। मान्यवर, एक स्थान पर इन्होंने एक और कार्य किया है, जो अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। मूल अधिनियम में नियम-12 में यह लिखा था कि जब कोई ऐसा प्रश्न आयेगा कि किसी व्यापारी को या उद्योगपति को टैक्स मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उसका निर्णय सेल्स टैक्स कमिश्नर करेगा लेकिन अब मान्यवर वित्त मंत्री यह अधिकार लेने जा रहे हैं कि सेल्स टैक्स कमिश्नर उस पर विचार करेगा परन्तु अन्य मामलों में सरकार विचार करेगी। अन्य मामले कौन से हैं, जिन पर सरकार विचार करने जा रही है, हमको खुलासा होना चाहिए था कि सरकार जिन्हें अपने हाथ में लेना चाहती हैं वह मामले कौन-कौन से हैं। मान्यवर, एक विचित्र बात और हुई है, अब तक सेल्स टैक्स के अन्दर बहुत सी चीजें थीं, जो नहीं आती थी। मान्यवर, अब जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें खाली परिवार को छोड़ने के बाद कोई ऐसी चीज नहीं बची है, जिस पर संशोधन विधेयक लागू न होता हो।

मान्यवर, देखें, इन्होंने एक संशोधन प्रस्तुत किया, मैं उदाहरण के लियेआपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "माल" शब्द को किस तरह से परिभाषित किया गया है। "माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार या वर्ग की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत किसी संकर्म संविदा में निस्तारण में अन्तर्ग्रस्त समस्त सामग्री, वस्तुएं और पदार्थ और उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष और ऐसी वस्तुएं भी हैं जो पृथ्वी से संलग्न हों या पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न किसी वस्तु से बंधी हों। आज माल की परिभाषा यहां तक दे दी। मान्यवर, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो पैकिंग मैटीरियल था उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता था। वित्त मंत्री जी ने संशोधन किया है कि जो पैकिंग मैटीरियल लगेगा उसके ऊपर बिक्रीकर देय होगा। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने अपने घर में देवी जी से यह बात पूछ ली है। जब वह साड़ी खरीद कर लायेंगी या सौन्दर्य प्रसाधन खरीद कर लायेंगे, वह थैले में मिलेगा उस पर सैल्स टैक्स पड़ेगा पैकिंग का। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह जल्दबाजी न करें बिक्री कर संशोधन विधेयक को जनमत संग्रह के लिये एक महीने के लिये परिचालित रहने दें तत्पश्चात यह सदन समवेत रूप से इस पर विचार करेगा और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में लोगों से वायदा किया है। उन वायदों से अब यह सरकार मुकर रही है। इसीलिए अब गुप्ता जी इसको बदल रहे हैं। वह बड़े माहिर हैं। हम लोगें को याद है इन्होंने वायदा किया था चुनाव में, कि हम बिक्री कर को समाप्त कर देंगे। जब प्रश्न आया इसी विधान सभा में, तो इन्होंने कह दिया कि चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा नहीं किया था। इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा नहीं किया था, लेकिन इन्होंने चुनाव सभाओं में तो बढ़ा-चढ़ाकर वायदे किए थे। लेकिन इन लोगों ने बिक्री कर को समाप्त नहीं किया। सरलीकरण के नाम पर इतना प्राविधान कर दिया इतने कर बढ़ा दिए। इतनी मंहगाई है और आज के बाद यह विधेयक लागू हो जाता है तो महंगाई बढ़कर चौगुना हो जाएगी। प्रदेश की जनता कराह-कराह कर मर जाएगी। यह जो सरकार है यह पूंजीपतियों की सरकार है इस विधेयक में इन्होंने बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया है। कि यह सरकार पूंजीपतियों की हिमायती है। उद्देश्य और कारण में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है–"राज्य के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से, 31 मार्च, 1995 तक की अवधि के दौरान स्थापित नई इकाइयों और ऐसी इकाइयों को जिनका विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण 1 अप्रैल, 1990 को या इसके पश्चात किया गया है, बिक्री कर से छूट या बिक्री कर आस्थगन की सुविधा दी जा रही है।"

इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। देश के पूंजीपति उद्योग लगाते हैं। गरीब आदमी उद्योग नहीं लगाता है। कितना उद्योग नहीं लगाता है। अगर वित्त मंत्री जी से कह दिया जाए कि कारखाने लगाईये यह किसान है यह कारखाना नहीं लगा पायेंगे। हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी से कह दिया जाए कि उद्योग लगाएं वह किसान हैं वह उद्योग नहीं लगा पायेंगे उद्योग वही लगाते हैं जो पूंजीपति होते हैं और दो नम्बर का पैसा जिनके पास रहता है। वह बैंक का सहारा लेकर दो नम्बर का पैसा लगाते हैं। ऐसे लोगों को कर की छूट देना और छोटे-छोटे लोग जो सामान बेचते हैं, जो पटरी पर दुकान लगाकर छोटा-छोटा सामान बेचते हैं ऐसे लोगों पर कर लगाना और पूंजीपतियों को छूट देना क्या सही है? यह सरकार पूंजीपतियों की हिमायती यह गरीबों की हिमायती है यह नहीं कहा जा सकता है। जैसा विशारद जी ने कहा जमीन से जो चीज उभरेगा जिसका भी जमीन से संबंध हो जाएगा, तो कौन सी चीज ऐसी है जिसका जमीन से संबंध नहीं है। ऐसा इन्होंने प्राविधान कर दिया है। आज प्रदेश में मनुष्य को मनुष्य बेचेगा उस पर कर नहीं है बाकी सब चीजों पर कर है यह मनुष्यों को बेचने की प्रवृत्ति इस प्रदेश में लाना चाहते हैं क्योंकि अब केवल आदमी की बिक्री पर कर नहीं है इसके सिवाय ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर इन्होंने कर न लगा दिया हो। श्रीमान्, इसीलिये मैं वित्त मंत्री और संस्थागत वित्त राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप बहुमत के बल पर जीत कर आये हैं, जन आकांक्षाओं के बल पर यहां आये हैं तो जन आकांक्षाओं को पूरा करें। गरीबों की हिमायत करने वाली सरकार गरीबों की मदद करे और जो पूंजीपति हैं उनको छूट देना बंद करें। जो छोटे खरीददार हैं और जो गरीब लोग हैं उनके हितों की रक्षा करें। यह विधेयक जो आप लाये हैं यह तमाम लोगों की परेशानियों को बढ़ा देगा और जो सामान वह खरीदने जायेगा उस पर भारी कर होने के कारण गरीब लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा। श्रीमान् इस पर मैं बोलना तो बहुत चाहता था लेकिन 103 में बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ रहा है इसलिये तेजी में हूं। मैं एक निवेदन करुंगा कि इस विधेयक को वित्त मंत्री जी को तुरंत वापस ले लेना चाहिये और इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। यह जो विधेयक है इससे प्रदेश में घनघोर मंहगाई बढ़ेगी और लोगों की क्रय शक्ति घटेगी और सामान शो-रुम में रखे रह जायेंगे कोई खरीददार नहीं मिलेगा। मैं इसलिये निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि जो इसमें खामियां हैं उनको दूर किया जा सके और एक अच्छा सा विधेयक लायें जिसमें या तो बिक्री कर को समाप्त करने की बात करें या राहत देने की बात करें। मैं अपने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी नाथ यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उद्देश्य और कारण में यह कहा है कि राज्य में वित्तीय संशाधनों को बढ़ाने के लियेयह विधेयक लाया जा रहा है। इसमें जो कर 10 प्रतिशत था उसको 25 प्रतिशत बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि माननीय राम गोविन्द चौधरी ने कहा है, इससे मंहगाई और ज्यादा बढ़ेगी और छोटे-छोटे लोगों का नुकसान होगा। दूसरी बात मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि साइकिल के पुरजों पर बिक्री कर लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि साइकिल पर कौन चढ़ता है। अगर इन चीजों पर कर वृद्धि करेंगे तो आम जनता और गरीब जनता को परेशानी होगी। जुलाई, अगस्त के महीने में विद्यार्थी अपने स्कूल जायेंगे। जो बच्चे इंटरमीडियट-डिग्री कालेजों में पढ़ते हैं उनको साइकिल से जाना पड़ता है उनको परेशानियां होंगी क्योंकि साइकिल मंहगी हो जायेगी। इन स्थितियों को देखते हुये ऐसा लगता है कि जो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का था और जो घोषणायें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया था वह अखबारों में छपीं हैं और लोगों को जानकारी हुई कि बिक्री कर समाप्त नहीं किया जायेगा, तो उनको निराशा हुई है। एक तरफ तो आपका सिद्धांत था कि बिक्री कर समाप्त करेंगे लेकिन दूसरी तरफ आप गरीबों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। आप पैकिंग पर भी कर लगाने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि चाहे बिक्री कर समाप्त करने की बात हो या अन्य कोई बात हो सरकार उसे क्यों नही लागू कर पा रही है।

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

आप जो भी कर लगा रहे हैं, छोटे लोगों पर लगा रहे हैं। जैसा कि माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा, आप यह साबित कर रहे हैं कि आप पूंजीपतियों के हाथों में बंधे हैं, इसलिये उनके विचार से सहमत होते हुए आप देखें कि बड़े उद्योगपतियों पर कर न लगाकर साइकिल और पैकिंग पर कर लगाया है, 10 से 25 परसेंट बढ़ाकर ये गरीब मजदूर का अहित करने जा रहे हैं। इसलिये मैं इस बिक्री कर अधिनियम को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, यह मेरी मांग है।

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो चर्चा में भाग लिया है, उसके बारे मे राज्य मंत्री जी उत्तर देंगे। मैं केवल एक निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। शायद माननीय सदस्यों को हम यह भी समझाने में सफल नहीं हो पाए या जानबूझकर अनजान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारी सरकार को बताया हुआ नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यही गड़बड़ है। मैंने कहा था कि यह जो नोंक-झोंक है। (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। राजेन्द्र गुप्ता जी संसदीय कार्य मंत्री हैं और सरकार में हैं। ये कहते हैं कि विधेयक हमारा नहीं है। इनका नहीं है तो क्यों रख रहे हैं। हमने नहीं कहा, पिछली सरकार ने अनुरोध नहीं किया है कि हमारा विधेयक उसमें रख दीजिये। बार-बार कहना कि हमारा नहीं है, मेरी सरकार का बनाया गया है तो उसे यहां क्यों रख रहें हैं, क्यों नहीं बिक्री कर समाप्त कर रहे हैं। बार-बार अपने काले कारनामों के लिये पिछली सरकार पर दोष लगा रहे हैं।

चलता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा ही है कि पिछली सरकार का है। इसके बाद औचित्य देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं पुरानी सरकार का नाम नहीं लेता, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि यह अध्यादेश अप्रैल, 91 में जारी हुआ था। इसका पूरा प्राविधान पूरे प्रदेश में जारी हो गया। यह पास न करवाएं तो जो परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं, जो टैक्स वसूल हो गये हैं या और जो नियमानुसार काम हो गये, उनका क्या होगा। स्थिति यह है कि बिक्री कर से लोग परेशान नहीं हैं। बिक्री कर उगाही की प्रक्रिया से हर व्यापारी परेशान है। हम इस बात को समझते हैं कि जो प्रक्रिया है या सरलीकरण है, केवल व्यापारी की नहीं है, आम उपभोक्ता की भी है। उपभोक्ता इस बिक्री कर के कारण मन में शंकित है। मान्यवर, हमने अभी एक बैठक की थी और अनेक निर्णय लिये हैं। चूंकि विधान सभा का सत्र चल रहा है, इसलिये घोषणा करना उचित नहीं समझा। इसके अन्दर बहुत से प्राविधान ऐसे हैं जिनसे हमारी सरकार सहमत नहीं है। इसमें एक प्राविधान यह है कि जजमेंट के बाद 8 वर्ष के बाद रि-ओपने किया जा सकता है। इससे हर व्यापारी परेशान है। छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार 8 वर्ष तक खाते कहां से रखेंगे। लेकिन वह प्रतीक्षा करेगा कि रिओपने हो सकता है? तब तक व्यापारी स्वयं भी भूल जायेगा और एस०डी०ओ० भी पता नहीं कहां होंगे। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि उसमें राहत दें। हम उसको तीन श्रेणियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जो 10 लाख तक के होंगे उनको 5 साल तक की सीमा लगायेंगे, उसके बाद 10 लाख से 25 लाख के लिए 6 वर्ष की सीमा लगायेंगे और 25 लाख से ऊपर वाले को 8 वर्ष की सीमा लगायेंगे। माननीय विशारद जी ने साफ रखा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का हमारा इरादा नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे राखी है, बहनें राखी बन्धन में रक्षा बांधती हैं, पुराने भागीदार हमारे चौधरी साहेब रहे हैं, इस पर भी बिक्री कर लगा हुआ है। दोना-पत्ते पर बिक्री कर लगा हुआ है। आप देखेंगे, हम कमेटी भी बनाना चाहते हैं। इस समय दोना-पत्तर, कुल्हड़, जूटदार निर्यात आदि पर बिक्री कर लगा हुआ है। हमारा विचार पूरी प्रक्रिया को सरल करने का है। हमारी योजनाओं को सभी व्यापारी स्वागत कर रहे हैं। मैंने जो बात कही, यह जान-बूझकर मैंने रखा, अगर हम इसको न रखते तो हमारे सामने विधिक कठिनाइयां पैदा हो रही थीं। मैं समझता हूं कि माननीय विशारद जी के स्वभाव को भी जानता हूं, जो व्यवस्था मैं लाना चाहता हूं, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा माननीय विशारद जी द्वारा की जायेगी। मैं माननीय चौधरी जी से और माननीय विशारद जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, चुनार के पत्थर, जिनको घन-घोटी लोग तोड़ते हैं, जिसमें उनका श्रम लगा है, उसमें बिक्री कर नहीं लगा था, पिछले समय से बिक्री कर लगा है। क्या उसको माननीय मंत्री जी समाप्त करेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय यदुनाथ सिंह का आभारी हूं, इनको बिक्री कर की जानकारी है। जब मैं विधायक था, तब भी उनके पत्रों की मुझे जानकारी है। जो जानकारी अभी आपने दी है, उसे मैं देखूंगा।

*श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, आज तक उद्योग के संबंध में जो पिछड़े क्षेत्र होते थे, वहां पर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सेल्स टैक्स में छूट दी जाती थी ताकि नये उद्योग वहां पर लगें। लेकिन इस संशोधन के द्वारा इन्होंने ऐसी इकाइयों को जो पहले से ही लगी हैं को छूट देने के लिए सिर्फ आधुनिकीकरण शब्द जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि ये उद्योगपतियों को कर से मुक्त करना चाहते हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, दूसरे किस्म के सामान खरीदते हैं, उनके ऊपर कर का बोझ पड़ा रहेगा। मान्यवर, आधुनीकीकरण के नाम पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और स्थापित उद्योग में कोई पुर्जा लगा है, तो वह कर से मुक्त पा लेगा। तो एक तरह से उद्योगपति को कर से मुक्त करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इससे तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो सरकार कर मुक्त करने की जो पहले बात करती थी उद्योगपतियों को कर से मुक्त करा देगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य की भावनाओं को मैं समझ नहीं सका। अगर उद्योगपतियों पर कर नहीं पड़ेगा, तो छोटे दुकानदारों को कैसे कर पड़ जायेगा? उसमें राजस्व की भी क्षति होती है तो वह राजस्व की क्षति बचे, उद्योग व्यापार हमारे यहां से न जाने पाये इसके लिए रास्ता निकालना हमारा लक्ष्य है। मैं औद्योगीकरण भी करना चाहता हूं और पुराने और नये उद्योगों का जो विवाद है जैसे जो पुराने उद्योग हैं वह बिक्री कर मुक्त नहीं हैं और नये में हैं तो नये और पुराने में प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, उसको समाप्त करना है। हमारा काम है लेबर अर्थात रोजगार सृजित करें। पुराने उद्योगों को बढ़ाये और नये उद्योगों को और आगे बढ़ने का मौका दें जिससे उपभोक्ता लाभान्वित हो, इस सबको देखकर मैं बिक्री कर की नीति बनाने वाला हूं।

श्री सोमांश प्रकाश–

अगर सबको बराबर कर दें तो बिक्री कर की चोरी खत्म हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सोमांश प्रकाश जी का बहुत अच्छा सुझाव है। इसका परीक्षण कराने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता प्रदेश हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां उपभोक्ता ज्यादा हैं, उद्योग ज्यादा हैं तो हमें इन सब बातों को देखना हैं जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको रेशनलाइज करना है तो इसमें हो सकता है कि कहीं बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाय या कहीं घटाने की आवश्यकता पड़ जाय। इस पर अभी तक छोटे-छोटे खण्डों में विचार किया जाता रहा है लेकिन हम इसको पूरी तरह से देखना चाहते हैं। मान्यवर, इस बिक्री कर विभाग में इतने फार्म हैं कि सैल्सटैक्स आफिसर को भी इसकी जानकारी नहीं है। क्लासीफाइड राजस्व क्या है, अनक्लासीफाइड क्या है, एक जिले में क्लासीफाइड कर लिया जायेगा और दूसरे जिले में वहीं अनक्लासीफाइड ले लिया जायेगा तो इन सबको हमें देखना हैं, हमारी नीयत पर कृपा करके शंका न करें हम तो जल्द ही यह चीज लायेंगे जिससे राम गोविन्द चौधरी प्रसन्न हो जायेंगे।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, अभी बिक्री कर का ये विरोध कर रहे थे। व्यापारियों का बिक्री कर खत्म किया जायेगा तो उपभोक्ता को लाभ होगा। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे माननीय सदस्य इसे समझ नहीं पा रहे हैं। (शोर)। मान्यवर, मैं अपने विषय पर आता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर टैक्स कम होगा या समाप्त कर दिया जायेगा तो उपभोक्ताओं को कम दाम पर सामान मिलेगा। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य जैसे राजस्थान में या केन्द्र में दिल्ली में एक प्रतिशत बिक्री कर है और हमारे उत्तर प्रदेश में 4 प्रतिशत है तो यहां के उपभोक्ता या तो दिल्ली जाते हैं या राजस्थान जाते हैं और यहां के व्यापारी बड़े दुखी होते हैं कि जो सामान उपभोक्ता को हमसे खरीदना चाहिए था वह बाहर से लाते हैं। इसलिए या तो इस प्रदेश में केन्द्र सरकार के बराबर टैक्स कर दिया जाय या पड़ोसी जो राज्य है उसके बराबर टैक्स कर दिया जाय तो इस प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा, बिक्री बढ़ेगी और धन भी बढ़ेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे माननीय सदस्य बिक्री कर घटाने का विरोध कर रहे हैं वे व्यापारियों के हिमायती है, गरीबों के हिमायती नहीं हैं किसानों के हिमायती नहीं हैं। अगर टैक्स कम होगा तो उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सामान मिलेगा और किसानों को भी लाभ होगा। टैक्स कम होने से 20 गुना बिक्री बढ़ेगी, बिक्री कर की चोरी रुकेगी और टैक्स अपने आप सरकार को अधिक मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

राम गोविन्द चौधरी जी और भगवती सिंह विशारद जी, जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़े वरना संकल्प वापस ले रहे हैं। (शोर)

माननीय चौधरी जी, विशारद जी अपना संकल्प और संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मेरा निवेदन यह है कि यह ऐसा शुभ दिन है आपके संरक्षण में कि माननीय वित्त मंत्री जी और विरोध पक्ष में एक मिलन का बिन्दु आ गया है। मंत्री जी का कहना है कि पुरानी सरकार का मामला है हम इसका 2-4 महीने में या 6 महीने में सरलीकरण की प्रक्रिया को और टैक्स नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उसको हम आगे बढ़ायगे मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह प्रस्ताव को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें तो उनको बड़ी सुविधा हो जायेगी। उनका पालियामटरी जो उत्तरदायित्व है उसकी भी पूर्ति हो जायेगी और दूसरी तरफ जब यह जनमत संग्रह के लिये परिचालित होगा तो जो व्यापारियों तमाम बुद्धिजीवियों और जो सेल्सटेक्स के वकील हैं उनकी सब की राय आ जायेगी फिर आप उसको समवेत कर एक अच्छे संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो फिर हम समर्थन करेंगे। मैं यह भी मांग करुंगा कि बिक्री कर के संबंध में 1948 से इतने संशोधन हुए हैं कि किसी पुस्तक में इसको एकत्र करके देखना चाहे तो भी हमको ढूढ़े नहीं मिलेंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बिक्री कर संशोधन को जब अधिनियम आदि के रूप में परिवर्तित करें तो इसे एक कम्पलीट बुक या संस्करण के रूप में प्रकाशित करायें जिसमें सारी चीजें आ जायें। जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर मैं बल देता हूं। माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जनहित में इसे स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम गोविन्द चौधरी जी आप अपना संकल्प व संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरी बात पर माननीय सदस्य आगरा ने बल दिया है कि बिक्री कर से उपभोक्ताओं को परेशानी बढ़ रही है उन्होंने यह भी कहा कि इसे समाप्त कर दिया जाय या बिक्री कर की दर को बिल्कुल मामूली कर दिया जाय। वे सत्तापक्ष के हैं उनकी भावना की कद्र करते हुए सरकार से कहूंगा कि उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए उनकी घटती हुई क्रय शक्ति को देखते हुए बिक्री कर की समाप्ति की आज घोषणा करें अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आज इसकी घोषणा करें तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक मिनट लूंगा, माननीय विशारद जी और माननीय चौधरी साहब की बात को स्वीकार कर लेता, मुझे आपत्ति नहीं है, अगर वह यह देखते कि यह प्रवर समिति में या जनमत संग्रह की जो बात है, अगर यह जनमत संग्रह में जाता है तो उसमें इन्हीं बिन्दुओं पर अभिमत प्राप्त हो सकेगा, प्रवर समिति में जो गया तो भी इन्हीं बिन्दुओं पर ही अभिमत मिलेगा। विशारद जी ने अभी कहा कि जो 1948 का ऐक्ट है इसमें जो संशोधन हैं उसको रि-पब्लिश किया जाय। वहीं दूसरी तरफ इसको एबालिश करने की बात आयी, इसलिये हमें इन मुद्दों को भी देखना है। मैं खुद समझता हूं कि विशारद जी जिन उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी जिन उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं, उसमें सरकार को काम करने का मौका दें। अगर प्रवर समिति को भेज देंगे तो उसमें केवल इन्हीं मुद्दों पर विचार किया जायेगा, जिससे आपके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होगी। आप हमें काम करने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को प्रदेश में जनमत संग्रह हेतु एक माह के लिये परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेशबिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-33 तक व खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991

उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (क), (ख) और (घ); धारा 8 के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) और (तीन), और खण्ड (ख), (ग), (घ), (ड़); और (च); धारा 9 का खण्ड (घ); धारा 10; धारा 13 का खण्ड (क), खण्ड (ग) का उपखण्ड (तीन) और खण्ड (घ); धारा 14; धारा 15; धारा 16, धारा 17; धारा 18 के खण्ड (क) का उपखण्ड (तीन) और खण्ड (ख); धारा 20 का खण्ड (क); धारा 21; धारा 23; धारा 24; धारा 25: धारा 28; धारा 29 के खण्ड (ख) और (ग); धारा 30, धारा 31 और धारा 32, दिनांक 25 अप्रैल, 1990 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी; धारा 2 का खण्ड (ग); धारा 4; धारा 5; धारा 18 के खण्ड (क) का उपखण्ड (दो) और धारा 22 दिनांक एक अगस्त, 1990 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी;

धारा 6, धारा 7, धारा 8 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) और (चार) धारा 9 के खण्ड (क); (ख) और (ग) धारा 11, धारा 12, धारा 13 के खण्ड (ख), खण्ड (ग) के

उपखण्ड (एक) और (दो), धारा 18 के खण्ड (क) का उपखण्ड (एक), धारा 19, धारा 20 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ड़) और (च), धारा 26, धारा 29 का खण्ड (क) दिनांक 19 फरवरी, 1991 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी;

धारा 3 ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियत करें; और

शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 है, सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में—

(क) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा और 2 फरवरी, 1983 को रखा गया समझा जायेगा, अर्थात्:—

"(घ) "माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार या वर्ग की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत किसी संकर्म संविदा के निस्तारण में अन्तर्ग्रस्त समस्त सामग्री, वस्तुयें और पदार्थ और उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष और ऐसी वस्तुयें भी हैं जो पृथ्वी से संलग्न हों या पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न किसी वस्तु से बंधी हों, और जिन्हें बिक्री के संविदा के अधीन पृथक करने का अनुबन्ध हो, किन्तु इसके अन्तर्गत अनुयोज्य दावा, स्टाक, शेयर, प्रतिभूति का डाक विभाग द्वारा बेची गई डाक लेखन सामग्री नहीं है;";

(ख) खण्ड (ड़ड़) में, शब्द "निर्माण किये जाने के पश्चात् राज्य में प्रथम बार उसकी बिक्री करें" के पश्चात् शब्द "और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यापारी भी है जो ऐसी साइकिलें बेचता है जिसके पुर्जे पूर्णतया अलग-अलग हों" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे;

(ग) खण्ड (ञ) में, स्पष्टीकरण-2 में, उपखण्ड (1)- के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा और 1 अगस्त, 1990 से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात:—

"(1) उस धनराशि में, जिस पर माल बेचा या क्रय किया जाय, ऐसी पैकिंग सामग्री का मूल्य जिसमें वे पैक किये जायें और ऐसी कोई रकमें भी सम्मिलित होंगी जिन्हें बिके हुए माल के सम्बन्ध में माल के परिदान के समय या पूर्व व्यापारी द्वारा किये गये किसी काम के लिये लिया गया हो, सिवाय भाड़े या माल के परिदान के व्यय के अथवा संस्थापन के व्यय के या बिक्री कर या क्रय कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि के जबकि ऐसा व्यय या धनराशि पृथक रूप से ली गई हो;",

(घ) खण्ड (ड़) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा और 1 अक्तूबर, 1988 को बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात्:—

"(ढ) 'कर" के अन्तर्गत अतिरिक्त कर और धारा 7-घ के अधीन स्वीकार की गई एकमुश्त धनराशि भी है।"

धारा 3-क संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में शब्द "देशी शराब सम्मिलित नहीं है और जिसमें" निकाल दिये जायेंगे और शब्द "भी नहीं है" के स्थान पर शब्द "सम्मिलित नहीं है" रख दिये जायेंगे और शब्द "आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर" "के पश्चात् शब्द" "या ऐसे अन्य एकल स्थल पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे" बढ़ा दिये जायेंगे।

नयी धारा 3-क ख का बढ़ाया जाना

4 मूल अधिनियम की धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी और 1 अगस्त, 1990 को बढ़ायी गयी समझी जायेगी, अर्थात्—

"3-क ख—इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां माल पैकिंग सामग्री के साथ बेचा या खरीदा जाय, वहां पैकिंग सामग्री की बिक्री या खरीद पर माल के साथ बेची गई पैकिंग सामग्री पर कर की दर,

(क) ऐसे पैकिंग सामग्री के साथ बेचे या खरीदे गये माल की बिक्री या खरीद पर प्रयोज्य दर पर कर लगेगा;

(ख) कोई कर नहीं लगेगा, यदि व्यापारी द्वारा बेचा गया या खरीदा गया ऐसा माल कर से मुक्त हो।"

संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 3-ड़ में, उप धारा (3) में, शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "पच्चीस" रख दिया जायेगा और 1 अगस्त, 1990 को रखा गया समझा जायेगा। धारा 3-ड़ का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 3-च में, शब्द "या धारा 3-छ" निकाल दिये जायेंगे और 13 सितम्बर, 1985 को निकाल दिये गये समझे जायेंगे। धारा 3-च का संशोधन

7 मूल अधिनियम की धारा 3-छ में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित धारा 3-छ का उपधारा रख दी जायेगी और 12 अक्तूबर, 1983 को रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्:- संशोधन

"(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा में माल क्रय करने के पश्चात् कोई ऐसा विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी, उपधारा (2) में उल्लिखित रीति से उसका उपयोग या निस्तारण करें तो अर्थदण्ड आरोपित करने सहित इस अधिनियम के अधीन की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल के क्रय या बिक्री पर अन्यथा प्रयोज्य दर पर और उप-धारा (1) के अधीन प्रयोज्य दर पर संगणित करके अन्तर के बराबर की धनराशि का देनदार होगा।"

धारा 4-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4-क में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) और अक "धारा 3 या धारा 3-क" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे;

(दो) शब्द "उद्योग के विकास" के स्थान पर शब्द "किसी उद्योग के विकास" रख दिये जायेंगे और 1 अप्रैल, 1990 को रखे गये समझे जायेंगे;

(तीन) शब्द "सात वर्ष" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रख दिये जायेंगे और 1 अप्रैल, 1990 को रखे गये समझे जायेंगे;

(चार) शब्द "बिक्री कर से मुक्त रहेगा" के स्थान पर शब्द "बिक्री कर से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मुक्त रहेगा" रख दिये जायेंगे और 1 अप्रैल, 1990 को रखे गए समझे जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(ग) उनमें से केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो किसी ऐसी इकाई में निर्मित किया गया है, जिसका विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण 1 अप्रैल, 1990 को या इसके पश्चात् किया गया है, और जो विविधीकरण की दशा में उस

मालों से भिन्न है जो ऐसे विविधीकरण के पूर्व निर्मित किये जाते थे और विस्तार या आधुनिकीकरण की दशा में विस्तार या आधुनिकीकरण के फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन है; और":

(दो) खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:—

"(ड.) विज्ञप्ति के दिनांक से पूर्व के किसी दिनांक से अनुमन्य होगी।"

(ग) उपधारा (2-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी और 12 अक्तूबर, 1983 को बढ़ा दी गई समझी जायेगी, अर्थात्:—

"(2ख) यदि ऐसे निर्माता का जो उपधारा (1) के अधीन छूट के लिए पात्र था, चाहे उसे ऐसी छूट पहले दी गई हो, या न दी गई हो, धारा 18 की उपधारा (1) के अर्थान्तर्गत व्यापार बन्द हो जाए और यदि उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य निर्माता होता है तो ऐसा उत्तराधिकारी निर्माता, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती निर्माता को दी गई, या दी जा सकने वाली, छूट की असमाप्त अवधि के लिये, इस धारा के अधीन छूट दिये जाने के लिये बिक्री कर कमिश्नर को ऐसे उत्तराधिकार के साठ दिन के भीतर आवेदन कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उत्तराधिकार दिनांक 25 अप्रैल, 1990 के पूर्व हुआ है तो ऐसा आवेदन-पत्र 25 सितम्बर, 1990 तक दिया जा सकता है:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि बिक्री कर कमिश्नर स्वविवेक से और अभिलिखित किये जाने वाले उपयुक्त और प्रयांत कारणों से इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक के छः मास के भीतर दिये गये आवेदन-पत्र को ग्रहण कर सकता है।";

(घ) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और 13 सितम्बर, 1985 को रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्:—

"(3) जहां बिक्री कर कमिश्नर की यह राय हो कि उप धारा (2) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट पात्रता प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त की गई कर मे छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का किसी भी रीति से दरुपयोग किया गया है या इकाई ने ऐसी किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया है जिनके अधीन कर मे छूट या कर की दर में कमी की सविधा दी गयी थी या यह कि इकाई जिसकों इस अधिनियम के उपबन्धों के अनसार पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया हो, इस धारा के अधीन सविधा की हकदार नहीं है या अल्प अवधि के लिये ही या किसी भिन्न दिनांक मे ऐसी सविधा की हकदार है, वहां वह छूट या कमी की अवधि की समाप्ति के पर्व या उसके पश्चात् दिये गये लिखित आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से पात्रता प्रमाण-पत्र को रद्द या संशोधित कर सकता है और ऐसा दिनांक आदेश के दिनांक के पूर्व का हो सकता है, किन्त दुरुपयोग या उल्लंघन के मामलों में पात्रता प्रमाण-पत्र का रद्द किया जाना ऐसे दुरुपयोग या उल्लंघन के दिनांक के पूर्व से प्रभावी नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश सम्ब : व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं दिया जायेगा।

(4) सन्देहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि जहां उपधारा (3) के अधीन कोई पात्रता प्रमाण-पत्र रद्द या संशोधित कर दिया गया हो, वहां व्यापारी उस अवधि के जिसके दौरान उसे इस धारा के अधीन छूट या कर की दर में कमी की सुविधा अनुमन्य न हो, अपने विक्रय धन पर कर का देनदार होगा।

(5) कोई निर्माता उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा के लिए हकदार होगा,—

(क) यदि वह उक्त उपधारा में निर्दिष्ट सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के सुसंगत दिनांक से छह मास के भीतर या 30 सितम्बर, 1991 तक, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करता है तो उक्त उपधारा के अधीन विज्ञापित सम्पूर्ण अवधि के लिए,

(ख) यदि वह खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करता है तो उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित अवधि के केवल उस भाग के लिए, जिसकी संगणना आवेदन-पत्र के दिनांक से सुविधा की अवधि के अन्त तक की जायेगी।

(ग) स्पष्टीकरण के खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी नई इकाई के सम्बन्ध में, जब कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् दिया जाय तथा रजिस्ट्रीकरण ऐसे दिनांक के पश्चात्वर्ती किसी दिनांक से प्रभावी किया जाय, तब खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित अवधि के केवल उस भाग के लिए, जिसकी संगणना रजिस्ट्रीकरण प्रभावी होने के दिनांक से ऐसी सुविधा की अवधि की समाप्ति तक की जायेगी।

(6) जहां राज्य सरकार की राय हो कि उस प्रयोजन की पूर्ति हो गयी है जिसके लिए इस धारा के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा दी गई थी, या यह कि ऐसी सुविधा का जारी रहना अब लोक हित में नहीं है या लोक हित के विरुद्ध है, वहां वह विज्ञप्ति द्वारा, किसी उद्योग, व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग को दी गयी ऐसी सुविधा वापस हो सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई सुविधा भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं ली जायेगी।";

(ड़) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा और 12 अक्टूबर, 1983 को रखा गया समझा जायेगा, अर्थात्.—

"स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(1) 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान "नई इकाई" का तात्पर्य किसी व्यापारी द्वारा 1 अक्तूबर, 1982 को या उसके पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1990 तक स्थापित ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम से है—

(क) जो औद्योगिक उपक्रमों के लाइसेंसीकरण या रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समुचिता प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो या जिसके सम्बन्ध में आशय पत्र जारी कर दिया गया हो या जो स्थायी रूप से या अन्यथा रजिस्ट्रीकृत हो:

(ख) (एक) जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या

(दो) जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र उक्त अधिनियम के अधीन दिया गया हो, या

(तीन) जो उत्तर प्रदेश वित्त निगम या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से सावधि ऋण के लिए आवेदन करने के पश्चात् स्थापित किया गया हो चाहे ऐसा सावधि ऋण के लिए आवेदन करने के पश्चात् स्थापित किया गया हो चाहे ऐसा सावधि ऋण, उपक्रम के स्थापित होने के पूर्व या उसके पश्चात् स्वीकृत और संवितरित किया गया हो (जहां उपक्रम में पूंजी विनियोजन तीन लाख रुपये से अधिक न हो);

(ग) जो ऐसी भूमि या भवन या दोनों पर हो जो ऐसे व्यापारी के स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर ली गयी हो या ऐसे व्यापारी को किसी सरकारी कम्पनी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम द्वारा आवंटित हो;

(घ) जिसमें ऐसी मशीन साधित्र या संघटक पुर्जों का प्रयोग होता हो जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कार्यशाला में न तो पहले से ही प्रयोग के लाये गये हों और न ही उसमें प्रयोग में लाये जाने के लिये अर्जित किये गये हों;

(ङ) जो उस दिनांक को जब से उसे ऐसी सुविधा दी जा सकती हो इस धारा के अधीन सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो और इसके अन्तर्गत किसी ऐसे व्यापारी द्वारा स्थापित खण्ड (क) से (ङ) में निर्धारित शर्तें पूरी करने वाला, कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम भी है,—

(एक) जिसके पास पहले से राज्य में किसी अन्य स्थान पर वही माल निर्माण करने वाला कोई औद्योगिक उपक्रम हो; या

(दो) जो किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर किसी अन्य माल का निर्माण करता हो;

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है:—

(एक) किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला, जिसमें वही माल निर्माण किया जाता हो, और ऐसा व्यक्ति उस वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में मालिक या भागीदार या अभिकर्ता या सम्प्रवर्तक या नियंत्री कम्पनी या समनुषंगी कम्पनी के रूप में हित रखता है किन्तु जहां ऐसे कारखाने या कर्मशाला में उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 19 जनवरी, 1985 के पूर्व पड़ता है, वहां इस खण्ड को ऐसे समझा जायेगा मानों शब्द "या उससे आसन्न" निकाल दिये गये थे, या

(दो) किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में कोई परिवर्धन या विस्तार: प्रतिबन्ध यह है कि—

(एक) किसी ऐसी नई इकाई के सम्बन्ध में जिसका उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 24 मार्च, 1984 के पूर्व पड़ता है, खण्ड (घ) में, शब्द "भारत में" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश में" रख दिये गये समझे जायेंगे;

(दो) ऐसी किसी नई इकाई के सम्बन्ध में जिसका उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 27 अगस्त, 1984 के पूर्व पड़ता है, और जिसमें पूंजी विनियोजन तीन लाख रुपये से कम न हो, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र देने की शर्त लागू नहीं होगी;

(तीन) ऐसी किसी नई इकाई के सम्बन्ध में जिसका उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 6 मार्च, 1986 के पूर्व पड़ता है, कम से कम सात वर्ष की अवधि की पट्टा सम्बन्धी शर्त लागू नहीं होगी;

(चार) जिस इकाई के सम्बन्ध में, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् दिया जाय तथा रजिस्ट्रीकरण ऐसे दिनांक के पश्चातवर्ती किसी दिनांक से प्रभावी किया जाय, उसे उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा की अनुमन्यता के लिए उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति अवधि के केवल उस भाग के लिए, नई इकाई माना जायेगा जिसकी संगणना रजिस्ट्रीकरण प्रभावी होने के दिनांक से ऐसी सुविधा की अवधि की समाप्ति तक की जायेगी।

(2) 31 मार्च, 1990 के पश्चात् "नई इकाई" का तात्पर्य ऐसे कारखाना या कर्मशाला से है जो किसी व्यापारी द्वारा ऐसे दिनांक के पश्चात् स्थापित किया गया हो और ऐसे कारखाने या कर्मशाला के सम्बन्ध में इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमो या विज्ञप्तियों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरी करता हो और इसके अन्तर्गत राज्य में किसी अन्य स्थान पर उसी माल का निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई या किसी वर्तमान कारखाना या कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर कोई अन्य माल का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाई भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है:—

(क) कोई ऐसा कारखाना या कर्मशाला जो ब्वायलरों और जेनरेटरों से भिन्न ऐसी मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या संघटकों का उपयोग करता हो जिसका भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में पहले से ही उपयोग किया गया हो या उपयोग के लिए अर्जित किया गया हो; या

(ख) किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला जिसमें उसी माल का निर्माण किया जाता हो और जिसमें ऐसा व्यापारी मालिक या भागीदार या अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक या सम्प्रवर्तक निदेशक के रूप में या नियंत्री कम्पनी या समनुषंगी कम्पनी के रूप में हित रखता हो; या

(ग) किसी विद्यमान कारखाना या कर्मशाला में कोई परिवर्धन या विस्तार जो इस स्पष्टीकरण के खण्ड (5) के अर्थान्तर्गत कोई विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण न हो;

(3) "उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक" तात्पर्य निम्नलिखित दिनांकों में से पश्चातवर्ती दिनांक से है, अर्थात्

(क) ऐसा दिनांक जिसको माल के यथास्थिति (चाहे परीक्षण या वाणिज्यिक स्तर पर) या [redacted] उपयोग के लिए अपेक्षित कोई कच्चा माल (जिसके

अन्तर्गत सहायक सामग्री, संघटक पुर्जे और पैकिंग सामग्री भी है (प्रथम बार क्रय किया जाय; या

(ख) जहां माल का निर्माण विद्युत के बिना सम्भव न हो, वहां वह प्रथम दिनांक जब इकाई द्वारा किसी निर्माण (चाहे परीक्षण या वाणिज्यिक स्तर पर) के लिए किसी भी स्रोत से विद्युत प्रदाय प्राप्त किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि भारत के बाहर से 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् क्रय किये गये ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री के सम्बन्ध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी के दिनांक को खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए उसके क्रय का दिनांक समझा जायेगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्माण का कोई प्रक्रम ऊपर निर्दिष्ट किन्हीं दिनांकों के पूर्व प्रारम्भ किया जाय, वहां ऐसे प्रारम्भ का दिनांक उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक होगा;

(च) खण्ड (ङ) द्वारा यथा प्रतिस्थापित स्पष्टीकरण में खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे और 1 अप्रैल 1990 को बढाये गये समझे जायेंगे, अर्थात्:—

(4) "स्थिर पूंजी विनिधान" का तात्पर्य भूमि और भवन में और ऐसे संयंत्र, मशीन, उपस्कर, साधित्र और संघटकों में विनिधान से है जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में न तो पहले से प्रयोग में लाये गये हों, न ही उसमें प्रयोग में लाये जाने के लिए अर्जित किये गये हों:

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) भूमि और भवन के केवल ऐसे भाग में विनिधान को गणना में लिया जायेगा जो किसी इकाई के कारखाने या कर्मशाला को स्थापित करने या चलाने के लिए आवश्यक हो;

(ख) यदि इकाई की स्थापना ऐसे मालिक या भागीदार या प्रबन्ध निदेशक या सम्प्रवर्तक निदेशक या नियंत्री कम्पनी के पहले से स्वामित्वाधीन भूमि या भवन में की जाय जिसने उसे उसकी पूंजी में अपने अंश के रूप में इकाई के प्रयोग के प्रयोजनार्थ दिया हो, तो केवल ऐसी धनराशि को गणना में लिया जायेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी मूल्यांकन कर्त्ता द्वारा ऐसी भूमि या भवन के मूल्य के रूप में प्रमाणित किया जाय;

(ग) यदि इकाई की स्थापना पट्टे पर ली गई भूमि या भवन में की जाय तो ऐसे पट्टे के सम्बन्ध में केवल प्रीमियम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि को गणना में लिया जायेगा;

(5) "ऐसी इकाई जिसका विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण से किया गया है" का तात्पर्य ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है:—

(क) जो ऐसे व्यापारी की हो जो इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन या प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशासित बिक्री कर ऋण योजना के अधीन, किसी देय के भुगतान में व्यतिक्रमी न हो;

(ख) जिसने 31 मार्च, 1990 के पश्चात् किसी समय विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया हो;

(ग) जिसकी उत्पादन क्षमता, विस्तार या आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप कम से कम पच्चीस प्रतिशत बढ़ गई हो या जिसमें विविधीकरण के पश्चात् पूर्वतर निर्माण किये गये माल से भिन्न प्रकार के माल का निर्माण किया जाता हो;

(घ) जिसमें (अवक्षयण के लिए व्यवस्था किये बिना) ऐसे मूल्य विनिधान का कम से कम पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त स्थिर पूंजी विनिधान किया गया हो।"

धारा 8 का संशोधन

9.—मूल अधिनियम की धारा—8 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "या जून 1975 के प्रथम दिन से, जो भी पश्चातवर्ती हो" के स्थान पर शब्द "ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, शब्द "देय हो" के पश्चात् शब्द "और इसके अन्तर्गत धारा 3-ख के अधीन देय धनराशि भी है" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (1-ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

"(1-ख) यदि स्वीकृत रूप से देय कर जिस पर उपधारा (1) लागू होती है से भिन्न कोई कर जो किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निर्धारित, पुनः निर्धारित या बढ़ाया गया हो कर निर्धारण तथा मांग की नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद तीन मास तक अदत्त रह जाय, तो ऐसी समाप्ति के दिनांक से संगणित अदत्त धनराशि पर डेढ़ प्रतिशत प्रति मास की दर से साधारण ब्याज देय हो जायेगा जिसकी अदायगी करनी होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर की धनराशि अपील या पुनरीक्षण पर या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा परिवर्तित कर दी जाय तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की धनराशि की पुनः संगणना की जायेगी:

(घ) उपधारा (2-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(2-क) उपधारा (1), (1-क), (1-ख), (1-ग) या (2) में किसी बात के होते हुए भी, बिक्री कर कमिश्नर ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निर्माता के प्रार्थना-पत्र पर, धारा 4-क के अधीन छूट के बदले में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, स्वीकृत कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन स्वीकृत कर सकता है। राज्य सरकार ऐसी परिस्थितियों में जिसमें वह धारा-4-क के अधीन छूट वापस ले सकती है, कोई ऐसा अधिस्थगन वापस ले सकती है किन्तु ऐसा वापस लिया जाना भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगा।"

धारा 8-क का संशोधन

10.—मूल अधिनियम की धारा 8-क में,—

(क) उपधारा (1-क) में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और दिनांक 1 अप्रैल, 1987 को किए गए समझे जायेंगे, अर्थात्:—

(एक) खण्ड (क) में उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:—

"(2) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण उस दिनांक से प्रभावी होगा जब व्यापारी रजिस्ट्रीकरण के लिये दायी हो जाता है यदि वह उपधारा (1) के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता है और किसी अन्य स्थिति में, उस दिनांक से जब वह रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् [illegible]टीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र देता है और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शुल्क के [illegible]तिरिक्त विलम्ब के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये पच्चीस रुपए का विलम्ब [illegible]शुल्क जमा करता है, तो बिक्री कर कमिश्नर, यह समाधान हो जाने पर कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण थे और कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् निदेश दे सकता है कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र यदि जारी किया जाए, उस दिनांक से प्रभावी होगा जब व्यापारी उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये दायी हो गया।"

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) किसी व्यापारी को स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि व्यापारी पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायित्व बना रहे और ऐसे कर निर्धारण वर्ष के जिसके संबंध में शुल्क देय हो, प्रारम्भ के पूर्व निर्धारित रीति से पचास रुपए का शुल्क जमा करता रहे, ऐसा न करने पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रवृत्त नहीं रह जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ के जिसके सम्बन्ध में शुल्क देय हो, पश्चात् ऐसा शुल्क और विलम्ब के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये पच्चीस रुपए का विलम्ब शुल्क जमा करता है, तो बिक्री कर कमिश्नर यह समाधान हो जाने पर कि समय में शुल्क जमा करने में हुए विलम्ब के लिये पर्याप्त कारण थे, और कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् निदेश दे सकता है कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रवृत्त बना रहा समझा जाएगा मानो शुल्क जमा करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था।"

(ख) उपधारा में (2) में खण्ड (ख) में, अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा [illegible] व्यापारी, जिससे बिक्री कर कमिश्नर उसके द्वारा देय कर की धनराशि के बदले में एक मुश्त धनराशि धारा 7-घ के अधीन स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाता है, किसी व्यक्ति से बिक्री कर के रूप में कोई धनराशि या उसके बदले में कोई धनराशि उसे कोई भिन्न या छद्म नाम देकर वसूल नहीं करेगा।"

धारा 8-[illegible] 11. मूल अधिनियम की धारा 8—घ में, उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित संशो[illegible]तिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि बिक्री कर कमिश्नर का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वह कारण अभिलिखित करके आदेश दे सकते हैं कि किसी मामले में या किसी वर्ग के मामलों में, यथास्थिति, कोई ऐसी कटौती नहीं की जायेगी या ऐसी कटौती कम दर पर की जायेगी।"

धारा 9 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में, शब्द "धारा 10 क" के पश्चात् शब्द "या धारा 13-क की उपधारा (6)" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 10 में—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(2) धारा 9 के अधीन [उक्त धारा की उपधारा (4-क) में निर्दिष्ट आदेश से भिन्न] अपील प्राधिकारी द्वारा या धारा 10-ख के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा या धारा 4-क की उपधारा (2-ख) या उपधारा (3) के अधीन बिक्री कर कमिश्नर द्वारा दिए गए किसी आदेश से या धारा 35 के अधीन बिक्री कर कमिश्नर द्वारा दिये गये किसी विनिश्चय से या धारा 13-क की उपधारा (6) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन दिये गये निदेश से क्षब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय या निदेश की प्रति उस पर तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि दो हजार रुपए से अधिक न हो और कोई विधिक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न हो, वहां, अपीलार्थी, अपने विकल्प पर, अधिकरण से अपने अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिए लिखित रूप मे अनुरोध कर सकता है, जिसके उपरान्त अधिकरण तदनुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है।

स्पष्टीकरण:—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए बिक्री कर कमिश्नर से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में पद "कोई व्यक्ति" के अन्तर्गत बिक्री कर कमिश्नर और बिक्री कर कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार भी है।"

(ख) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(8) जहां अधिकरण ने इस धारा के अधीन किसी कर, शुल्क या अर्थदंड की वसूली के स्थगन के लिये या उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए आदेश पारित किया है और अधिकरण के ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप किसी कर, शुल्क या अर्थदंड की वसूली स्थगित हो गई है वहां अधिकरण का ऐसा स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलार्थी बकाया धनराशि के भुगतान के लिए सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे।"

(ग) उपधारा (10) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "धारा 10-ख के अधीन दिये गये आदेश" के पश्चात् शब्द "या धारा 13-क की उपधारा (6) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन दिये गये निदेश" बढ़ा दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ग) में शब्द "धारा 4-क को" के पश्चात् शब्द "उपधारा (2-ख) या" [illegible]गे;

[illegible](घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(ड़) दो या अधिक सदस्यों के किसी न्यायपीठ के समक्ष किसी मामले में, कोई ऐसा आदेश जो मामले का अन्तिम रूप से निस्तारण करने वाले आदेश से भिन्न हो न्यायपीठ का गठन करने वाले सदस्यों में से किसी एक द्वारा पारित किया जा सकता है।"

(घ) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"(10-क) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक ही वाद हेतुक से उत्पन्न समस्त अपीलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय एक साथ किया जायेगा:—

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसी अपीलों में से किसी एक या अधिक अपीलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय पहले ही किया जा चुका हो, यदि अवशेष अपीलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ यह विचार करती है कि ऐसे विनिश्चय से ऐसी अवशेष अपीलों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है, वहां वह, यदि पूर्वतर विनिश्चय—

(क) लघुतर न्यायपीठ या समसंख्य न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को रद्द कर सकती है और सभी अपीलों का विनिश्चय एक साथ करने की कार्यवाही कर सकती है:

(ख) वृहद्तर न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसी अवशेष अपीलों को ऐसी अधिकारितायुक्त वृहद्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसी वृहद्तर न्यायपीठ ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को रद्द कर सकती है और सभी अपीलों का एक साथ विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकती है।"

संशोधन

धारा 11 का 14—मूल अधिनियम की धारा 11 में—

(क) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"(8-क) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में उसी वाद हेतुक से उत्पन्न अपीलों में धारा 10 के अधीन पारित आदेशों के पुनरीक्षण के लिये सभी प्रार्थना-पत्रों की एक साथ सुनवाई और विनिश्चय किया जायेगा:—

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना-पत्रों में से किसी एक या अधिक की सुनवाई और विनिश्चय पहले कर दिया गया है, वहां यदि उच्च न्यायालय अवशेष प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई करते समय, यह विचार करता है कि पूर्वतर विनिश्चय से ऐसे अवशेष प्रार्थना-पत्रों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है, तो वह ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को रद्द कर सकता है और तत्पश्चात् सभी प्रार्थना-पत्रों पर एक साथ सुनवाई और विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकता है।"

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द "बिक्री कर कमिश्नर" के पश्चात् शब्द "और राज्य सरकार" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन 15—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "बिक्री कर कमिश्नर" के पश्चात् शब्द "और किसी अन्य मामले में राज्य सरकार" बढ़ा दिये जायेंगे; और शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "कर सकती है" रख दिए जायेंगे।

धारा 12-क का संशोधन 16—मूल अधिनियम की धारा 12-क को उसकी उपधारा (1) संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा [illegible] निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाऐगी और सदैव से बढ़ा दी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां कोई व्यापारी यह दावा करे कि वह क्रय के किसी सम्व्यवहार के सम्बन्ध में धारा 3-घ के अधीन कर का देनदार नहीं है, वहां—

(क) उसके द्वारा की गई कोई घोषणा या जारी किया गया प्रमाण-पत्र, जिसमें वह प्रथम क्रेता होना स्वीकार करे और क्रय-कर के भुगतान का दायित्व स्वीकार करे, ऐसी घोषणा या प्रमाण-पत्रों में विनिर्दिष्ट संव्यवहार के सम्बन्ध में क्रय-कर के भुगतान करने के उसके दायित्व का निश्चायक साक्ष्य होगा;

(ख) उन तथ्यों और परिस्थितियों के जिनके आधार पर वह दायित्व से ऐसी छूट का दावा करता है, अस्तित्व को साबित करने का भार उसी पर होगा और, विशेषरूप से व्यापारी उस व्यक्ति का जिससे उसने क्रय के ऐसे संव्यवहार में माल खरीदा है, पूर्ण विवरण बताने के लिए भी जिम्मेदार होगा; और

(ग) किसी ऐसे दावे को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को, जिसका विवरण ऐसे व्यापारी द्वारा बताया जाता है सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।"

धारा 13-क का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 13-क में,—

(क) उपधारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और 25 अप्रैल, 1990 को रखी गई समझी जायेंगी, अर्थात्:—

"(3) उक्त कर निर्धारण अधिकारी, व्यापारी या यथास्थित, अभिग्रहण किये जाने के समय माल के प्रभारी व्यक्ति पर (जिसे आगे इस धारा में प्रभारी व्यक्ति कहा गया है), एक लिखित नोटिस तामील करेगा जिसमें उससे यह कारण बताने को कहा जाएगा कि उस पर अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जाए।

(4) यदि ऐसे अधिकारी का, व्यापारी या, यथास्थित, प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि उक्त माल उपधारा (1) में अभिदिष्ट लेखों, रजिस्टरों और अन्य लेख-पत्रों में नहीं दिखाया गया है तो वह ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक, जैसा यह उचित समझे, अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश देगा।":

(ख) उपधारा (6) में शब्द "(जिसमें बैंक ड्राफ्ट भी है)" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

18 मूल अधिनियम की धारा 15-क में,—

(क) उपधारा (1) में—

(एक) खण्ड (ड़) में शब्द "अपने पर निर्धारित कर" के स्थान पर शब्द "अपने द्वारा देय कर" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड "थथ" के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा:

"(थथ) धारा 8-क की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करके बिक्री कर या क्रयकर के रूप में कोई धनराशि या बिक्री कर या क्रयकर के बदले उसे कोई भिन्न या छद्म नाम देकर कोई धनराशि वसूल करता है; या

(तीन) उप खण्ड (2) में शब्द "डेढ़ गुने" के स्थान पर शब्द "दो सौ प्रतिशत" रख दिये जायेंगे और 25 अप्रैल, 1990 को रखे गए समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी और 25 अप्रैल, 1990 को रखी गई समझी जायेगी अर्थात्:–

"(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति व्यापारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील की जाएगी और अर्थदंड के रूप में आरोपित धनराशि ऐसे व्यापारी या व्यक्ति द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी तामीली के तीस दिन के भीतर जमा की जाऐगी और ऐसा न करने पर उसे उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो वह मालगुजारी का कोई बकाया हो।"

धारा 17 का प्रतिस्थापन

19—मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"17—इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी कर या दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी और इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी ऐसी कर निर्धारण या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विचार के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिया जाएगा।"

धारा 21 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 21 में–

(क) उप-धारा (1) में, निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और दिनांक 1 मार्च, 1973 को किये गये समझे जायेंगे–

(एक) वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण (एक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(दो) इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण (एक) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्–

"**स्पष्टीकरण (दो)**:–इस धारा और धारा 22 के प्रयोजनों के लिये "कर निर्धारक अधिकारी" का तात्पर्य उस अधिकारी या प्राधिकारी से है जिसने पूर्वतर कर निर्धारण आदेश, यदि कोई हो, पारित किया हो और इसके अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है जिसे तत्समय व्यापारी पर कर निर्धारित करने की अधिकारिता हो।

स्पष्टीकरण (तीन):–इस उपधारा के अधीन नोटिस जारी करने के बावजूद जहां कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश ऐसी नोटिस के जारी किए जाने के पूर्व से विद्यमान हो, वहां वह उसी प्रकार प्रभावी बना रहेगा, जब तक ऐसी नोटिस के अनुसरण में इस धारा के अधीन किये गये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के किसी आदेश द्वारा उसमें परिवर्तन न कर दिया जाए।";

(ख) उपधारा (2) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि बिक्री कर आयुक्त ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये गये कारणों के आधार पर समाधान होने पर कि ऐसा करना न्यायोचित और समीचीन है, कर निर्धारण अधिकारी को इस निमित्त प्राधिकृत कर दिया है, तो इस बात के होते हुए भी कि ऐसे कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण करने में मत परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त हो सकता है, ऐसा कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी किया जा सकेगा किन्तु ऐसे वर्ष की समाप्ति से आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।"

(ग) उपधारा (3) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा;

(घ) उपधारा (4) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा;

(ङ) उपधारा (5) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा;

(च) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी:—

"(6-क) करदाता के किसी अन्य कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के सम्बन्ध में कोई अपील या अन्य कार्यवाही जिसमें विधि का ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, जिसका प्रश्नगत कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण पर सीधा प्रभाव पड़ सकता हो, जिस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित रही हो, उस अवधि को इस धारा में उपबन्धित परिसीमा-काल की गणना करने में निकाल दिया जाएगा।"

21—मूल अधिनियम की धारा 22 में— धारा 22 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में—

(एक) शब्द "कर निर्धारक, अपील सुनने वाला या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण" के स्थान पर शब्द "कोई अधिकारी या प्राधिकारी या अधिकरण या उच्च न्यायालय" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "अपने आदेश में" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश में" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "सम्बन्धित अधिकारी" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

22 मूल अधिनियम की धारा 29-क में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:— धारा 29-क का संशोधन

"(1) जहां धारा 8-क की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी व्यापारी द्वारा किसी व्यक्ति से किसी माल की बिक्री या क्रय पर कर के रूप में तात्पर्यित कोई धनराशि वसूली की जाए, वहां ऐसा व्यापारी इस प्रकार वसूली की गई सम्पूर्ण धनराशि ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जैसी निर्धारित की जाए, जमा करेगा।"

23 मूल अधिनियम की धारा 30 में उपधारा (1) में जहां-तहां शब्द "कर निर्धारण" आए हैं, उनके स्थान पर शब्द "कर निर्धारण या अर्थदण्ड" रख दिये जायेंगे। धारा 30 का संशोधन

24 मूल अधिनियम की धारा 32 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:— धारा 32 का संशोधन

"(2) इस धारा में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निर्दिष्ट शुल्क निर्धारित रीति से देय होगा और उसको जमा करने का सबूत, यथास्थिति, ज्ञापन-पत्र या प्रार्थना-पत्र से संलग्न किया जाएगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां देय शुल्क की धनराशि पन्द्रह रुपये से अधिक न हो; वहां उसका भुगतान न्यायालय फीस स्टाम्प में किया जा सकता है।"

25 मूल अधिनियम की धारा 35 में उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:— धारा 35 का संशोधन

"(5) उपधारा (3) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय इस धारा के अधीन बिक्री कर कमिश्नर द्वारा किया गया कोई विनिश्चय धारा 10 और 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अन्तिम होगा और आवेदक, कर निर्धारक अधिकारी और अपील अधिकारी पर बन्धकारी होगा।"

धारा 37 का निकाला जाना

26—मूल अधिनियम की धारा 37 को निकाल दिया जाएगा और सदैव से निकाला गया समझा जायेगा।

धारा 38 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 38 में, शब्द "देय बकाया" के स्थान पर शब्द "विद्यमान या भावी देयों" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1979 की धारा 6 का संशोधन

28—उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, शब्द "नौ वर्ष" के स्थान पर शब्द "बारह वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गए समझ जायेंगे।

नियम का संशोधन

29—उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियम, 1948 में—

(क) नियम 25-क में, निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे और 1 अप्रैल, 1990 को किये गए समझे जायेंगे, अर्थात्—

(एक) उप-नियम (1-क) निकाल दिया जायेगा;

(दो) उप-नियम (3) में, शब्द "और मान्यता के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए पचास रुपए" निकाल दिए जायेंगे;

(तीन) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्—

"(5)' इस प्रकार दिया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र उप-नियम (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से प्रभावी होगा और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक व्यापारी इस अधिनियम के अधीन मान्यता के प्रमाण-पत्र की स्वीकृति का पात्र बना रहे और कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व ही उस वर्ष के लिये 50 रुपये प्रति वर्ष की दर से शुल्क विहित रीति से जमा करता रहे और इसमें विफल रहने पर मान्यता का प्रमाण-पत्र प्रभावी नहीं रहेगा।";

(चार) उप-नियम (12) निकाल दिया जाएगा।

(ख) नियम 48 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे और 1 अप्रैल, 1989 को किए गए समझे जायेंगे, अर्थात्—

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "ऐसे बैंक के पक्ष में तैयार किए गए" के स्थान पर शब्द "ऐसे जमाकर्ता के पक्ष में तैयार किए गए उसी बैंक पर" रख दिए जायेंगे;

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्—

"(ग) चेक द्वारा चाहे वह जमाकर्ता द्वारा ऐसे बैंक पर स्वयं के लिए जारी किया गया हो या उसके पक्ष में ऐसे बैंक पर जारी किया गया हो;"

(ग) नियम 49 में, उप-नियम (1) में, शब्द "जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होगी और आगामी कलेण्डर वर्ष से 31 मार्च तक जारी रहेगी" निकाल दिए जायेंगे।

विज्ञप्तियों का संशोधन

30—(1) सरकारी विज्ञप्ति संख्या वि०क०—2-6468/दस-9(208)-1981-उ०प्र० अधि०-15-48-आदेश-84, दिनांक 27 अगस्त, 1984 में शब्द "31 मार्च, 1985 के पूर्व पड़ता" के स्थान पर शब्द "28 जनवरी, 1985 के बाद का न" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे।

(2) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-2-604/दस-9(208)-1981-उ०प्र०—अधि०—15-48-आदेश/85, दिनांक 29 जनवरी, 1985 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और सदैव से किए गए समझे जायेंगे, अर्थात्—

(क) शब्द "पहली अक्टूबर, 1982 को या उसके पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1990 के पूर्व पड़ता" के स्थान पर शब्द "29 जनवरी, 1985 को या उसके पश्चात् किन्तु 25 दिसम्बर, 1985 के बाद का न" रख दिये जायेंगे।

(ख) सारणी के स्तम्भ 2 में क्रम-संख्या 2 के सामने शब्द "और उन्नाव" के स्थान पर शब्द "उन्नाव, ललितपुर और गाजियाबाद जिले की दादरी तहसील" रख दिए जायेंगे।

(ग) सारणी के स्तम्भ 2 में क्रम संख्या 3 के सामने शब्द "गाजियाबाद" के स्थान पर शब्द "गाजियाबाद जिसके अन्तर्गत दादरी तहसील नहीं है" रख दिए जायेंगे और शब्द "ललितपुर" निकाल दिया जाएगा।

(3) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-2-7558/दस-9(208)-1981-उ०प्र०अधि०-15-48-आदेश-85, दिनांक 26 दिसम्बर, 1985 में, शब्द "पहली अक्तूबर, 1982 को या उसके पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1990 के पूर्व" के स्थान पर शब्द "26 दिसम्बर, 1985 को या उसके पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1990 के या इस विज्ञप्ति का अतिक्रमण करके कोई अन्य विज्ञप्ति जारी करने के दिनांक के पूर्व, इनमें जो भी पहले हो" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

वैधीकरण

31—(1) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व जारी की गई कोई विज्ञप्ति या कृत कोई कार्य या कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियम या जारी की गयी विज्ञप्तियों के अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जाएगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(2) इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 4-क के अधीन जारी की गयी या जारी की जाने के लिये तात्पर्यित कोई विज्ञप्ति इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा 4-क के अधीन जारी की गई और इस प्रकार यथा संशोधित धारा 4-क के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार प्रवृत्त समझी जाएगी और तब तक प्रभावी बनी रहेगी जब तक कि विधि के अनुसार समुचित प्राधिकारी द्वारा संशोधित या प्रतिसंहृत न कर दी जाए।

(3) जहां इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी अधिकारी या न्यायालय ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम् के अधीन किसी कर का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो या अर्थ-दण्ड लगाने या किसी अन्य मांग का कोई आदेश दिया हो या ऐसे कर निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रह, अर्थ-दण्ड या मांग को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखन्डित करने का कोई आदेश दिया हो, और ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या उसके अधीन जारी की गई विज्ञप्तियों के उपबन्धों से असंगत हो जाए, वहां उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री कर कमिश्नर 30 जून, 1991 तक ऐसे प्राधिकारी या न्यायालय को कर निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है

और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों या विज्ञप्तियों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो।

(4) यथास्थिति, कर निर्धारक, अपील सुनने वाला या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी बाद में समाप्त हो, कोई सुधार कर सकता है जहां ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम या उसके अधीन जारी की गई विज्ञप्तियों में किये गए संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सुधार जिसका प्रभाव निर्धारित कर, अर्थ-दण्ड या अन्य देयों को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि सम्बन्धित प्राधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना सम्बद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

32 --(1) जहां मूल अधिनियम की धारा 10 के अधीन कोई अपील दाखिल न की गई हो और उक्त धारा की उपधारा (2) में जैसी वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व थी, उसे दाखिल करने के लिए विनिर्दिष्ट परिसीमन अवधि समाप्त न हुई हो, वहां उक्त उपधारा (जैसी यथा संशोधित), के अधीन कोई अपील उक्त उपधारा में, जैसी वह ऐसे संशोधन के पूर्व थी; विनिर्दिष्ट परिसीमन अवधि के भीतर या ऐसे संशोधन के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर, इनमें जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, प्रस्तुत की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 13-क की उपधारा (6) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन दिए गए निदेश के विरुद्ध अपील, आवेदक पर ऐसे निदेश की प्रति की तामीली से नब्बे दिन के भीतर या 31 मई, 1991 तक, जो भी पश्चातवर्ती हो, दायर की जा सकती है।

(2) जहां इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4-क या धारा 8 से संबंधित किसी वर्तमान नियम में संशोधन किया जाए या उन धाराओं के संशोधन के परिणामस्वरूप उन धाराओं के सम्बन्ध में कोई नया नियम बनाया जाए वहां ऐसा नियम या संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी किया जा सकता है, किन्तु जिन धाराओं के संशोधन के परिणामस्वरूप नियम में संशोधन किया जाए या बनाया जाए उन धाराओं के संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से प्रभावी नहीं किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम द्वारा उपान्तरित नियम और विज्ञप्तियां तब तक प्रभावी रहेंगी, जब तक उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 21 के साथ पठित मूल अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा संशोधन या विखण्डन न किया जाए।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन् 1991 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1990 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1990 अपवाद

33 (1) उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) निरसन और (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश 1990 द्वारा या उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1990 द्वारा या उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) (तृतीय) अध्यादेश, 1990 द्वारा या उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश 1991 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 1990 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1991

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 33 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि नहीं की संख्या अधिक है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें मत विभाजन करा लिया जाये। भारतीय जनता पार्टी के मदस्यों की संख्या भी कम है। इससे यह प्रतीत होता है कि वह भी इसका विरोध कर रहे हैं इसलिए मैं मत विभाजन की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

हां की संख्या अधिक है।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, आप हाथ उठवा लें। इनकी संख्या 211 है। आज यह पता लग जाये कि कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके विपक्ष में?

श्री हरद्वार दुबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो "उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा दर्शक दीर्घा से नारे लगाए जाने का प्रयास तथा उन्हें मार्शल की अभिरक्षा में रखे जाने के उपरान्त रिहा किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। मार्शल ने यह सूचना दी है कि आज दिनांक 13 अगस्त, 1991 को पूर्वाह्न लगभग 11.50 बजे जब माननीय राज्य मंत्री, श्री मयंकर सिंह प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, दर्शक दीर्घा (2) की पिछली पंक्ति में बैठे हुए एक दर्शक ने नारे लगाने का प्रयास किया परन्तु दीर्घा में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे नियंत्रित कर नारे लगाने से रोक दिया और अभिरक्षा में लेकर दीर्घा से हटा दिया। छानबीन से उक्त व्यक्ति के पास 11 से 1.00 बजे की पाली का दर्शक दीर्घा का प्रवेश पत्र संख्या 970 प्राप्त हुआ जो माननीय सदस्य, श्री श्याम नारायण की संस्तुति पर जारी किया गया है। उक्त दर्शक ने पूछताछ पर अपना नाम सुभाष चन्द्र सिंह एडवोकेट पुत्र श्री विजय शंकर सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट खनवर, जिला बलिया बताया। प्रवेश पत्र के लिए जारी किये गये मूल संस्तुति पत्र में भी उस व्यक्ति का उपर्युक्त नाम व पता ही अंकित है तथा स्थानीय पता 213 क, न्यू हैदराबाद, लखनऊ अंकित है। उक्त व्यक्ति के पास से प्राप्त दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र एवं माननीय सदस्य, श्री श्याम नारायण का संस्तुति पत्र मार्शल ने अपनी टिप्पणी के साथ संलग्न किया है।

उक्त व्यक्ति मार्शल की अभिरक्षा में है।

श्री सुभाष चन्द्र सिंह ने दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने का प्रयास किया, परन्तु सुरक्षा कर्मचारियों की सतर्कता के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। इस प्रकार की घटनाओं को आवश्यक महत्व देना उचित नहीं प्रतीत होता तथा सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं होगा और आज वर्तमान अधिवेशन का अन्तिम दिवस भी है। ऐसी स्थिति में यदि सदन सहमत हो तो श्री सुभाष चन्द्र सिंह की मार्शल की अभिरक्षा की अवधि को इस आचरण के लिए पर्याप्त सजा मानते हुए रिहा कर दिया जाये?

(रिहा कर दिया जाय की आवाजें)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

जी हां मान्यवर, रिहा कर दिया जाय।

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

ठीक है मान्यवर उन्हें रिहा कर दिया जाय।

(सदन द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी)

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं अभी मार्शल के कमरे में गया था, वहां मुझे एक लड़ा मिला था, जिसने सुबह मुझसे पास लिया था, वह पेशे से वकील है, जिला बलिया का वह रहने वाला है। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं पहले वह दारूलशफा में भी रहता था, उसने मुझे बताया कि मेरी जान को खतरा है, मैं निवेदन करूंगा कि उसको यहां बुलाकर पूछ लें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई खास बात नहीं है, यह मामला अब समाप्त हो चुका है। मैं यह मान लेता हूं कि उसके रिहा किये जाने पर यह सदन सहमत है।

जनपद मऊ में विकास प्राधिकरण की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव

*श्री अमरेश चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नियम 103 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मऊ में त्वरित विकास के लिये वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय।"

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करुंगा। श्रीमन् जनपद मऊ की स्थापना 19 अक्टूबर, 1988 को हुई थी, आज लगभग 3 वर्ष का समय उसे स्थापित हुये हो गया। श्रीमन्, मऊ जनपद की पूरी जनसंख्या सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 1 लाख 54 हजार थी। अब वर्ष 1991 चल रहा है, मैं समझता हूं तो मऊ की जनसंख्या कम से कम 2 लाख हो गयी होगी। इसी प्रकार मऊ शहर में सन् 81 आवासीय मकान 10 हजार थे और परिवारों की संख्या 12085 थी। श्रीमन् आज यह संख्या बढ़कर 86,326 हो गयी है, परिवारों की श्रीमन् मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, केवल इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि मऊ शहर में लगभग 30 हजार लूम चलते हैं, उसके श्रमिक वहां रहते हैं, उसमें से 86 हजार लोग आज भी वहां सड़कों पर रात को सोते हैं, वहां सड़कों की दुर्दशा है और विकास की गति कुछ भी नहीं है। आजमगढ़ और बलिया के ब्लाकों को मिलाकर इस जनपद का निर्माण किया गया था, वहां रहने को मकान नहीं हैं। हमारे यहां 3 वर्ष से जिलाधिकारी डाकबंगले में अपना कार्यालय चलाते हैं और वहीं रहते हैं, इसी प्रकार एस०पी० थानाध्यक्ष, सरांय कहांची में कार्यालय चलाते हैं। मऊ में अगर एक दिन में चाहें कि सब अधिकारियों से मिल लें तो सम्भव नहीं होता है। शासन का ध्यान आकृष्ट करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि मऊ में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है वहां की आवासीय समस्या विकराल है। सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाय जिससे श्रमिकों की समस्या समाप्त हो सके।

*वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय [illegible] जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, मऊ का विकास होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि विकास के लिये उनकी दृष्टि से आवश्यक है कि विकास प्राधिकरण की स्थापना कर दी जाय। मैं उनको बताना चाहूंगा कि विकास प्राधिकरण बनाने की कुछ शर्तें हैं और भी अनेक स्थानों पर विकास प्राधिकरण बनने हैं। विकास प्राधिकरण के गठन के लिये निर्धारित मानक इस प्रकार हैं:–

1—जनांकिकीय प्रवृत्ति

2—अवस्थापना सम्बन्धी सूचनायें

3—व्यावसायिक संरचना

4—आवासीय कमी व क्षेत्रीय जनता की मांग

5—स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति

6—नगर का क्षेत्रीय महत्व व उसकी भौगोलिक स्थिति

7—नगर की विकास क्षमतायें

उपरोक्त मानकों के आधार पर मऊ जनपद में विकास प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता तथा औचित्य के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से आख्या मांगी गयी। रिपोर्ट आयी कि सम्पूर्ण स्थिति का मूल्यांकन करते हुए इस नगर में विकास प्राधिकरण के गठन का औचित्य नहीं है। इस समय यहां की जनसंख्या 1,36,447 है। अगर सन् 2001 तक का आकलन कर लिया जाय तो भी यह वृद्धि दर को देखते हुए 2 लाख से अधिक नहीं होगी। प्रदेश में जहां भी विकास प्राधिकरण हैं वहां की आबादी 5 लाख या उससे ऊपर है। इसी तरह से खर्चे की बात सोचें। विकास प्राधिकरण के गठन के लिए प्रारम्भ में सीड कैपीटल के रूप में 25 लाख रुपये की आवश्यकता होती है तथा प्राधिकरण के गठन के प्रथम 3 वर्षों में अधिष्ठान पर होने वाले व्यय के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रु० का सहायक अनुदान राज्य सरकार को देना पड़ता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मऊनाथ भंजन नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले 27 गांवों के 13,267 एकड़ क्षेत्रफल को अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त, 1986 द्वारा विनियमित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य भी नगर का सुनियोजित विकास करना है। इसलिये मैं समझता हूं कि अत्यधिक वित्तीय भार उठाकर अलग से एक विकास प्राधिकरण का गठन करना उपयुक्त न होगा। वैसे जिले के विकास के लिये हम पूरी तरह सजग है। जिला नियोजन समिति की बैठकें होंगी, मण्डलीय मन्त्री वहां जायेंगे और जिले के विकास के बारे में पूरी योजना बनेगी। अतः मेरा अनुरोध है कि कृपा करके इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अमरेश [illegible]–

विकास प्राधिकरण की स्थापना जिला नियोजन समिति से हो सकती हो तो बतायें?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने यह कहा है कि अभी वहां पर विकास प्राधिकरण स्थापित करने की सम्प्रति सम्भव नहीं है। हां, जो मण्डलीय मंत्री आपके यहां जायेंगे जिले में वह वहां के लिये विकास के लिये विचार करेंगे। वहां विकास प्राधिकरण बनाये जाने के संबंध में बात नहीं कही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अमरेश चन्द्र–

मान्यवर, वहां पर 1985 में आवास विकास परिषद् ने लोगों से अग्रिम धनराशि लेकर जमा करवाया और अनुबन्ध पत्र भी भरे गये उसमें साफ लिखा था कि आवास विकास परिषद् भवन आवंटित करेगा, लेकिन आज तक कहीं एक इंच जमीन विकास परिषद् ने नहीं ली और न भवन ही बनवाये। जनपद मऊ से निश्चित रूप से सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। वहां पर सन् 1981 में एक लाख छतीस हजार की आबादी थी। आज वहां की आबादी दो लाख से कम न होगी। 86 हजार परिवार आज सड़क पर सो रहे हैं। वहां पर औद्योगिक श्रमिक लोग रहते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां पर निश्चित रूप से विकास प्राधिकरण बनाये जाने की बात कहें तभी मैं इस प्रस्ताव को वापस लूंगा, अन्यथा मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात कह दी है कि आप इस संबंध में आश्वासन दे दें कि आप साल-दो-साल में वहां पर विकास प्राधिकरण की स्थापना कर देंगे। आखिर कभी तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी या जिन्दगी भर आप कंगाल ही रहेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस जिले के विकास के लिये सरकार पूरी तरह से सजग है। अभी इस तरह का आश्वासन देना सम्भव नहीं है कि हम यहां विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिये घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष–

यह ठीक है कि कुछ नियम इस संबंध में बने हुए हैं और वह आपको मार्ग दर्शन देते हैं, लेकिन वहां का विकास भी आवश्यक है। इसके लिये धारा 3 में प्रावधान है कि अरबन प्लानिंग डेवलपमेन्ट में विकास प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। माननीय सदस्य ने इस पर बल नहीं दिया है कि आप इतने दिनों के अन्दर वहां विकास प्राधिकरण की स्थापना कर दें। माननीय पाण्डेय जी यदि सहमत हों तो आप नियमानुसार उनकी बात पर विचार करेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने अभी माननीय सदन को जानकारी दी थी कि इनके संबंध में जो भी हैं उनके बारे में विचार किया गया। सम्प्रति नय यह हुआ कि अभी वहां पर विकास प्राधिकरण [illegible] जाना सम्भव नहीं है। ऐसे कई नगर हैं इसलिये एक नगर के बारे में कोई अलग [illegible]

श्री अध्यक्ष–

तो अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि इस सदन का सिफारिश है कि जनपद मऊ में त्वरित विकास के लिये अलग विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश के कतिपय पूर्वी जनपदों को मिलाकर पृथक रूप से 'पूर्वांचल प्रदेश' के गठन किये जाने का प्रस्ताव

*श्री अमरेश चन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर जनपदों को मिला कर "पूर्वांचल" नाम से एक

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पृथक प्रदेश का गठन किया जाय। श्रीमन् बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन मैं इस बिन्दु पर अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इस पर हमारे पूर्वान्चल के माननीय सदस्य भी अपनी राय जाहिर करना चाहेगें। श्रीमन्, कल इसी विधान सभा में उत्तरांचल बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ था और वह हल्ला गुल्ला में पास हो गया था और हम लोगों की समझ में भी नहीं आया, आज जब अखबारों में पढ़ा तो मालूम हुआ कि उत्तरांचल का प्रस्ताव पास हो गया है। श्रीमन् उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा होती है कि [redacted] में बांट दिया जाये। मैंने जो आंकड़े एकत्र किये हैं, उनमें से केवल 2-1 कहना चाहता हूं। बहुत से लोग [redacted] करते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन क्यों हो। श्रीमन् उत्तर प्रदेश की 1981 की जनगणना के अनुसार 11 करोड़ 8 लाख 62 हजार जनसंख्या थी और उसका क्षेत्रफल 29 लाख 4 हजार 411 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 43 लाख वर्ग किलोमीटर और वहां पर जो लोग निवास करते हैं उनकी जनसंख्या 5 करोड़ 22 लाख है। इतना बड़ा प्रदेश है कि बलिया बिहार के बार्डर से गाजियाबाद तक जाने में दो दिन लगते हैं। इसलिये उत्तर प्रदेश का विभाजन हो। मैं बताना चाहता हूं कि कल जो प्रस्ताव उत्तरांचल बनाने का आया है, उसमें 8 जनपदों को लिया गया है। उन आठ जनपदों का कुल क्षेत्रफल 51,115 वर्ग किलोमीटर है और वहां की जनसंख्या 48 लाख 36 हजार है। 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल के दो मंडलों का नाम लिया है, प्रतापगढ़ का नाम आया है और इलाहाबाद मंडल का भी नाम आया है। मैंने गोरखपुर और वाराणसी मंडलों को लिया है, जो लिखित दिया है उसमें। मैंने जिन 10 जनपदों को मिलाकर पूर्वान्चल बनाने के लिये प्रस्ताव किया है, उनका क्षेत्रफल 51,990 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 3 करोड़ 36 लाख 28 हजार लोग निवास करते हैं। कहां 3 करोड़ 36 लाख 28 हजार और कहां 53 लाख। जहां तीन साढ़े तीन करोड़ लोग 2 मण्डलों में हैं, उसके गठन की बात नहीं की जाती है। विकास के नाम पर जो सरकारें आयी हैं, उन्होंने पर्वांचल के लिये कुछ नहीं किया है। मैंने पहाड़ को घूमने की कोशिश की है, जो विकास पहाड़ों का हुआ है, क्या उसी प्रकार का पूर्वांचल का भी हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी में जो पूर्वांचल ने भाग लिया वैसा हिस्सा न पहाड़ ने लिया है और न मध्य ने लिया है, लेकिन विकास के नाम पर वह सबसे पीछे हैं। मैं कहना चाहता हूं, पूरे सदन की बात नहीं, लेकिन यदि आज मुलायम सिंह को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूर्वांचल के विकास की बात सोची। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल हिन्दुस्तान की आजादी में अगुवा रहा है। और हम को इस विधान सभा में बैठने का अवसर मिला है। यहां पर पहाड़ी प्रदेश के गठन की बात करते हैं लेकिन पूर्वांचल का नाम नहीं लेते हैं। मैं एक बात कह कर खतम करता हूं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं चौधरी साहब बोलना चाहते हैं, इलाहाबाद मंडल के लोग बोलना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश को पांच भागों में बांट दिया गया है पर्वतीय भाग में 48 लाख के करीब जनसंख्या है जो पूरे प्रदेश के औसत में 4.3 प्रतिशत लोग वहां निवास करते हैं, और पश्चिम में 3 करोड़ 95 लाख 80 हजार लोग रहते हैं जो प्रतिशत में 35.5 प्रतिशत आता है औ पूर्वांचल में 3 करोड़ 36 लाख 54 हजार लोग रहते हैं जो प्रतिशत में 31.6 प्रतिशत आता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल राज्य का गठन जनहित में आवश्यक है और शहीदों के नाम पर पूर्वांचल राज्य की घोषण सदन में करें। मैं अपने प्रस्ताव पर इन शब्दों के साथ बल देता हूं।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, माननीय अमरेश चन्द्र ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यों तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात का विरोधी हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं गरिमापूर्ण प्रदेश का विभाजन किया जाय। लेकिन यह सरकार जिसका न गरिमा में कोई विश्वास है और न प्रतिष्ठापूर्ण राज्य की स्थापना में विश्वास है क्योंकि कल ही इन्होंने उत्तरांचल राज्य बनाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को की है एक आपाधापी में प्रस्ताव पास यहां कराया है। तो उसं प्रस्ताव के रहते आवश्यक हो जाता है कि पूर्वांचल राज्य की भी स्थापना की जाय। इसलिये भी क्योंकि सबेरे जो प्रश्न आया था, आपके संज्ञान में होगा जिसमें पूछा गया था कि कौन-कौन से कारण हैं जिन के आधार पर शासन नये राज्य का गठन यह कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में सिंचाई मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था उसमें उन्होंने कहा था आर्थिक, प्रशासनिक,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया।

ओद्योगिक, भौगोलिक स्थिति और भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करते हैं। श्रीमन् पूर्वांचल इस प्रदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में पूर्वांचल का अपने आप में एक स्थान है। आजादी की लड़ाई पूर्वांचल से ही शुरू हुई है। इसकी शुरुआत मंगल पाण्डेय ने की जो बलिया के थे, चित्तू पाण्डे ने हिन्दुस्तान में सबसे पहले 24 घंटे पहले अंग्रेजों के चंगुल से बलिया को आजाद करा लिया था। अलगू राय हिन्दुस्तान के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जो आजमगढ़ के थे। इसी तरह से, पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू पूर्वांचल के ही रहने वाले हैं। डा० लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव भी फैजाबाद के रहने वाले थे। तो यह सारी हस्तियां जो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में अग्रणीय रहे हैं सब पूर्वांचल के ही रहने वाले थे। आजादी की लड़ाई में अग्रणीय रहे हैं सब पूर्वांचल के ही रहने वाले थे। आजादी की लड़ाई की अगुवाई पूर्वांचल ने ही की इसीलिये अंग्रेजों के जमाने में पूर्वांचल बटा हुआ रहा जिसके कारण वहां के लोग गरीबी से जूझते रहे और वहां के लोग बेरोजगार और अशिक्षित रहे वहां कोई उद्योग नहीं लगा। वहां के लोगों के अंदर एक भावना जाग्रत हुई कि इस नरक की जिंदगी से अंग्रजों से हिन्दुस्तान को मुक्त कराया जाय और मुक्त करा लिया। लेकिन जब देश आजाद हुआ हिन्दुस्तान के लोगों के द्वारा सरकारें बनाई जाने लगी तो भी पूर्वांचल की स्थिति वही रही जो आजादी से पहले थी। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि आप अलग से पूर्वांचल राज्य की स्थापना करें क्योंकि भाषा एक ही फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद जनपदों के कुछ हिस्सों की भाषा भोजपुरी है। गरीबी में इन जनपदों की प्रति व्यक्ति आय सबसे नीचे हैं और आय के स्त्रोत सबसे कम हैं। औद्योगीकरण के मामले में आजमगढ़ बिल्कुल शून्य है। बलिया में एक चीनी मिल है। मऊ में कुछ नहीं है केवल कताई मिल है। देवरिया में प्राइवेट चीनी मिल हैं। गोरखपुर में खाद का कारखाना है लेकिन वह भी बंद हो गया है। गाजीपुर में कुछ नहीं है और मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती आदि उद्योग के मामलें में शून्य जिले हैं। इलाहाबाद में केवल एक काटन मिल है। इसकी जो शर्तें हैं जैसा प्रमोद तिवारी जी ने कहा वह जानते हैं कि कहां इसकी राजधानी रखेंगे और क्या सीमांकन क्षेत्र रखेंगे आप भी इसको जानते हैं। इस प्रकार पूर्वांचल में सारी प्रक्रियायें पूरी हैं। इलाहाबाद में सारे प्रदेश के अधिकांश विभागों का हेडक्वार्टर आज भी हैं और पहले इलाहाबाद राजधानी रही भी है। कल जितने जिलों को मिलाकर उत्तरांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव किया है उसका क्षेत्रफल भी पूर्वांचल से कम है। श्री प्रमोद तिवारी, पूर्वांचल के मुख्य मंत्री तय कर दिया है, राजधानी तय कर दिया है, हेडक्वार्टर तय है, हाई कोर्ट बेंच इलाहाबाद में है और विधान सभा वहां बनेगी तो उसके मान्यवर, आपको अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, इसलिये ऐसी कोई भी संभावनायें, प्रक्रिय नहीं है जो पूर्वांचल राज्य गठित करने में बाधक हों और अलग राज्य न गठित किया जा सके। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का क्षेत्रफल 51,125 वर्ग किलोमीटर है जबकि गोरखपुर और वाराणसी मंडल का ही क्षेत्रफल 61,690 वर्ग कि० मीटर है जिसमें चार जिले और नये सृजित हुये हैं जैसे मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर और मऊ जिनका क्षेत्रफल अभी बाकी है। तहसीलें भी पूर्वांचल में अधिक हैं। इस प्रकार पूर्वांचल को राज्य बनाने का आधार बनता है।

मान्यवर, अंग्रेजों के समय में गरीब लोग जिन्हें गिरिमिटिया कहते थे वे काम करते थे उन लोगों ने अधिकांश देशों में जाकर अपना अलग राज्य गठित कर लिया है और इनकी भाषा भोजपुरी है जिसे आज मारीशस और सूरीनाम में भी यह भाषा चल रही है। जब यह लोग दूसरे देशों में जाकर राज्य स्थापित कर सकते हैं तो क्या कारण हैं कि पूर्वांचल को अलग राज्य नहीं बनाया जा सकता है। पूर्वांचल के बड़े-बड़े राजनेता रहे हैं लेकिन उद्योग और विकास के नाम पर शून्य है। भाषा, रहन-सहन, वेशभूषा जब यहां की एक है तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे पूर्वांचल राज्य अलग से न गठित किया जाये। सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों में ही पूर्वांचल के लोग बैठे हैं। पूर्वांचल का व्यक्ति पूर्वांचल का है और यदि वह अलग राज्य बनाने का विरोध करता है तो उसको वहां रहने का अधिकार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं कि गोरखपुर मण्डल, बनारस मण्डल, फैजाबाद मण्डल के कुछ जिले और इलाहाबाद मण्डल के कुछ जिलों को मिला कर अलग से एक पूर्वांचल राज्य का गठन कर दिया जाय।

*श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, कल जब उत्तरांचल राज्य की घोषणा की संस्तुति हमारे सदन में मुख्य मंत्री जी ने किया था और जो आज मुख्य मंत्री जी बात कर रहे थे आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देख कर उत्तरांचल राज्य की संस्तुतियां उन्होंने की हैं और जब आज चर्चा हो रही थी तो मुख्य मंत्री ने कहा कि उत्तरांचल के नौजवान अपने गांव छोड़कर मैदानी इलाके में रोजी की तलाश में आ रहे हैं। आप भी मान्यवर, पूर्वांचल जिले के हैं वहां की विशेष परिस्थिति है। अंग्रेजी काल से यहां पर के गिरमिटिया मजदूर प्रदेश से देश के कोने-कोने में और विदेशों में जाते रहे हैं। चाहे सूरी नाम हो, चाहे मारिशस हो या अन्य कोई देश हो सब में पूर्वांचल के लोग छाये हुये हैं। सूरी नाम और मारिशस जैसे देशों में प्रधान मंत्री से लेकर अन्य बड़े-बड़े पदों पर पूर्वांचल के लोग विराजमान हैं। वहां भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है पूर्वांचल विदेशों से भी लगा हुआ है और उसकी आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब है...व्यवधान....माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्वांचल की देवरिया से लेकर फैजाबाद तक इनकी भाषा और बोलियां एक है। सबसे अधिक आबादी का यह क्षेत्रफल है यहां पर आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। वहां के लोग अपनी विपन्नता के नाते, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा था वहां के नौजवान हमेशा पलायन की स्थिति में रहते हैं। इस समय ऐसा कोई देश नहीं है जहां हमारे पूर्वांचल के लोग रोजी के लिये न भटक रहे हों। वहां पर कोई उद्योग भी नहीं है केवल एक उद्योग वहां गोरखपुर में फर्टीलाइजर का लगा था, जिसे भी अब बन्द कर दिया गया है। इस प्रकार अब वहां पर उद्योग शून्यता की स्थिति है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सम्मानित सदन से एक प्रस्ताव पारित करायें ताकि पूर्वांचल राज्य की स्थापना हो सके और जो आर्थिक स्थिति खराब है और जो वह क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से हमेशा ग्रसित रहता है, उसे बचाया जा सके और त्वरित विकास वहां के लोगों का किया जा सके। बिना पृथक प्रदेश के गठन के पूर्वांचल का विकास नहीं हो सकता है। चौधरी साहब ने बताया है कि स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर अब तक अब्दुल हमीद जैसे लोग वहीं के हुये हैं जिसने पाकिस्तानी टैंकों के सामने अपना सीना लड़ा दिया था....व्यवधान...मूर्धन्य साहित्यकार स्वर्गीय डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग वहीं के हुये हैं। (व्यवधान) लगता है जो बलिया आप की जन्म भूमि थी उसे अब आप भूल गये हैं....

[समय 8 बजकर 20 मिनट]

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मान्यवर, कि आप सब माननीय सदस्यों का, जो पूर्वांचल बनाने के लिये कह रहे हैं, जो पूर्वांचल के निवासी हैं, चाहे वह आज सत्ता पक्ष में हैं और भावनाओं को रखते हुए भी किसी कारण से उजागर नहीं कर पा रहे हैं, इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल बनाये जाने की घोषणा करें, ताकि यह सुखद समाचार, जब यह सत्र समाप्त हो रहा है, पूरे प्रदेश को दे सकें। इन शब्दों के साथ मैं श्री अमरेश चन्द्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देता हूं।

*संत श्री राम द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय पाण्डे जी ने पूर्वांचल के पृथक प्रदेश बनाने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं स्वयं फैजाबाद से आया हूं। पूर्वांचल से मेरा सम्बन्ध है। यह प्रस्ताव आया है, यह प्रस्ताव अगर इस सदन से पारित हो जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि आज से पूर्वांचल के जो जिले हैं, उनके विकास की जो गति हैं, जो क्षमता है उसमें अवरोध हो जायेगा। वहां के विकास की गति क्षीण होने की पूरी बात इस प्रस्ताव से परिलक्षित होती है। इस सदन में पहले भी इस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं। उत्तर प्रदेश काफी बड़ा प्रदेश है। इसके टुकड़े कर दिये जायें, इसमें कई प्रदेश बना दिये जायें, यह प्रस्ताव पहले भी कई बार आ चुका हैं। इस बात का हम गर्व महसूस करते हैं कि हम इतने बड़े प्रदेश की विधान सभा के सदस्य हैं। मान्यवर इस तरह के प्रस्ताव लाकर यह पूर्वांचल में जो विकास की गति है, वहां के जन हित के जो कल्याणकारी कार्य हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मान्यवर, यह प्रस्ताव लाकर यह हमारे रामराज्य की कल्पना को बिगाड़ना चाहते हैं। मान्यवर, इस तरह से इस सदन की मर्यादाओं को भंग करने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाय तो इतनी बड़ी गलती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शायद हीं इतिहास में हुई हो। मान्यवर, इस तरह से मैं इन शब्दों के साथ पूर्वांचल एक अलग राज्य बनाये जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री फतेह बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह देश के विभाजन की बात तो थी ही। अब प्रदेश का विभाजन हो रहा है। हमारी सरकार की यह नीति बिल्कुल गलत है। इस तरह से अगर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग कहें कि हमें अलग चाहिए और उत्तरांचल के लोग कहें कि हमें अलग चाहिए तो प्रदेश का बंटवारा हो जायेगा। पूर्वांचल को अलग किया जा रहा है। उत्तरांचल को अलग किया जा रहा है, जो आधार है वह है आर्थिक भौगोलिक स्थिति। एक बात और कही गई उत्तरांचल के लोग पलायन करते हैं इस नीति के आधार पर अगर उत्तरांचल का निर्माण हुआ तो, पूर्वांचल का संभव है। इसके आधार पर – (व्यवधान) सरकार की यो नीति नहीं होनी चाहिए। उत्तरांचल बनाने की नीति दूसरी हो–(व्यवधान) अगर उस नीति पर पूर्वांचल के लोग कहते हैं कि वहां की आर्थिक स्थिति वहां की भौगोलिक स्थिति वहां की संस्कृति जो है–(कई मा० सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) इस हालत में उत्तर प्रदेश का विभाजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश का चार हिस्सों में उत्तरांचल, पूर्वांचल पश्चिमोत्तर, रूहेलखंड विभाजित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट में अपनी बात कहें

(व्यवधान)

श्री फतेह बहादुर सिंह–

मान्यवर, गोरखपुर में प्रेक्षागृह और परियोजनाओं के सारे काम ठप पड़े हैं कोई कार्य नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अच्छा आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदस्यों को भोजन पर रात में बुलाया था। यह लोग भोजन पर गये और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनको खाली वापस भेज दिया इससे माननीय सदस्यों का अपमान हुआ है। इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री [redacted] कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि इन लोगों को बगैर खाना खाए इनको वापस भेज दिया गया है इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा लें यह सब भूखे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

समय बेकार न करें।

(व्यवधान)

बहुजन समाज पार्टी का कोई सदस्य नहीं बोला है आप बोल लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओमप्रकाश (गोरखपुर)–

मान्यवर, आध घंटे की चर्चा थी आधा घंटा हो गया है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम–

जहां तक मान्यवर, प्रदेश की विशालता की बात है।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

दलगत भावनाओं के आधार पर दल विशेष को बुलवायेंगे तो कैसे काम चलेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री श्रीराम–

मान्यवर, जहां तक पूर्वांचल की बात कही जा रही है। उत्तरांचल की बात की जा रही है। कहा जा रहा है, प्रदेश की विशालता के कारण पूर्वांचल का गठन किया जाना चाहिये। अगर दिशाओं के नाम पर प्रदेश बनाया जाना संभव है तो बुंदेलखंड क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुये बुंदेलखंड नाम का प्रदेश क्यों नहीं बनाया जा सकता है। बुंदेलखंड के तमाम जिले ऐसे हैं जो पिछड़े हैं। बेतवा आदि नदियों के उपजाऊ भाग को काट कर एक अलग टुकड़ा बना दिया है जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां और वहां का पर्यावरण बिल्कुल अलग है। यह ऐतिहासिक धरती है जहां पर लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनायें हुई हैं। लेकिन आज बुंदेलखंड की उपेक्षा की जा रही है। बुंदेलखण्ड का अगर विकास करना है तो बुंदेलखंड नाम का अलग प्रदेश बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये।

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, जो प्रस्ताव अभी सदन में विचाराधीन है उस प्रस्ताव पर प्रश्न प्रहर में कल पर दोनों पक्षों के विचार आ चुके हैं। लेकिन इस समय फिर पूर्वांचल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है जिसका मैं विरोध करता हूं। इसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि बड़ी चर्चा की गयी अपने उन महान् देश महानुभावों की, उनके व्यक्तित्व की जो पूर्व के थे और जिनके बलिदान से स्वतंत्रता मिली। मान्यवर, इस प्रदेश की धरती वह धरती है जिसके चप्पे-चप्पे पर एक से बढ़कर एक विभूतियां पैदा हुई हैं। इसलिये केवल पूर्व के लोगों का ही नाम लेना उचित नहीं है। सबका योगदान स्वतंत्रता प्राप्ति में रहा है। जहां इनके बलिदान की चर्चा की गयी वहीं पर जो लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गद्दी पर बैठे उनकी अयोग्यता की चर्चा नहीं की गयी जिसके कारण आज सामाजिक विषमता है। क्या कारण है कि प्रदेश का एक भाग उन्नत है और दूसरा पिछड़ गया।

आज प्रदेश को पूर्व-बुंदेलखंड में विभाजित करने की जो मांग चल रही है उसके पीछे मूल भाव जो है वह छिपाते-छिपाते नहीं छिपा पाये हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री भी तय हो गया है, राजधानी भी तय हो गयी है। यह मान्यवर, कंपटीशन हो रहा है। इस समय पद का जो झगड़ा है, लालच है, यह चाहते हैं कि प्रदेश को विभाजित करके मुख्य मंत्री बन जायें, मंत्रिमंडल बन जाय। जो झगड़ा पार्टी में है, आये दिन जो झगड़े इनमें हो रहे हैं, यह चाहते हैं कि प्रदेश का विभाजन हो जाय, मैं समझता हूं कि अंदर ही अंदर मुख्य मंत्री का स्वप्न भी देख रहे होंगे। लेकिन इस नापाक इरादे को यह आसन सफल नहीं होने देगा, मान्यवर, पूर्व की जो औद्योगिक विषमता है, बुंदेलखंड का जो आर्थिक पिछड़ापन है उसके लिये इस प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का बड़ा होना जिम्मेदार नहीं है। उसके लिये जिम्मेदार है पूर्व का गलत नियोजन और उसके गलत नियोजक, गलत प्राथमिकतायें, क्षेत्रवाद और व्यक्तिवाद जिम्मेदार है। इन बुराइयों से मुक्त शासन हम वहां देंगे और पूरे प्रदेश का समुचित विकास करेंगे। कोई भी भाग इस प्रदेश का पिछड़ा नहीं रह जायेगा। जहां उद्योग नहीं हैं वहांउद्योग लगाने की कोशिश करेंगे। जिससे कि पूरा प्रदेश औद्योगिक विकास में समान दिखे। इसलिये मान्यवर, जो लोग कहते हैं कि आर्थिक विकास रुक गया है, उनके कारणों से रुक गया है जो लोग अब तक इस प्रदेश का शासन चलाए और औद्योगिक नीति बनाए। भ्रष्टाचार में सारे पैसे को डुबाए, उनके कारण से प्रदेश में यह सारी आर्थिक विषमता है, न कि प्रदेश के बड़ा होने के कारण। उत्तरांचल की तुलना की गयी है तो क्या हिमांचल से तुलना की जा सकती है? इसलिये कि उसकी भौगोलिक विषमता बहुत भिन्न है। इसलिये अन्य भागों से बिलकुल भिन्न है। किसी भी रूप में जो गढ़वाल और कुमाऊं के जिले हैं, उनकी जो विषमता है, उनका जो संकट था, उनका जो प्राकृतिक स्वरूप है, उसकी तुलना प्रदेश के अन्य किसी भाग या क्षेत्र से नहीं की जा सकती है। एक विशेष परिस्थिति, जिसके कारण यह प्रस्ताव आया, कोई भी परिस्थिति बार-बार इन्होंने कहा कि आर्थिक विषमता है, गरीबी है, पिछड़ापन है, मैं कहता हूं कि नियोजन की कमी के कारण, आर्थिक और औद्योगिक विकास न किये जाने के कारण गलत नीतियों के कारण है। इसलिये हम प्रयास करेंगे कि जिन गलत नीतियों के कारण इस प्रदेश में विषमता आयी है, कुछ क्षेत्र गरीब हो गये, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पिछड़ गये, उनका विकास समुचित रूप से करेंगे। इसलिये इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और पूर्वांचल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी बहुत परेशान लग रहे हैं कि इस प्रदेश के डिवीजन के लिये सब कुछ तय हो गया। उस संदर्भ में इतना कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री और अध्यक्ष तय हो गया, इन्हें भी विरोधी ग्रुप का नेता बनाना तय कर लीजिये और इस तरह से डिवीजन की बात तय कर लें।

*श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी हमारे माननीय मंत्रीजी कह रहे थे कि गलत नियोजन के कारण पूर्वांचल पिछड़ गया। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा पटेल आयोग और सेन आयोग की स्थापना की गयी थी, जैसा कि आपके वक्तव्य से जाहिर हुआ कि गलत नियोजन के कारण पूर्वांचल प्रभावित हुआ, तो क्या उनके सम्बन्ध में पटेल आयोग और सेन आयोग की संस्तुतियों को कार्यान्वित करने के लिये, उसका पिछड़ापन दूर करने के लिये सदन में घोषणा करेंगे? यदि नहीं तो क्या इस तरह की जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने के लिये जो पूर्वांचल की घोषणा की है, अपने वोट को सुरक्षित करने के लिये की है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने आयोगों की बात की है। मैं प्रदेश के विभिन्न भागों की विषमता को दूर करने के लिये जितनी भी नीतियों, परामर्शों और सुझावों को स्वीकार करने की जरूरत पड़ेगी, स्वीकार करूंगा और परामर्श करूंगा और विकास करूंगा।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं एक और स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने कहा, वे सिंचाई विभाग के मंत्री हैं, वर्ल्ड बैंक की संस्तुति रही है पूर्वांचल के बारे में, कि दैवी आपदाओं को दूर कर दिया जाय और बाढ़ग्रस्त आपदाओं को दूर कर दिया जाय तो पूर्वांचल की जमीन इतनी उपजाऊ है कि पूरे देश को खाद्यान्न आपूर्ति कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, दैवी आपदाओं को दूर करने के लिये और बाढ़ समस्या को दूर करने के लिये और सिंचाई साधनों की उपलब्धता के लिये क्या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को माननीय सिंचाई मंत्री जी लागू करेंगे, जिसमें आया है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वैसी आपदा, जिससे बाढ़ और सूखा समाप्त हो जाय और सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर दी जाय, तो पूर्वांचल की उपजाऊ जमीन से पूरे देश की खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सकती है। क्या माननीय मंत्री जी उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को लागू करने की कृपा करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं आया।)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, पूर्वांचल के लोगों को माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, इसलिए हम पूर्वांचल के जनप्रतिनिधि इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री हरि शंकर तिवारी, श्री अखिलेश, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री यदुनाथ सिंह, श्री मारकंडे सिंह, श्री सुधीर, श्री फतेह बहादर, श्री श्याम नारायण, श्री लाल चन्द्र निषाद सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर जनपदों को मिला कर 'पर्वांचल' नाम से एक पृथक प्रदेश का गठन किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री अखिलेश–

मान्यवर, प्रदेश की चीनी मिलों का पेराई सत्र व्यतीत हुए कई माह हो गये, परन्तु अब तक चीनी मिलों ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं दिया, जब कि नियमत: यदि 15 दिन के अन्दर गन्ना मिलें किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करती हैं, तो उन्हें ब्याज सहित मूल्य अदा करना चाहिए। सरकार ने उन मिलों के विरुद्ध अब तक कोई वसूली प्रमाण-पत्र जारी न करके मिल मालिकों के साथ पक्षपात किया है। सहकारी एवं सरकारी नियंत्रण में चलने वाली चीनी मिलों ने भी गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं किया।

दूसरी तरफ गन्ना किसानों के अन्य कर्जे की वसूली हेतु राजस्व विभाग के अमीन उन्हें हवालात में बन्द करके सामाजिक रूप से अपमानित कर रहे हैं। इस भयंकर सूखे के समय जब किसानों को खाद, बीज एवं पानी की व्यवस्था हेतु रुपये की आवश्यकता है, उस समय वह अपने गन्ना मूल्यों की अदायगी के संबंध में आस लगा कर बैठे हुए हैं। गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से किसानों के अन्दर भयंकर रोष व्याप्त है। यदि सरकार ने अविलम्ब गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कराया, तो किसान अपने गन्ना मूल्य के ब्याज सहित बकाया हेतु निर्णयात्मक संघर्ष छेड़ने के लिए बाध्य होगा। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल गन्ना किसानों का बकाया मूल्य ब्याज सहित किसानों को दिलाया जाय। मान्यवर, किसानों का केवल महाराजगंज, जनपद के फरेंदा चीनी मिल पर 32 लाख 27 हजार 631 रु० 95 पैसा बकाया है तथा सिसवा क्षेत्र के किसानों का घोसी चीनी मिल पर लगभग 95 लाख रु० बकाया है। इसी क्षेत्र के किसानों का सठियांव चीनी मिल पर लगभग 27 लाख रु० तथा सिसवा चीनी मिल पर लगभग 95 लाख रु० बकाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि किसानों का कई करोड़ों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। नियमत: जो चीनी मिल मालिक तैयार करता है, उसे अपने मिल परिसर स्थित बैंक में बंधक रख कर किसानों के गन्ने मूल्यों का भुगतान कर देना चाहिए, परन्तु ऐसा न करके गन्ना मिल मालिक उक्त बकाया मूल्य के धन को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे मदों में इस्तेमाल करके उसके ब्याज के रुपये को लाभ के रूप में अर्जित करते हैं। अन्यथा आने वाले दिनों में किसान अपने इस अपमान के लिए, अपने इस अन्याय के लिए लम्बी लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा और निर्णायक संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा। मान्यवर, अपनी इस 45-50 दिन की सरकार में इन्होंने क्या उपाय किये?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष –

कृपया शांत रहें।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, आज गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर जो बकाया है चाहे कार्पोरेशन की चीनी मिल हो, सहकारी हो या प्राइवेट हो या वी०आई०सी० की हो सबका यही हाल है। मान्यवर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की नन्दगंज सिहौरी सुगर कार्पोरेशन चीनी मिल गाजीपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां के किसानों का 154.74 लाख रुपया बकाया है, इसी तरह से बलिया जनपद में किसान सहाकरी चीनी मिल रसड़ा में एक करोड़ से ऊपर का बकाया है जबकि गाजीपुर जनपद में 62 फीसदी किसान आधा हेक्टेयर के नीचे हैं और बलिया जनपद में 61 फीसदी किसान आधा हेक्टेयर के नीचे हैं। इसी तरह की स्थिति सहकारी चीनी मिल घोसी सहकारी चीनी मिल सठियांव और औराई चीनी मिल तथा कसिया चीनी मिल की है और इन सब पर एक करोड़ रुपये से ऊपर का बकाया है। मान्यवर, सूखा पड़ा हुआ है, खरीफ की फसल वैसे ही चली गयी है किसानों की कमर टूट गयी है और उस पर जो किसान गन्ना समितियों से खाद लिए हैं उनका भुगतान न होने के कारण उन पर ब्याज बढ़ रहा है। मेरी मांग है कि उनका ब्याज माफ किया जाय। वैसे तो यह सरकार कम ही दिनों की है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन आपका फिर भी यह दायित्व बनता है कि जो किसानों की स्थिति है जो परेशानियां हैं, उसको देखते हुए इधर के लोग भी हैं और उधर सत्तापक्ष के लोग भी हैं उनको भी चिन्ता होगा कि गन्ना किसानों का बकाया दिया जाना चाहिए जब वह दौरा करते हैं तो यह सब मामले उनके भी सामने आते होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह सरकार कुछ इस तरह की व्यवस्था करे कि जल्द से जल्द इस बकाये की भुगतान हो क्योंकि खरीफ की फसल सूखे के कारण नष्ट हो ही गयी है अब रबी की फसल का सीजन चन्द दिनों में आने वाला है और गन्ना की बुवाई होनी है, अगर गन्ना किसानों की स्थिति मजबूत नहीं होगी तो वह कैसे गन्ना बो पायेंगे। अधिकांश किसान गन्ने की बुवाई मार्च या अप्रैल के महीने में करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है जल्द से जल्द जितना शीघ्र हो सके आप इन गन्ना किसानों का चाहे वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मध्य के हों, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों इन किसानों का बकाया दिलाने की कृपा करें जिससे अपने आगे के कार्यक्रम किसान चालू कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके।

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मे इसकी ग्राह्यता पर कुछ नहीं कहूंगा, बहुत चर्चा हो गयी है लेकिन बैठ हुए सभी सम्मानित सदस्यों को आज इस बात पर जरूर विचार करना होगा कि इस प्रदेश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले किसानों की हालत को हम कैसे ठीक करें। आज गन्ना हो, गेहूं हो या अन्य कुछ हो, किसानों का शोषण हो रहा है। हमें यह देखना है कि हम किसानों को शोषण से कैसे बचायें। बड़ा दुख है कि आज सरकार के अन्तर्गत, कार्पोरेशन के अन्तर्गत सुगर मिलें चल रही हैं, जो सहकारी संघ के अन्तर्गत सुगर मिलें चल रही हैं, सम्पूर्ण प्रदेश की जितनी भी सुगर मिलें हैं, वह घाटे में चल रही हैं। इसकी तुलना में अगर हम महाराष्ट्र में जाय तो हम देखेंगे कि सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत जितनी भी चीनी मिलें चल रहीं हैं, सब फायदे में चल रहीं हैं। क्या कारण है, माननीय मंत्री जी इस मिठास में विश्वास है कि आप लिप्त नहीं होंगे, आप इस बात को देखें कि वही चीनी मिल जो प्राइवेट सेक्टर में लगती हैं, उसके मालिक फायदा उठाते हैं, फिर जब उसका सरकारीकरण कर लेते हैं चाहे कोआपरेटिव में जाय या कारपोरेशन में दें, वह मिल तुरन्त घाटे में हो जाती है इस बात का दुख है।

*वक्ता ने भाषण का पनवीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं एक तो मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करें कि यदि आप किसानों को गन्ने का बकाया मूल्य 15 दिन के अंदर नहीं दिला सकते हैं तो कम से कम उन किसानों को 15 दिन के बाद, जिस तरीके से जो आप ब्याज लेते हैं, उसी तरह से आप ब्याज उसी अनुपात में दिलवा दें इससे उनको न्याय मिलेगा। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में जितना गन्ना पैदा होता है उसका मात्र 33 प्रतिशत यह सरकार चीनी मिलों के माध्यम से किसानों का ले पाते हैं बाकी गन्ना किसानों का शोषण के लिये छोड़ दिया जाता है। यह नीति तय नहीं है कि किसान जो क्रेशर पर कोल्हू पर गन्ना देगा उसको किस रेट पर लेना चाहिये। इसमें पिछली सरकारों का भी दोष रहा है मैं दोष सभी को देता हूं। मैं भाई हनुमान सिंह जी से कहूंगा कि वे आज इस नीति की घोषणा करें। यदि चीनी मिल में 38 रु० से 42 रुपये के बीच में लेंगे तो कोल्हू और क्रेशर में 35 रुपये से नीचे नहीं लिया जायेगा। अगर यह नीति नहीं बनाते हैं तो यह सरकार भी, जैसा कि कहा जाता है कि यह सरकार किसान विरोधी है,यह सरकार नगरीय क्षेत्र से बनी है।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

पूरे प्रदेश की जनता ने चुना है ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्रों से चुनी गयी।

श्री नरेश अग्रवाल–

भाई हनुमन्त जी का क्षेत्र थोड़ा ग्रामीण अंचल में भी जाता है आप घोषणा करें। यह जो दोहरी नीति है इसको कंट्रोल करके सरकार की स्पष्ट नीति की घोषणा होनी चाहिये। अगर आप आज यह घोषणा कर देंगे तो मैं समझूंगा कि गन्ना मंत्री जी में चीनी की मिठास से ज्यादा मिठास है. गन्ना मंत्री जी अधिकारियों द्वारा भ्रमित नहीं किये गये हैं गन्ना मिल मालिकों के दवाब में आकर काम नहीं कर रहे हैं इस प्रदेश के रहने वाले गरीब किसानों के हित में बात कर रहे हैं तब यह समझा जायेगा कि यह सरकार गरीबों के वाकई हित का चिंतन कर रही है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अवसर दिया है मुझे विश्वास है कि आप इस पर स्पष्ट उत्तर दिलवा देंगे।

*श्री रवीन्द्र प्रताप–

अभी विस्तृत रूप से इस पर चर्चा की गयी गन्ना मूल्य के बारे में किसानों की हमदर्दी के बारे में यह प्रसन्नता की बात है। देवरिया जनपद उन जनपदों में से है जहां चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वहां चीनी मिल सबसे ज्यादा है 15 करोड़ रुपये देवरिया जनपद में गन्ना मूल्य का किसानों का बकाया है। यह सारा बकाया और जो मिलों की खस्ता हालत है यह पिछली सरकारों की देन है सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जिसने किसान की 10 हजार रुपये की वसूली स्थगित करके और नहरों को भरपूर पानी देकर के तमाम सारी सुविधायें खाद और पानी की देकर के किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है।

(कई लोगों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत बैठें। आप समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र प्रताप

यह किसानों की रहनुमाई करने वाली सरकार है जिसने इतने कम समय में इतनी ज्यादा सुविधायें किसानों को दी हैं। जहां यह बराबर आरोप लगते हैं कि नगरीय क्षेत्र की पार्टी है मैं बता दूं कि तमाम सारे लोग यहां गांव और गरीबों के बीच से चुनकर आये हैं। अभी पहले यह आरोप लगाया जाता रहा कि यह हरिजन अत्याचार और मजदूरों के हितों के विपरीत काम करने वाली सरकार है लेकिन तमाम सारे प्रतिनिधि उन गांवों से, गरीबों में से, पिछड़े वर्गों में से और हरिजन वर्गों में से चुनकर आये हैं यह इस भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।

---

*जनता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(मेजों की थपथपाहट)

बाकी जो लोग हैं इन्होंने गन्ना मन्त्री को अपना निजी उद्योग मानकर भारी ब्याज धन्धे के रूप में लिया है

(मेजों की थपथपाहट के कारण मनायी नहीं दिया)

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, जो किसान गन्ना उत्पन्न करता है आज उसका उचित मूल्य नहीं पा रहा है। मान्यवर, मेरे पास उदाहरण है जहां सात–सात सालों से गन्ने के बकाये का भुगतान नहीं किया गया है। मान्यवर दफतुआ 'बी' केन्द्र के चीनी मिल पर 6 लाख रुपये का बकाया पड़ा हुआ है उसका आज तक भुगतान नहीं किया गया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, उदाहरणार्थ किसी केन्द्र पर 10 लाख टन गन्ना किसानों ने डाल दिया जिसकी प्राप्ति रसीद किसानों के पास है तथा इतने ही गन्ने की फर्जी पर्चियां कर्मचारियों ने बना लीं, इनकी फर्जी पर्ची का पेमेन्ट हो गया लेकिन जो किसान पांच-पांच साल से परेशान हैं उनकी असली पर्चियों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। मेरठ में मिसौली दफतुआ 'बी' सेन्टर्स ऐसे हैं, इस प्रदेश में ऐसे हजारों सेन्टर होंगे जहां किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। क्योंकि गन्ना मिल के मालिक कहते हैं कि जितना गन्ना डाला था उसका पेमेन्ट कर दिया गया है लेकिन किसानों को नहीं मिला मान्यवर करोड़ों रुपया किसानों का ऐसा बकाया है। मान्यवर, आज इस भयंकर सूखे की स्थिति में किसानों का खाद खरीदने के लिए पैसा न हो ऐसे समय में खाद के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मान्यवर, आज किसानों के बकाये का भगतान नहीं किया जा रहा है और किसानों पर जो कर्जा है उसके लिए उन्हें जेल में बन्द किया जा रहा है। यह तो मान्यता है कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि गावों में किसानों को मात्र चार-पांच घण्टे ही बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि छोटे किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान नहीं किया जायेगा तो इससे किसानों का बड़ा अहित होगा। मान्यवर, सकौती चीनी मिल में, गत वर्ष वह जितनी चलती थी उसके आधे दिन यह मिल बंद रहती थी। महीने में वह वह 15 दिन चलती थी और 15 दिन बन्द रहती थी तो इस प्रकार किसानों का गन्ना आधे महीने बन्द रहने के कारण सूखता रहा। एक बात और मान्यवर, कहना चाहता हूं कि जो बकाया है वह प्राइवेट सेक्टर में सबसे कम है और जो कोआपरेटिव एवं निगम की फैक्ट्रीज है उनमें सबसे ज्यादा है जिसके जिम्मेवारी इस सरकार पर है।

*श्री नरेन्द्र सिंह (फर्रुखाबाद)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अभी हमारे माननीय अग्रवाल जी ने जो किसानों के हित में बात कही है वह बात बिल्कुल सही है। हम यह चाहेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने नये बजट में एक तरफ तो किसानों की कमर तोड़ दी है, खाद के दामों में वृद्धि कर दी है, साथ ही साथ जो किसानों की समस्याएं हैं जो उनका 5 करोड़ रुपये का बकाया है उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से यह भी आग्रह करूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने जो खाद के दामों में वृद्धि की है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने खाद के दाम बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ दी है। सन् 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय केन्द्र की सरकार ने यूरिया खाद का दाम 105 रुपये रखा था और यहां की सरकार उसे सब्सिडी देकर 72 रुपये में बिकवा रही थी। मैं चाहूंगा कि आप भी उसी प्रकार किसानों के हित में निर्णय लें।

श्री श्याम नरायण–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक गन्ना मिल है, वहां पर किसानों का लाखों लाख रुपया बकाया पड़ा है और इस सवाल को लेकर वहां के गन्ना किसानों में जबरदस्त असंतोष व्याप्त है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस बकाये का तुरन्त भगतान कराया जाय। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सरकार द्वारा जो 10 हजार रूपये कर्जे की वसूली को रोकने की बात कही गयी थी, वह बिल्कुल कोरी घोषणा है। आज तक किसी की वसूली नहीं रोकी गयी है। मैं खुद अपने क्षेत्र में गया था, वहां सीलन भरे तहसील के लाकअप में ऐसे तमाम लोग बंद हैं जिनको गन्ना के बकाये का दाम अभी तक नहीं मिला है, इससे गन्ना किसानों में घोर असंतोष है। मान्यवर, इस सूखे की स्थिति में उनके पास इसके अलावा और कोई सहारा अब नहीं है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि गन्ना किसानों को बकाये का तुरन्त भुगतान कराया जाय और इसके लिये सरकार आवश्यक कदम उठावें। साथ ही टालमटोल की नीति को खत्म करें और जो 10 हजार तक की वसूली को रोकने की बात कही गयी थी उसको तुरन्त लागू करें।

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)।–

मान्यवर, आज 42 साल की करनी के बाद इनमें करुणा परिवर्तित हो रही है।

***श्री लाल जी वर्मा**–

मान्यवर, गन्ना किसानों का बहुत सारा बकाया चीनी मिलों पर है, इसी विषय पर यहां चर्चा हो रही है। आज प्रदेश में करोड़ों–करोड़ों रूपया गन्ना किसानों का बकाया है। एक तरफ तो किसानों का बकाया है और दूसरी तरफ टांडा में 79 एफ०डी० का बकाया है। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराने की जिम्मेदारी का सरकार निर्वहन नहीं कर पा रही है, ब्याज देने की बात तो अलग है। मान्यवर, किसानों का बकाया दिलाने की बात तो दूर, उल्टे उनको देयों की वसूली के खातिर इस सरकार द्वारा जेल के सीखंचों के पीछे बंद किया जा रहा है। मान्यवर, इसमें कोई दोषारोपण करने का सवाल नहीं है, सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक जैसी सरकारें हैं। इन लोगों को गन्ना किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं तथा सुझाव देना चाहता हूं कि जिन गन्ना किसानों का बकाया है, उनकी जो पर्चियां हैं, अगर उनके ऊपर देयों का कोई बकाया रहता है, तो उन पर्चियों को उसमें से एडजस्ट करने का यह सरकार काम करें, तो यह गन्ना किसानों के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कम से कम यह सरकार इस पर विचार कर ले। उन्हें खाद जो लेना है, देयों की वसूली की बात है, वह उस पर्ची को दिखाकर खाद वगैरह ले सकें, ऐसी व्यवस्था की जाय या जो खाद लेनी है, तो इसको रुपये के रूप में मानकर भुगतान करने का काम करें।

***श्री प्रभाशंकर पाण्डेय**–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल का एक सदस्य खड़ा हो, एक आदमी खड़ा हो और विषय पर दो मिनट बोले, फिर दूसरा खड़ा हो, यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। किसानों की समस्याओं के सन्दर्भ में बात की जाती है। विचार करना होगा कि कौन से नियम और कानून हैं जो किसानों का अहित कर रहे हैं, किसानों के हक में काम नहीं करना चाहते। यह सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। सहकारिता विभाग में सचिव के झोले में सारे कानून बन्द रहते हैं, जब उसमें संशोधन की बात की जाती है तो विरोध पक्ष से आवाजें आने शुरू हो जाती हैं। केन्द्रीय सरकार किसानों के लिये खाद के दाम बढ़ाती है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार खाद के दाम में अनुदान देती है फिर भी हल्ला मचाते हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेंजों की थपथपाहट)

किसानों की समस्या के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करें. किसान इस देश की रीढ़ है। आजादी के 44 वर्ष के काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी है। जिस चुनाव क्षेत्र से मैं जीतकर आया हूं, आज तक जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का कोई अभ्यर्थी वहां से नहीं जीता था। कोई ऐसी नहर नहीं है जहां लगातार सफाई न होती रही हो फिर भी किसी नहर में पानी नहीं है, तो यह सब किसके कार्यकाल में हुआ? किसानों के साथ अत्याचार हुआ है. उनका शोषण हुआ है, उसको दूर करने के लिये वर्तमान सरकार काम कर रही है। सरकार जो नियम और कानून बना रही है. उससे किसानों का लाभ होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री अमरेश चन्द्र–**

आज पूरा प्रदेश सूखे से प्रभावित है। आज किसान को एक-एक रुपये की समस्या हो गयी है। बोसी चीनी मिल में डेढ़ करोड़ रुपया बकाया है, 32 लाख रुपया चिल्लूपार में बकाया है, रसड़ा चीनी मिल में डेढ़ करोड़ रुपया बाकी है। सूखा पड़ा है, किसान तबाह हो रहा है। अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्काल रुपया किसानों को दिलवा दें। किसानों को शुद्ध रूप में ब्याज के साथ रुपया दे दें।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

और अभी गोरखपुर में जो किसान के नेता थे श्री वी०पी० सिंह जो अपने को किसान का मसीहा कहते थे और किसानों के नेता अपने को मानते थे उन्होंने वहां पर जो खाद की फैक्ट्री थी उसको बन्द करवा दिया जिसमें किसानों की 85 करोड़ रु० की सब्सिडी का अधिभार झेलना पड़ रहा है।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिये उनका नाम लेकर जो आरोप लगाये गये हैं उसको आप कार्यवाही से निकलवाने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें मैं देख लूंगा।

***श्री राम रतन सिंह–**

मान्यवर, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचे जाते हैं। हम समझते हैं कि यह विषय ऐसा है जिसमें दोनों पक्षों के सदस्यों को चिन्ता है और यह राजनीतिक विषय नहीं है जिसका अवसर लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण करके समय नहीं बरबाद करना चाहिये।

आज प्रदेश में 117 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है। प्राईवेट चीनी मिलें हैं, कारपोरेशन की चीनी मिलें हैं और सहाकरी चीनी मिलें हैं। सभी चीनी मिलों पर किसान का बकाया है। जो पैसा काश्तकारों का चीनी मिलों पर बकाया है, इस अवसर का लाभ लेकर मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक ओर हम किसानों को पैसे की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर उनके उत्पीड़न की कार्यवाही कर रहे हैं। मैं अनुरोध करुंगा कि जिन किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, आज की चर्चा से उनको इतना तो लाभ मिलना चाहिये कि उन किसानों पर उत्पीड़न की कार्यवाही न हो। जो संसाधन सरकार के पास हैं उनसे किसानों के मूल्यों की अदायगी जितनी जल्दी हो सके उसको कराने की कृपा करें। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कुछ व्यवस्था की है उसके लिये मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने अदायगी करवायी है, उनका प्रयास है, उसकी मैं सराहना भी करना चाहता हूं, लेकिन जो अभी कमियां हैं उसके लिये मैं अनुरोध भी करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के मूल्यों की अदायगी करने के लिये कृपा करें।

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

मान्यवर, मैं इस सदन के सभी सम्मानित साथियों को सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने किसानों की प्रमुख समस्या को आपके माध्यम से सदन में लाकर सरकार के संज्ञान में यह बात लाये हैं। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जो शासन चल रहा है, उनकी जो सोच है, उससे किसानों की समस्याओं का समाधान अवश्य होगा और गांव की उन्नति होगी और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब गांव की उन्नति होगी, तो प्रदेश की उन्नति होगी। मेरा सर्वप्रथम ध्यान गांव की ओर जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 24 जून को जब से यह सरकार बनी है 1219.66 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की और कारपोरेशन की जो मिलें हैं वह घाटे पर चल रही हैं। जिस समय इनका अधिग्रहण हुआ था, इनकी क्षमता बहुत कम थी और अब इनका विस्तारीकरण हो रहा है और भविष्य में सारी मिलें फायदे में होगी, लेकिन कई सालों से पैसा बकाया है, जिसके कारण यह समस्या खड़ी हो गयी है। 10 अगस्त, 91 तक 1318.36 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य देय था, जिसमें से 1219.66 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भगतान किया गया है जिसमें 92.5 करोड़ रुपये इस शासन से भुगतान किया गया और अवशेष 98.70 करोड रुपया है, जो कुल गन्ना मूल्य देय का 7.5 प्रतिशत है। इसमें निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर 4.4 प्रतिशत, राज्य चीनी निगम की मिलों पर 13.3 प्रतिशत तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर 9.5 प्रतिशत अवशेष है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)--

माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री हनुमंत सिंह--

मेरी साधारण सोच विचार किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में है और मेरी सरकार कृत संकल्प है कि आने वाले पेराई सीजन के पहले प्रदेश के इस वर्ष का गन्ना मूल्य का सारा बकाया भुगतान कर दिया जाये।

मान्यवर, खाद नीति के बारे में बात कही गयी। भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई खाद नीति घोषित नहीं की गयी है और इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसी खाद नीति मे घोषित किये जाने की संभावना नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार आने वाले पेराई सीजन के पहले इस वर्ष के गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, आप दूसरा ले लें इसको बाद में ले लें।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)--

मान्यवर, एक वक्तव्य है, जिसमें माननीय वर्मा जी रुचि रखते हैं, इसको आप ले लें और बाकी को पढ़ा हुआ मान लें।

(व्यवधान)

नियम-51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो अस्वीकार की गयीं। अगर सहमति हो तो इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[आज दिनांक 13-8-91 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं—

1—श्री विनेश चन्द्र सोनकर—जनपद इलाहाबाद के थाना चरवा एवं पूरा मुफ्ती पुलिस द्वारा नागरिकों को पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2—श्री राम गोविन्द चौधरी व श्री अकबर—प्रदेश के विभिन्न राजकीय बालिका विद्यालयों में प्रबन्धन के पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त किये जाने से मू०पू० अंशकालिक प्रवक्ताओं में व्याप्त रोष।

3—श्री रवीन्द्र शुक्ल—डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का निर्माण कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में।

4—श्री बलराम यादव—शारदा सहायक की नहरों से आजमगढ़ में पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5—श्री ऊदल—श्रीमती अंजू मोदी की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6—श्री अवध पाल सिंह—प्राइमरी स्कूल फरिहा फिरोजाबाद की प्रधानाध्यापिका माया देवी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

7—श्री श्याम बिहारी सिंह—तदैव।

8—श्री चन्द्रभान मौर्य—आगरा जनपद के प्राइमरी स्कूलों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि—प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों में आर्थिक संकट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—जनपद बलिया के रैपुरा जमदारी बांध न बनने से गंगा में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11—श्री यदुनाथ सिंह—जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों के कारण बढ़ रहे भ्रष्टाचार मे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12—श्री हरेन्द्र सिंह—बघरा विधान सभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु नहर शाखा देवबन्द में कम पानी आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

13—श्री पवन कुमार पान्डेय—जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में सहकारी चीनी मिल खोले जाने की घोषणा, जनपद के किसानों से अंशदान के रूप में रुपये जमा कराये जाने के बावजूद चीनी मिल न खुलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14—श्री हरेन्द्र सिंह (दो सूचनायें प्राप्त)—सिंचाई विभाग के नालों से ग्राम पिन्न भैंसबाग तथा सिलावर के लोगों में बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।]

[समय 9 बजकर 20 मिनट]

प्रदेश में राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों तथा रियायती मूल्य की कापियों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)—

वक्तव्य पढ़े हुये मान लिये जायें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। मद संख्या 40 लेते हैं।

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री ओम प्रकाश सिंह (गाजीपुर)–

पढ़ी हुई मान ली गयी है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने जब यह सूचना दी थी उसमें मैंने स्पष्ट आरोप लगाया था। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अब स्पष्टीकरण की बात कहां से आती है जब पढ़ी हुई मान ली गयी। (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

ठीक है छोड़ रहा हूं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

[प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक की 84 पुस्तकों जिसमें 51 हिन्दी माध्यम की तथा 33 उर्दू माध्यम की पाठ्य पुस्तकें हैं, तथा कक्षा 9 से 12 तक की 42 (हाई स्कूल 25, इण्टरमीडिएट 17) पुस्तकों को राष्ट्रीयकृत किया है।

2—वर्ष 1990 के प्रथम त्रैमास (जनवरी-मार्च) तक राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा कापियों के लिए भारत सरकार से रियायती दर का कागज का आवंटन मिलता रहा। मार्च 1990 के बाद भारत सरकार ने पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं तथा परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए कागज का रियायती दर पर आवंटन न करने का निर्णय लिया। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष दिनांक 20-4-90 को निर्णय लिया गया कि एक मी० टन कागज पर रु० 5,000 की दर से सब्सिडी पर होने वाला व्यय भार जो लगभग रु० 7.30 करोड़ होगा, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा एक मी० टन कागज पर रु० 5,000/-की जो सब्सिडी दी जाती रही है, उसे इस वर्ष भी भारत सरकार से प्राप्त करने के प्रयास किये जायें। इस निर्णय में अभ्यास पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु किसी प्रकार की सब्सिडी दिये जाने का प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण अभ्यास पुस्तिका के निर्माण के लिये न तो रियायती मूल्य पर कागज उपलब्ध हो सका और न ही प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई।

3—वर्तमान शिक्षा सत्र की पुस्तकों की कागज की आवश्यकता के संबंध में मई, 1991 में शासन ने 15,000 मी० टन कागज के क्रय हेतु रु० 5,000/-प्रति मी० टन की दर से सब्सिडी दिये जाने का निर्णय लिया। इस निर्णय में राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के मूल्यों में आंशिक वृद्धि समाहित थी। भारत सरकार द्वारा गत वर्ष प्रदेश सरकार के निर्णय के संदर्भ में सम्पर्क किये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा एच०पी०सी० को सब्सिडी न दिये जाने के निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। वस्तुतः भारत सरकार द्वारा एच०पी०सी० को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी गई।

4—उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सब्सिडी की धनराशि रु० 5,000 प्रति मी० टन रखी गई थी और कागज का मूल्य बढ़ जाने के कारण यदि सब्सिडी की यही धनराशि रखी जाती तब पुस्तकों के मूल्य में 27% से 60% की वृद्धि संभावित थी। इस मामले पर वर्तमान सरकार द्वारा पुनः विचार किया गया तथा जनहित में यह निर्णय लिया गया कि पुस्तकों के मूल्य में कोई वृद्धि न की जाये। तदनुसार शासन द्वारा सब्सिडी की धनराशि में वृद्धि की गई तथा दिनांक 16-7-91 को रु० 7.50 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति सब्सिडी हेतु दी गई। इसके पूर्व माह मई, 1991, में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन तथा तमिलनाडु न्यूज प्रिन्ट एवं पेपर्स लि० को क्रमशः 13500 मी० टन तथा 1500 मी० टन की आपूर्ति करने के आदेश दिये गये।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5—कक्षा 1 से 8 तक की हिन्दी माध्यम की 51 पुस्तकों में 35 पुस्तकें पहले से प्रचलित हैं। कागज प्राप्त होने पर तुरन्त इनके मुद्रण की व्यवस्था की गयी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की सभी 42 पुस्तकें पूर्व से ही प्रचलित हैं, इनका भी इस वर्ष मुद्रण कराया गया। हाई स्कूल का परीक्षाफल इस वर्ष जुलाई के अन्तिम सप्ताह में प्रकाशित होने के कारण पुस्तकों की उपलब्धता की सम्प्रति कमी नहीं है।

6—राष्ट्रीय शिक्षा नीति के "बीज पाठ्यक्रम" के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों के नवीनीकरण का एक कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसी तारतम्य में कक्षा 2 में 2, कक्षा 4 में 4, तथा कक्षा 6 में 10 नई पुस्तकें लायी जा रही हैं। इन पुस्तकों में से 4 की आदर्श प्रतियां प्राप्त हो चुकी हैं और इन्हें मुद्रण हेतु दिया जा चुका है। अन्य पुस्तकें भी इस माह के अन्त तक मुद्रित हो जायेगी।

7—कागज की आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने तथा राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों को बाजार में उपलब्ध कराने की प्रभावी व्यवस्था करने के लिए दिनांक 1-7-91 को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त मण्डलायुक्तों को लिखा गया कि इस संबंध में तत्काल बैठक करके कार्य योजना तैयार की जाय और इसमें विभिन्न प्रकाशकों/मुद्रकों के पास उपलब्ध स्टाक तथा गत तीन माह में उनके द्वारा विक्रेताओं को आपूर्ति की गयी पुस्तकों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जाय। इसके साथ उपलब्ध कराये गये कागज का दुरुपयोग अथवा पर्याप्त मात्रा में कागज उपलब्ध न होने के कारण ऊंचे मूल्यों पर तथा घटिया किस्म की पुस्तकें बाजार में बेचे जाने के शिकायतों के संदर्भ में प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिये गये। शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके मुद्रकों/विक्रेताओं जो घटिया स्तर की पुस्तकों का प्रचलन बाजार में कराते हैं, उनके विरुद्ध पाठ्य पुस्तक अधिनियम-1979 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। दिनांक 9-8-91 के टेलेक्स/रेडियोग्राम द्वारा पुनः प्रदेश के 31 प्रमुख जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश दिये गये कि रियायती मूल्य के कागज की उपलब्धता, पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण आदि के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करायें तथा आवश्यकतानुसार छापे भी मारे जायें। इस संबंध में शासन स्तर से प्रमुख जनपदों के जिलाधिकारियों को पुनः आवश्यकतानसार अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये हैं।

8—प्रदेश सरकार रियायती मूल्य के कागज पर मुद्रित होने वाली पाठ्य पुस्तकों की उचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है तथा इस संबंध में यदि किसी भी प्रकाशक/मुद्रक द्वारा अनियमितता बरती जायेगी तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। सरकार का यह पूरा प्रयास है कि कक्षा 1 से 12 तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें यथा शीघ्र प्रदेश के समस्त जनपदों में उनकी आपूर्ति उपलब्ध हो जाये।]

प्रदेश के हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को गत पांच वर्षों से ऋण प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अंतर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)—

[मा० सदस्य ने नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया है कि हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को गत पांच वर्षों से ऋण प्रदान न किये जाने से लाखों बुनकर बेरोजगार हो गये हैं और भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हथकरघा उद्योग प्रायः लुप्त हो गया है। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि शासन की नीति के तहत बुनकर सहकारी समितियों को दिनांक 31-3-1989 तक सहकारी बैंक के बकाया मूलधन व ब्याज को सम्मिलित करते हुए 10 प्रतिशत अंश 31.3.1990 तक जमा करना था तदपरान्त 15 प्रतिशत

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अंश राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंक में जमा कराना था। परन्तु समितियां इस अवस्था में नहीं हैं कि 10 प्रतिशत अंश जमा कर सकें। अत: मा० सदस्य द्वारा यह मांग की गयी है कि सहकारी बुनकर समितियों की ओर से राज्य सरकार सहकारी बैंक को यथाशीघ्र 25 प्रतिशत अंश जमा कर दें तथा कैश क्रेडिट लिमिट 84-85 के उत्पादन के आधार पर उपलब्ध कराएं एवं बैंक के बकाया मूलधन की वसूली 40 छमाही किश्तों में दिनांक 31.3.1991 के बाद से कराएं।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यह सही नहीं है कि हथकरघा सहकारी समितियों को गत ९ वर्षों से ऋण प्रदान नहीं किये जा रहे हैं बल्कि असलियत यह है कि हथकरघा निदेशालय द्वारा गत 5 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त ऋण एवं अनुदान की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं। प्रदत्त सुविधाओं का विवरण संलग्न है। प्रदेश की अधिकांश बुनकर समितियां जिला सहकारी बैंक एवं शासकीय ऋण की बकाएदार हो गयी है अत: वे वित्त पोषण की पात्रता में नहीं आती हैं।

शासन ने उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासनादेश दिनांक 3-7-1989 द्वारा बुनकर समितियों के पुर्नवासन हेतु सुविधाएं प्रदान की जिससे कि वित्तयी (डिफाल्टर) समितियों को पुन: पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध हो सके। (शासनादेश की प्रति संलग्न है)*

योजनानुसार बुनकर सहकारी समितियों को सहकारी बैंक के बकाया मूलधन व ब्याज को सम्मि करते हुए दिनांक 31-3-1990 तक अपने अंश के रूप में 10 प्रतिशत जमा करना था तथा शेष 15 प्रतिशत सरकार द्वारा जिला सहकारी बैंक में जमा कराना था। बुनकर समितियों के प्रतिनिधि अधिकांशतय: नि धारित अंश का रूप या जिला सहकारी बैंक में जमा नहीं कर पायी जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा भी अ अंश जमा नहीं किया जा सका, अत: पुर्नवासन योजना की अंतिम तिथि समाप्त हो गयी।

बुनकर समितियों की समस्या को देखते हुए पुर्नवासन योजना पुन: तैयार की गयी है जिसके अंतर्गत योजना की अवधि 31-3-1992 तक बढ़ाये जाने का मामला विचाराधीन है।

जहां तक मा० सदस्य का यह कहना है कि बुनकर समितियां इस स्थिति में नहीं हैं कि वे जिला सहकारी बैंक के बकाए का 10 प्रतिशत अंश अपने पास से जमा कर सकें अत: पुर्नवासन योजना के अंतर्गत वर्ष 1984-85 के उत्पादन के आधार पर कैश क्रेडिट लिमिट के नवीनीकरण हेतु शासन सम्पूर्ण 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दें जिससे कि कैश क्रेडिट लिमिट का नवीनीकरण हो सके, का सम्बन्ध है, यह अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रस्ताव आर्थिक मानदण्ड के आधार पर खरा नहीं उतरता क्योंकि उक्त प्रस्ताव से ही ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में जो धनराशि बुनकर समितियों के प्रतिनिधियों को ऋण एवं अनुदान के रूप में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी उसका सदपयोग नहीं किया गया है और इसी कारण से प्रदेश की बुनकर समितियां पुनर्वासन योजना के अंतर्गत मात्र 10 प्रतिशत धनराशि देने में अपने को असमर्थ पा रहीं हैं।]

फैजाबाद जनपद में मीरापुर व हैदरगंज में डाक्टरों की लापरवाही के कारण गैस्ट्रो तथा हैजे से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

[उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीकापुर में माह जनवरी से जुलाई, 1991 तक आन्त्र-शोथ (गैस्ट्रो) से कुल 11 गांव प्रभावित हुए इस ग्राम में कुल 45 रोगी हुये। इनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं

नोट:—*संलग्नक छापा नहीं गया।

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुई। इस क्षेत्र में हैजे का कोई रोगी नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में सभी स्थानों पर त्वरित कार्यवाही विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गयी तथा रोग पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया गया। इस क्षेत्र में दिनांक 27 जुलाई से कोई नया रोगी नहीं हुआ है। क्षेत्र के 286 कुंओं का दैनिक विसंक्रमण किया गया, 3668 हैजा निरोधक टीके लगाये गये और 417 हैलाजोन गोलियां बांटी गयी। स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है।

2—डा० आर०के० वर्मा और डा० जी०सी० दुबे के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक श्री संत श्रीराम त्रिवेदी के इसी आशय के शिकायती पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी फैजाबाद द्वारा जांच की गई। कथित जांच में इन आरोपों को आंशिक रूप से सही पाया गया है। फलस्वरूप डा० आर०के० वर्मा को पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का आदेश दे दिया गया है।

3—सरकारी दवाओं का घोटाला एवं गम्भीर रोगी वापिस किये जाने की शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है।

4— डा० जी०सी० दुबे के गोरखपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस करने की कोई जानकारी नहीं है। किन्तु अस्पताल से प्रायः अनुपस्थित रहने की शिकायत की पुष्टि हुई है। अतः श्री दुबे के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का मामला निदेशालय स्तर पर विचाराधीन है।]

वर्ष 1981-82 के पी०सी०एस० बैच के अधिकारियों को पोन्नति का लाभ दिया जाना आदि स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

[मा० सदस्य ने नियम-51 के अन्तर्गत निम्नांकित सूचना दी है:—

"क्या कार्मिक मंत्री महोदय को ज्ञात है कि 81-82 पी०सी०एस० बैच में कुल कितने अधिकारी भर्ती हुए थे, और उन अधिकारियों में कितने सेना से आये थे? पी०सी०एस० अधिकारियों में सैन्य विनियोजित अन्य अधिकारी जो प्रमोशन सीनियार्टी के पात्र हैं, उनको प्रोन्नत क्यों नहीं दिया जा रहा है? जबकि सेना से आये 81 बैच के पी०सी०एस० पूर्व डिप्टी कलेक्टर श्री विनोद कुमार खरबन्दा के मामले में मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रमोशन का लाभ दिया गया है। उच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए 81-82 बैच के सैन्य विनियोजित अधिकारियों को अब तक प्रमोशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया? सैन्य विनियोजित अधिकारियों के आवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां तो प्रमोशन कब तक किया जायेगा?"

2—नोटिस में सन्दर्भित अवधि पी०सी०एस० के 2 बैच (9181 तथा 1982) से सम्बन्धित है। पी०सी०एस० 1981 बैच (1980 परीक्षा) तथा पी०सी०ए० 1982 (1981 परीक्षा) में क्रमशः 50-50 पी०सी०एस० अधिकारी भर्ती किये गये थे जिसमें से सैन्य वियोजित क्रमशः 3 व 4 (सेना से आये हुये कुल 7) अधिकारी सम्मिलित हैं।

3—दिनांक 29-3-68 को उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी—2) सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण) नियामवली, 1968 प्रख्यापित की गयी थी, जो 5 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावित थी। उक्त नियमावली के तहत 1-11-62 या उसके पश्चात् कमीशन प्राप्त एवं तत्पश्चात् किसी समय निर्मुक्त अधिकारियों को पात्रता परिधि में रखा गया था। पुनः 6 अगस्त, 1973 को उ०प्र० अप्राविधिक (श्रेणी—2) सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1973 जारी की गयी जो 5 वर्ष के लिये लागू थी। उक्त नियमावली के तहत 1-11-62 को या इसके पश्चात् किन्तु 10-1-68 के पूर्व और पुनः 3-12-71 को या इसके पश्चात कमीशन प्राप्त एवं तत्पश्चात् किसी समय निर्मुक्त अधिकारियों को पात्रता परिधि में रखा गया था। पुनः अधिसूचना दिनांक

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

19-8-80 द्वारा उ०प्र० अपीलावाधक (श्रेणी–2)/समूह (ख) सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों की नियुक्ति) नियमावली, 1980 प्रख्यापित की गयी जिसमें वर्ष 1973 को प्रयापित नियमावली में परिभाषित अर्हता सम्बन्धी तिथियों अवधि को अग्रतर स्पष्ट करते हुये यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिये आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया 6-8-78 के पूर्वा समाप्ति या प्रारम्भ हो गयी है, तभी वर्ष 1973 की नियमावली का लाभ सैन्य वियोजित अधिकारियों को प्राप्त हो सकेगा।

"सैन्य वियोजित अधिकारी" का तात्पर्य संघ की सशस्त्र सेना के ऐसे निर्योग्य रक्षा सेवा अधिकारी, आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी से है, जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 की या इसके पश्चात् किन्तु 10 जनवरी, 1968 के पूर्व या 3 दिसम्बर, 1971 को या इसके पश्चात् कमीशन मिला हो और तत्पश्चात् किसी समय निर्मुक्त कर दिया गया हो–

"निर्योग्य रक्षा सेवा अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे कमीशन प्राप्त अधिकारी से है जो संघ की सशस्त्र सेवा में सेवा करते हुए शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही में या उपद्रव ग्रस्त 1 क्षेत्रों में निर्योग्य हुआ हो।

4– उपरोक्त उल्लिखित नियमावली, 1980 द्वारा सैन्य वियोजित अधिकारियों को कोई नया आरक्षण नहीं दिया गया था। वह सिर्फ इसलिए बनायी गयी थी क्योंकि 1973 की नियमावली का प्रवर्तन 6-8-78 के बाद समाप्त हो गया था। यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में चयन की प्रक्रिया दिनांक 6-8-78 के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी थी तो उन्हें 1973 की नियमावली के प्राविधानों में का लाभ उपलब्ध कराना न्यायोचित पाया गया था।

5—उक्त नियमावली के अधीन सैन्य वियोजित अधिकारियों को सेना में की गयी सेवा का लाभ ज्येष्ठता में दिये जाने के सिद्धान्त मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-973/74 वर्ष 1989 नरेन्द्र नाथ पाण्डेय आदि बनाम उ०प्र० सरकार में प्रतिपादित किया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21-7-88 सपठित 9-3-89 में यह स्पष्ट किया गया कि सैन्य वियोजित अधिकारियों की वरिष्ठता के लिये "वार सर्विस" की अवधि का लाभ तो मिलेगा ही, इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति सेवा सेवियोजित होने से 3 वर्ष के अन्दर राज्य सेवा में भर्ती न हो पाये हों उन्हें अधिक से अधिक 3 वर्ष का लाभ मिलेगा और इसके साथ रिक्रूटमेंट मे पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। मा० उच्चतम न्यायालय ने "वार सर्विस" की कोई परिभाषा अपने निर्णय में नहीं दी थी परन्तु उक्त नियमावली आपात कमीशन आदि से सम्बन्धित थी अतः उनकी व्याख्या उन्हीं के सन्दर्भ में की जानी है। उल्लेखनीय है कि मा० उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पी०सी०एस० में सैन्य वियोजित अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण के जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं वे उपरोक्त उल्लिखित नियमावलियों के सन्दर्भ में ही है तथा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उक्त नियमावली के किसी भी प्राविधान को अवैध घोषित नहीं किया गया है।

6—श्री विनोद कुमार खरबन्दा, 1981 पी०सी०एस० बैच के अधिकारी हैं जिन्होंने सेना में की गयी सेवा के आधार पर उक्त नियामवली के अधीन ज्येष्ठता निर्धारण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु रिट याचिका संख्या 7409/1986 में प्रार्थना की थी। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25-4-90 में श्री खरबन्दा के कमीशन प्राप्त करने तथा सेना से निर्मुक्त किये जाने की तिथियों को दृष्टिगत रखते हुये यह समीक्षा की थी कि चूंकि श्री खरबन्दा के बाद कमीशन प्राप्त कतिपय अधिकारियों को उक्त नियमावली के अधीन ज्येष्ठता का लाभ प्रदान किया गया है। अतः उन्हें भी ज्येष्ठता निर्धारण का लाभ स्वीकार किया जाय। मा० उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में श्री खरबन्दा के सम्बन्दा में सुसंगत तथ्यों के आधार पर नियमावली के तहत दिनांक 11-1-68 से 2-12-71 के मध्य की अवधि का लाभ ज्येष्ठता निर्धारण में स्वीकार न किये जाने को औचित्य पूर्ण नहीं पाया। परन्तु मा० उच्च न्यायालय ने उक्त नियमावली के किसी प्राविधान को अवैध करार नहीं दिया है और न उनमें सामान्य संशोधन किये जाने हेतु कोई निर्देश दिये हैं। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में श्री खरबन्दा को ज्येष्ठता का पुनर्निर्धारण करते हुए 1981 बैच के बजाय उन्हें डिप्टी कलेक्टरों की कोटिक्रम सूची के क्रम संख्या-171 पर वर्ष 1970 में श्री दीपक राय विज के नीचे तथा क्रमांक 172 पर श्री रमेश चन्द शर्मा बैच 1971 के ऊपर रखा गया। सेवा नियमावली के समंगत प्राविधानों के तहत श्री खरबन्दा को प्रमोशन का लाभ प्रदान किये जाने पर भी

अलग से विचार चल रहा है। परन्तु वर्ष 1981 तथा 1982 पी०सी०एस० बैच में सम्मिलित निम्नांकित 6 अधिकारियों को उक्त नियमावली के अधीन ज्येष्ठता का लाभ प्रदान करने हेतु अर्ह नहीं पाया गया है अत: उन्हें सेना में की गयी सेवाओं का लाभ ज्येष्ठता निर्धारण में नहीं दिया गया है —

क्रम सं०	नाम (मैन्य वियोजन)	पी०सी०एस० बैच	ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्यावेदनों के निस्तारण/ प्रोन्नति की स्थिति
1	2	3	4
1—	श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी	1981	12-6-86 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत, 25-2-86 को प्रत्यावेदन निरस्त दिनांक 1-5-90 को प्रोन्नत
2—	श्री सुशील कुमार द्विवेदी	1981	18-3-86 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत दिनांक 9-4-86 को निरस्त. दिनांक 2-5-90 को ज्येष्ठ वेतनमान में पदोन्नति
3—	कैप्टन श्री संतोष कुमार द्विवेदी	1982	ज्येष्ठता के बारे में कोई प्रत्यावेदन नहीं। दिनांक 14-9-90 को समयमान वेतनमान रु० 3000-4500 स्वीकृत है।
4—	श्री राजेन्द्र सिंह मलखान	1982	ज्येष्ठता निर्धारण के बारे में कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं, दिनांक 25-7-86 से समयमान वेतनमान रु० 3000-4500 स्वीकृत है
5—	श्री राजपाल सिंह	1982	ज्येष्ठता निर्धारण के बारे में कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं। दिनांक 1-8-88 से समयमान वेतनमान रु० 3000-4500) स्वीकृत है
6—	श्री विशाल नाथ राय	1982	ज्येष्ठता निर्धारण के बारे में कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं है। संतोषजनक सेवा न होने के कारण समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया

7—उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 1981 तथा 1982 बैच के पी०सी०एस० अधिकारियों में सेना के उपरोक्त समस्त 6 अधिकारियों (श्री खरबन्दा को छोड़कर) को सुसंगत नियमावलियों के तहत समस्त अनुमन्य लाभ प्रदान किये गये हैं। सेना के विकलांग अधिकारी, इमरजेन्सी कमीशन्ड, शार्ट सर्विस कमीशन अफसरों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये राज्याधीन सेवाओं में समूह 'क' व 'ख' में क्रमशः 8-8 तथा समूह 'ग' व 'घ' में 3-3 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा सीधी भर्ती के अवसर पर अनुमन्य है, जिसका लाभ उन्हें शासनादेश दिनांक 20-8-77 से निरन्तर मिल रहा है। नियमावली 1973 चूकिं दिनांक 6-8-78 के बाद से निष्प्रभावी हो गयी है अतः आरक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त क के प्रदेश की सिविल सेवा मे चयनित होने वाले सैन्य वियोजित अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 28-9-87 द्वारा वेतन निर्धारण में यह लाभ प्रदान किया गया है कि सिविल सेवा में प्रविष्ट होने पर उनके द्वारा सैन्य सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिये एक वेतन वृद्धि स्वीकार की गयी है।]

टाण्डा तापीय परियोजना, टाण्डा, फैजाबाद द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बदले कृषकों के आश्रितों को सेवायोजन दिए न जाने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(मदन की सहमति मे वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

लघु उद्योग मंत्री (श्री मयंकर सिंह)—

[टाण्डा तापीय परियोजना, टाण्डा, जिला फैजाबाद के लिए कुल लगभग 1314 परिवारों की भूमि राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी। भूमि अधिग्रहण के समय विद्युत परिषद् तथा कृषकों के मध्य ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था कि जिनकी भूमि अधिग्रहीत की जायेगी उनके परिवार के सदस्य को परियोजना में नौकरी दी जायेगी।

2—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की सम्बन्धित नियमावली के अनुसार केवल उन्हीं परिवारों के एक सदस्य को सेवायोजन प्रदान किए जाने की व्यवस्थ है जिनकी 50% या उससे अधिक भूमि अधिग्रहीत की जाय तथा ऐसी नियुक्तियां भी परियोजना में पद रिक्त होने की दशा में ही दी जा सकती हैं।

3—उपर्युक्त परियोजना के 50% या उससे अधिक भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषकों की कुल संख्या 519 थी जिनमें से 265 व्यक्तियों को अभी तक परियोजना में सेवायोजन प्रदान किया जा चुका है। उपर्युक्त परियोजना में इस समय कोई भी पद रिक्त नहीं है। इस कारण अन्य किसी व्यक्ति को सेवायोजन प्रदान करना सम्भव भी नहीं है।

4—बाहरी व्यक्तियों की नियुक्तियां केवल तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी पदों पर ही की गयी हैं, जिसके लिए प्रभावित कृषक परिवारों में से अर्हता प्राप्त कोई व्यक्ति उपलब्ध भी नहीं था। प्रभावित कृषक परिवारों से आई०टी०आई० प्रमाण-पत्रधारी केवल 2 व्यक्ति ही उपलब्ध थे और उन्हें आपरेटर ग्रेड-2 के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है। यही नहीं, प्रभावित कृषक परिवारों मे 4 डिप्लोमाधारी व्यक्तियों की भी नियुक्ति अवर अभियन्ता (ट्रेनी) के पद पर की गई है।

5—इन तथ्यों से स्पष्ट है कि यह कथन सही नहीं है कि प्रभावित कृषक परिवारों के आश्रितों को सेवायोजन नहीं प्रदान किया गया है।]

*श्री लाल जी वर्मा—

इस पर मुझे स्पष्टीकरण मांगना है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है आप स्पष्टीकरण चाहते है आप पूछ लें।

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत अहम मुद्दा है 1980 में यह थरमल प्रोजेक्ट लगाया गया सभी किसानों की 100 प्रतिशत जमीन ली गयी थी बोर्ड के नियम के अनुसार जिनकी 50 फीसदी से ऊपर जमीन ली जायेगी उन किसानों के परिवार से एक व्यक्ति को थरमल प्रोजैक्ट में नौकरी दी जायेगी। करीब 13–14 परिवारों की जमीन अधिग्रहीत की गयी है इनमें से 519 काश्तकार ऐसे हैं जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक जमीन ली गयी है। लेकिन केवल 265 लोगों को अभी तक नौकरी दी जा सकी है बाकी को नौकरी नहीं दी गयी है। इस वक्तव्य में कहा गया है पैरा 3 में आप देखें कि उपर्युक्त परियोजना में इस समय कोई भी पद रिक्त नहीं है। इस कारण अन्य किसी व्यक्ति को सेवायोजन प्रदान करना संभव नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रबंधक बोर्ड द्वारा पदों के सैंक्सन की मांग की गयी है?

श्री मयंकर सिंह–

इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री लाल जी वर्मा–

इसमें सूचना की कहां आवश्यकता है इसी वक्तव्य में पैरा 3 में दिया हुआ है। किसी व्यक्ति को सेवायोजन प्रदान करना संभव नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस परियोजना के प्रबंधक बोर्ड द्वारा विद्युत बोर्ड से पद सैंक्सन करने के लिये क्या अनुमति मांगी गयी हैं।

श्री मयंकर सिंह–

जहां तक वाह्य व्यक्तियों का संबंध है इसमें सूचना दी गयी है कि वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति केवल तकनीकी पदों पर की गयी है।

श्री लाल जी वर्मा–

यह आप चौथे पैरा में चले गये हैं मैं तीसरे पैरा की बात कर रहा हूं। मंत्री जी मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दें कि क्या परियोजना प्रबंधक द्वारा भर्ती करने के लिये बोर्ड की अनुमति मांगी है?

*वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मा० सदस्य के क्षेत्र का यह मामला है। 50 प्रतिशत जमीन जिनकी ली गयी है उनको नौकरी मिलना है, इसका उत्तर वक्तव्य में है।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पद रिक्त है, भर्ती के लिये स्वीकृति मांगी गयी है और बोर्ड ने क्या नियुक्ति रोक दिया है?

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उस परियोजना में दूसरी परियोजनाओं से भर्ती करके लोगों को स्थानान्तरित करके वहां रख लिया गया है? मेरा स्पष्ट आरोप है कि बाहरी व्यक्तियों को भर्ती किया जा रहा है। दूसरी परियोजना में भर्ती की गयी और उसके तत्काल बाद उनको स्थानान्तरित करके वहां पदों को भर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, श्री वर्मा जी लिखकर शिकायत करेंगे तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं इसलिये इसको आप स्थगित कर दें और दूसरे सत्र में वक्तव्य दिलायें किसानों के हित की बात है। 265 लोगों की भर्ती की गयी है उनको किस क्रम से किया है? 100

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फीसदी जिनकी जमीन ली गयी उनमें ऐसे कितने किसान है जिनकी भर्ती नहीं हुई और 50 फीसदी किसानों की भर्ती की गयी है? इसका उत्तर दे कि क्या यह सही नहीं है?

श्री अध्यक्ष–

आपका यह प्रश्न मूल सूचना में नहीं था। इसलिये इसकी मैं अनुमति नहीं देता हूं। (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं यदि होते तो जबाब देते। किसान आज वहां भुखमरी के शिकार हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा रहा है, इसलिये इसे स्थागित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

आप जो कह रहे हैं उसका सूचना में उल्लेख नहीं है। इसलिये अब आप बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा–

आप प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, इसलिये मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(लाल जी वर्मा सदन त्याग कर चले गए)

उत्तर प्रदेश के चावल व गेहूं को बिहार के रास्ते से नेपाल होते हुए चीन ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

खाद्य एवं रसद मंत्री जी के अनुरोध पर मद सं० 44 स्थगित कर दी गयी है।

डाला सीमेण्ट फैक्ट्री को सस्ते दामों पर बेचे जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

[प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी-फरवरी, 1990 में यह निर्णय लिया गया था कि निरन्तर घाटे में चल रहे उपक्रमों की कार्य कशलता में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। इसी परिप्रेक्ष्य में उ०प्र० राज्य सीमेंट निगम का निजीकरण करने अथवा इसे संयुक्त/सहायतित क्षेत्र में चलाये जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा अप्रैल, 1990 में यह निर्णय लिया गया कि इसे संयुक्त/सहायतित क्षेत्र में चलाया जाय।

तदनुसार प्रमुख समाचार पत्रों मे विज्ञापन देकर इच्छुक उद्यमियों से 19.5.90 को प्रस्ताव प्राप्त किये गये। प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने हेतु 27-8-90 को प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में एक निर्जीकरण समिति का गठन किया गया जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त वाणिज्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निजीकरण समिति के समक्ष अन्ततोगत्वा 7 कम्पनियों ने लिखित रूप से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिनमें ए०सी०सी०, मोदी सीमेंट लि०, रेमण्ड वूलेन मिल्स, डालमियां इण्डस्ट्रीज लि०, जे०के० सिन्थेटिक्स लि०, ओरिएण्ट पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० व यू०पी० एम्वेस्टस लि० थे।

सर्वश्री डालमियां इण्डस्ट्रीज द्वारा अपना विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार यदि प्रदेश सरकार 5 वर्षों के लिए बिक्रीकर के आस्थगन की सुविधा देती है और निगम के विरुद्ध राज्य सरकार के अधिकतम 25 करोड़ रुपये के बकाया की किश्तें निर्धारित करती है तथा आकस्मिक दायित्वों का पूर्ण दायित्व अपने ऊपर लेती है तभी वे 100/- रुपये मूल्य के शेयर को 45/-रु० में लेने के लिए सहमत थे।

सीमेंट निगम के अंशकों का एक प्रसिद्ध कन्सल्टेण्ट, सर्वश्री बिलमोरिया एण्ड कम्पनी से अंशपूंजी का मूल्यांकन कराया गया। कन्सल्टेण्ड द्वारा 7 नवम्बर, 1990 के मध्य अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें 100/-रु० के शेयर का मूल्य 20/-रु० आंका गया था। विचार विमर्श के उपरान्त समिति ने सर्वश्री डालमियां इण्डस्ट्रीज को 100/-रु० मूल्य के शेयर को 75/-रु० में हस्तान्तरित करने पर अपनी संस्तुति इस शर्त के साथ की कि बिक्री कर आस्थगन की सुविधा 5 वर्षों के लिए दी जाय तथा उसका भुगतान 8वें वर्ष से प्रारम्भ होगा और यह कि शासन के 25 करोड़ रु० तक के देयों का भुगतान 3 वर्षों के पश्चात वार्षिक किश्तों में अगले 5 वर्षों में किया जाय जिस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा तथा श्रामकों व कर्मचारियों को यथास्थिति व परिसम्पत्तियों एवं अन्य देयों को जो जैसे हैं उसी स्थिति में स्वीकार किया जाना होगा।

अतः यह कहना सही न होगा कि सीमेंट निगम को किसी निजी उद्योगपति के हाथों बेचा गया है।

सीमेंट निगम के कर्मचारियों द्वारा सीमेंट निगम को संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करने के निर्णय के विरोध स्वरूप दिनांक 2 जून, 1991 को लगभग 6,000 कर्मचारियों ने सड़क जाम करने, यात्रियों को बलपूर्वक बसों में चढ़ने से रोकने, पथराव, सम्पत्ति को नष्ट करने, आगजनी व निजी शस्त्रों से फायरिंग की गई। उसे रोकने के लिये पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़े गये। किन्तु फिर भी स्थिति और बिगड़ती गई। जनमाल की भारी क्षति की संभावना को दृष्टि में रखते हुए आत्मरक्षार्थ व जनधन की सुरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिससे 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। इस घटना में प्रत्येक मृतक श्रमिक के उत्तराधिकारी को 1-1 लाख रु० तथा उसके परिवार के एक व्यक्ति को सेवायोजित किये जाने तथा प्रत्येक घायल को 10,000/-रु० का प्रतिकर भुगतान करने का आश्वासन सीमेंट निगम द्वारा दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा रही है।

राज्य कर्मचारी पुलिस परिषद व अन्य कर्मचारी संगठनों में मुजफ्फरनगर के पुलिस कर्मियों को बंधक बनाने तथा उनकी हत्या आदि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य गृहमंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

राज्य गृह मंत्री के अनुरोध पर मद संख्या 46 स्थगित कर दी गयी है।

जनपद आगरा में किसानों की फसलों के लिए जलापूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई, न्याय तथा विधायी कार्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

(संलग्न वक्तव्य को पढ़ने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाये?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

[दिल्ली में यमुना नदी पर ओखला बैराज के अतिरिक्त दो बैराज निर्मित हैं। दिल्ली द्वारा यमुना नदी में वजीराबाद बैराज में ऊपर अनुबन्ध में अनुसार पेय जल हेतु ग्रीष्म ऋतु में 120 क्यूसेक्स व शरद ऋतु में 110 क्यूसेक्स पेय जल हेतु जल उठाने का प्राविधान है, जिसके विरुद्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिक जल उठाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यमुना जल वितरण के बारे में विभिन्न प्रदेशों के बीच (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान हिमांचल प्रदेश) वितरण का विवाद भारत सरकार के स्तर पर चल रहा है, उसके निर्णय के उपरांत ही इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

2—यमुना नदी में पानी की उपलब्धि कम होने के कारण गंगा नदी का पानी ऊपरी गंगा नहर से जानी स्केप द्वारा हिण्डन नदी व हिण्डन कट के माध्यम से आगरा नहर को दिया जाता है। जानी स्केप के टेल फाल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कुछ समय के लियेऊपरी गंग नहर का पानी खतौली स्केप के माध्यम मे हिण्डन नदी तथा हिण्डन कट से यमुना नदी में लाया गया परन्तु गत लगभग 3 वर्षों से अब गंगा नहर का पानी जानी स्केप से ही लाया जा रहा है क्योंकि जानी स्केप के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत का कार्य पूर्ण हो गया हैं।

3—आगरा में किसानों की फसलों के लिये मुख्यत: आगरा नहर प्रणाली द्वारा पानी दिया जाता है। जनपद आगरा में रबी एवं खरीफ का प्रस्तावित क्षेत्र क्रमश: 0-42 एवं 0-31 लाख हे० है जिसके विरुद्ध गत 5 वर्षों की औसत सींच रबी एवं खरीफ क्रमश: 0-47 एवं 0-14 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष खरीफ 1399 में दिनांक 31-7-91 तक जनपद आगरा में 0-15 लाख हेक्टेयर सींच हो चुकी है जबकि गत वर्ष इस अवधि तक यह 0-13 लाख हे० थी। खरीफ 1399 में जुलाई, 1991 तक आगरा जनपद की नहरों को रोस्टर के अनुसार औसतन 34 दिन चलाया जाना प्रस्तावित था जिसके विरुद्ध 47 दिन चलाया गया जो कि प्रस्तावित रोस्टर से अधिक है।

उल्लेखनीय है कि खरीफ में इस क्षेत्र को जल व पशु जीवन रक्षा हेतु तालाबों का पानी उपलब्ध कराया जाता है। इस वर्ष सूखे के कारण ग्रामीण अंचलों के तालाबों को इस नहर द्वारा कई बार भरवाया गया है।

4—आगरा नहर दिल्ली स्थित ओखला से निकलती है आगरा नहर शीर्ष से 9.6 कि०मी० तक दिल्ली प्रदेश से होकर जाती है। तत्पश्चात यह नहर कि०मी० 79.2 तक हरियाणा राज्य से गुजरती है। हरियाणा राज्य में आगरा नहर प्रणाली से कुछ नहरें पूर्ण रूप से तथा कुछ नहरों का भाग हरियाणा राज्य में सिंचाई करता है। यह नहरें सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की संपत्ति है तथा इनका रख-रखाव व संचालन सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वरा ही किया जाता है। इन नहरों को रोस्टर के विपरीत कभी-कभी कृषकों द्वारा खोल दिया जाता है, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। आगरा व मथुरा जनपदों को उपलब्धता के आधार पर जल वितरण किया जाता है।

5—मध्य गंगा नहर खरीफ की सिंचाई हेतु निर्मित की गई है। मध्य गंगा परियोजना में मध्य गंगा नहर को हाथरस मे आगे लाकर यमुना पर एक्यूडेक्ट बनाकर आगरा कैनाल से जोड़ने का कोई प्रस्ताव एवं प्राविधान नहीं है।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में अनवार्षण के कारण सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

*श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, (व्यवधान) जो मद संख्या 48 पुकारा गया है, उसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें जो सूखे के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, इसमें लिखा है–सर्वश्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़), लीला राम शर्मा, हरीचरण यादव, सुरेन्द्रनाथ, श्याम सुन्दर शर्मा, नरेन्द्र सिंह, श्याम नारायण, अखिलेश, अशोक कुमार सिंह, राम गोविन्द चौधरी, अमरेश चन्द्र, विजय सिंह राणा, बलराम यादव, महराज सिंह यादव तथा धनीराम वर्मा द्वारा दिनांक 2 अगस्त 1991 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा। श्रीमन्, इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें मेरा भी इस पर कार्यस्थगन था, जो दो अगस्त की कार्यवाही में छपा है। उसमें स्पष्ट मेरा नाम छपा हुआ है। मेरा नाम लिखा हुआ है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें आप भी बोल लें।

*श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, दुर्भाग्य से इस वर्ष प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा है यह ऐसी समस्या है जो न इधर तक सीमित है न उधर पक्ष तक सीमित है प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां सूखे की काली छाया न पहुंच गयी हो। पानी बरसा है, लेकिन समय से वह नहीं बरसा है। इसलिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है। यह कोई सरकार नहीं पैदा करता है, लेकिन उस समय की सरकार का यह दायित्व है कि जब ऐसी समस्या आए, तो युद्धस्तर पर उनका सामना किया जाए, प्राथमिकता के आधार पर उसका सामना किया जाय। वह सूखा का सामना करेंगे और उससे निपटने के लिए कोई ऐसी नीति तय करेंगे तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन यह सरकार सूखे से निपटने के लिए कितना मन बना चुकी है, यह देखने की बात है। सदन में मुझे दुख: के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे भयंकर सूखे की चर्चा के समय मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। यह इस बात का द्योतक है कि इस मामले में वह जरा भी गम्भीर नहीं है।..(व्यवधान)

एक सदस्य–

उन्होंने तो सूखे की स्थिति में भी आज आपको भोजन के लिए आमन्त्रित किया था, लेकिन आप गए नहीं।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन अब कहना पड़ रहा है कि प्रदेश में एक और जहां किसान भूखों मर रहे हैं, मुख्य मंत्री जी अपने समर्थकों को खुश करने के लिए भोज का आयोजन कर रहे हैं।...(व्यवधान)...मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी समाप्त किया जाय लेकिन व्यवधान होगा तो हमारा समय बढ़ेगा। इस समस्या को हम लोग मिल जुलकर निपटाना चाहते हैं। इस समय सरकार को चाहिए था कि उसके पास जितने साधन हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाता। हर जिले में सूखा से निपटने के लिए इस सरकार ने क्या किया। जो अधिकारी या जिला अधिकारी जिले में थे, जो जिले की भौगोलिक स्थिति से परिचित थे, उनका स्थानान्तरण-उद्योग के तहत स्थानान्तरण कर दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि नये आए अधिकारियों को वहां की समस्या समझने में समय लगा और वह समस्या का सामना नहीं कर सके। ऐसी समस्याओं का सामना हम दो-तीन तरीकों से कर सकते हैं। एक तो गांवों के ट्यूबवेलों को पर्याप्त मात्रा में पूरी बिजली दी जाए। लेकिन जब से यह सरकार आई है, बिजली की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था दिन प्रति दिन गिरती चली जा रही है। पता नहीं यह सरकार पूजीपतियों से क्या बायदा करके आइ है कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन मिल मालिकों को पूरी बिजली मिल रही है।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब कभी भी जहां सूखा पड़ा तो शहरों की बिजली काटकर देहातों में बिजली उपलब्ध कराई और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया लेकिन इस सरकार ने यह भी नहीं किया, इन्होंने किसानों को बिजली न दे कर शहरों में बिजली की व्यवस्था बनाये रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी एयर कन्डीशन्ड में बैठे रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। ट्यूब वैल जो खराब पड़े थे वो वैसे ही पड़ रहे। इस प्रदेश में पूरे 40 प्रतिशत ट्यूब वैल खराब पड़े हैं, इन ट्यूब वैलों को ठीक कराने के लिये युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए थी परन्तु इस सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। बिजली मंत्री यदि यहां पर मौजूद हो तो वह सुन लें, बिजली कहीं दी नहीं गयी कहीं दी गई तो 2-4 घण्टे के लिये, कहीं पर पूरे समय के लिये दी गयी तो पावर लोड नहीं उठा रहा था। इससे सरकार की नीति पता चलती है कि वह अपने प्रदेश के लिये कितनी सजग है। सरकार ने कोई कार्य योजना नहीं बनाई। पानी न बरसने के कारण जमीन सूखी पड़ी है। धान की रोपाई नहीं हो पाई। किसानों को राहत देने के लिये जरूरत है धान का एक प्राइज तय किया जाये जिससे किसानों को जो नुकसान हुआ है उसमें कुछ राहत मिल सके। ट्रांसफार्मर्स की स्थिति भी ऐसी ही है। 40 प्रतिशत ट्रांसफारमर्स खराब पड़े हैं इसके बावजूद भी बिजली विभाग ने उन्हें ठीक कराने के लिये किसी विशेष धन का आवंटन किया न हीं बिजली की आपूर्ति कराई। हो सकता है यह सब कार्य मंत्री जी की फाइलों तक ही हों। जमीन पर या वास्तविकता में तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। मान्यवर, जब कभी सूखे या बाढ़ जैसे दैवी आपदाएं आती थीं, तो इनसे निपटने के लिये कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर दी जाती है। लखनऊ मुख्यालय होता है, प्रत्येक जिले से इसका सम्पर्क बना रहता है। मान्यवर, वर्तमान सरकार ने नौसिखियेपन के कारण या अज्ञानता के कारण किसी जिले में कन्ट्रोल रूम की स्थापना नहीं की है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कन्ट्रोल रूम की कहां स्थापना की है और उससे उन्हें क्या सूचनाएं प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के कृषि मंत्री ने संसद में बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सूखे से प्रभावित हैं। मान्यवर, दुःख इस बात का है कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि यहां पर सूखा पड़ा नहीं। मान्यवर, हो सकता है सूखा उनके बंगले में नहीं पड़ा किसानों के खेतों में पड़ा हो। सूखे की स्थिति से निपटने के लिये कुछ कार्य करने चाहिए थे मगर हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। नहरों में जो पानी आता था वह टेल तक नहीं पहुंच पाया। नहरों की पर्याप्त सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह से सूखे से तो फसलें प्रभावित थी हीं नहरों द्वारा अगर कुछ पानी पहुंचता तो कुछ होता भी। आज स्थिति यह है कि ज्वार, बाजरा जैसी फसलें जो कम पानी में भी हो सकती थी नहीं हुई हैं। पानी न पहुंच सकने के कारण जहरीली हो गयी हैं। जानवरों के चारे की भी समस्या हो गयी है यही नहीं एक व्यवस्था और हुई है।

खाद की सब्सिडी कम हुई। सरकार की जो सब्सीडी कम हुई उसको पूरा कर सकते थे आपके पास संसाधन है उनको आप कहां लगातेहैं आप अपने संसाधन दूसरे काम में खर्च कर देते हैं। अगर आप 20 प्रतिशत भी इस पर खर्च कर देते तो किसानों को लाभ हो जाता। परमिट व्यवस्था जो है यह दुर्भाग्यपूर्ण और यातनापूर्ण हो गई है एक किसान एक बोरा खाद लेने जाता है तो उसको ब्लाक के चार चक्कर लगाने पड़ते हैं और खाद नहीं ले पाता है। मान्यवर, हम सबने अनुरोध किया था कि पुरानी खाद जो है जिस पर सब्सिडी मिल चुकी है उसको सेल कर दिया जाए और वह खाद किसानों को उपलब्ध कराई जाए, लेकिन वह खाद किसानों को उपलब्ध नहीं कराई गई। कोई माननीय सदस्य सत्तापक्ष के हों तो बता दें, जब वह बोलें तो यह बता दें। मान्यवर, जब कभी दैवी प्रकोप आते हैं, तो सरकार इंसोनियत का परिचय देती है, मानवता का परिचय देती है किसानों के पास खाने को कुछ नहीं है वह बकाया नहीं दे सकता है, सरकार कहती है कि उत्पीड़न नहीं हो रहा है वसूली में जबर्दस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब अधिकारियों के पास आदेश हैं कि वसूली की कार्यवाही स्थगित न की जाए। क्योंकि सूखा नहीं पड़ा। मान्यवर, हमारी सरकार रही या दूसरी सरकार रही हो हमेशा वसूली स्थगित कर दी गई है यह पहली सरकार है जिसने वसूली को स्थगित करने की घोषणा आज तक नहीं की है। और प्रदेश को सूखाग्रस्त भी आज तक इन्होंने घोषित नहीं किया है। अगर यह प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर देते तो किसानों की संस्थाओं के द्वारा सूखाग्रस्त होने की वजह से कुछ लाभ मिल जाता, लेकिन सूखाग्रस्त न होने की वजह से किसानों को कोई लाभ नहीं मिला है।

किसानों से वसूली की जा रही है। बिजली नहीं दी जा रही है उनके घरों की कुर्की की जा रही है। किसानों को घरों और खेतों से खींचकर बन्द किया जा रहा है। मान्यवर,हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक ने बताया कि वसूली युद्ध स्तर पर की जा रही है। जहां पानी नहीं बरसा है वहां राहत के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। इस समय बहुत समय न लेकर के मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस समय किसान सूखे से तबाह है ऐसे में आप उनको बिजली न देकर के पूजीपतियों को बिजली दे रहे हैं उसको बन्द करायें। किसानों को बिजली दिलायें, और जो वसूली हो रही है उसको बन्द करायें..(व्यवधान)

राजस्वमंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

चन्दा ले करके पूरे प्रदेश को चौपट कर रखा है।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, 1987 में सूखा पड़ा था उस समय मैं विद्युत मंत्री था और उस समय मैंने दस घंटे बिजली की आपूर्ति की। कारखानों की बिजली को काटकर किसानों को बिजली दी। अगर आपमें साहस है तो आप किसानों को बिजली दें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

आपकी सरकार बिरला के हाथों बिक गई थी।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

सही बात बहुत बुरी लगती है। मैंने सही बात कही तो आपको बुरी लग गई। सिंधिया जी ने सही बात कही तो बुरी लग गई। अगर यह सरकार किसानों को बिजली उपलब्ध कराना चाहती है यह बिजली बढ़ा तो सकती नहीं है, तो यह पूंजीपतियों की बिजली काटकर किसानों को बिजली देनी चाहिए। जिससे उनकी जो 20-25 प्रतिशत फसल बची है वह बच जाए। राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त आज अगर घोषित कर दें, तो हम सूखे पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इसको कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा। अगर आप इस प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित नहीं करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि आप इस प्रदेश को सूखाग्रस्त नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो यह जो वसूली हो रही है इसको स्थगित करने की घोषणा इसी समय कर दें तो मैं आपका आभार व्यक्त करुंगा क्योंकि यह जो सूखा आया है यह वैसे नहीं आया है। इन्होंने भगवान राम को इतना बेचा है कि भगवान राम ने कुपित होकर इनके राज्य में सूखा पैदा कर रखा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति है। माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। आज जो प्रदेश की स्थिति है उसको स्वयं जानते हैं, यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह सवाल सबका है। सब लोग ग्रामीण अंचलों से आते हैं ओर आज पूरा प्रदेश सूखे से प्रभावित है। खरीफ की जो फसलें हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। धान की रोपाई नहीं हो पायी है और धान लगाने का अंतिम समय समाप्त हो रहा है। जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा है इस सूखे का असर पूरी पैदावार पर पड़ेगा। नलकूपों की जो स्थिति है वह यह है कि आज 50 फीसदी नलकूप खराब पड़े हुये हैं। किसी भी जिले का आप सर्वे करा लें स्थिति आपके सामने आ जायेगी। मेरे जनपद गाजीपुर में स्थिति बड़ी खराब है। मैंने पूर्व के 2-4 जिलों में देखा है कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां 50 फीसदी से ज्यादा ट्यूबवेल खराब न हों। 6-6 महीनों से ट्यूबवेल खराब हैं, व बंद पड़े हैं, नहरें भी पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही हैं। मेरे यहां एक नहर देवकली पंप नहर है। इस नहर की क्षमता 1050 क्यूसेक की है लेकिन 300 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं दे रही है। आज चाहे पूर्वी प्रदेश हो, चाहे मध्य हो, चाहे पश्चिमी हो और चाहे पर्वतीय हो, सारा इलाका सूखे से प्रभावित है। जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा आज ट्रांसफारमर्स खराब पड़े हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ट्रांसफारमर खराब न हों। न तो इन ट्रांसफारमर्स की मरम्मत हुयी है और न इनको बदला गया है। इसलिये किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली की लाइनें खराब हैं जिनके कारण बिजली की सप्लाईठीक से नहीं हो पा रही है। पूरे प्रदेश में किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुयी है।

माननीय राजस्व मंत्री जी, आप किसान परिवार से आते हैं। आप इस सदन के सदस्य सन् 77 से हैं मुझे उम्मीद है कि आप किसानों के जो 10 हजार के कर्जे हैं उनको माफ कर देंगे और जो वसूली हो रही है उसको स्थगित करेंगे। मेरा निवेदन है कि आज जो किसानों की वसूली है उसको स्थगित करायें। अरहर की फसल खेतों में जल गयी है। बिजली की स्थिति आपके सामने है इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि पूरा प्रदेश सूखे से प्रभावित है और यह सरकार प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। सरकार सूखे का सामना करने में पूर्ण रूप से विफल है। पहले जिलों--जिलों में सूखे और बाढ़ की स्थिति होने पर कंट्रोल रुम खोले जाते थे लेकिन आज किसी जिले में कंट्रोल रुम की स्थापना नहीं की गयी है। यदि किया भी होगा तो हम लोगों को अपने जनपदों की जानकारी नहीं है कि कहां पर यह कंट्रोल रुम आपने स्थापित किये हैं और क्या-क्या कदम सूखे से निपटने के लिये उठाये जा रहे हैं? इसी तरह से पशुओं के चारे की समस्या है। पशुओं के चारे का अभाव है। पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे छात्र हैं, जो दसवी, बारहवीं में पढ़ रहे हैं उनकी फीस माफ करनी चाहिये। इसलिये आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करें और साथ में जो वसूली है, उसको स्थगित करें और आने वाले दिनों में छात्रों की फीस माफ करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

*श्री लीला राम शर्मा--

मान्यवर, पहाड़ की स्थिति, जैसा कि अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी, इस मैदानी क्षेत्र की स्थिति से भिन्न है। पहाड़ में अगर बराबर पानी न बरसे, वर्षा न हो तो वहां पर खेती बिल्कुल चौपट है। इस वर्ष पहाड़ में जबकि हमेशा जून के पहले हफ्ते में वर्षा शुरू हो जाती थी, इस वर्ष जुलाइ क तीसरे हफ्ते से थोड़ी बहुत वर्षा होनी शुरू हुई। तो पहाड़ की खेती का सत्यानाश हो गया। हुआ यह कि पहाड़ में रोना इस बात का है कि पहाड़ की जमीन के नीचे से पानी जाता है, लेकिन उसका उपयोग वहां के काश्तकार नहीं कर सकते। आज तक ऐसी कोई योजना नहीं बनी कि उस पानी को पम्प कर काश्तकारों के खेतों में पहुंचाया जाय। नहरें जो बनाई गयीं, कागजों में भले ही हों, लेकिन खेतों में पानी नहीं पहुंचता। आज सूखे के कारण पहाड़ के काश्तकारों की हालत बड़ी खराब है। यही नहीं पहाड़ के अन्दर बराबर वर्षा हो तो उससे जो घास उगती है तो जानवरों के चारे को बचती है, लेकिन वर्षा न होने के कारण इस जाड़े में पहाड़ के काश्तकारों को मवेशियों को खिलाने के लिये चारे की विकट समस्या हो गयी है और सबसे बड़ी समस्या सूखे से जो हुई, पानी की हुई। पहाड़ में वैसे ही पेयजल की बड़ी समस्या है। मुझे दुख है कि अभिभाषण में कहीं भी सूखे पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैदानी क्षेत्र में पम्पों का हवाला दिया गया है लेकिन पहाड़ के लिये कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। इस सूखे के कारण पानी के जो भी स्रोत थे, सूख गये। परिणाम यह हुआ कि लोगों को गन्दा पानी पीना पड़ा और उसके पीने से मेरे जनपद पिथौरागढ़ में 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और 500 व्यक्ति कै और दस्त की बीमारी से अस्पताल में दाखिल हुए। मैंने जब इस बात को जानना चाहा कि आखिर इतनी संख्या हैजे की दी, सी०एम०ओ० से कहा कि हैजा फैला और देख-रेख नहीं कर रहे हैं तो सी०एम०ओ० ने कहा कि हैजा नहीं है। इसका मुख्य कारण लोगों का गन्दा पानी पीना है। मैं बड़े अदब के साथ मान्यवर, आपके द्वारा इस कल्याणकारी सरकार से जानना चाहूंगा कि आज पहाड़ में कै और दस्त से जब जनपद पिथौरागढ़ में 30 व्यक्ति मरे और 500 अस्पताल पहुंचे जिसमें 20 छात्राएं बी०टी०सी० डीडीहाट की थीं। हमारे जनपद पिथौरागढ़ में आज पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गयी। मान्यवर, पिथौरागढ़ जो कि नगर है, वहां पर पानी की एक विकट समस्या है। वेरीनाग और डीडीहाट भी जो नगर है, वहां पर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पानी के पीने की समस्या को आज तक कल्याणकारी सरकार ने हल करने की कोशिश नहीं की। यही नहीं, इस जनपद पिथौरागढ़ के अन्दर 62 ग्राम समस्याग्रस्त हैं, उनमें से मात्र 25 ग्रामों को पानी दिया गया। आज जनपद पिथौरागढ़ में 86 पेय जल योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं तथा 196 योजनाएं आंशिक रूप से बन्द हैं। मैं बड़े अदब के साथ आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि सूखे के कारण जब कि पिथौरागढ़ के अन्दर पेय जल की समस्या खड़ी है, तो यह सरकार उस पेय जल योजना को त्वरित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? पहाड़ के अन्दर जहां पर सूखे के कारण लोगों को गंदा पानी पीने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है, जहां पर फसल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिल्कुल नष्ट हो गयी है, वहा पर उसके लिए सरकार की क्या योजना है? सरकार किस तरह से राहत पहुंचायेगी?

*श्री हरी चरन यादव–

मान्यवर, सूखे के संबंध में जो चर्चा हो रही है, माननीय तिवारी जी ने पूरे प्रदेश के संबंध में और जो विकट समस्यायें हैं उनके संबंध में विचार रखे, मैं केवल सुलतानपुर जनपद और विशेष रूप से अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अपना विचार रख रहा हूं। वहां पर विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। नलकूप बन्द पड़े हैं। जिले में सूखा-राहत की जो मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने इस बात को रखा था, 86 विश्वबैंक के नलकूपों में से 50 नलकूप खराब पड़े हैं। 35 जो नलकूप हमारे क्षेत्र में लगे थे, उनमें से 25 खराब पड़े हैं। ट्युबवेल विभाग में कोई भी अधिशासी अभियंता और न विद्युत विभाग, गौरीगंज मे कोई इक्जीक्युटिव इंजीनियर है, जो अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विद्युत वितरण केन्द्र खोला गया है, वहां से सारे लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहां पर कई नलकूप खराब पड़े हैं। वहां के जिलाधिकारी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने इस बात की रिपोर्ट की है कि अमेठी तहसील में कम से कम 70 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। हमने माननीय राजस्व मंत्री जी से बतलाया कि वसूली में लोगों को बन्द किया जा रहा है। श्री उदयराज प्रजापति, जिन्होंने 6 हजार रुपये लिया था, उसमें से 2 हजार रुपये मेरे सामने जमा किया, लेकिन फिर भी 13 दिन तक उन्हें बन्द किया गया। मान्यवर, यह ऐसी सरकार है जो हाउस के अन्दर कुछ कहती है और आदेश कुछ देती है। इन्होंने कहा कि हमने आदेश कर दिया है कि वसूली में कोई ज्यादती नहीं की जायेगी। लेकिन किसान लोग हवालात में बन्द किये जा रहे हैं। तीसरी गड़बड़ी यह है कि जो विश्व बैंक के नलकूप हैं, उसमें अंशकालिक नलकूप चालक रखे जाते हैं। आज अंशकालिक नलकूप चालक का जो स्थान रिक्त है, उस पर नियुक्ति के समय नवजवानों को ओ०टी०सी० ट्रेनिंग के संबंध में जानकारी ली जाती है कि ओ०टी०सी० किया है या नहीं। मेरे क्षेत्र अमेठी में क्योंकि ओ०टी०सी० वाले नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए अंशकालिक नलकूप चालक भी नहीं रखे जा रहे हैं, जो खराब नलकूपों की सूचना अपने विभाग के अधिकारियों को दे सकें। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से चाहूंगा कि जहां ओ०टी०सी० की ट्रेनिंग वाले नहीं हैं वहां जो भी पढ़े लिखे नवयुवक हैं, उनकी नियुक्ति करने की कृपा करें।

*लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

मान्यवर, ओ०टी०सी० किसे कहते हैं, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरी चरन यादव–

इस सूखे की स्थिति में कोई फसल नहीं बोई गयी है सबसे बड़ा संकट जानवरों के चारे का पैदा हो गया है। यह सरकार चारे की व्यवस्था कराये और किसानों के पास भूसा नहीं रह गया है। फसल में चारा नहीं पैदा हुआ है तो सबसे बड़ा संकट जानवरों के लिए पैदा हो गया है, आदमी की बात तो चल सकती है। पेयजल का संकट है कोई योजना नहीं है। मैं चाहूंगा कि यह सरकार जितना शोषण करना था किसानों का किया लेकिन अब यह सरकार इंजीनियर भेजे ट्युबवेल विभाग का, बिजली विभाग का जिससे कुछ काम हो सके। पानी नहर में गया नहीं कहते हैं कि रोस्टिंग हो गयी। नहर विभाग रोस्टिंग कर रहा है और 15 दिन में 4 दिन पानी आयेगा। आज नहरों में पानी नहीं है तो इस प्रकार से यह सरकार सूखा जैसी गम्भीर समस्या को बड़े सामान्य ढंग से ले रही है, गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है।

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है और सूखे पर यहां वर्षा हो भी रही है। दुर्भाग्य इस प्रदेश की जनता का यह है कि जहां पूरा प्रदेश इस गम्भीर संकट से गुजर रहा है और इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में न तो नेता सदन हैं और न प्रतिपक्ष के नेता मौजूद हैं। इससे बड़ी विडम्बना और कुछ भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह है कि उसकी अहमियत नेता सदन नहीं समझे हैं और न प्रतिपक्ष के नेता इसे समझे हैं। आज चूंकि प्रमोद तिवारी जी ने विस्तृत चर्चा यहां पर की है पूरे सूखे के संबंध में उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ सरकार ने 10 हजार रुपये के कर्जे के स्थगन की चर्चा की और तालियों की गड़गड़ाहट और मेजों की थपथपाहट हुई, सरकार के लोगों को निश्चित रूप से सान्तवना हो गयी लेकिन यह गड़गड़ाहट उनके साथ सही मायनों में तभी होगी गड़गड़ाहट की आवाज गांवों में रहने वाले लोगों तक पहुंचे, जो आज तहसील की जेलों में बन्द हैं। आज हमारी तरफ से यह दोषारोपण किया गया है कि इस सरकार में जितने भी मंत्री हैं वह सब शहर के रहने वाले हैं। यह मेरा निश्चित दोषारोपण मानिये और यह किसी तरह से मूल्यांकन करा लीजिए अधिकांश लोग शहरी क्षेत्र से चुने गये हैं, शहरी क्षेत्र से चुने गयेहैं तो वह सूखे का अनुभव नहीं कर पायेंगे जो गांवों के लोग हैं वहीं इसका अनुभव कर पायेंगे

"जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई"

तो गांव के व्यक्ति ही सूखे की बात समझ सकते हैं। आज प्रदेश में इतना बड़ा सूखा है, गांवों में लोग पानी के बिना प्यासे मर रहे हैं दूसरी तरफ जो सम्मानित सदस्य हैं सत्तापक्ष के उन्होंने खुलकर यह भी कहा कि नहरों में बढ़िया पानी भरा है जबकि वास्तविकता यह है कि नहरों में पानी के नाम पर सारी नहरें सूखी पड़ी हुई हैं। मथुरा में गंगा नहर, अपर आगरा में पानी नहीं, लोअर आगरा में पानी नहीं है। इस पर चर्चा पहले भी हुई है लेकिन पानी के नाम पर नहरों में कुछ भी नहीं है। मान्यवर, पिछली बार करीब 7 अगस्त तक 200 मि०ली० वर्षा रिकार्ड की गयी थी लेकिन इस बार किसी-किसी ब्लाक में 3 मि०ली० से लेकर 25 मि०ली० तक वर्षा रिकार्ड की गयी। इससे लगता है कि 1/16 करीब-करीब आता है मूल्यांकन। आज प्रदेश में मथुरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ छात्र-छात्राओं ने स्कूल जाना फीस की वजह से बंद कर दिया है। किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। छाता मिल, मथुरा के बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। वहां के बहुत से किसान अदायगी के सम्बन्ध में जेल खानों में बंद हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान तक नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर न हो, दूसरी चीजों में अंतर न हो। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार तत्काल घोषणा कर दे विभिन्न देयों के स्थगन की, आपने 10 हजार रु० तक के कर्जों की रिकवरी के स्थगन की घोषणा कर दी है, बाकी भी जो अदायगी है जिसमें बड़ी रकम सम्मिलित है, उसके भी स्थगन की घोषणा कर दें। मैं यह भी अनुरोध करुंगा कि प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार तत्काल प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर दे। मान्यवर, इस समय राजस्व मंत्री जी सदन में मौजूद हैं आप इस संबंध में तमाम चीजों का मूल्यांकन करा दें। मैं यह प्रार्थना करुंगा कि कोई यहां निश्चित घोषण हो जिससे किसानों को लाभ मिले, जिससे निश्चित रूप से गांव में रहने वाले किसान लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अवसर दिया।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके कार्यालय की गलती के कारण मेरा इसमें नाम नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

जिस सूचना पर चर्चा स्वीकृत हुई थी उसी पर चर्चा हो रही है।

श्री लालजी वर्मा

मान्यवर, आप उस दिन की कार्यवाही निकाल कर देख लें।

अध्यक्ष–

मैंने कार्यवाही देख ली है। आप कृपया करके बैठ जायें। जिनकी सूचना थी उन सदस्यों का मैंने ले लिया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसमें मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं छपा है। आपके कार्यालय की गलती के कारण मेरा नाम इसमें रह गया।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायें।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, कृपया करके इसे स्वीकार कर लीजिये कि पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है। जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है 2-3 दिन पहले, कल और आज जो धूप हुई है उससे उसकी नमी खत्म कर दी। पिछले वर्ष सामान्य से कम बारिश हुई थी। हमारे जनपद में, महाराजगंज में सिद्धार्थनगर में धान की फसल होती पिछले वर्ष बारिश नहीं हुई, खरीफ की फसल नहीं के बराबर हुई। कम बारिश के कारण रबी की फसल प्रभावित हो गयी। वहां इस वर्ष रोपनी का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। जनपद महाराजगंज में, मेरे क्षेत्र में यह भी बारिश नहीं हुई है जो यहां पर हो रही है। जो धान की खेती होती है, जून के पहले ही सप्ताह में वहां बेहन्द डाला जाता है और रोपनी 20 दिन के बाद शुरू हो जाती है। किसी तरह से किसानों ने बेहन्द डाला है। वहां सरकारी नलकूप 50 फीसदी से ज्यादा खराब हैं। अब भी खराब पड़े हुए हैं। उनके पुर्जे और मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, जो अण्डर ग्राउण्ड नालियां हैं उनके सारे ट्यूब फट गये हैं क्योंकि वहां पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बार-बार ध्यान आकृष्ट किया गया विभिन्न सूचनाओं के द्वारा लेकिन अभी तक उसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नहरों में पानी बहुत कम हो गया है, वह सूख रही हैं हालत बहुत खराब हो गयी है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बार-बार अनुरोध किया जा रहा है कि सूखे की स्थिति है अतः इस प्रदेश को सूखाग्रस्त मान लिया जाये लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इन जिलों को दिखवा लिया जाये। जितना भी किसानों के घर में था वह सब कुछ खत्म हो गया है। फसलें सूख गयी हैं। अब जाकर वर्षा हुई है। "का वर्षा जब कृषि सुखाने"। इन वर्षा से अब कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, वसूली की जो स्थिति है उस ओर बार-बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। सरकार कहती है कि दस हजार तक के कर्जे माफ कर दिये गये, वसूली रोक दी गयी है यह सत्य नहीं है। यह बात सत्य से परे हैं। सूखे की स्थिति हो गयी है। लोगों के घर में खाना नहीं है। लोग भूखों मर रहे हैं, राहत का कहीं नामों निशान नहीं है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वसूली की स्थिति में ध्यान दिया जाये। मान्यवर, पशुओं का चारा समाप्त हो गया है, रबी की फसल सूख गयी है, पशु भी मर रहे हैं, नलकूप खराब पड़े हैं उन्हें दुरुस्त कराया जाये। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि राहत कार्य तुरन्त शुरू कराये जायें और वसूली रोकने की जो घोषणा की गयी है इसे और प्रभावी बनाया जाये अन्यथा किसान आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अखिलेश–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में, जिस समय हमने इस सदन को सूचना दी थी, सूखा पड़ा हुआ है। आज से एक सप्ताह पूर्व कुछ पानी बरसा था। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह लगा कि गांव में हरियाली लौट आयी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जब परसों मैं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था तो वहां पर तालाब सूखे पड़े थे, जो धान के बीज तैयार थे वह मुरझा गये थे। अब जाकर पानी बरसा है तो कुछ नमी आयी है। किसी तरह से गढ़ों से पानी निकाल-निकाल कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हें जिन्दा रखा गया। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि हमारे जो पाताल कुए हैं वह भी सूख गये हैं, उनमें से भी किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, चारों तरफ भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। इस सदन में हमारे माननीय सदस्य, श्री हरिशंकर तिवारी जी बैठे हैं। उनके खेत में भी एक पाताल कुंआ है जिसका पानी का स्तर काफी कम हो गया है, उसकी सिचाई की क्षमता भी कम हो चुकी है। मान्यवर, धान के सम्बन्ध में एक सवाल उठाना चाहता हूं। अभी जब धान का समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करेगी, तो जब सरकार धान का मूल्य निर्धारित करती है तो वह उसकी गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित करती हैं। लेकिन मान्यवर, इस वर्ष पानी नहीं बरसा है तो वह फसल सूख गयी है, जो बची भी है वह उस गुणवत्ता की नहीं है तो इस सम्बन्ध में भी सरकार को सोचना होगा। पिछले वर्ष भी जब पानी नहीं बरसा था तो धान खरीदने के लिए जो सरकारी एजेन्सियां आयीं उन्होंने एतराज किया तथा इस आधार पर उसे रिजेक्ट कर दिया कि उनके धान मानक के आधार पर नहीं हैं। आज पानी की कमी के कारण 50 प्रतिशत से अधिक धान अधपके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महाराजगंज और सिद्धार्थनगर इन दोनों जिलों को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित किया जाये तथा इन दोनों जिलों में पैदा होने वाले धान को खरीदने के लिए जो सरकारी एजेन्सियां आयें उनके अपने मानक में परिवर्तन किया जायें। आज जो नहरें सूखी पड़ी हैं, जहां पर बिजली भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उन गांवों में किसानों को तत्काल पानी उपलब्ध कराया जाये।

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सूखे पर चर्चा चल रही है, यह अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुये ही आपने नियम-56 में इस पर चर्चा स्वीकार कर ली थी, लेकिन सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है क्योंकि जब भी सूखे पर चर्चा हुई संसदीय कार्य मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे कि सूखे या बाढ़ पर चर्चा के समय, या अन्य किसी दैवी आपदा पर चर्चा के समय जब सदन में चर्चा होती रही है, तो ऐसे समय पर माननीय नेता सदन उपस्थित रहते हैं लेकिन आज वह यहां नहीं हैं। सूखे पर चर्चा जब होती है तो निश्चित रूप से सिचाई मंत्री, विद्युत मंत्री तथा राजस्व मंत्री, इन तीनों मंत्रीगणों का उपस्थित रहना निहायत आवश्यक है। सिचाई मंत्री जी अभी तक मौजूद थे, जैसे ही सूखे पर चर्चा होने का हुई, वह उठकर चले गये। माननीय विद्युत मंत्री जी भी सबेरे यहां मौजूद थे, उन्होंने भी जब कार्यसूची में सूखे पर चर्चा देखी, तो वह भी चले गये, कृषि मंत्री भी चले गये, केवल यहां एक राजस्व मंत्री उत्तर देने के लिये बैठे हैं, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार इस सूखे की स्थिति को अत्यन्त उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देख रही है, और यह सरकार सूखे के विषय पर कतई गंभीर नहीं है। मान्यवर, यहां जितने भी विधायकगण आते हैं, उसमें से अधिकांश देहाती क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, मान्यवर, आप भी देहात से आते होंगे। देहात के लोग इस बार कहते हैं कि पिछले सौ बरसों के अन्दर कभी इतना भयंकर सूखा नहीं पड़ा। यों तो सूखा कई बार पड़ा, वर्ष 86 में पड़ा, 87 में पड़ा, इससे पहले भी कई बार सूखा पड़ा, लेकिन तब जून के अंतिम दिनों में वर्षा हो जाती थी, उसके बाद पानी नहीं बरसता था, जिससे किसान अपनी फसल बो लेता था, धान की रोपाई भी कर लेता था, लेकिन उसकी कुछ फसल नष्ट हो जाया करती थी, परन्तु इस बार तो मानसून आया ही नहीं, जिससे कारण किसान अपनी फसल बो ही नहीं सके, न ही धान की रोपाई ही हो सकी। अब अगस्त का महीना चल रहा है अब अगर वर्षा हो भी जायें, तो किसान को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, किसान का नुकसान तो अब हो ही गया। अभी माननीय मंत्री जी खड़े होंगे और कह देंगे कि वर्षा तो हो रही है, सूखे का कोई सवाल ही नहीं है, यह तो बात को टालना होगा और इस तरह की बात किसानों के हित में भी नहीं है। मान्यवर, यह न तो पक्ष की बात है और न विपक्ष की। सभी लोगों के साथ यह दैवी आपदा है। मान्यवर, यहां पर 90 प्रतिशत लोग किसान परिवार से होंगे, चाहे वह पक्ष के हों, या विपक्ष के।

मान्यवर, अब सूखे की स्थिति इसलिये और भी भयंकर हो गयी, क्योंकि पहले सिचाई विभाग में नहरों को साफ करने के लिये पैसे का प्रबन्ध किया जाता था, लेकिन इधर कई बरसों से उस फंड में पैसे का प्राविधान नहीं किया जा रहा है और जो भी पैसा मौजूद है, उस पैसे को सचाई विभाग के लोग अपनी तनख्वाह वितरित करने में लगा रहे हैं। जब नहरों की सफाई नहीं होती है, तो नहरों को जो चालू करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वाले पंप होते हैं, वह पंप भी खोले नहीं जा पाते। इस समय सूखे की स्थिति में आवश्यकता थी कि पूरी क्षमता के साथ नहरों को चलाया जाय। आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे यहां दोहरीघाट सहायक नहर परियोजना में 19 पंप हैं और इस बार केवल 5 पंप चलाये गये। केवल 5 इसलिये चलाये गये हैं कि अधिक चला देंगे, तो नहरें टूट जायेंगी। इस प्रकार मान्यवर, नहरों में इस बार पानी गया ही नहीं, इसलिये नहरों के माध्यम से इस बार सिंचाई भी नहीं हो पाई। ट्यूबवेल भी बिल्कुल बेकार पड़े हैं, 70 प्रतिशत से ज्यादा ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। चाहे वह ट्रांसफारमर की खराबी से हों, चाहे बिजली के कारण से और चाहे अन्य किसी तकनीकी कारण से खराब हों।

[समय 10 बजकर 20 मिनट]

एक और ऐसा ही मसला फंस गया, पता नहीं मा० राजस्व मन्त्री जी को जानकारी होगी या नहीं लेकिन सिंचाई मन्त्री को जानकारी होगी, जिस समय सूखा पड़ रहा था, 14 कि०मी० तार चोरों ने काट लिया था। इस कारण से नहरें एक महीने तक चली ही नहीं। उसमें पानी नहीं गया। इसके लिये मैंने पहले भी आग्रह किया था और नियम 301 में भी चर्चा की थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सांवरा और गोपालपुर के कुंए बिलकुल सूख गये हैं, हैण्डपम्प जो लगाये हैं, सभी ने पानी देना बन्द कर दिया है। केवल एक सरकारी ट्यूबवैल था जो पानी दे रहा था। मैंने प्रशासन से कहा था कि टैंकर से पानी की व्यवस्था कर दी जाय लेकिन नहीं करायी गयी। मैंने ध्यान आकृष्ट कराया था कि जहां पर सूखापड़ने से पानी का स्टेटा नीचे जा रहा है वहां पर हैण्डपम्प की बोरिंग करायी जाय लेकिन कोई भी व्यवस्था यह सरकार आज तक नहीं कर पायी। राजस्व मन्त्री कह रहे थे कि दुर्भिक्ष पड़ता है तब सूखा डिक्लेयर किया जाता है, अब इससे बड़ा दुर्भिक्ष और क्या होगा। कई पशुओं के मरने की सूचना अखबारों में भी आयी है, जो चारे के बिना मर गये। पिछले 100 वर्षों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा था। अगर आपकी किसानों के प्रति हमदर्दी है तो भाषण की शुरुआत यहीं से करें कि उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हैं अन्यथा मान लिया जायेगा कि यह सरकार किसान विरोधी है, कर्तव्यों से पलायन कर रही है और किसानों के हितों की उपेक्षा कर रही है।

श्री अमरेश चन्द्र–

जिस देश का राजा पापी होता है वहां की प्रजा को उसे भुगतना पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह–

आपने "देश" की बात कही है तो यह तो बिल्कुल ठीक है।

(केन्द्र सरकार की ओर इंगित करते हुए)

देश का राजा तो पापी है ही।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

माननीय सदस्य कहना चाह रहे थे कि जहां–जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सूखा वहां पड़ा है।

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी)–

पिछली सरकार के पापों का प्रभाव कम हो रहा है और इसीलिये वर्षा प्रारम्भ हो रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय सदस्य ने गलत नहीं कहा है वेदों में भी कहा गया है कि जिस का राजा पापी हो वहां ऋतु और मौसम बदल जाते हैं, तो वही यहां हो रहा है।

*श्री अमरेश चन्द्र–

मान्यवर, हम 10 तारीख को जब सदन नहीं था श्रीमन्, मैं अपने क्षेत्र में गयाथा। संयोग से उस दिन जिलाधिकारी ने वहां पर सूखे के संबंध में मीटिंग बुला रखी थी। उसमें अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी से मऊ के जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी। जिला मऊ के जिलाधिकारी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें 13 प्रतिशत बुवाई मऊ जनपद में किसान कर पाये थे और जो 13 प्रतिशत बुवाई हुई थी वह सूखे की वजह से सूख गयी। तब जिलाधिकारी मऊ ने अपर जिलाधिकारी को कहा कि तत्काल इस रिपोर्ट की जानकारी शासन को प्रस्तुत करें।

इतना बड़ा सूखा पड़ा और सरकार ने उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया। मेरा तर्क है कि इससे पूर्व भी सूखा जरूर पड़ा होगा लेकिन उस सूखे में और इस बार के सूखे में अन्तर है क्योंकि अबकी का सूखा किसानों की बुवाई के समय पड़ गया और जो बुवाई किस तरह से किसानों ने की भी, वह सूखे के कारण से सूख गयी।

अभी मा० चौधरी साहेब अपने यहां की नहर की बात कर रहे थे। दोहरीघाट कैनाल मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही निकलती है उसमें 5 पम्प चल रहे हैं। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में उस नहर से पानी नहीं मिल पा रहा है तो बलिया तो बहुत दूर है, वहां कहां से पानी पहुंच रहा होगा? नहर की टेल पानी दे ही नहीं रही है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 11 तारीख को मैं इंजीनियर से मिला था और बात की थी। उन्होंने कहा कि बिजली नहीं मिल रही है और जो बिजली मिल भी रही है तो उसमें वोल्टेज की कमी है अभी मा० चौधरी साहेब ने कहा कि सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा हो रही है और इससे संबंधित मंत्रिगण सदन में उपस्थित ही नहीं है, बस उत्तर देने के लिये मंत्री जी बैठे हुए हैं। मुझसे अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग ने कहा कि हमको वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है। मैं इससे पूर्व भी इस सदन का सदस्य था, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो ट्यूबवेल हैं वह सरकारी हैं, उसमें से एक भी ट्यूबवेल नहीं चल रहा है क्योंकि किसी की नाली खराब है तो किसी की मोटर खराब है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि कम से कम माननीय मंत्री जी इस प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करेंगे और जितने नहर और ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं उनको यथाशीघ्र ठीक करवाने की कृपा करेंगे।

*श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस समय सदन में सूखे पर चर्चा हो रही है। सूखा का जो उद्देश्य है वह सामने आवे, सूखा के कारण किसानों का जितना उत्पीड़न हो रहा है उसका निदान हो सके। लेकिन यहां पर जो सूखा की चर्चा हो रही है, मैं मानता हूं कि सूखा किसी सरकार की देन नहीं है। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है इसका किसी सरकार से कोई संबंध नहीं है और न सरकार से इसका संबंध हुआ करता है। कुछ पाखंडी टाईप के लोग इसे सरकार के जिम्मे डालते हैं कि इस सरकार से इसका संबंध है। मैं इस पक्ष का कदापि नहीं हूं कि सूखा किसी सरकार के बनने या बिगड़ने से पड़ता है। लेकिन मान्यवर दुख इस बात का है कि आज सूखेजैसे विषय पर चर्चा हो रही है, क्या बेहतर होता अगर इस अवसर पर सिंचाई मंत्री जी उपस्थित होते और ऊर्जा मंत्री जी उपस्थित होते। सूखे से निबटने की जिस विभाग की जिम्मेदारी है, उस विभाग के मंत्री यहां पर नहीं हैं। मैंने सूखे के सम्बन्ध में जो सूचना दी थी, उसका उद्देश्य यह नहीं था कि सरकार की आलोचना की जाये, बल्कि उसका उद्देश्य यह था कि जो वास्तविक स्थिति है उसको सरकार के सामने लाया जाये, जिससे किसानों को उबारा जाये।

सिंचाई मंत्री जी दो विभागों के मंत्री हैं, वह उपस्थित नहीं हैं। इस वर्ष का सूखा, प्रदेश का सबसे बड़ा सूखा है। जब 1979 में सूखा पड़ा था लेकिन वह प्रारम्भिक दिनों में नहीं पड़ा था और अब की बार जो सूखा पड़ा है, वह प्रारम्भिक दिनों में पड़ा है, फसल की बुआई हो ही नहीं पायी है। मैं फैजाबाद के बारे में कहना चाहता हूं। दो अगस्त तक पिछले वर्ष सामान्य स्थिति रही है और 200 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिये, लेकिन इस वर्ष 2 अगस्त तक केवल 5 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत भीषण सूखा पड़ा है। अभी राजस्व मंत्री जी ने जिक्र किया था कि 92 लाख हैक्टेयर में फसलें बोने का

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लक्ष्य था, परन्तु केवल 55 लाख हेक्टेयर में ही रोपाई हो पायी है और उसमें भी तमाम फसलें सूख गयी है। तो मान्यवर, यह बड़ा भीषण सूखा है और किसानों में त्राहि त्राहि मची हुई है और किसानों के लिये समस्या उत्पन्न हो गयी। जानवरों के चारे के लिये समस्या उत्पन्न हो गयी है। किसानों के लिये यह समस्या पैदा हो गयी है कि वह अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। दूसरे वर्ग के जो लोग दूसरा व्यवसाय या पेशा करते हैं, वह तो अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन किसान जो पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर है, वह कैसे कर पायेगा। किसानों पर निश्चित रूप से विपदा पड़ रही है। पहला काम यह होना चाहिये था कि सिचाई के जो साधन थे उनको पूरी क्षमता के साथ चलाना चाहिये था, लेकिन इस वर्ष जनपद फैजाबाद में सिचाई के साधन विशेष रूप से जो मेरे क्षेत्र में हैं, टांडा में है, वहां पर कोई सरकारी नलकूप नहीं है और जो हैं भी उनका जल स्तर इतने नीचे चला गया है कि वह पानी नहीं दे रहे हैं और वह सूख गये हैं। मेरे क्षेत्र में पौसरा रजबहा, शारदा सहायक कैनाल और जहांगीराबाद रजबहा पड़ते हैं, इनमें कभी पानी ही नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज की तिथि में माननीय मंत्री जी कमेटी बैठाकर जांच करा लें कि टांडा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक बूंद भी पानी नहीं चल रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर देते हैं, तो कहते हैं कि पूरी क्षमता से नहरों को चलाया जा रहा है, लेकिन मान्यवर नहरें अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल रहीं हैं। हम लोगों से कहा जाता है कि 6 दिन सुल्तान होकर चलती है और 6 दिन फैजाबाद होकर चलती है।

बिजली की आपूर्ति के बारे में भी कहना चाहता हूं। जो स्थिति आज है, वह शायद ही कभी रही हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहां पर बिजली का इतना लोड है कि वह सप्लाई नहीं हो पाती है। ट्रान्सफारमर है, जिसे स्वीकृत हुये 5 साल हो गये हैं, लेकिन उसको लगाया नहीं गया है। इतना लोड़ पड़ता है कि एक घन्टे भी बिजली नहीं आती है। जहां ट्यूबवैल हैं, पावरलूम हैं वहां तुरंत बिजली फेल हो जाती है।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा–

मैं एक मिनट और लूंगा। तो इस तरह से बिजली की भी समस्या है। सूखा राहत के लिये सरकार की तरफ से काम होना चाहिये लेकिन फैजाबाद में सूखा राहत के लिये कोई काम नहीं हुआ है न कोई इस संबंध में मीटिंग बुलाई गयी और नहीं कोई काम शुरू किया गया। वहां से सत्ता पक्ष के एक दो मैम्बर हैं वह जानते होंगे कोई मीटिंग नहीं बुलाई गयी है हो सकता है उनको बुलाया गया हो। पूरे जनपद में सूखा राहत के लिये कोई कार्य नहीं चलाया जा रहा है। इसी के साथ बिजली की भी अनुपलब्धता है।

राजस्व की वसूली के संबंध में मंत्री जी ने 2 अगस्त को कहा था कहीं पर भी उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं हो रही है। मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रश्न दिया था जिसे आपने स्वीकार नहीं किया हमारे टांडा में 2 अगस्त को 12 हवालात में बंद थे। 7 अगस्त को जब मैं फिर गया तो दो व्यक्ति चमनलाल और रामबख्श सीखचों में बंद थे। यह सरकार राहत का कोई काम नहीं कर रही है केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग में उगाही का काम कर रही है। किसानों की इसको कोई चिंता नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि तत्काल राहत कार्य शुरू किये जायें, वसूली और उत्पीड़न की कार्यवाही बंद की जाय, नहरें पूरी क्षमता से चलाई जायं, बिजली की सही व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी संक्षेप में अपनी बात कहें।

***श्री हरिशंकर तिवारी–**

श्रीमन्, संक्षेप में कहूंगा। माननीय अध्यक्ष श्री इस सदन में हमने आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अनुच्छेद 38 की ओर आकृष्ट किया था। माननीय संसदीय

---

*वक्ता ने भाषण का [illegible]

कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, मैं गोरखपुर जनपद के चिल्लूपार विधान सभाई क्षेत्र की जनता के सहयोग से जीत कर आया हूं। उस क्षेत्र का यह दुर्भाग्य है कि जहां जनपद के अन्य विधान सभा क्षेत्रों में कहीं 80 प्रतिशत कहीं 90 प्रतिशत और कहीं 50 तथा 60 प्रतिशत तक सिंचाई की व्यवस्था है वहीं मेरे क्षेत्र में सिर्फ 27 प्रतिशत सिंचाई उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो असमानता वहां सिंचाई की सुविधाओं में है उसे बराबर किया जाय और जहां कम है उसे बढ़ाया जाय। हमारे माननीय सदस्य जो लखीमपुर से जीत कर आये हैं जानते हैं कि कितनी सिंचाई की सुविधा सरकार उपलब्ध कराती है। आज कुओं का जलस्तर नीचे चला गया है और कुओं में पानी नहीं है। सरकार के अपने विभाग में कितना भ्रष्टाचार है आपके निदेशालय में एक मिस्टर माथुर है जहां प्रमुख अभियंता और अधिशाषी अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता में आपसी लड़ाई है जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है। बोरिंग के लिये रोटरी रिग मशीनों से बोरिंग की सहालियत नहीं मिल पा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने विभाग को पहले ठीक करिये। किसानों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान की जाय। विभाग का हाल यह है कि नलकूपों में जहां दो तीन हजार प्रति हेक्टेयर खर्च आता है वहां सरकारी नलकूपों में 10 हजार से 20 हजार तक का खर्च आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आपका नलकूप निर्माण विभाग जो है उसे आप निर्देशित करें कि जो काश्तकार अपना निजी नलकूप लगाना चाहता है उन्हें विभाग द्वारा सुविधायें मुहैय्या कराई जाय और जो भ्रष्टाचार आपके विभाग में है उसे समाप्त किया जाय। सूखे के लिये राहत काम शुरू किये जायें ताकि जो भुखमरी की समस्या हो गयी है वह समाप्त हो, छात्रों की फीस माफ की जाय, सरकारी वसूली बंद कराई जाय तब जाकर जो आप राम-राज्य की बात करते हैं वह हो पायेगी नहीं तो रावण राज्य की स्थापना कर आप समाप्त हो जायेंगे।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, वैसे पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है और चर्चा भी यहां सभी बिन्दओं पर हुई है। मान्यवर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से चुनकर आया हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की मुख्य फसल गन्ना है। मैं अपने जनपद मेरठ का जिक्र करना चाहता हूं और सदन को बताना चाहता हूं कि आज की तारीख तक वहां बारिस नहीं हुई है। पता नहीं सरकारी आंकड़े क्या हैं लेकिन मेरा निश्चित मत है कि वहां के गन्ना किसानों की 60 प्रतिशत गन्ने की फसल का नुकसान हो चुका है लेकिन वहां पर बिजली की आपूर्ति 3-4 घंटे ही हो रही है उसमें भी व्यवधान हैं। जहां जहां ट्रान्सफारमर खराब हो जाते हैं उनको बदलने में तीन-चार महीने लग जाते हैं और फिर उन्हें बदला नहीं जाता है। मान्यवर, यही नहीं जहां बिजली के तार टूट जाते हैं या चोरी से काट लिये जाते हैं वहां वह महीने महीने तक नहीं लगाये जाते हैं, इसलिये वहां की फसल नष्ट हो जाती है। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां जो सरकारी ऋणों की वसूली युद्धस्तर पर चल रही है और लोगों को बंद किया जा रहा है उसे रोका जाये चूंकि यहां घोषणा की है कि 10 हजार रुपये की वसूली स्थगित है किन्तु वहां पर कोई वसूली स्थगित नहीं है। सरकारी एजेन्सीज से उर्वरक खाद गायब हैं।

मान्यवर, जहां तक नहरों का सवाल है तो टेल पर रजबाहों में पानी नहीं पहुंच रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं और लगभग 10 वर्षों से उन्हें ठीक कराने की कोई योजना नहीं बनी है वैसे इस किसान विरोधी सरकार से मुझे राहत की आशा नहीं है फिर भी यदि यह सरकार किसानों के हित में कोई कदम उठाना चाहती है तो तमाम ऋणों की वसूली स्थगित करें और किसानों को गन्ने का बकाया अदा करे तथा खाद सस्ते दामों पर उपलब्ध कराये और मेरठ जनपद को तुरन्त सूखाग्रस्त घोषित करें।

*श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, जैसा कि सदन के मा० सदस्य श्री लीलाराम शर्मा ने बताया है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सूखे से निपटने के लिये जिन उपायों की चर्चा की उनमें से कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित हो। मान्यवर, वहां कठिनाई इस बात की है कि ट्यूबवेल लग नहीं सकते हैं, इसलिये जो प्राकृतिक स्त्रोत हैं उनसे नहरें बनाकर सिंचाई की जा रही है लेकिन अनावर्षण से वह भी सूख गयी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है वहां 60 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है और 40 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है। इस 60 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। एक क्षेत्र तो ऐसा है जहां 9 गांवों का एक समूह है लेकिन वहां के आदमियों को कई मील दूर से पानी लाना पड़ता है और वह श्रोत भी आज सूख गये हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र कालसी, चकराता आदि में पीने का पानी इतना खराब है जिससे लोगों को गैसोट्रोइन्टाइटिस जैसी गंभीर पेट की बीमारी हो गयी हैं और जिससे 3-4 मौतें भी हो गयी हैं।

मान्यवर, जहां तक मैदानी क्षेत्र का सवाल है वहां भी 30 प्रतिशत ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं, जो खराब पड़े हैं, और उन्हें बनवाने के लिये कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, सबसे इम्पार्टेन्ट बात यह है कि अभी जिला अधिकारी, देहरादून द्वारा तहसील चकराता में, वहां की जो दो मुख्य फसलें आलू हैं, जिन पर वहां के लोगों को 80 परसेंट अर्निंग डिपेण्ड करती है, यह सत्यापित किया गया है कि वहां पर उनकी 80 परसेंट फसलों का नुकसान हुआ है। मेरी यह मांग है, क्योंकि वह जनजातीय क्षेत्र है और जहां 100 फीसदी जनजातियों की आबादी है, वहां पर पहले सूखा से निपटने के लिए आई०डी०पी०डी० स्कीम के तहत सब्सीडाईज्ड फूडग्रेन्स का प्रबन्ध किया गया था, जिसमें से...व्यवधान...मेरी मांग है कि उस क्षेत्र में सब्सीडाईज्ड फूडग्रेन्स कार्यक्रम फिर से चलाया जाए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री जागश्वर—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं, सूखा और आवर्षण की समस्या जो यहां है...(व्यवधान) ..मेरा क्षेत्र बहुत समस्याग्रस्त है, वहां सारी सड़कें खराब हैं, आप वहां कहीं आना-जाना चाहें तो जा नहीं सकते हैं। हमारे यहां पानी बहुत कम मिला है। अभी गर्मी है। मेरे क्षेत्र में आप सर्वे करा दें। मेरे क्षेत्र के विशेष समस्या को आप देख लें।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों ने अपनी-अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए मात्र यह कहना चाहूंगा कि आज मुझे यह लग रहा है कि प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय करने के लिए केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार में कोई दुरभि सन्धि हो गई है। क्योंकि प्रदेश सरकार सूखे से पीड़ित किसानों के लिए कोई प्रभावकारी कार्यवाही नहीं कर रही है और न कोई राहत प्रदान कर रही है, तथा केन्द्र सरकार ने खाद के दाम बढ़ा कर किसानों से बदला लिया है। मैं इसी सम्बन्ध में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ समस्याओं को और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, इलाहाबाद जनपद का चायल क्षेत्र, उस क्षेत्र में सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था आज तक नहीं की गयी है। मात्र एक किशुनपुर पम्प कैनाल चलती है, जो रामगंगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आती है। उसमें जितने पम्प लगाए गए हैं, उनमें से पूरे के पूरे कभी नहीं चलाए गए हैं, तथा टेल तक कभी पानी नहीं आया है। इसके अलावा वहां पर जितने भी ट्यूबवेल्स हैं, उसमें 50 फीसदी आज भी खराब पड़े हैं। इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को दी गयी है, लेकिन उन्हें आजतक ठीक नहीं कराया गया है। साथ ही उसके लिए मंत्री जी ने भी सदन में आश्वासन दिया था। उस चायल क्षेत्र में बिजली की सबसे ज्यादा समस्या है, हफ्तों तक वहां बिजली नहीं आती है। कभी कहीं आती भी है तो वह 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं आती है। प्रदेश की नियोजन राज्य मंत्री मेरे क्षेत्र में अभी गई थीं। उन्होंने किसानों को तमाम आश्वासन क्षेत्र के विकास के लिए दिया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करें और गरीब किसानों से जो सूखे से परेशान हैं उन्हें राहत दें तथा उनसे जो जबरन वसूली की जा रही है, उसे समाप्त करें तथा नियोजन राज्य मंत्री ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर जितने भी वादे जनता तथा किसानों से किए हैं उसे सरकार पूरा करे।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

माननीय, पूर्व इसके कि मैं इस गम्भीर विषय पर अपनी बात कहूं मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं।

'शोर था बहुत, बारात बहुत थोड़ी है
आ गये बहुत बरसात बहुत थोड़ी है
जी चाहता है कहने को बहुत
लेकिन मुलाकात बहुत थोड़ी है।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

माननीय, इतने गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है लेकिन, माननीय, आप देखिये मंत्री जी को कविता याद आ रही है। माननीय, किससे मुलाकात की बात कर रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

माननीय, हम चर्चा कर रहे थे कि हम ऐसी कल्पना करते थे कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे, कुछ आलोचनाएं होंगीं लेकिन माननीय, ऐसा कुछ नहीं है। पक्ष और विपक्ष का ध्यान त्यागकर पूरे प्रदेश के विकास की दृष्टि से सामूहिक चिन्ता करने का मौका मिलेगा लेकिन माननीय, मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि अधिकांश हमारे विपक्षी सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, वह नितान्त निराधार, मनगढ़न्त हैं। इन्होंने सत्य से परे आरोप लगाये हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सूखे की समस्या को लेकर किसानों की पीड़ा से इनका कोई सरोकार नहीं है। क्रोकोडायल टीयर्स दिखाकर यह अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। इसलिये माननीय.....

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं कर रहे हैं, और अनर्गल बातें कर रहे हैं। माननीय, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी सदन त्याग कर चले गए)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था तो कभी भी पूछी जा सकती है। माननीय, मुझे यह लग रहा है कि माननीय मंत्री जी सूखे जैसे गम्भीर समस्या पर ध्यान न देकर शेर-ओ-शायरी कर रहे हैं, इश्क के मूड में हैं। हम लोग अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर वह सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं कर रहे हैं, तो पूरा विपक्ष सदन का त्याग करता है। माननीय, हमें पूरा विश्वास हो गया है कि यह सरकार किसान विरोधी है। यह सूखाग्रस्त नहीं घोषित कर रही है। इसलिये पूरा विपक्ष सदन का त्याग करता है।

(नेता कांग्रेस दल श्री प्रमोद कुमार विपक्षी सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय, मैं समझता हूं कि पूरे विपक्ष को किसानों से कोई मतलब नहीं है। माननीय, हमें किसानों के साथ हमदर्दी हैं, हमने हर तरह से उनकी मदद की है। राज्य में उत्पादन बढ़ाया है। माननीय, जैसा मैंने पहले कहा कि उन्होंने केवल राजनैतिक स्वार्थवश यह प्रश्न उठाया था और जानते थे कि यह पूरा नहीं होगा इसलिये चले गये।

श्री अध्यक्ष–

सूखे पर चर्चा समाप्त हुई।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति कमीशन बनाने की मांग विषयक दिनांक 1-8-91 के अतारांकित प्रश्न सं०–19 नत्थी (क) के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने अनुसूचित जाति कमीशन खोलने का निवेदन किया है केन्द्रीय सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार द्वारा भी अनुसूचित जाति कमीशन खोला जाए। यह सरकार अनुसूचित जातियों का समर्थन कर रही है। अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा कर रही है। अनुसूचित जाति के लोगों के हत्यारों अनुसूचित जाति का उत्पीड़न करने वालों का मुकाबला यह सरकार सख्ती से कर रही है इतना सब कुछ करने के बावजूद अनुसूचित जाति कमीशन नहीं खोला गया है अनुसूचित जाति कमीशन खोलने के लिए बार-बार निवेदन किया गया। उत्तर प्रदेश में इसको खोला जाना चाहिए। एक निवेदन और करना चाहूंगा इस बात की विशेष चर्चा है आगरा में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों के गिन-गिनकर तबादले कराए गये हैं। जिलाधिकारी राजाराम जी जेलर वी०डी० जाटव एस०डी०एम० श्री श्रीराम और सी०एम०ओ० चितौडिया का स्थानान्तरण किया गया, जिसकी शिकायतों पर स्थानान्तरण कराए गये हैं उस व्यक्ति की पूर्ण जांच करायें। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अनुसूचित जाति के लोगों के स्थानान्तरण हुए हैं उसकी जांच कराई जाए। आगरा का अनुसूचित क्षेत्र मेरा क्षेत्र है यहां पर आगरा खन्दारी मास्टर प्लान रोड पर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए शौचालय था, इसे तोड़कर अनुसूचित जाति के लोगों को वंचित रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए जो शौचालय थे वह बन्द करवा दिए गये। आगरा पश्चिम क्षेत्र के पानी को काटकर अन्य क्षेत्र में तहसील से 8 इंच की पाइप लाइन द्वारा दूसरे क्षेत्र में भेजा गया। दूसरों को दे दिया गया है। मैं इस कल्याणकारी सरकार का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि केन्द्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जाति कमीशन खुलवाया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति का नौकरियों में कोटा होता है वह कोटा पूरा नहीं हो पा रह है उसको पूरा कराया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

आगरा पश्चिमी क्षेत्र में जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां शौचालयों की बहुत कमी है महिलायें शोचालयों के अभाव में भूखी रहती हैं। ताकि दिन में उन्हें शौच के लिए न जाना पड़े, वह रात के अंधेरे का शौच के लिए इंतजार करती है। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस सरकार का पूर्ण समर्थन करता हूं और आपसे विशेष अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार की तरह अनुसूचित जाति कमीशन खोला जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कल्याणकारी सरकार का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय, हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, कहना तो बहुत था लेकिन माननीय सदस्य मुझे लिखकर भेज देंगे तो मैं उनको लिखित उत्तर भिजवा दूंगा।

सदन का अनिश्चित काल तक के लिए स्थगन का प्रस्ताव

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(जय श्रीराम की आवाजें)

(इसके बाद सदन 11 बजे रात को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ

प्रेम चन्द्र सक्सेना
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

13 अगस्त, 1991 ई०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये सा०प्र०सं० 10 को उत्तर पीछे पृष्ठ—24—पर)

मु०अ०सं० 137/91 धारा 279/337/338/304 ए०आई०पी०सी० थाना सम्मनपुर, फैजाबाद बस दुर्घटना कुर्की बाजार अंतर्गत थाना सम्मनपुर, फैजाबाद।

मृतकों की सूची:—

1—राम करन राजभर पुत्र राम अजोर निवासी पुरवा, थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

2—सुधेदार पुत्र राम करन।

3—बरखू पुत्र ननकू निवासी मेढ़ी सुलेमपुर थाना हसवर फैजाबाद।

4—बड़कू वर्मा पुत्र बटोही निवासी सन्तलत देहुला थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

5—शंकर यादव उर्फ कमला सिंह यादव पुत्र जंगबहादुर निवासी बभनौली कला, थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

6—डा० हरी उर्फ हीरालाल यादव पुत्र महादेव यादव निवासी विठुआ, थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़।

7—सन्तोष कुमार पुत्र श्याम नरायन साकिन सरदहा बाजार, थाना महाराजगंज जनपद, आजमगढ़।

8—श्रीमती मानसी देवी स्त्री शंकर गुप्ता निवासी हुसैनपुर थाना-महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

9—श्रीमती लोगा देवी स्त्री बड़कू साकिन सन्तलत देहुला, थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

10—सन्तलाल पुत्र सेवक निवासी लाल का शेखपुरा थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

11—लाल चन्द्र पुत्र राम शब्द यादव निवासी ठेंगी, थाना राजेसुल्तानपुर, फैजाबाद।

12—रतीलाल पुत्र कुछन साकिन गोपालपुर थाना महराजगंज, आजमगढ़।

13—अज्ञात।

14—अज्ञात।

घायलों की सूची

1—महेश पुत्र दीना निवासी भरैया पहाड़ी बाबा, थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

2—मंत्री पुत्र विश्वनाथ निवासी नेरही, थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

3—राम कुमार पुत्र बदलू निवासी बकिया, थाना। बसखारी, फैजाबाद।

4—सुग्रीव पुत्र रामपत निवासी परसरामपुर मदैनिया, थाना राजेसुल्तानपुर, फैजाबाद।

5—हरी लाल पुत्र हंसई साकिन संदहा पुर " " "।

6—अशर्फी देवी स्त्री पतिराज,निवासी अराजी अमानी थाना महराजगंज, आजमगढ़।

7—कन्हैया पुत्र मंगल " " "।

8—सुधामा यादव पुत्र राम बदल निवासी बलसिंगार का पुरा, थाना महराजगंज, आजमगढ़।

9—विजयी यादव पुत्र राम सरन यादव निवासी हैदराबाद थाना रौनापार, आजमगढ़।

10—राधेश्याम पुत्र धरहर यादव निवासी उदयपुर, थाना रौनापार, आजमगढ़।

11—रमाकान्त पुत्र चन्द्रिका दुबे निवासी मगवा बेनी थाना महराजगंज, आजमगढ़।

12—देवमणि दुबे पुत्र रमाकान्त " " "।

13—महेन्द्र पुत्र पूर्णमासी निवासी समुहापुर थाना राजेसुल्तानपुर फैजाबाद।

14—सहदेव पुत्र धोलई निवासी लिखासपुर " " "।

15—श्रीमती अमारा देवी स्त्री सहदेव निवासी लिखासपुर थाना राजेसुलतानपुर, फैजाबाद।

16—अभिरुद्ध पुत्र टिनकू गिरी निवासी गोशाई का पूरा अधियारार थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़।

17—टिनकू गिरी पुत्र धनराज गिरी निवासी गोशाई का पूरा अधियारार, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़।

18—राम बयन पुत्र जगन्नाथ निवासी औसानपुर थाना महराजगंज, आजगढ़।

19—राम सुबंश पुत्र रजई निवासी भिटरौरा उत्तर थाना बसखारी, फैजाबाद।

20—जितेन्द्र पुत्र राम राज निवासी दयालपुर थाना राजेसुल्तानपुर, फैजाबाद।

21—विक्रम मौर्य पुत्र सहदेव मौर्य निवासी सोमईपुर, थाना महराजगंज आजमगढ़।

22—गुलाब चन्द पुत्र सोमन राम निवासी माऊपुर, थाना अतरौलिया आजमगढ़।

23—पूर्णमासी पुत्र राम नरेश निवासी बहेलियापुर " "।

24—राम वृक्ष पुत्र रघुवर निवासी नाऊपुर थाना " "।

25—श्रीमती शिला देवी भाई किशोर हरिजन निवासी गौधरौल, थाना राजेसुन्तानपुर, फैजाबाद।

26—हरिश्चन्द्र पुत्र बुद्धिराम निवासी दयालपुर थाना राजेसुल्तानपुर फैजाबाद।

27—सुभाष पुत्र राम सरन निवासी पुरवा थाना अतरौलिया आजमगढ़।

28—साधु यादव पुत्र भतीरा निवासी रौनापुर आजमगढ़।

29—हरीलाल पुत्र राम सुख, निवासी गोपालपुर थाना महराजगंज, आजमगढ़।

30—मुनीम निवासी जमालपुर महराजगंज, आजमगढ़।

31—सूबेदार सिंह पुत्र बद्री नारायन सिंह,नि० जमालपुर, थाना महराजगंज, आजगढ़।

32—छोटे लाल पुत्र रघुवर निवासी कोटई जमालपुर, थाना महराजगंज, आजमगढ़।

33—श्रीमती मालमती स्त्री छोटेलाल निवासी कोटई जमालपुर थाना महराजगंज "।

34—रामधन पुत्र रघुवीर " "।

35—धर्मराजी स्त्री श्रीपत निवासी सठेकुर भटौली, थाना महराजगंज, आजमगढ़।

36—श्री पुत्र राम देव यादव निवासी शिवपुर देवारा " "।

37—दीना निवासी " "।

38—रमेश्वर पुत्र बृजलाल निवासी शिवपुर देवारा थाना महराजगंज, आजमगढ़।

39—जवाहिर पुत्र मुसई निवासी जगदीशपुर बहेगवा जोगीपुर थाना जहांगीरपुर फैजाबाद।

40—पन्नालाल पुत्र राम कृष्ण निवासी समधीपुर थाना महराजगंज आजमगढ़।

41—श्रीमती दौलता स्त्री नगई निवासी सरदहा बाजार " "।

42—कु० सरिता पुत्री कालिका प्रसाद निवासी " "।

43—रामजीत पुत्र राम बक्स निवासी रामपुर खाशा थाना अतरौलिया आजमगढ़।

44—ओम प्रकाश पुत्र राम बक्स निवासी रामपुर खाश " "।

45—मनोज पुत्र शंकर आनन्द निवासी बखत करोल बाग नई दिल्ली (सरदहा बाजार)।

46—दयाराम पुत्र पुजारी निवासी बलया करौदी थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

47—भभूती पुत्र भोला निवासी कुरालपुर थाना " "।

48—राम दरस पुत्र लौटन निवासी आमा दरवेशपुर, थाना जहांगीरगंज, फैजाबाद।

49—रुपमती स्त्री हरदेव निवासी अमा दरवेशपुर, थाना जहांगीरगंज, फैजाबाद।

50—विनोद पुत्र श्याम नरायन पाण्डेय निवासी ग्राम व थाना घासी, आजमगढ़।

51—भगेलू पुत्र भुलेसर निवासी नसीरपुर, दरवेशपुर थाना जहांगीरगंज, फैजाबाद।

52—राम प्रदीप पुत्र विश्वनाथ निवासी पुरानपुर,थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

53—राम पुत्र विश्वनाथ निवासी पुरानपुर,थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

54—भगेलू पुत्र बरखू निवासी बरसनपुर थाना राजेसुल्तानपुर, फैजाबाद।

55—लल्लन पुत्र रामदेव निवासी गयासपुर थाना अतरौलिया. आजमगढ़।

56—राधेश्याम पुत्र सतई निवासी टोटहवा, थाना महराजगंज. आजमगढ।

57—निर्मल पुत्र मिठाई निवासी चौरवा भियांव थाना जलालपुर, फैजाबाद।

58—मंत्री पुत्र अच्छेलाल निवासी मदियापार थाना जहांगीरगंज, फैजाबाद।

59—पुष्पा (साथ में) " " "।

60—श्रीमती पूजा स्त्री भरत सिंह निवासी बंसतपुर थाना महराजगंज, आजमगढ़।

61—कु० दीपा पुत्री भरत सिंह " " "।

62—प्रभुनाथ पुत्र भरत सिंह निवासी " "।

63—संजय कुमार सिंह पुत्र श्रीराम निवासी भरथी जाफरपुर थाना गोपालगंज, महराजगंज, आजमगढ़।

64—श्रीमती रेशमा देवी पुत्री पलटू राम निवासी बुकिया थाना बसखरी, फैजाबाद।

65—सरजू पुत्र महेश निवासी चतुरपुर माही पट्टी थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

66—दया शंकर पुत्र जयराम निवासी कुसुमपुर, थाना जैतपुर, फैजाबाद।

67—बाबू राम पुत्र राम आसरे निवासी फुलवरिया, थाना जैतपुर, फैजाबाद।

68—राजेन्द्रर यादव पुत्र पतंगा निवासी खलिसपुर, थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

69—शिवदन पुत्र जगई निवासी परसरामपुर, थाना महराजगंज, आजमगढ़।

70—राम दुलारे पुत्र धनेसर निवासी सुरैया, थाना महराजगंज, आजमगढ़।

71—ओम प्रकाश पुत्र दुक्खनराम निवासी अतरा थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

72—राम दुलार पुत्र जैश्री निवासी उमियारपुर थाना अहरौला, आजमगढ़।

73—राम सिंगार पुत्र वंशराज हरिजन निवासी जैनदीन[illegible]पुर थाना हसवर, फैजाबाद

विधान सभा

पी०एस०यू०पी० (आर०ई०) 5 विधान सभा/373—10-10-91—813 प्रतियां। (फोटो)